अष्टम मासा, खंड 21, अंक 3

गुरुवार, 6 नवम्बर, 1986
15 कार्तिक 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय - सूची

अष्टम माला, खंड 21, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 3, गुरुवार, 6, नवम्बर, 1986/15 कार्तिक 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 46	1–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23–196
तारांकित प्रश्न संख्या : 47 से 49 और 51 से 60	23–32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 340 से 372, 374 से 402 और 404 से 569	33–196
सभा पटल पर रखे गये पत्र	196–200
नियम 377 के अधीन मामले	201–205
(एक) कोटा स्थित परमाणु बिजलीघर संख्या 1 के ठीक से न चलने के कारणों की जांच करने की आवश्यकता — श्री मूल चन्द डागा	201
(दो) दिल्ली-दीवानगंज को हरिश्चन्द्रपुर से जोड़कर बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण करने और धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता — डा० गुलाम याजदानी	201
(तीन) उड़ीसा की विद्युत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपाय करने की मांग — श्री बृज मोहन महन्ती	202
(चार) खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश में एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने की मांग — डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	202
(पांच) गोवा में मण्डोवी नदी पर नया पुल बनाने का कार्य शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता — श्री शांताराम नायक	203
(छः) नरमा कपास का वसूली मूल्य 700/– रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग — श्री वीरबल	203

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(सात) यातायात की भीड़-भाड़ की समस्या को हल करने के लिए बड़े शहरों में भूमिगत मैट्रो रेल प्रणाली की व्यवस्था करने की मांग	
डा० जी० विजय रामा राव	203
(आठ) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों की शिकायतों की जांच करने की मांग	
डा० दत्ता सामन्त	204
(नौ) दूरदर्शन के एक धारावाहिक "राज से स्वराज" में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन को विकृत करके दिखाये जाने के संबंध में जांच करने की मांग	
श्री अमर राय प्रधान	204
(दस) कपास उत्पादकों को कपास के लाभप्रद मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने की मांग	
श्री तेजा सिंह दर्दी	205
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	205–233
गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा एक पृथक राज्य के लिये आन्दोलन	205
श्री सैफुद्दीन चौधरी	205
सरदार बूटा सिंह	205
श्री अनिल बसु	214
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया	217
श्रीमती गीता मुखर्जी	219
डा० चिंता मोहन	221
भारतीय राष्ट्रिकों और कम्पनियों के विदेशों में जो विदेशी हित/अस्तियां और संपत्तियां हैं उनके सम्बन्ध में घोषणा करने की योजना के बारे में वक्तव्य :	233–236
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	233
पाकिस्तान द्वारा किये गये कथित परमाणु विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	236–286
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	236
श्री जी० जी० स्वैल	239
श्री सोमनाथ चटर्जी	242
श्री दिनेश सिंह	247
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	251
श्री के० पी० सिंह देव	254
श्री बृजमोहन महन्ती	258
श्री एस० जयपाल रेड्डी	262
श्री बी० आर० भगत	265
श्री दिनेश गोस्वामी	271
श्री इन्द्रजीत गुप्त	275
श्री के० नटवर सिंह	279

लोक सभा

गुरुवार, 6 नवम्बर, 1986/15 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इंचमपल्ली परियोजना

*41. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इंचमपल्ली परियोजना के बारे में समझौता करने के लिए सभी संबंधित मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने के बारे में कदम उठाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि परियोजना के लिए संयुक्त नियंत्रण बोर्ड के गठन के अनुमोदन के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने के लिए केन्द्र विचार कर सकता है।

(ख) यह मामला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को लिखा था जिसमें परिस्थिकी विज्ञान रूपरेखा सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीनों राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं के कार्यदल के गठन तथा प्रारम्भिक विचार-विमर्श के लिए मंत्री-स्तर पर एक अन्तर्राज्यीय बैठक के लिए भी सुझाव दिया था। मामला आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास रुका पड़ा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : केन्द्रीय सरकार की एक विशिष्ट परिपाटी की तरह, उत्तर को फिर आन्ध्र प्रदेश सरकार पर ही थोप दिया गया है।

सभापति महोदय : क्या इस 'बाल' को 'किक' किया जाना है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जैसा कि आप जानते हैं कि गोदावरी नदी में बाढ़ से भारी हानि हुई है और केवल इस वर्ष करीब 1,700 करोड़ रुपए की हानि होने की सम्भावना है। अगर इंचमपल्ली परियोजना और पोलावरम बराज (बांध) का निर्माण हो गया होता तो इस नुकसान और बाढ़ से बचा जा सकता था ।

सभा की जानकारी के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तर्गत एक 'अवार्ड' दिया गया था, जिसके तहत, 1978 में बहुउद्देश्यीय अन्तर्राज्यीय परियोजना के निर्माण के लिए तत्कालीन आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच समझौता हुआ था । 1978 से ही यह पत्र व्यवहार में ही खो गई है। अतः, अपने प्रश्न के एक भाग के रूप में, मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या वे इन मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए कदम उठाएगी। मंत्री महोदय के अनुसार यह मामला फिर मुख्य मंत्रियों पर छोड़ दिया गया है। और इस प्रकार यह मामला न समाप्त होने वाले पत्राचार में ही खो कर रह जाएगा।

श्री राम निवास मिर्धा : तीनों राज्य सरकारों ने इंचमपल्ली परियोजना पर सहमति व्यक्त की थी और यह गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड का ही एक हिस्सा था। तीनों राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार ही यह अवार्ड दिया गया था । तभी से तीनों राज्यों ने केन्द्र से एक कण्ट्रोल बोर्ड के गठन के लिए कहा है, और केन्द्रीय सरकार ने तीनों राज्यों से कहा था कि तीनों बैठक करके इस पर विचार करें और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर करें क्योंकि परियोजना रिपोर्ट के बिना या विभिन्न मामलों पर बुनियादी समझौते के अभाव में केन्द्रीय बोर्ड के गठन से ज्यादा लाभ नहीं होने वाला । अतः, जब कभी ये बात सामने आती है, हमने राज्य सरकारों से कहा है कि मिल कर बैठें। इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का सुझाव काफी सही है—कि चीफ इंजीनियर स्तर पर कार्य दल गठित किया जाए। वे विभिन्न तकनीकों को हल करके उन्हें मंत्री-स्तर की बैठक में रख सकते हैं, ताकि इनका हल ढूंढ़ा जा सके। मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाना आसान है। लेकिन जब तक कुछ प्रारम्भिक कार्य न किया जाए, मैं समझता हूं कि इससे ठोस परिणाम नहीं निकल पायेंगे ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जैसा कि मैंने पहले कहा है, साठ वर्ष हो गए हैं, समझौता हुए, 1978 में परियोजना के ब्यौरे के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना का 78% व्यय आन्ध्र प्रदेश ने वहन करना था। आन्ध्र प्रदेश ने इस बारे में पहल की—वर्तमान राज्य सरकार ने और पहले की राज्य सरकार ने, जोकि आपके दल की थी । लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से हमें पर्याप्त उत्साहजनक उत्तर नहीं मिला। अतः मैं, केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में पहल करे। सर्वेक्षण कराये जाने के लिए भी कण्ट्रोल बोर्ड की स्थापना आवश्यक है। अतः क्या केन्द्रीय सरकार, पहल कर, कन्ट्रोल बोर्ड की स्थापना के के लिए कदम उठाएगी, ताकि कम से कम सर्वेक्षण कार्य किया जा सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : हम आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा श्री एन० टी० रामाराव को 2-5-1985 को लिखे गए पत्र का उद्धरण देना चाहता हूं। मात्र बैठक बुलाए जाने से ही कोई लाभ नहीं निकलने वाला। मुख्यतः

यह अन्तर्राज्यीय परियोजना है। जब तक तकनीकी स्तर और राज्य मंत्री स्तर पर मूल बातों पर सहमति नहीं हो जाती, बैठक बुलाने का कोई लाभ नहीं है। बैठक बुलाना बहुत आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि बैठक के ठोस परिणाम निकलें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका अपना दृष्टिकोण है, मंत्री महोदय का नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 1978 में यह समझौता हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पोलावरम बांध की भी यही स्थिति है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका भी वही उत्तर है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय इस मामले में पहल करने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि वे जानबूझकर बीच में नहीं आना चाहते।

श्री राम निवास मिर्धा : नहीं यह बात नहीं है। भारत सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि तीनों राज्य सरकारें कम से कम इस परियोजना और उसकी परिकल्पना पर सहमत हो जाएं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : लेकिन इसके लिए भी आपको केन्द्रीय बोर्ड की आवश्यकता होगी।

श्री राम निवास मिर्धा : इस रास्ते में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, वह है ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह बहस नहीं हो सकती। मैं और अधिक सहायता नहीं कर सकता।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अगर मंत्री महोदय कुछ नहीं कहना चाहते, तो क्या किया जा सकता है? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या आप इस उत्तर से सहमत हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कर सकते हैं। आप यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की पहल पर एक सम्मेलन बुलाया जाए। आप ऐसा कह चुके हैं। आप उनसे यह बात अभी मनवा नहीं सकते। कृपया बैठ जाइए। ठीक है।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्योंकि वह कर्नाटक से नहीं हैं, अतः वे हमारे प्रति कम विरोध दिखा सकते हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : 2-5-1985 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था। इस पत्र का आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से कोई उत्तर नहीं मिला । वह मुख्य मंत्री से बात क्यों नहीं करते ? समस्या यह है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह सही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पता लगा सकते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आन्ध्र प्रदेश की कांग्रेस (आई) सरकार और आन्ध्र प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार को, चाहे वे किसी भी दल की हो, को श्रेय देता हूं कि उन्होंने हमेशा ही इस मामले में प्रयास किए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

[**हिन्दी**]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच में जनता परेशान है ।

अध्यक्ष महोदय : जनता पार्टी परेशान है या जनता परेशान है ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय, जनता भी परेशान है और जंगा रेड्डी भी परेशान है। यह इंचमपल्ली प्रोजेक्ट केवल आन्ध्र प्रदेश के लिए ही नहीं है बल्कि यह पूरे देश के लिए अत्यन्त आवश्यक चीज है । जहां गोदावरी की बाढ़ के कारण जो कई करोड़ों का नुकसान हो गया है, वहां इस प्रोजेक्ट के बन जाने से पानी को एक जगह रोका जा सकेगा और सिंचाई का भी अच्छा प्रबन्ध हो जाएगा । इसके साथ ही तीनों मुख्य मंत्रियों ने ज्वायंट पूल बनाने के बारे में एग्रीमेंट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक इनमें झगड़ा चल रहा है। क्या केन्द्र सरकार इन तीनों को विश्वास में लेकर कोई ज्वांइट बोर्ड बनाने की व्यवस्था करेगी ? हम इस सदन में भी और कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में भी इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि इसमें केन्द्र सरकार कोई इनिशेटिव नहीं ले रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि उनकी जमीन डूबने न पाए । अतः केन्द्र सरकार इसमें इनिशेटिव लेकर तीनों को एक जगह लाने का प्रयास करेगी ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर उनके साथ बैठे उद्योग मंत्री श्री वेंगल राव दे सकते हैं । (**व्यवधान**)

श्री राम निवास मिर्धा : जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए श्री वेंगल राव, वहां के मुख्य मंत्री थे ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हां, वे भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बस, ठीक है ।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी और की तरह वह भी उत्सुक हैं कि इसको पूरा किया जाए । इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, वह है बड़े पैमाने पर जंगलात और उपजाऊ भूमि का पानी में डूबना । तीनों राज्यों में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पानी में डूबेगी । 2148 गांवों और 66,300 लोगों का पुनर्वास होगा । और इस प्रकार जंगल

और उपजाऊ भूमि डूब जायेगी। सबसे अधिक जन जातीय लोग प्रभावित होंगे। अत: काफी लोग, यहां तक कि बाबा आम्टे जैसे प्रभावशाली लोगों ने कहा है कि इस परियोजना को न आरम्भ किया जाए। इसके फलस्वरूप उपजाऊ भूमि, जंगलात पानी में डूब जायेंगे। उन्होंने कहा है—इस परियोजना को लागू न किया जाए। अन्य परियोजना बनाई जाए, ताकि दूसरी तरह से लाभ मिल सके। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि तकनीकी स्तर पर चीफ इंजीनियरों की बैठक में इसका हल निकाला जाए। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मई, 1985 के पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : वहां की जनता परेशान रहती है, आप जानते नहीं हैं। आप के पानी की बाढ़ के कारण हमारे आन्ध्र प्रदेश के लोग डूबे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें सही प्रकार से जानकारी नहीं दी गई।

प्रो० एन० जी० रंगा : : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में आई बाढ़ की वजह से हुए भारी नुकसान के बाद, प्रधान मंत्री को दो दफा वहां का दौरा करना पड़ा और केन्द्रीय सरकार ने 30 करोड़ रु० और 50 करोड़ रु० की आंतरिक सहायता दी। अत: केन्द्र को इच्चमपल्ली परियोजना में और अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिएं ताकि निकटवर्ती क्षेत्रों को कम से कम नुकसान हो। मेरे मित्र के साथ आन्ध्र प्रदेश के दो भूतपूर्व मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं। उन्हें उनकी सहायता और सलाह लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसे केवल सिंचाई समस्या के रूप में नहीं देखे, बल्कि इसे अखिल भारतीय विकास और बचाव करने की समस्या के रूप में देखे और खुद पहल करे। उन्हें इंजीनियरों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे सिंचाई मंत्री का रुख कठोर था। अत: इससे सभा में काफी उत्तेजना पैदा हुई। वर्तमान मंत्री महोदय का रुख सोहार्दपूर्ण है। अत: इंजीनियरों ने उन्हें जो कुछ बतलाया है, उन्हें उससे कुछ और अधिक परिणाम सामने लाने चाहिएं।

यह आवश्यक नहीं है कि आज केवल अभियन्ताओं से ही परामर्श किया जाए समग्र राष्ट्र के हित को देखना होता है। अत: मैं अपने माननीय मित्र से इस विषय पर अधिक ध्यान देने के लिए कहूंगा तथा हमारे मित्र द्वारा सुझाई गई बातों के आधार पर शुरुआत करने के लिए कहूंगा। यह एक सर्वदलीय मामला है, यह निश्चित ही एक दलीय मामला नहीं है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह किसी भी दल का मामला नहीं है बल्कि यह सारे भारत की एक समस्या है।

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे साथ बैठे हुए दो भूतपूर्व मुख्य मंत्री इस परियोजना के लिए सभा के किसी भी व्यक्ति से कम उत्सुक नहीं हैं। लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री की तरफ से भी मामले पर विचार करने तथा पत्र का उत्तर देने की कुछ इच्छा होनी चाहिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : उत्तर देने का यह तरीका नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री सी० जंगा रेड्डी : दोनों भूतपूर्व मुख्य मंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह एक ऐसी परियोजना है जिससे लाभ होगा लेकिन इसकी वजह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 60 गांव जल मग्न हो जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हे भगवान :

श्री सी० माधव रेड्डी : लेकिन फिर भी उस क्षेत्र के लोग महसूस करते हैं कि यह परियोजना शुरू होनी चाहिए और क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को अगस्त माह में लिखा था—अगस्त, 1986 के मास में—कि महाराष्ट्र से कोई जवाब नहीं आया है, मध्य प्रदेश से कोई उत्तर नहीं मिला है कि भारत सरकार को शुरूआत करके एक बैठक बुलानी चाहिए? क्या यह सत्य है कि आन्ध्र प्रदेश ने यह भी लिखा है कि पर्यावरण को होने वाले कल्पित नुकसान तथा आदिवासी क्षेत्र के जलमग्न होने को लेकर बस्तर क्षेत्र में कोई प्रेरित संघर्ष चलाया जा रहा है? और क्या यह भी सच है कि भारत सरकार इस दिशा में सिर्फ़ इसलिए अपने कदम पीछे हटा रही है क्योंकि वह इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं करना चाहती है ।

श्री राम निवास मिर्धा : भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को न करने का कोई प्रश्न नहीं है । तीन राज्य सरकारें इस परियोजना के लिए सहमत हो गई हैं और इसे गोदावरी नदी जल प्राधिकरण (गोदावरी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल) में शामिल किया गया था । अत : भारत सरकार तैयार है तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श एक कतिपय स्तर तक पहुंचने के बाद सदैव अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार रही है । अत: मेरे स्तर पर बैठक बुलाने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ठीक और व्यावहारिक उद्देश्य केवल तभी सिद्ध होगा अगर संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों अथवा सिंचाई मंत्रियों के साथ प्राथमिक बातचीत की जाती है ।

[हिन्दी]

नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनायें

*42. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक में सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत नलकूप लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को, जिलावार, कितनी धन राशि आंबटित की गई और कितने नलकूप चालू किए गए और कितने अभी निर्माणाधीन हैं ?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में नलकूप लगाने के लिए राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जहां विश्व बैंक सहायता से निर्माणाधीन सार्वजनिक नलकूप हैं, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश द्वारा किया गया आबंटन निम्नवत है :—

(मिलियन रुपए में)

	1983–84	1984–85	1985–86
उत्तर प्रदेश	224.00	295.00	415.00
पश्चिम बंगाल	—	—	64.20

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नलकूप परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नवत है :—

(मिलियन रुपए में)

	1983–84	1984–85	1985–86
सोपान–एक	20.93	—	—
सोपान–दो	6.86	28.49	141.19

परियोजना के सोपान–एक में, जून 1983 में पूरा हो गया था 559 नलकूप चालू किए गए। सोपान–दो में सितम्बर 1986 तक 773 नलकूप चालू हो गए हैं तथा 2177 नलकूप निर्माण की विभिन अवस्थाओं में है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया गया है इसके भाग (क) में ऊपर उल्लेख किया गया है कि विश्व बैंक की सहायता के द्वारा नलकूपों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश द्वारा किया गया आबंटन निम्नवत है। और नीचे जो दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उद्धरण दिए गए हैं कि इतने-इतने धन का आवंटन किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को कितना धन इन तीन वर्षों में आबंटित किया गया है ? मंत्री जी यह बताने की कृपा करें।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य का प्रश्न था कि कितने राज्यों को विश्व बैंक के द्वारा ट्यूबवेल बनाने के लिए सहायता दी गयी है। केवल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने योजना बनाई हैं जो स्वीकृत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश ने इसके बारे में कोई योजना नहीं भेजी है और न वर्ल्ड बैंक के सामने आज मध्य प्रदेश में ट्यूबवेल बनाने की कोई योजना विचाराधीन है। बंगाल ने एक स्कीम बनाई है जो चल रही है। उत्तर प्रदेश ने बहुत पहले एक योजना बनायी थी, उसका फेज (वन) समाप्त हो चुका है और फेज (टू) चल रहा है जिसमें विश्व बैंक ने उनको काफी मदद दी है।

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश है, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश सिंचाई के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिए अभी वहां पर और ज्यादा संख्या में नलकूप विशेष रूप से लगाए जाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ज्यादा धनराशि नलकूप लगाने के लिए आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक इसका क्रियान्वयन हो जायेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, इस योजना के फेज (वन) में उत्तर प्रदेश सरकार ने आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, इलाहाबाद जिलों में जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां पर नलकूप खुदवाए हैं। फेज (टू) जो चल रहा है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफी जिले मौजूद हैं—यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं सूची दे दूंगा। हम चाहते हैं कि यह योजना

बहुत अच्छी तरह से चले क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जो टीम आई थी उसने संतोष व्यक्त किया है कि जिस तरह से प्रगति हो रही है और जो फायदे निकलने वाले हैं वह सारा काम ठीक ढंग से चल रहा है । दूसरे फेज के अन्दर कुछ पैसे में बचत भी है इसलिए कुछ और ज्यादा तादाद में नलकूप दिए जायेंगे । इसमें मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का काफी पूर्वी हिस्सा आ जायेगा ।

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, राजस्थान का झुंझनू और सीकर का इलाका जो है वहां पर पानी की सख्त कमी है, वहां पर आज से नहीं बल्कि सदियों से लोग पानी को देखने के लिए तरसते हैं। हमारे मंत्री महोदय राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं, क्या इन दोनों जिलों में भी किसानों के फायदे के लिए ट्यूबवेल लगाने का कोई बन्दोबस्त करने की उनकी कोई योजना है या नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इतना मैं बता दूं कि वहां डैटा कंप्लीट हो चुका है ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह एक विशेष योजना है जो उत्तर प्रदेश की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने कई वर्ष पहले भेजी थी और हमने विश्व बैंक के पास भेज कर सहायता प्राप्त की थी । राजस्थान सरकार की और कई योजनाएं हैं और हो सकती हैं जिनके द्वारा ट्यूबवेल या अन्य प्रकार की सिंचाई के साधन इन दोनों जिलों में ही नहीं अन्य जिलों में भी दिए जायें लेकिन अभी तक उन्होंने कोई योजना बनाकर विश्व बैंक को भेजने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास नहीं भेजी है ।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, नलकूप योजना शुरुआत करने के लिए योजना आयोग ने राज्य स्तर पर निर्देश दिया था कि स्टेट में स्टेट ट्यूबवेल संगठन बनाया जाए । उसी निर्देश के अनुसार बिहार में बिहार राज्य नलकूप निगम की स्थापना की गयी। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि वित्तीय संकट की वजह से यह निगम खत्म हो रहा है। न अब कार्यालय है और न निगम । मैं समझता हूं कि जितने भी ट्यूबवेल चलाए गए थे, उनमें मुश्किल से 10 प्रतिशत भी चले नहीं हैं । इसमें सरकार के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं, आप गया गए थे । वह रॉकी प्लेस है। स्टेट ट्यूबवेल से ही वहां के लोगों को सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकती है और पेयजल की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इतना बड़ा संगठन खत्म हो गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, बिहार राज्य नलकूप निगम को पुनर्जीवित करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष जी, बिहार सरकार ने ट्यूबवेल से संबंधित एक योजना बनाई है, जो कि विश्व बैंक को भेजी गई है । वह योजना 68 मिलियन डालर्स की है। मुझे माननीय सदस्य और आपके माध्यम से सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विश्व बैंक ने उसे स्वीकार कर लिया है और जल्द ही करार पर दस्तखत किए जायेंगे । इस प्रकार माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह पूर्ण हो जाएगी ।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में नलकूपों के लगाने के लिए चालू वर्ष में किसी धनराशि का नियतन किया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में भी उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल योजना के लिए 1985–86 में 64.20 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था । इस वर्ष के लिए कितनी राशि रखी गयी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन योजना एक निरन्तर जारी रहने वाली योजना है। हालांकि हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और विश्व बैंक के दल ने, जिसने जून, 1986 में दौरा किया था, परियोजना को लागू करने में हो रहे विलम्ब के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है । ताजा जानकारी जो हमें मिली वह यह थी कि सभी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता सहित, गत तीन माह से हड़ताल पर चल रहे हैं और इस कारण तथा अन्य कारणों से अधिक प्रगति नहीं हो रही है ।

सियोल में हुए एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन

*43 श्री शरद दिघे
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियोल में हुए एशियाई खेलों में कुमारी पी० टी० ऊषा और कुछ अन्य खिलाड़ियों, जिन्होंने केवल पांच स्वर्ण पदक प्राप्त किए, के अलावा शेष भारतीय दल के कुल मिलाकर निराशाजनक प्रदर्शन पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निराशाजनक प्रदर्शन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सन् 1990 में होने वाले अगले एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु किए जाने वाले विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ङ) तक एशियाई खेलों में भारतीय दल द्वारा भाग लेने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भारतीय ओलम्पिक संघ से प्राप्त होने की आशा है । उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर एशियाई खेल 1990 सहित भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खेल-व्यक्तियों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपायों पर, क्षेत्र में विशेषज्ञों के परामर्श से सरकार द्वारा गहराई से विचार किया जाएगा ।

श्री शरद दिघे : महोदय, मेरे प्रश्न के सभी पांचों भागों का मात्र उत्तर यह है कि भारतीय ओलम्पिक संघ के एक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है । दल एक माह पूर्व वापस आ गया है और लगभग एक माह पूर्व ही माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव

ने अपने एक साक्षात्कार में यही कहा था कि सरकार सियोल से यहां लौटे दल के सदस्यों तथा अधिकारियों के पूरे प्रतिवेदन का इंतजार कर रही है ।

जहां तक इन एशियाई खेलों का संबंध है, राष्ट्रीयता की भावना तथा गर्व को बढ़ाने में अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद की सफलता सदैव एक उचित और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाती रही है । इस वर्ष कई लोगों ने यहां तक कहा है कि परिणाम ही भारत के लिए एक शर्मनाक बात है। 80 करोड़ की आबादी वाले देश ने केवल पांच स्वर्ण पदक जीते हैं और इसे पांचवां स्थान प्राप्त हुआ जबकि चीन और दक्षिण कोरिया ने 94 तथा 93 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन हालात में, 1990 में होने वाले खेलों में भी अच्छे कार्य-प्रदर्शन की आशा बहुत ही कम नजर आती है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मामले को गंभीरता से लेगी तथा अगले एशियाई खेलों में अपने कार्य-प्रदर्शन में बहुत अधिक सुधार करने के लिए तुरन्त कदम उठायेगी ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं न केवल सदस्यों से बल्कि अन्य उस प्रत्येक व्यक्ति की चिंता से सहमत हूं जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। जो हुआ है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और मैं सदस्यों को आश्वस्त कर सकती हूं कि सरकार भी इतनी ही चिंतित है और अपने स्तर को सुधारने के लिए बेचैन है । मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि जिन खेलों में हमने भाग लिया था उन सबके बारे में प्रतिवेदन भारतीय ओलम्पिक संघ एक विस्तृत विश्लेषण और प्रतिवेदन देने के लिए जिम्मेदार थी । हमने उन्हें तीन बार याद कराया है और उन्होंने वायदा किया है कि अगले दो सप्ताह में अन्तिम प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा और केवल तभी मैं बता सकूंगी कि आगे तुरन्त क्या किया जाए ।

श्री शरद दिघे : भारतीय खेलों में व्याप्त बुराइयां बहुत जटिल हैं जैसे सभी स्तरों पर अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, पुरुष और महिला खिलाड़ियों को अपर्याप्त प्रोत्साहन तथा प्रशासकों और चयनकर्ताओं के बीच यदि भ्रष्टाचार नहीं तो भाई-भतीजावाद। ये . . . . (**व्यवधान**) ये बुराइयां स्पष्ट हैं। सरकार को क्रीड़ा समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए । इन मामलों में सरकार की कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं कहना चाहूंगी कि इन विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्रारम्भ में कहना चाहूंगी कि खेल राज्य का विषय है। हम इस पर कानून नहीं बना सकते । मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। (**व्यवधान**) हमारे पास कोई अधिकार (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : आपको अपने उत्तरदायित्व से नहीं बचना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जहां तक संघ या अन्य बातों पर नियंत्रण का सम्बन्ध है केन्द्र इस पर कानून नहीं बना सकता । संघ स्वायत्तशासी है। वे सीधे भारतीय ओलम्पिक समिति के नियंत्रण में आते हैं न कि सरकार या खेल विभाग के नियंत्रण में। (**व्यवधान**) इस प्रश्न में चयन के विभिन्न मुद्दों की भी बात उठायी गयी है। यह चयन सरकार द्वारा नहीं किया जाता । चयन संबंधित संघों द्वारा किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की पुष्टि से युक्त चयन सूची हमारी मन्जूरी के लिए भेजी जाती है । हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे सरकार चयन कर सके। हम केवल दल को मंजूरी दे सकते हैं । (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : क्या आप मौन दर्शक हैं ? (**व्यवधान**)

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : इस समय यह स्थिति है। इस समय हम केवल आर्थिक सहायता देते हैं। कानून बनाने के लिए मेरे पास कोई अधिकार नहीं है ।

श्री पराग चालिहा : क्या सरकार इस सम्बन्ध में निस्सहाय है ? (**व्यवधान**)

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : हमें बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए । जहां तक खिलाड़ियों के चयन तथा संघ की वास्तविक स्थिति का सम्बन्ध है सरकार मजबूर है क्योंकि संघ स्वायत्त-शासी है और केवल भारतीय ओलंपिक संघ के प्रति उत्तरदायी है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। डा० राजहंस ।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि बुनियादी सुविधाओं से उनका क्या तात्पर्य है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : हम साधारण आदमी हैं। हम इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । अब तक बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गयीं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर पूरी तरह से चर्चा कर सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : हम आधे घण्टे की चर्चा कराना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : हम पूरी चर्चा कराना चाहते हैं । पूरी चर्चा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! आप शोर क्यों कर रहे हैं ? इसको डील करने दो और जितना होता है होने दो। बाद में फिर मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

मैं इस सदन को आश्वासन दिला सकता हूं कि मैं स्वयं खेलों के प्रति अभिरुचि रखता हूं और यह भी जानता हूं कि इससे भारत के मनोबल में वृद्धि होती है और हमें वास्तव में कुछ करना चाहिए। मैं सब की राय के अनुसार चलना चाहूंगा। हमने कार्यमंत्रणा समिति में इस पर चर्चा की थी और यह निर्णय लिखा गया था कि हम इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे । क्या ऐसा नहीं है ? लेकिन मंत्री जी को तो उस समय तक रिपोर्ट तैयार करने का समय दिया जाना चाहिए । तब हम इस पर विचार विमर्श करेंगे ।

डा० टी० बशीर : हमें पूरा विश्वास है कि यह रिपोर्ट काफी अरसे के बाद आयेगी। अतः इस सत्र में इस पर चर्चा की जानी चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री गौरीशंकर राजहंस : मैं जानना चाहता हूं कि आधारभूत सुविधाओं से माननीय मंत्री जी का क्या तात्पर्य है ? हमें इस संबंध में जानकारी नहीं है । हम इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि अब तक बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गयीं ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदया 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति अपनायी गयी । इस योजना तक खेलों पर बहुत कम धन व्यय किया गया । 1985 में पहली बार इस योजना के अन्तर्गत खेलों के लिए 200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । इसके पहले की योजना में यह धनराशि 15 करोड़ रुपए थी ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने दिल्ली में आयोजित एशियाड पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : इस कारण दिल्ली में खेल की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं । लेकिन देश में जहां इसकी आवश्यकता है, बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

महोदय, हमने राज्यों को बुनियादी सुविधाएं तैयार करने के लिए अत्यधिक धन उपलब्ध कराने की योजना बनायी है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। वास्तव में अनुदान बढ़ा दिया गया है। अनेक राज्य इसमें वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव पर प्रस्ताव पेश कर रहे हैं । पहले, देश में अभी तक सिन्थेटिक ट्रेक उपलब्ध नहीं है । उसे आयात किया जाना है और राज्यों को इन्हें दे दिया जाना है । केरल जैसे राज्य के पास भी, अभी तक अपने एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए सिन्थेटिक ट्रेक नहीं हैं। इस प्रकार की समस्यायें विद्यमान हैं । मैं आभारी रहूंगा यदि इस विषय पर पूरी चर्चा कराई जाये क्योंकि खेल नीति के सभी पहलुओं और इसके क्रियान्वन की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है जिससे हम विद्यमान परिस्थितियों को बदलने में अत्यधिक समर्थन जुटा सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ी खुशी है कि केरल में सिन्थेटिक ट्रेक उपलब्ध न होने के बावजूद भी केरल की लड़कियों ने आश्चर्यजनक करिश्मा दिखाया है और यदि उन्हें इसे उपलब्ध करा दिया जाता तो क्या स्थिति होती ?

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : इसी कारण मैंने कहा कि जब उन्होंने बिना ट्रैक के यह कार्य कर दिखाया तो ट्रेक के बाद वे और भी अच्छा कर सकती थीं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि हम एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं तो सभी को यह अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा । क्या आप चाहते हैं कि इस प्रश्न पर हम आधे घण्टे की चर्चा कराएं जो अभी शेष है या आप चाहते हैं कि हम इस पर अलग से चर्चा करायें ? यदि आप चर्चा कराना चाहते हैं, मैं अनुमति प्रदान करता हूं । बाद में मैं पूरी चर्चा कराने की अनुमति दूंगा । अब अगला प्रश्न ; श्री जंगा रेड्डी !

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको चर्चा की अनुमति प्रदान करेंगे । इस पर मैं सहमत हूं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो भी निर्णय लिया गया है वही रहेगा । आप कृपया बैठ जाइए ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इससे संबंधित मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप या तो चर्चा करा लीजिए अन्यथा मैं अन्य प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा । कुरियन जी आप अकेले व्यक्ति हैं । आप मेरा समय क्यों बरबाद कर रहे हैं जब मैं इस पर सहमत हो गया हूं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए । यह समय नहीं है । यह तरीका नहीं है। कुरियन जी आपको अनुमति नहीं प्रदान की जाती है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, क्या आप इस सदन की अवहेलना करना चाहते हैं ? कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । यह आपको शोभा नहीं देता । जब मैं चर्चा कराने के लिए सहमत हो गया हूं आप बार-बार क्यों उठ खड़े होते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपका आभारी हूंगा यदि आप मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप दो-दो चीजें एक साथ कैसे कर सकते हैं ? आप अनावश्यक रूप से सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । जब हम इस पर पूरी चर्चा कराने जा रहे हैं तो आप ऐसा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं । यदि मैं आपको अनुमति प्रदान करूं तो मुझे सबसे अनुमति प्रदान करनी पड़ेगी । अब श्री जंगा रेड्डी ।

पैन एम जेट विमान का अपहरण

44. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
श्री भरत कुमार ओडेदरा : } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 सितम्बर, 1986 को बम्बई से कराची हवाई अड्डे को जाते समय अपहरण किये गये पैन एम जेट विमान के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध तथ्यों का ब्यौरा क्या है और मृत/घायल यात्रियों की संख्या, उनकी राष्ट्रीयता, घटना के बारे में यात्रियों का बयान और परिस्थितियां, जिनके कारण यह घटना हुई, क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस घटना, विशेष रूप से स्थिति से निपटने में पाकिस्तानी अधिकारियों की भूमिका के बारे में भारत सरकार ने क्या मूल्यांकन किया है और क्या इससे पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया गया है और यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस मामले में पैन एम अधिकारियों और अमरीका का क्या दृष्टि कोण है; और

(घ) मृत यात्रियों के निकट-संबंधियों तथा घायल यात्रियों को समुचित मुआवजा दिलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, इस प्रकार का उत्तर वास्तव में विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाना चाहिए था न कि मेरे मंत्रालय द्वारा।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : यह तो कल हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हमने कर दिया। इसमें यह पहले आ गया था । श्री जंगा रेड्डी

[अनुवाद]

हम इस पर चर्चा कर चुके हैं । हम सदन का समय क्यों बरबाद करें ? हम कल ही इस पर चर्चा कर चुके हैं । आप और क्या चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, देखिए, ए० बी०सी डी०का जवाब एक ही लाइन में दे दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब कल आ गया है ।

[अनुवाद]

इसका मतलब है, उत्तरों में समानता है । कृपया बैठ जाइए ।

श्री बाला साहब विखे पाटिल : अगला प्रश्न !

व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव

45. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इसके लिए कितनी धनराशि रखी गयी है और, राज्यवार, कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यावसायिक शिक्षा के एक ऐसे वृहत्त कार्यक्रम की परिकल्पना है जिनमें संगणक से संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे ।

(ख) सातवीं योजना में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्योंकि केन्द्रीय सेक्टर में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था, अतः राज्यवार कोई आवंटन नहीं किए गए हैं। तथापि वर्ष 1986-87 के बजट में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 7 करोड़ रुपए का तदर्थ प्रावधान किया गया है । इलेक्ट्रानिकी विभाग और श्रम मंत्रालय ने 1.60 करोड़ रुपए के मिश्रित वित्तीय प्रावधान के साथ 20 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (भौ० प्र० सं०) में संयुक्त रूप से संगणक से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं ।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा को कान्करेंट लिस्ट में रखा गया है और काफी मदद की जा रही है। न्यू एजूकेशन पालिसी का भी काफी जिक्र किया गया है, मैं जानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के लिए अधिक फण्ड देना चाहिए, क्योंकि हम इक्कीसवीं शताब्दी में जाने के लिए कम्प्यूटर की बात करते हैं, जब तक देहात के बच्चे कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं पाएंगे और सरकार इसके लिए पैसा नहीं देगी, तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें सरकार का वोकेशनल एजूकेशन के लिए एक्शन प्लान क्या है, इसकी तफसील क्या है और वोकेशनल प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाएगी, जिसके कारण ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैं कह चुका हूं कि जब सातवीं पंचवर्षीय योजना बनायी जा रही थी, उस वक्त इस कार्यक्रम के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी थी। अभी पिछले साल हमने नई पालिसी को मंजूर किया, इसलिए उसके सिलसिले में जहां तक बन पड़ा, हमने सात करोड़ रुपया उसमें रखा है, उसकी स्कीम्स बन रही हैं। जहां तक कम्प्यूटर्स की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें दो चीजें हैं, एक वह है जिसको हम क्लास प्रोजेक्ट कहते हैं, वह कम्प्यूटर लिटरेसी का प्रोजेक्ट है, वह चल रहा है अपनी जगह और इस साल कोई 500 स्कूलों को देना चाहते हैं। पहले हमारे पास जो लिस्ट आई थी राज्य सरकारों से उसमें हमने देखा कि उन्होंने ज्यादातर शहरों के स्कूलों की सिफारिश की थी। (व्यवधान)।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : आपको उत्तर सुनना चाहिए।

श्री अजीत कुमार साहा : उन्हें शुरू से अपनी बात कहनी चाहिए जिससे हम इस विषय को समझ सकें।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : हम लोग आपके बारे में नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैं इस लिए चुपचाप देख रहा हूं" मैं महरूम हुआ जिससे आप इतने महजूज हो रहे हैं। "उस दिलचस्प वाक से मैं पूरी तरह से परिचित नहीं हो पाया, इसलिए मैं चुप हूं।

श्री बी० तुलसी राम : आपके पीछे आकर बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वाकया आपके पीछे आ गया है।

(व्यवधान)

श्री पी० बी० नरसिंह राव : मैं कह रहा था कि क्लास प्रोजेक्ट के लिए 500 की लिस्ट हमने अभी मांगी है। पहले जो लिस्ट आई थी, उसमें हमने देखा था कि अधिकतर शहरों

के लिए सिफारिश की गयी है तो हमने उस लिस्ट को वापिस करते हुए कहा कि मेहरबानी करके कुछ देहाती स्कूलों को भी इसमें जोड़िए। रिवाइजड लिस्ट आ रही है और मैं समझता हूं कि इस साल क्लास प्रोजेक्ट में हम 500–600 या 1000 तक पहुंचेंगे, लेकिन जहां तक वोकेशनल एजूकेशन का सवाल है, कम्प्यूटर बेस्ड वोकेशनल एजूकेशन का एक कोर्स बनाया गया है, एन० सी० ई० आर० टी० ने बनाया है। सात करोड़ में कितनी गुंजाइश हम निकाल सकते हैं वह देखना पड़ेगा। हमको और अधिक पैसा मिलने की उम्मीद है तो उसमें से भी हम और गुंजाइश निकालेंगे।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि कुछ राज्यों और यूनियन टैरीटरीज ने टैन प्लस टू प्लस थ्री को अभी तक अमल नहीं किया है इसलिए उस बारे में वोकेशनलाइजेशन शुरू करने के लिए क्या सरकार उस राज्य को पैसा देगी या उसका पैसा दूसरे राज्यों को देने के लिए तैयार है या नहीं क्योंकि कुछ राज्यों ने प्लस टू सिस्टम अमल नहीं किया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वहां पर वोकेशनलाइजेशन के लिए जिस पैटर्न में काम कर रहे हैं, उसी पैटर्न में उसको फिट करना पड़ेगा।

श्री उमाकान्त मिश्र : जब नयी शिक्षा प्रणाली पर प्रारम्भ में चर्चा हो रही थी तब भी, जब शिक्षा की चुनौती के संबंध में चर्चा हो रही थी तब भी और आखिरी दिन भी जब चर्चा हो रही थी तब भी मैंने निवेदन किया था कि नयी शिक्षा नीति के संबंध में आम जनता की धारणा यह है कि नयी शिक्षा नीति ऐसी होगी जिससे लोगों को रोजी-रोटी और वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके। हमने उस समय यह सुझाव दिया था कि देश के प्रत्येक विकास खण्ड में इसी योजना में चाहे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निजी संस्थाओं के मद से किसी भी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया जाए ताकि जनता यह समझ सके कि यह जो नयी शिक्षा प्रणाली आ रही है, इसमें कुछ हो रहा है। दूसरी बात हमने यह कही थी कि आपके पास पैसा न हो या राज्यों के पास भी न हो तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में इण्टरमीडिएट या हाई-स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं को हिदायत दी जाए, उन्हीं को करीकुलम दिया जाए कि वे व्यावसायिक शिक्षा अपने विद्यालयों में दे सकें। इस सम्बन्ध में वैसे तो मंत्री जी ने बताया है लेकिन क्या ठोस कदम तत्काल उठाए जा रहे हैं। आठवीं योजना में तो कुछ करेंगे लेकिन सातवीं योजना में क्या हो रहा है, यह हम जानना चाहते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सवाल कम्प्यूटर का है। अब कहा से कहां हम पहुंच गए हैं। मेरे पास जवाब है लेकिन मैं समझता हूं कि उसके लिए जो भी तफसील चाहते हैं, वह मैं भेज दूंगा। सदस्यों के सुझाव हमारे पास हैं, उन पर हम कार्यान्वयन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गणपति राजू : कम्प्यूटर, जो शैक्षिक उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है क्या ग्रामीण क्षेत्र के उन बालकों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी होगा जो स्कूल नहीं जा सकते। यदि ऐसा है, तो इस दिशा में क्या कार्यक्रम बनाया जा रहा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कम्प्यूटर के अनेक उपयोग हैं हमने इस सम्बन्ध में अभी अन्दाजा नहीं लगाया है। किसी ने भी नहीं लगाया है। यह बात इसलिए हो सकती है क्योंकि कम्प्यूटर से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न उपयोग किया जा

सकता है। हमने एक कक्षा परियोजना बनायी है। यह परियोजना स्कूलों में लागू की जायेगी। अनौपचारिक क्षेत्र में भी कम्प्यूटर का प्रमुख रूप से उपयोग संभव है लेकिन यह हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा कि हम कितने कम्प्यूटरों का खर्चा वहन कर सकते हैं। अतः इसे समय आने पर किया जा सकेगा। इस समय हम केवल उतना कर रहे हैं जितना इस समय हम कर सकते हैं और इसलिए इस पर कुछ समय बाद विचार किया जा सकेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा में कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू होने वाला है।

श्री के० एस० राव : आज शिक्षा की समस्या का सार यह है कि देश में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे यह व्यापार हो अथवा उद्योग अथवा कुछ भी हो, प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हैं। यदि ऐसा है तो 10+2+3 अथवा 10+1+4 का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा में व्यावसायिकीकरण का बड़ा महत्व है। जैसा कि माननीय मंत्री कहते हैं कि व्यावसायिकीकरण के लिए जो आबंटन है वह बहुत ही कम है। यदि ऐसा है, तो क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिकीकरण की ओर ध्यान देकर नई शिक्षा प्रणाली में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते थे अथवा वह कुछ वर्षों में होने वाले परिवर्तन से ही संतुष्ट होंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने अभी स्पष्ट किया है कि जब सातवीं बंचवर्षीय योजना तैयार की गयी, तो उस समय व्यावसायिकीकरण के लिए अधिक आबंटन नहीं किया गया था। इस पुनीत सदन ने जो यह नई नीति स्वीकार की है उसके परिणामस्वरूप हम व्यावसायिकीकरण के लिए अधिक राशि दे रहे हैं। फिर भी, यह प्रश्न व्यावसायिकीकरण के एक भाग से संबंधित है जिसका मतलब यह है कि मुझे कम्प्यूटर पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में ही उत्तर देना है, दूसरे शब्दों में, कम्प्यूटर शिक्षा अथवा कम्प्यूटर कुशलता पर आधारित पाठ्यक्रम जिनसे बालकों अथवा बालिकाओं को शीघ्र रोजगार मिल जाएगा। यह इस प्रश्न का अत्यन्त सीमित क्षेत्र है। जहां तक कम्प्यूटर शिक्षा का संबंध है, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनेक स्तरों पर कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है।

मेरे पास विश्वविद्यालयों से लेकर आई० टी० आई० तक ऐसी बहुत सी संस्थाओं की एक लम्बी सूची है जहां यह पाठ्यक्रम चल रहे हैं। उनकी संख्या सैकड़ों में है। अतः इस देश में वास्तव में कम्प्यूटर शिक्षा दुष्प्राप्य नहीं है। यह सुविधा तो तेजी से बढ़ रही है।

प्रश्न वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा के उस अंश से संबंधित है जो कम्प्यूटर पर इसके प्रयोग, इसके कौशल पर आधारित है, जो उन्हें तत्काल रोजगार दे सकता है। यही प्रश्न का सार है। जो उत्तर मैंने दिया है वह केवल उसी मुद्दे से संबंधित है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन

46. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों में से प्रत्येक बोर्ड के सदस्यों के नाम और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बोर्डों के पुनर्गठन में बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाए जाने के उद्देश्य क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां

(ख) 25 सितम्बर, 86 को गठित एयर इण्डिया और इंडियन एयर लाइन्स के बोर्डों के सदस्यों के नाम और पदनाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ग) सरकार की इस नवीनतम नीति मार्ग-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के बोर्डों में वैज्ञानिकों, शिल्प-विज्ञानियों और वरिष्ठ एवं प्रसिद्ध उद्योग-पतियों को शामिल किया जाए, इन बोर्डों के सदस्य वे व्यक्ति हैं जिन्हें वित्त और उद्योग प्रबन्ध में विशेषज्ञता हासिल है । मार्ग-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में मंत्रालय का केवल एक प्रतिनिधि है । यह आशा की जाती है कि ऐसे व्यक्तियों को शामिल किए जाने से एयरलाइन्स की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी ।

विवरण

एयर इंडिया		इंडियन एयरलाइन्स	
1. श्री रतन टाटा अध्यक्ष, टाटा ग्रुप	अध्यक्ष	1. श्री राहुल बजाज अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड	अध्यक्ष
2. श्री सदानन्द शेट्टी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विजय बैंक	गैर सरकारी निदेशक	2. श्री रूसी मोदी अध्यक्ष टाटा, आयरन एण्ड स्टील कं०	गैर सरकारी निदेशक
3. डा० धरनी सिन्हा प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद	---वही---	3. डा० प्रताप रेड्डी अध्यक्ष, अपोलो अस्पताल	---वही---
4. श्री विवेक भरतराम प्रबन्ध निदेशक, डी० सी० एम० टोयाटा	---वही---	4. श्री वाई० सी० देवेश्वर अध्यक्ष, वेलकम ग्रुप	---वही---
5. श्री अरुण नन्दा रेडीफ्यूजन, बम्बई	---वही---	5. डा० फ्रांसिस मिनैंजेस निदेशक, टाटा प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान	---वही---
6. वित्तीय सलाहकार नागर विमानन विभाग	पदेन निदेशक	6. श्रीमती रीतू नन्दा (एक महिला उद्यमी)	---वही---
7. प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया	---वही---	7. श्री जैड ०जी० रंगूनवाला	---वही---
8. वाणिज्यिक निदेशक, एयर इण्डिया	---वही---	8. वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन विभाग	---वही---

एयर इंडिया		इंडियन एयरलाइन्स	
9. अध्यक्ष, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	पदेन निदेशक	9. प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स	गैर सरकारी निदेशक
10. प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स	---वही---	10. अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	---वही---
		11. प्रबन्ध निदेशक, एयर इण्डिया	---वही---
		12. महानिदेशक, पर्यटन	---वही---

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इन दो निगमों के गठन के बाद, व्यापक रूप में इस पर टिप्पणी की गयी है कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए नागर विमानन उद्योग को पूर्ण रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दिया गया है । एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र को देने की शुरूआत है । दिए गए उत्तर से---इन दो बोर्डों के गठन के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है--- पता चलता है कि 12 गैर-सरकारी निदेशकों में से दो अध्यक्ष और छः व्यक्ति बड़े औद्योगिक घरानों में से हैं। एयर इण्डिया के अध्यक्ष, श्री रतन टाटा हैं। उत्तर में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के लाने से प्रबन्ध में अधिक कुशलता आएगी । क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि टाटा कम्पनी के श्री रतन टाटा ने 11000 कर्मकारों को हटाकर देश की एक सबसे पुरानी और प्रसिद्ध इम्प्रेस मिल को वास्तव में लगभग समाप्त ही कर दिया है । क्या आप समझते हैं कि यह अधिक कार्यकुशलता है ? फिर इन्हीं टाटा की अध्यक्षता में 'नेल्को' का भी यही हाल हुआ । अतः यदि यह वही व्यक्ति है जो एयर इण्डिया के प्रभारी बताए गए हैं तब तो क्या यह एक सच है कि ऐसे व्यक्तियों के लाने से अधिक कुशलता सुनिश्चित होगी ? आपने इतना किया है। आपने न केवल बड़े औद्योगिक घरानों से 6 व्यक्ति लिए हैं । आपने महिला उद्यमियों को भी लिया है जो एक और एकाधिकारी घराने, एस्कॉर्टस से सम्बन्धित है । मुझे उनके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। किंतु वह भी एस्कॉर्टस से संबद्ध होने के कारण उद्यमी बन गई हैं । क्या मैं पूछ सकती हूं कि इन व्यक्तियों को, विशेषकर श्री रतन टाटा को किस आधार पर लिया गया ?

श्री जगदीश टाइटलर : सबसे पहले मैं माननीय सदस्या द्वारा पूछी गयी पहली बात का उत्तर दूंगा । गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है । दूसरे, एयर इण्डिया बोर्ड में दो उद्योगपति हैं । उनके अतिरिक्त एक बैंकर एक प्रबन्ध-विशेषज्ञ, एक विज्ञापन व प्रचार विशेषज्ञ है। एयर इंडिया बोर्ड के दस सदस्यों में से, 5 गैर-सरकारी सदस्य हैं, और शेष 5 सदस्य नागर विमानन में विशेषज्ञ हैं मैं इंडियन एयरलाइंस के सम्बन्ध में भी उत्तर देना चाहूंगा । इंडियन एयरलाइन्स बोर्ड में 2 उद्योगपति हैं । इसके अतिरिक्त प्रबन्ध में दो व्यावसायिक हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, एक चिकित्सा विशेषज्ञ है जो सेवा उद्योग के व्यावसायिक प्रबन्ध में शामिल किए गए हैं। इंडियन एयरलाइन्स बोर्ड के 12 सदस्यों में से 5 नागर विमानन में विशेषज्ञ हैं । जिनमें इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के दो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं और वे माने हुए विमान चालक हैं। जहां तक बोर्ड को सभी कुछ

सौंपने का संबंध है, यह बात सही नहीं है। मैं अभी भी मंत्री हूं। सब कुछ पहले मुझे देखना है। (व्यवधान) मुझे उत्तर देने दीजिए। आखिरकार मंत्री जिम्मेदार है। निर्णय तो नागर विमानन मंत्रालय को ही लेना है। हमने उन लोगों को भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के आधार पर नियुक्त किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपके मार्ग निर्देश अत्यन्त रोचक हैं। आपके मार्ग निर्देशों में कर्मकारों के नाम तक नहीं दिए गए हैं। कर्मकारों के प्रबन्ध में भाग लेने के संबंध में आपकी बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद, क्या मैं यह कह दूं कि आप के मार्ग निर्देश कर्मकारों से रहित हैं, क्योंकि दो बोर्डों में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है।

श्री जगदीश टाइटलर : इस पर मैं विचार कर सकता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह क्या है ?

श्री जगदीश टाइटलर : कर्मकारों का प्रतिनिधित्व। यह बात मेरी नोटिस में लाई गई है। अगली बार मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा। कर्मकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं उनके साथ हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तब तक, एयर इण्डिया रुग्ण हो चुका होगा।

श्री जगदीश टाइटलर : एयर इण्डिया अच्छा काम कर रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : टाटा के नेल्को की तरह, एयर इण्डिया भी रुग्ण हो जाएगा।

श्री जगदीश टाइटलर : मुझे और किसी बात में रुचि नहीं है। मुझे एयर इंडिया में दिलचस्पी है, और जब तक एयर इंडिया है, तब तक ठीक है। और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि एयर इण्डिया चलता रहे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइन्स की अध्यक्षता बड़े उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों को पहली बार नहीं दी जा रही है। मुझे वह दिन याद है जब श्री भरत राम इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष थे, और श्री जे० आर० डी० टाटा बहुत सालों तक एयर इंडिया के अध्यक्ष रहे। उस समय हमें अनुभव के बारे में कुछ नहीं बताया गया, कि क्या ऐसे लोगों ने इन एयरलाइनों में कार्यकुशलता बढ़ायी। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं है। तत्पश्चात् इन्हें हटा दिया गया। किंतु इन्हें अब वापस लाया जा रहा है जो इसी वर्ग के अन्य लोग थे, मैं यह बात जानना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि क्या मेरे युवा मित्र इसका उत्तर दे सकेंगे। कम से कम जब वह विशेष चयन करेंगे।--निश्चय ही, मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध को निजी क्षेत्र को पूर्ण रूप से सौंपने के विरुद्ध हूं --उन्हें यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि कम से कम वे ऐसे लोग तो नहीं हैं जो ऐसी कम्पनियों से सम्बद्ध हैं जिन पर भारी मात्रा में करों की चोरी का आरोप है, और जहां वित्त मंत्रालय की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा छापे मारे गए हैं। श्री राहुल बजाज और श्री रतन टाटा इसमें शामिल हैं। यदि सरकार इसी प्रकार कार्य करती रही तो, क्या इससे उनके अपने प्रशासन पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? एक विभाग तो इन लोगों के विरुद्ध कर कानूनों का उल्लंघन करने के कारण छापे मारता है और इसी सरकार का दूसरा विभाग ऐसे लोगों को सार्वजनिक उद्यमों के अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत करता है। आपने किस प्रकार के मार्ग निर्देश दिए हैं ? आप कह सकते हैं कि

कुछ विशेष प्रवीणता आदि है जिससे उनका कार्य अच्छी तरह चलेगा। हो सकता है कि करों की चोरी में भी उन्हें किसी प्रकार की विशेष प्रवीणता हो जिसके लिए वह पकड़े गए हैं। कम से कम मंत्रालय तथा अन्य विभागों में अपने उन साथियो के बारे में विचार करके ही चयन कीजिए जो उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं जबकि आप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबन्ध उनको दे करके पुरस्कृत कर रहे हैं। क्या आप नहीं समझते हैं कि यह एक विचित्र बात है ? कृपया हमें बता दीजिए कि आप केवल इस प्रकार के लोगों का चयन करने के लिए क्यों आकर्षित हुए। नहीं तो कल श्री एल० एम० थापर को किसी बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का चेयरमैन बना कर पुरस्कृत किया जाएगा। आपका क्या विचार है ? आप हमें यह बता दीजिए और देश तथा जनता को विश्वास में लीजिए।

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने पहले ही इसका उत्तर दिया है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : दोहरे स्तर का पालन क्यों किया जा रहा है, ? **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाइटलर : मैं आपको उत्तर देने को तैयार हूं। यह तो सरकार की पसंद है। और किसी की नहीं। जो मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं मैंने पूर्ण रूप से उनका पालन किया है।

श्री वसुदेव आचार्य : मार्ग निर्देश क्या हैं ? **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने पहले उत्तर में अभी सरकार के मार्ग निर्देश पढ़ कर सुनाए हैं। इसके अनुसार हमने इन लोगों को बोर्ड में नियुक्त किया है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने इस समय मार्ग निर्देशों पर आपत्ति नहीं की।। मैंने कहा कि इन मार्ग निर्देशों के ढांचे के अन्तर्गत, चाहे कोई इनसे सहमत हो या नहीं—आपने कहा है कि यह आपके मंत्रालय की पसंद हो—आपकी पसंद ऐसे लोगों के लिए क्यों होती है जो अपने कारोबार में ईमानदार नहीं हैं ? आपको इसका उत्तर देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाइटलर : मुझे नहीं मालूम कि वह किस संबंध में कह रहे हैं, वह केवल ऐसा कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से पूछिए। वह आप को बताएंगे। **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाइटलर : मैं आप के आरोप को कैसे सही मान सकता ? इसका निर्णय तो न्यायालय को करना है। न्यायालय को यह निर्णय करना है। न्यायालय जो निर्णय करना चाहे करे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आप इस विषय पर आधे घंन्टे की चर्चा की अनुमति दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने बताया श्री टाटा पहले भी इसके अध्यक्ष और श्री भरतराम जी चेयरमैन रहे हैं, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस समय एयर इण्डिया और इंडियन एयर लाइन्स में, इनके टाइम में मुनाफा हुआ या घाटा ?

दूसरी बात महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं---मेरी जानकारी के अनुसार इनके टाइम में घाटा हुआ है और इसी कारण इनको वहां से निकाला गया, फिर आपने अब किन कारणों से इनको ये महत्वपूर्ण पद सौंप दिए जब कि इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से आज कई कम्पनियां घाटे में चल रही हैं और बन्द होने की स्थिति में आ गई हैं, तो फिर क्यों इन मिसमैनेजमेंट करने वालों के हाथ में आपने इतनी बढ़िया पब्लिक अंडरटेकिंग्स कम्पनियों को सौंप दिया ?

तीसरी बात यह है कि जब से आपने इन व्यक्तियों को ये कम्पनियां सौंपी हैं, तब से उनमें कोई गड़बड़ी आई है या ये पहले जैसी ही चल रही हैं ?

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । कृपया आप आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दीजिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या जवाब दे दिया गया ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने कहा है कि मैंने मार्गनिर्देशों का सख्ती से पालन किया है और मैं इस पर दृढ़ हूं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनाई नहीं दिया ।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दीजिए ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, कम से कम मंत्री को तो उत्तर देना चाहिए । यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मंत्री ठीक प्रकार से प्रश्न नहीं सुन पाए हैं । क्या वह प्रश्न दोहराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न सुन लिया है किंतु उत्तर नहीं सुना है ।

[हिन्दी]

आप उनको जवाब तो देने दें ।

श्री वसुदेव आचार्य : व्यास जी, सवाल फिर पूछिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने सवाल पूछ लिया, जवाब दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : जरा हम उत्तर सुनें ।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है । मैंने सरकारी मार्गनिर्देशों का सख्ती से पालन किया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खेलकूद स्कूलों और खेलकूद कालेजों की स्थापना का प्रस्ताव

*47. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के कुछ भागों में खेलकूद स्कूलों और खेलकूद कालेजों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) यद्यपि, देश में ऐसे खेल स्कूल और कालेज स्थापित करने के लिए भारत सरकार के विचाराधीन कोई योजना नहीं है, फिर भी, कुछ राज्यों ने पहले ही खेल स्कूल स्थापित किए हैं और वे उनका समर्थन कर रहे हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार की खेल क्षेत्र में छात्रों में प्रतिभा का पता लगाने और उनके पोषण के लिए कुछ अन्य योजनाएं चल रही हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

(I) खेल प्रशिक्षण के लिए स्कूलों को अपनाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना।

(II) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 25 प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है, द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना।

(III) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा आरम्भ किए गए देश में खेल छात्रावासों को स्थापित करने की योजना।

(IV) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभाग की खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की योजना।

(V) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा संस्थान के लिए सोसायटी (स्नाइप्स) की विश्वविद्यालयों में फील्ड स्टेशन स्थापित करने की योजना, जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

"सम्मानित नागरिक कार्ड" योजना का प्रस्ताव

48. **श्री एच० वी० पाटिल :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन के टर्मिनल तरीके अपनाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए "सम्मानित नागरिक कार्ड" योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):

(क) और (ख) "सम्मानित नागरिक कार्ड" योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कनिष्क विमान दुर्घटना संबंधी आयोग के निष्कर्ष

*49. **श्री सुभाष यादव**
श्री मुकुल वासनिक } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान "कनिष्क" की दुर्घटना के बारे में जांच करने के लिये गठित कृपाल जांच आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन निष्कर्षों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दुर्घटना विमान के सामान रखने के अगले भाग में बम विस्फोट के कारण हुई।

(ग) और (घ) : सरकार ने न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

लम्बी दूरी की नई मेल/एक्सप्रेस रेल गाडियां

*51. **श्री अजीत कुमार साह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन रेल गाड़ियों को किन-किन मार्गों पर चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) (क) और (ख) :

नयी गाड़ियों के प्रस्तावों पर, अन्तर्रेलवे समय-सारणी समन्वय समिति द्वारा रेलों की ग्रीष्मकालीन तथा शरदकालीन समय-सारणियों को अन्तिम रूप देने से पहले आयोजित अपनी बैठकों में, वर्ष में दो बार विचार किया जाता है। इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

तामलुक दिघा रेल परियोजना

*52. श्री सत्य गोपाल मिश्र
श्री वसुदेव आचार्य } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तामलुक-दिघा रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का ब्यौरा अर्थात इसकी वर्ष-वार अनुमानित लागत, प्रस्तावित व्यय, निर्माण कार्य शुरू होने का समय और इस परियोजना के पूरा होने का समय क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) यह परियोजना अनन्तिम रूप से 1984-85 के रेलवे बजट में शामिल की गयी थी। इसके निर्माण के लिए अन्तिम रूप से मंजूरी सितम्बर, 1986 में दी गयी है।

(ग) तामलुक-दिघा बड़े आमान की नयी रेल लाइन की लम्बाई 87 कि०मी० है। इसकी वर्तमान अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिये चालू वर्ष के दौरान पुनर्विनियोग द्वारा एक करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। नयी लाइनों के निर्माणकार्य के लिए धन के आबंटन का विनिश्चय योजना आयोग के परामर्श से हर वर्ष वार्षिक योजना तैयार करते समय किया जाता है। अतः वर्ष-वार धन के आबंटन तथा पूरा होने की तारीख का ब्यौरा देना संभव नहीं है। जब भी ऐसा किया जायेगा, तब इस परियोजना को उचित प्राथमिकता दी जायेगी।

प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु योजनाएं

*53. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण, रासायनिक सुरक्षा और वैज्ञानिक संरक्षण की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये धनराशि मंजूर की है और यदि हां, तो किन-किन स्मारकों के लिये;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का राज्य में कुछ प्रमुख प्राचीन भवनों का पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) क्या बिहार के विभिन्न भागों में इन प्राचीन स्मारकों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और सांस्कृति विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में केन्द्र द्वारा संरक्षित 3521 स्मारकों/स्थलों का रखरखाव, अनुरक्षण और मरम्मत कर रहा है। इनका मंडलवार ब्यौरा संलग्न **विवरण** I में दिया गया है। इनमें से 101 स्मारकों/स्थलों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान देने के लिए चुना गया है।

(ख) जी, हां। बिहार में केन्द्र द्वारा संरक्षित 76 स्मारकों/स्थलों का वार्षिक रखरखाव, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधियों के आबंटन के अतिरिक्त 17 चुनिन्दा स्मारकों/स्थलों की विशेष मरम्मत करने के लिए भी निधियां आबंटित की गई हैं। इन 17 स्मारकों/स्थलों के नाम संलग्न **विवरण II** में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण जैसी भी आवश्यकता हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण और परिरक्षण कार्यों का भाग है।

(घ) **और** (ङ) : जी, हां। बिहार के विभिन्न भागों में स्मारकों/स्थलों का एक शताब्दी से भी अधिक समय तक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारकों/स्थलों की सूची **विवरण III** में संलग्न है।

विवरण I

क्रम	मंडल का नाम	राज्य	स्मारकों की संख्या	योग
1	2	3	4	5
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश	306	306
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र और गोवा	283	305
			22	
3.	बंगलौर	कर्नाटक	488	488
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	66	111
		मध्य प्रदेश	45	
5.	भोपाल	मध्य प्रदेश	273	292
		उत्तर प्रदेश	19	
6.	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल	109	109
7.	चण्डीगढ़	हरियाणा	86	143
		हिमाचल प्रदेश	33	
		पंजाब	24	
8.	दिल्ली	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	163	163
9.	गुवाहाटी	असम	49	71
		अरुणाचल प्रदेश	5	
		मणिपुर	1	
		मेघालय	8	
		नागालैण्ड	4	
		त्रिपुरा	4	

1	2	3	4	5
10.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	134	149
		कर्नाटक	15	
11.	जयपुर	राजस्थान	150	150
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	341	341
13.	मद्रास	तमिलनाडु	402	
		केरल	28	438
		पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	8	
14.	पटना	बिहार	76	188
		उत्तर प्रदेश	112	
15.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	61	61
16.	बडोदरा	गुजरात	196	
		दीव और दमन का संघ शासित क्षेत्र	10	206
				3521

विवरण–II

क्रम सं०	स्मारक का नाम
1.	शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम।
2.	हसनशाह सूरी का मकबरा, सासाराम।
3.	उत्खनित अवशेष, वोटिन स्तूप, तिब्बती मंदिर अंतिचक, भागलपुर।
4.	शैल निर्मित मंदिर, वसोलगांग, भागलपुर।
5.	पगडंडी और मुख्य द्वार, अंतिचक, भागलपुर।
6.	रोहतास स्थित किले में महल परिसर।
7.	नालंदा स्थित मंदिर नं० 2 से मुख्य द्वार तक पगडंडी।
8.	उत्खनित अवशेष, कुमराहर, पटना।
9.	मठ नं० 7, नालंदा।
10.	बिम्बिसार जेल, राजगीर, नालंदा।
11.	उत्तरी मठ अंतिचक, भागलपुर।
12.	मनेर पटना स्थित तालाब में उत्तरी तरफ़ की दीवार और छतरी।
13.	वैशाली स्थित धातु स्तूप।
14.	चौरासी मुनि गुफाओं के पहले और दूसरे चबूतरे के बीच की सीढ़ियां, पत्थरगड्डा, भागलपुर।
15.	कोलुहा, वैशाली स्थित बौद्ध स्तूप।
16.	नालंदा में मंदिर नं० 3 में गच निर्मित मूर्तियां।
17.	विशाल स्तूप, नन्दनगढ़।

विवरण III

बिहार में स्मारकों तथा अन्य पुरातत्व विषयक अवशेषों के पिछले सर्वेक्षणों के परिणाम निम्नलिखित प्रकाशनों सहित विभिन्न पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित किए गए हैं :

(1) एम० हमीद, कुरेशी — लिस्ट ऑफ एन्श्येन्ट मोनूमेंट्स प्रौटेक्टेड अंडर एक्ट सात, बिहार एंड उड़ीसा (आर्कलौजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यू इंपीरियल सीरिज वोल्यूम (51), 1933।

(2) डी० आर० पाटिल — दि एण्टीक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार, पटना, 1983।

बिहार से संबंधित हाल के पुरातत्वीय अन्वेषणों और पुरातत्वीय खोजों संबंधी कार्यों का विवरण इंडियन आर्कयालौजी ए रिव्यू, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक वार्षिक प्रकाशन है, के विभिन्न अंकों के अतिरिक्त अन्य विद्वतापूर्ण पत्रों और पुस्तकों में प्रकाशित किए गए है। ऐसे 500 से अधिक स्मारकों/स्थलों में से जो महत्वपूर्ण हैं, वे नीचे दिए गए हैं :—

(1) अपसद, जिला गया।
(2) अंतिचक, जिला भागलपुर।
(3) बुद्ध विहार, पास्तान, जिला मधुबनी।
(4) चाचर, जिला वैशाली।
(5) चम्पा, जिला भागलपुर।
(6) चिल्लौरगढ़, जिला गया।
(7) चिरांद, जिला सारन।
(8) दुगागढ़, जिला गया।
(9) हबीदीह, जिला रांची।
(10) जयमंगलगढ़, जिला बेगु सराय।
(11) जयपुर गढ़, जिला गया।
(12) नौलागढ़, जिला बेगु सराय।
(13) नवागढ़, जिला गया।
(14) तारादीह, जिला गया।

अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा गर्भ की समाप्ति

*54. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 1986 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में अप्रशिक्षित व्यक्ति गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति का काम कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप गर्भपात कराने वाली महिलाओं को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य रक्षा के उपाय के रूप में चिकित्सकीय गर्भ-समापन अधिनियम, 1971 के अधीन गर्भपात की सेवाओं संबंधी सुविधाएं बढ़ाने और इस कार्य के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये गये हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसे सुरक्षित, स्वस्थ और वैध गर्भपात की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इंडियन एयरलाईन्स के विमानों में खानपान व्यवस्था में सुधार करने के उपाय

*55. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में दिये जाने वाले भोजन/अल्पाहार की किस्म में काफी समय से गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो खानपान सेवा में सुधार लाने के लिये क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) : यह कहना सही नहीं होगा कि इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में दिये जा रहे भोजन और जलपान के स्तर में गिरावट आई है। इस संबंध में इक्की-दुक्की शिकायतें हो सकती हैं जिन पर एयरलाइन का प्रबंधक वर्ग तत्काल ध्यान देता है। इंडियन एयरलाइन्स उड़ान में अच्छे स्तर की खान-पान व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास करती रहती है।

मालदा बलारघाट रेल परियोजना

*56. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मालदा-बलारघाट रेल परियोजना अथवा किसी अन्य नई रेल परियोजना के निर्माण कार्य के बारे में कोई ठोस निर्णय किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिये आवश्यक वित्तीय प्रावधान किये गये है;

(घ) इन परियोजनाओं के कार्य के कब तक शुरू होने की आशा है; और

(ङ) इसके पूरा होने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंन्धिया) : (क) से (ङ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे बजट में शामिल की गयी पश्चिम बंगाल की पांच नयी रेल लाइन परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

(I) मालदा टाउन इकलाखी बालूरघाट : यह कार्य 83-84 के रेलवे बजट में शामिल किया गया। लम्बाई 110 कि०मी०। वर्तमान लागत 70 करोड़ रुपये। कार्य प्रगति पर है। 31-3-86 तक 3.36 करोड़ रुपय खर्च किये गये थे। 1986-87 के लिये 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

(II) हावड़ा–आम्ता/चंपाडांगा : यह कार्य 1974-75 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। संतरागाछी से बड़गछिया तक 24 कि०मी० लम्बी लाइन को 1984 में खोल दिया गया है। कुल लम्बाई 74 कि०मी० तथा वर्तमान लागत 60 करोड़ रुपये है। 31-3-86 तक 15.56 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और 1986-87 में 1000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(III) तामलुक दीघा : यह कार्य 1983-84 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। लम्बाई 87 कि०मी० तथा वर्तमान लागत 75 करोड़ रुपये है। 31-3-86 तक 30 लाख रुपये खर्च किये गये थे। योजना आयोग द्वारा इसको निर्माण के लिये स्वीकृति सितम्बर, 86 में दी गयी तथा कार्य आरम्भ किया जा रहा है। 1986-87 के दौरान 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(IV) लक्ष्मीकांतपुर नामखाना : लक्ष्मीकांतपुर और कुलपी सहित बज–बज से नामखाना तक नयी लाइन (लम्बाई 100 कि०मी०) का एक प्रस्ताव अनन्तिम रूप से 1981-82 से बजट में शामिल किया गया था।

31-3-86 तक 3000 रुपये की व्यवस्था की गयी थी और 1986-87 के दौरान 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है। अब केवल लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना तक 47 कि० मी० लम्बी लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए सर्वेक्षण आरंभ कर दिया गया है।

(V) हावड़ा शियाखला : यह कार्य 1972-73 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। इसकी लम्बाई 17 कि०मी० है और वर्तमान लागत 12 करोड़ रुपये है। 31-3-86 तक 3000 रुपये खर्च हुआ और 1986-87 के लिए केवल 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन लाइनों की आगे प्रगति और पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेना

*57. श्री काली प्रसाद पाण्डेय
श्री पी एम० सईद } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण-कार्य अपने हाथ में ले ले;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पर्क नहर को छः महीने के भीतर पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये है ;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नहर के तटों के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाने का भी आग्रह किया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है; और

(ङ) इस पर अब तक खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री श्री बी० शंकरानन्द : (क) और (ख): हरियाणा सरकार ने अनुरोध किया है कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए इसका निर्माण कार्य केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले। जल संसाधन मंत्रालय, सतलुज यमुना सम्पर्क नहर की प्रगति की मानीटरी कर रहा है तथा इस नहर को शीघ्रता से पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को अनेक कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।

(ग) से (ङ) यह नहर अभी निर्माणाधीन है। नहर तट को किसी प्रकार की हानि होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः इस संबंध में की गई कार्यवाही अथवा इस पर हुए व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोल्हापुर–मिरज–बम्बई रेल लाइन पर रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

*58. **श्री आर० एस० माने** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर-मिरज-बम्बई रेल लाइन पर रेलवे स्टेशनों पर चाय के स्टालों, प्लेटफार्मों पर शेड, स्टेशन मास्टरों के लिए पर्याप्त आवास, महिला प्रतीक्षा-गृहों और सफाई कर्मचारियों को सुविधायें पर्याप्त न होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) बम्बई वी०टी०–पुने-मिरज-कोल्हापुर खंड के स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं सामान्यतया पर्याप्त है।

(ख) प्लेटफार्मों पर शेड आदि जैसी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था धन की उपलब्धता तथा भिन्न-भिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक जरूरतों को ध्यान में रख कर एक कार्यक्रमबद्ध आधार पर की जाती है।

राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार के कारण ब्रिटेन को भुगतान

*59. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने जुलाई, 1986 में एडिनबर्ग में आयोजित 13वें राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार किए जाने के कारण भारत से कुछ धनराशि का भुगतान करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है; और

(ग) इन खेलों का बहिष्कार करने वाले किन अन्य राष्ट्रमण्डल देशों से ब्रिटिश सरकार ने ऐसा भुगतान करने को कहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने सूचित किया है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मांगी गई सूचना का विदेशी सरकारों में लेन देन से संबंध है और यह उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय

*60. **श्री भरत सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाने में कठिनाई होती है; और

(ग) दिल्ली में अब कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और ये केन्द्रीय विद्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) छः (छः)

(ख) केन्द्रीय स्कूल बुनियादी तौर पर स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों अथवा ऐसे सार्वजनिक सेक्टर और अन्य केन्द्रीय संस्थाओं, जो इन केन्द्रीय स्कूलों के लिए पूरे खर्च की व्यवस्था करते हैं, के कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। ग्रामीण दिल्ली के केवल कुछेक ऐसे बच्चे जो दाखिले के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला मिल जाता है।

(ग) पश्चिम बिहार में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास एक प्रस्ताव है।

अनुवाद

डा० पी० वी० मांडलिक स्मारक अस्पताल को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता

340. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पहले ही यह सिफारिश कर चुकी है कि "विशेष योजना" के अंतर्गत महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरि जिले के राजा पुर तालुक में ओनी नामक स्थान पर स्थित डा० पी० वी० मांडलिक स्मारक अस्पताल को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इसे केन्द्रीय वित्तीय अनुदान कब प्रदान किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) (ख) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने 23 जुलाई, 1986 को डा० पी० वी० मंडलीक स्मारक अस्पताल का आवेदन पत्र भेजते समय अस्पताल के निर्माण के लिए इस तर्क पर अपने हिस्से का खर्च वहन करने से मना किया था कि इस क्षेत्र की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकतायें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक ग्रामीण अस्पताल द्वारा पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। तथापि, अब महाराष्ट्र सरकार से 3-11-1986 को एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अपने हिस्से का खर्च वहन करने की इच्छा व्यक्त की है। किन्तु वैसे राज्य सरकार ने जो सिफारिश की है वह निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत, अस्पताल भवन के निर्माण के कुल खर्च का 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार को वहन करना है। चूंकि आरम्भ में राज्य सरकार ने अपने हिस्से का खर्च वहन करने में असमर्थता व्यक्त की थी इसलिए संस्था को वित्तीय सहायता देना सम्भव नहीं था। तथापि, राज्य सरकार के नवीनतम पत्र को देखते हुए जिसमें उन्होंने अपने हिस्से का खर्च वहन करने की सहमति व्यक्त की है, सहायता-अनुदान नियमों को संगत उपबंधों के संदर्भ में संस्था के अनुरोध की पुनः जांच की जाएगी।

प्रमुख पत्तनों में तलकर्षण की समस्या

341. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पत्तन-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान प्रमुख पत्तनों के विकास के लिय कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) उपर्युक्त उद्देश्य के लिये पारादीप पत्तन को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) उन प्रमुख पत्तनों के नाम क्या है जो तलकर्षण की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(घ) तलकर्षण की समस्या को हल करने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सातवीं योजना में महापत्तनों के लिए अनुमोदित परिव्यय 955 करोड़ रुपए का है। पत्तनवार परिव्यय निम्नलिखित है :—

पत्तन का नाम	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रूपए)
1. (क) कलकत्ता	47.00
(ख) हल्दिया	62.00
(ग) भगीरथी हुगली रिवर ट्रेनिंग वर्क्स	30.00
2. बम्बई	106.00
3. मद्रास	68.00
4. कोचीन	56.00
5. विशाखापत्तनम	51.00
6. कांडला	28.00
7. मुरगांव	25.00
8. पारादीप	42.00
9. न्यू मंगलूर	18.50
10. टूटीकोरिन	19.00
11. न्हावा शेवा	402.00
कुल	955.00

(ख) सातवीं योजना के दौरान पारादीप पत्तन को 42.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

(ग) और (घ) : कलकत्ता, पारादीप और कोचीन पत्तनों के सामने गम्भीर ड्रेजिंग समस्याएं हैं। कलकत्ता पत्तन पर पत्तन की वार्षिक ड्रेजिंग क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कमी को पूरा करने के लिए पत्तन नियमित रूप से डी० सी० आई० के ड्रेजर लगाता है। डी० सी० आई० ने कलकत्ता पत्तन न्यास के एक मौजूदा ड्रेजर "मोहन" के स्थान पर एक ड्रेजर खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है।

पारादीप पत्तन पर पत्तन का अपना कोई ड्रेजर नहीं है। अतः पत्तन गाद निकालने और अपेक्षित गहराई बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष डी० सी० आई० का ड्रेजर लगाता है।

कोचीन में, पत्तन की ड्रेजिंग क्षमता पर्याप्त नहीं है। अतः इस कमी को डी०सी० आई० के ड्रेजरों से पूरा किया जा रहा है। पत्तन के ड्रेजर "लेडी विलिंगडन" के स्थान पर एक नया ड्रेजर खरीदने की एक स्कीम को सातवीं योजना में शामिल किया गया है और प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी गई है।

इसके अलावा डी० सी० आई० द्वारा 4500 एम^3 क्षमता के दो ट्रेलर सक्शन ड्रेजर और 2250 एम^3 क्षमता का एक कटर सक्शन ड्रेजर खरीदने की एक स्कीम को सातवीं

पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है । जिन ड्रेजरों को बदला जाना है उनसे भी डी० सी० आई० की क्षमता में वृद्धि होगी । डी० सी० आई० के लिए इन ड्रेजरों और इनसे संबंधित प्लांट तथा उपस्करों को खरीदने के लिए सातवीं योजना में कुल 95 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है ।

"ड्रिप" सिंचाई योजनाएं

342. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड, बड़ौदा ने देश में "ड्रिप" सिंचाई के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना को देश में शुरू किया गया है, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना को पानी की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (ग) : कृषि में प्लास्टिक्स के प्रयोग पर राष्ट्रीय समिति के अनुरोध पर भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड, ने गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा राजस्थान राज्यों में ड्रिप सिंचाई आरम्भ करने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के वास्ते एक परीक्षण अध्ययन किया था । संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, परियोजना क्षेत्र, परियोजना घटक, लागत और लाभ तथा परियोजना के लिए संभावित धन राशि एवं वित्त व्यवस्था के लाभ दिए गए हैं। इन राज्य सरकारों ने उक्त रिपोर्टों को सिद्धान्त: स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सहमति प्रकट की है ।

(घ) ड्रिप सिंचाई को सर्वसुलभ बनाने के लिए, जल संसाधन मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चला रहा है जिसके अन्तर्गत छोटे एवं सीमान्त किसानों को सब्सिडी दी जाती है और इसे केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है ।

भारतीय रेलवे में माल और सवारी डिब्बे

343. **श्री सैयद मसूदल हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे को अब कितने माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की आवश्यकता है ;

(ख) उपयोग के लिए उपलब्ध माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है ;

(ग) देश में ऐसे कितने पुराने माल और सवारी डिब्बे हैं जिन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है;

(ग) क्या इनकी मांग और उपलब्धता में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1986-87 के लिए अतिरिक्त और बदलाव लेखे दोनों के लिए माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार है:—

*माल डिब्बे	..	20,000
*सवारी डिब्बे और बिजली गाड़ी डिब्बे	..	1,282

(ख) माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की संख्या (31-3-1986 को) इस प्रकार थी:—

*माल डिब्बे	..	5,33,142 (अनन्तिम)
*सवारी डिब्बे और बिजली गाड़ी डिब्बे		38,232 (अनन्तिम)

(ग) माल डिब्बों और सवारी डिब्बों का बदलाव आयु एवं हालत के आधार पर किया जाता है। 31-3-86 को जिन माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों की आयु अपनी जीवन-आयु से अधिक हो गयी है, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

*माल डिब्बे	..	22,573
*सवारी डिब्बे और बिजली गाड़ी डिब्बे	..	5,379

(घ) से (च) : कुल मिलाकर, 1986-87 के लिए रेल परिवहन के लक्ष्यों को माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों के वर्तमान बेड़े तथा प्रस्तावित खरीद से प्राप्त कर लिये जाने की प्रत्याशा है।

गर्भ निरोध के नये तरीके

344. श्री अनंत प्रसाद सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डाक्टरों ने महिलाओं के लिए सन्तति-निग्रह कार्य को आसान तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाने के लिए गर्भनिरोध के अनेक नये तरीकों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) अनेक गर्भ निरोधक तरीके जैसे जन्म नियन्त्रण वैक्सीन, का विकास त्वचा के नीचे लगाया जाने वाला नॉरप्लांट, औषधीकृत ,आई० यू० डी० और लम्बे समय तक असर करने वाले कई इंजेक्शन महिलाओं पर डाक्टरी परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं।

*बताये गये माल डिब्बों के सभी आंकड़े "चौपहिया यूनिटों" में तथा सवारी डिब्बों और बिजली गाड़ी डिब्बों के आंकड़े "वाहन यूनिटों" में है।

इन परीक्षणों के परिणामों और भारतीय परिस्थितियों में उसकी प्रभावकारिता तथा स्वीकार्यता को देखते हुए इन तरीकों को कार्यक्रम में आरम्भ किया जा सकता है।

नाडाकुडी–गुडूर-कलाहस्ती के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण

345. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे ने आन्ध्र प्रदेश में नाडाकुडी-गुडूर-कलाहस्ती के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इस मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) नडिकुडी-रापुर-वेंकटगिरी/गुडूर नयी बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है। नडिकुडी-वेंकटगिरी लाइन (346 कि० मी०) पर 187 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड में जांच की जा रही है।

उप्पालुरू रेलवे स्टेशन पर भवन का निर्माण

346. **श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप्पालूरू रेलवे स्टेशन पर भवन-निर्माण के सम्बन्ध में उप्पालूरू गांव के लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और स्टेशन पर भवन निर्माण में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) उप्पालुरू में सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय का निर्माण करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और 1986-87 के दौरान इसका निर्माण किया जा रहा है। उप्पालुरू में एक पूरे स्टेशन भवन के प्रस्ताव को रेलों के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विचार किया जायेगा बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

दिल्ली/ नई दिल्ली और हावड़ा के बीच नई सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

347. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली और हावड़ा के बीच नई सुपरफास्ट यात्री गाड़ी चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : दिल्ली/नई दिल्ली और हावड़ा के बीच दो जोड़ी सुपर फास्ट गाड़ियों सहित, सात जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, गाड़ियों के फेरे 1-10-1986 से बढ़ाकर सप्ताह में 4 से 5 दिन कर दिये गये हैं। इन्हें यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझा गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों के प्रधानाचार्यों का राष्ट्रीय सम्मेलन

348. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल**
डा० बी० एल० शलेश } : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1986 में दिल्ली में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों के प्रधानाचार्यों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष क्या थे; और

(ग) सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं

(i) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-X और XII कक्षा के लिए बाह्य परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिसमें IX और XI कक्षाओं की परीक्षाएं पूर्ण रूप से स्कूलों द्वारा, आन्तरिक रूप से ही आयोजित होंगी । के० म० शि० बो०, स्कूलों की सहायता के लिए, प्रश्न-पत्रों और विषयपरक शिक्षण का नमूना प्रदान करेगा ।

(ii) स्कूल काम्पलैक्सों को "सहोदय स्कूल काम्पलैक्स" के रूप में पदनामित करने के लिए पारस्परिक व्यावसायिक और शैक्षिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए के० म० शि० बो० के स्कूलों द्वारा उन्हें स्थापित किया जायेगा ।

(iii) नई मूल्यांकन पद्धति तैयार की जायेगी, ताकि शिक्षा प्रणाली विधिवत प्रतिबिम्बित हो ।

(iv) इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि तीन वर्षों की अवधि में कम से कम 10 प्रतिशत स्कूलों में ये पाठ्यक्रम प्रदान किये जायें । प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए विशेष प्रयास किये ।

(ग) के० म० शि० बोर्ड ने नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए तीन वर्षीय कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए एक कार्य बल समिति गठित की है । बोर्ड ने यह निर्णय किया है, कि शैक्षिक सत्र 1987 से IX और XI कक्षाओं की परीक्षाएं आन्तरिक रूप से आयोजित की जायें ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाएं

349. **श्री बाजू बन रियान:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत सी लघु सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग से तकनीकी सहायता नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त योजनाओं के नाम क्या है और ये योजनायें कब तथा किस-किस राज्य से प्राप्त हुई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सिंचाई स्कीमों की आयोजना, उनकी वित्त-व्यवस्था एवं कार्यान्वयन राज्य सरकारें स्वयं करती हैं। 2000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। 2000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र का कार्य केन्द्रीय जल आयोग देखता है तथा राज्यों के अनुरोध पर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जाती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली चार मध्यम स्कीमों की, जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, इस समय केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। स्कीमों की वर्तमान स्थिति सहित उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	स्कीम का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	अरुणाचल प्रदेश	बहुद्देश्यीय सिरी सिंचाई सह-माइक्रो जल विद्युत स्कीम का निर्माण	15-3-79	केन्द्रीय जल आयोग की 1980 की टिप्पणियों पर आधारित आशोधित रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है।
2.	असम	खारमुझा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	10-5-82	यह रिपोर्ट तकनीकी सलाहकार समिति की 15 और 16 अक्तूबर 1986 की हुई बैठक में प्रस्तुत की गई है।
3.	मणिपुर	दोलाय-थाबी बराज परियोजना	15-5-85	स्कीम की जांच पूरी हो गई है जिसे शीघ्र ही तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4.	मेघालय	रोंगाई घाटी सिंचाई स्कीम	12-10-79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्यों को 11/85 से 6/86 तक बाढ़ नियंत्रण, जल विज्ञान, बराज एवं नहरों के सम्बन्ध में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

कृष्णा-नहर-गुंटूर–तेनाली और सर्कुलर रेलवे (आंध्र प्रदेश) का विद्युतीकरण

350. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे ने आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा-नहर-गुंटूर-तेनाली सर्कुलर रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि दी गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) : विद्युतीकरण से संबंधित प्रारम्भिक निर्माण कार्य प्रगति पर है। चालू वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

स्वान नहर निर्माण परियोजना

351. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से बृहत्त शिवालिक परियोजना के अन्तर्गत स्वान नहर निर्माण परियोजना का ब्यौरा प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों परियोजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और इनके शीघ्र निर्माण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायाता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक, औद्योगिक विकास संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय पोषण एजेंसियों से अनुरोध किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई 1984 में 225 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वान नदी के नहरीकरण और सिंचाई के वास्ते ऊना जिले में समेकित क्षेत्र विकास परियोजना हेतु एक संक्षिप्त प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को भेजा था। केन्द्रीय जल आयोग ने जुलाई, 1984 में केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कीम के ब्यौरे तैयार करने हेतु राज्य सरकार को अनुरोध किया था। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

हल्दिया बन्दरगाह काम्प्लेक्स में कन्टेनर उठाने–धरने के उपकरणों की क्षमता में सुधार

352. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक**
श्री सैयद मसुदल हुसैन } : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बन्दरगाह काम्पलेक्स में कन्टेनरों को उठाने-धरने के उपकरणों की क्षमता में सुधार करने और उसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) संसाधनों पर प्रतिबंध के कारण 10.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए सातवीं योजना में 1.00 करोड़ रुपए का टोकन प्रावधान रखा गया है। जापान से ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेन फन्ड के अन्तर्गत संभव वित्तीय सहायता के लिए स्कीम परिकल्पित की गई है।

परिकल्पित स्कीम में निम्नलिखित उपस्करों की वृद्धि करना शामिल है :—

1. पोर्टेनर	1
2. ट्रांसटेनर	1
3. (क) ट्रैक्टर	5
(ख) चेसिस	10

दिल्ली/नई दिल्ली से मद्रास, बम्बई, हावड़ा और बंगलौर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या

353. **डा० सुधीर राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत एक वर्ष के दौरान, नई दिल्ली/दिल्ली और मद्रास, नई दिल्ली/दिल्ली और बम्बई, नई दिल्ली/दिल्ली और हावड़ा, नई दिल्ली/दिल्ली और बंगलौर के बीच कितने यात्रियों ने यात्रा की है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :1985-86 के दौरान, दिल्ली/नई दिल्ली तथा निम्नलिखित स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

(आंकड़े हजार में)

मद्रास	260
बम्बई	1,144
हावड़ा	643
बेंगलूर	219

तस्करों द्वारा भारतीय नौवहन निगम के जहाजों का उपयोग

354. **श्री आर० एम० भोये** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों द्वारा भारतीय नौवहन निगम के जहाजों का बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जहां तक इन जहाजों का पता लगाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच समिति के गठन और इसके सदस्यों को जारी किये गये मार्ग निर्देशों सहित तत्ससम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मार्च, 1985 से जुलाई, 1986 तक भारतीय नौवहन निगम के जहाजों में तस्करी के 43 मामालों की सूचना मिली है। इनमें से बड़ा मामला 28/29 जून, 1986 को विशाखापत्तनम में एम० वी० सम्राट अशोक जहाज से 1.19 करोड़ रुपये के आपत्तिजनक माल का पकड़ा जाना है। पकड़ा गया आपत्तिजनक माल 581 पैकेटों में था, जिनमें 917 वी० सी० आर०/वी० सी० पी०, कुछ कपड़े और अन्य इलैक्ट्रोनिक समान था।

(ग) और (घ) : भारतीय नौवहग निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के अलावा सरकार द्वारा महानिदेशक, नौवहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें राजस्व सतर्कता निदेशालय और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि हैं। समिति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों की जांच करेगी :—

(i) पिछले पांच वर्षों में भारतीय नौवहन निगम के जहाजों में आपत्तिजनक माल लाने की पद्धति और आकार (परिमाण)।

(ii) निवारक सतर्कता और भारतीय नौवहन निगम के जहाजों का आपत्तिजनक माल की तस्करी के लिए दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय नौवहन निगम के जहाजों में तथा प्रशासनिक मंत्रालय में एक प्रणाली विकसित करने के लिए उठाए गए कदम।

(iii) आपत्तिजनक माल के सम्बध में कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी किस प्रकार निर्धारित की जाए।

(iv) चालक दल के जो सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अपराध के लिए जिम्मेदार पाए गए उन पर जुर्माना करके अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई।

रक्त बैंकों और स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्यकरण

355. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चल रहे रक्त बैंकों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) देश में अस्पतालों की मदद करने के लिए चल रहीं स्वैच्छिक एजेंसियों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार देश में संस्थाओं के मध्य अधिकतम रक्तदान को प्रोत्साहित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने में लगी स्वयंसेवी एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ): सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्त बैंकों और रक्ताधान सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना इस योजना का अनिवार्य घटक रहा है। स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के प्रचार में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए सरकार के पास एक योजना भी है।

विवरण–I

भारत में रक्त बैंकों की कुल संख्या (उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	रक्त बैंकों की कुल संख्या
1	2	8
1.	असम	6
2.	आंध्र प्रदेश	73
3.	बिहार	29
4.	गुजरात	10
5.	हरियाणा	12
6.	हिमाचल प्रदेश	6
7.	जम्मू व कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	57
9.	मध्य प्रदेश	56
10.	महाराष्ट्र	116
11.	केरल	53
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	3
14.	उड़ीसा	38
15.	पंजाब	22
16.	राजस्थान	15
17.	सिक्किम	1
18.	तमिलनाडु	80
19.	त्रिपुरा	2
20.	उत्तर प्रदेश	82
21.	पश्चिम बंगाल	33
22.	चंडीगढ़	1
23.	दिल्ली (सरकारी अस्पताल)	17
24.	गोआ, दमन व द्वीप	1
25.	पांडिचेरी	2

1	2	3
26.	मिजोरम	2
27.	नागालैण्ड	(कोई भी रक्त बैंक नहीं है)
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—तदैव—
29.	अरुणाचल प्रदेश	—तदैव—
30.	दादर व नागर हवेली	—तदैव—
31.	लक्षद्वीप समूह	—तदैव—
		कुल 720

विवरण–I

स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम में लगे स्वयंसेवी संगठनों की सूची
(उपलब्ध सूचना के अनुसार)

1. कर्नाटक	1. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, कर्नाटक राज्य शाखा, बंगलौर ।
2. गुजरात	2. राजकोट स्वैच्छिक रक्त बैंक, राजकोट ।
	3. ग्राम्य जीवन विकास मण्डल, जाम नगर ।
3. जम्मू और कश्मीर	4. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, जम्मू क्षेत्र, जम्मू ।
4. मध्य प्रदेश	5. नागरिक रक्तदान समिति, इंदौर ।
5. महाराष्ट्र	6. बम्बई रक्त बैंक संघ, बम्बई ।
	7. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, पाण्डोरपुर उपशाखा, महाराष्ट्र ।
	8. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, सोलापुर, जिला शाखा ।
	9. पुणे रेडक्रास रक्त बैंक, भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, पुणे ।
6. पश्चिम बंगाल	10. स्वैच्छिक रक्तदाता संघ, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता

7. राजस्थान	11. श्री कल्याण आरोग्य सदन, टी० बी० अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, सीकर ।
8. चंडीगढ़	12. रक्त बैंक सोसाइटी, पी० जी० आई० चंडीगढ़ ।
	13. रक्त रोग अस्पताल सोसाइटी, चंडीगढ़ ।
9. तमिलनाडु	14. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, तमिलनाडु शाखा, मद्रास ।
10. केरल	15. आई० एम० ए० स्वैच्छिक रक्त दाता बैंक, कोचीन, केरल ।
11. पंजाब	16. रक्तदाता परिषद रामपुराफुल, पंजाब ।
12. उत्तर प्रदेश	17. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय रक्त बैंक, लखनऊ ।
13. दिल्ली	18. रक्त बैंक, भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली ।
14. बिहार	19. जमशेदपुर रक्त बैंक, जमशेदपुर ।
	20. उड़ीसा रेडक्रास रक्त बैंक (सभी रेडक्रास रक्त बैंक)
	21. साम्बलपुर —तदैव—
	22. पुरी —तदैव—
	23. बालासौर —तदैव—
	24. कोरापुट —तदैव—
	25. धेनकनाल —तदैव—
	26. सुदेरगढ़ —तदैव—
	27. बोलानगीर —तदैव—
	28. कालाहाण्डी —तदैव—
	29. बेरीपाढ़ा —तदैव—
	30. फुलवानी —तदैव—
	31. कियोंझार —तदैव—
	32. अन्गुल —तदैव—
	33. भंजवगढ़ —तदैव—
	34. पारालखेमेंडी —तदैव—
	35. भुवनेश्वर —तदैव—
	36. रैरांगपुर —तदैव—
	37. जयपोर —तदैव—

प्राध्यापकों को सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना

356 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेज-शिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में, विशेषकर मानविकी/समाज विज्ञान विषयों संबंधों में, भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को कालेजों की अपेक्षा पर्याप्त धनराशि दे रहा है ताकि उनसे सम्बद्ध कालेज अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विचार-गोष्ठियों में भाग ले सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण नीति को कब समाप्त किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेज के अध्यापकों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए यात्रा अनुदान की योजना शुरू की है। इस योजना में मानविकी और सामाजिक विज्ञानों सहित सभी विषयों के कालेज अध्यापक शामिल हैं।

(ख) और (ग): इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों को यात्रा अनुदान स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष उनको सौंपे गए अनिर्दिष्ट अनुदानों में से संस्वीकृत किया जाता है। कालेजों के अध्यापकों के मामले में ऐसे अनुदान सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत किए जाते हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के बीच कोई भेदभाव नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय अध्यापकों की संख्या, जिन्हें ऐसे सम्मेलनों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और अतः यात्रा अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं, कालेज के अध्यापकों की तुलना में अधिक हैं।

अन्तर्राज्यीय जल-विवाद

357. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय जल-विवाद के कितने मामले समाधान के लिए लम्बित हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों के मध्य विवाद के मुख्य मामले क्या हैं; और

(ग) इन विवादों का हल करने के लिए केन्दीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस समय कावेरी नदी, ओखला तक यमुना नदी और रावी-व्यास नदियों के जल के बंटवारे सम्बन्धी तीन अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद हल किए जाने हेतु लम्बित पड़े हुए हैं।

(ख) इन विवादों में मुख्य मुद्दा जल के न्यायोचित ढंग से उपयोग से सम्बद्ध है।

(ङ) संबन्धित राज्यों के बातचीत द्वारा कोई हल ढूंढने में केन्द्र उनकी सहायता करता आ रहा है। रावी-व्यास के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक अधिकरण गठित किया गया है। कावेरी के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार से एक अधिकरण गठित करने के लिए संदर्भ प्राप्त हुआ है।

जयपोर-मल्कान गिरि (उड़ीसा) रेल सम्पर्क

358. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में जयपोर-मल्कानगिरि सम्पर्क रेल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी और चालू परियोजनाओं के लिए पहले से की गयी भारी बचनबद्धताओं के हाथ में होने के कारण।

पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान

359. **श्री रामपूजन पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को उनकी सेवा-निवृत्ति के बाद निर्धारित अवधि में पेंशन, उपदान और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जो 1 जनवरी, 1985 के बाद सेवानिवृत्त हुए और जिन्हें अब तक देय राशियों का भुगतान नहीं किया गया तथा प्रत्येक मामले में इन देय राशियों का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) सम्बधित क्षेत्रीय रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ग्वालियर, दतिया, झांसी और होशंगाबाद रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

360. **श्री रामेश्वर नीखरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर, दतिया, झांसी और होशंगाबाद रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त यात्री-सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या मध्य रेलवे के मुख्य अभियन्ता द्वारा काफी समय पहले इन स्टेशनों पर सर्वेक्षण भी किया गया था और कोई अनुमान तैयार किया गया था और रेल विभाग को भेजा गया था; और

(ग) रेल विभाग द्वारा होशंगाबाद स्टेशन के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकार करने में कितना समय लिया जायेगा और यह कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) ग्वालियर, दतिया, झांसी और होशंगाबाद स्टेशनों के लिए कुछ यात्री सुविधा कार्यों की स्वीकृति दी गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) होशंगाबाद स्टेशन के परिचलन क्षेत्र में सुधार करने से सम्बन्धित एक कार्य को स्वीकृति दी गयी थी और यह कार्य अभी हाल में पूरा हुआ है।

त्रिवेन्द्रम–दिल्ली विमान सेवा के समय में परिवर्तन

361. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा और कोचीन होकर त्रिवेन्दम और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा के वर्तमान समय के बारे में कोई शिकायत है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्तमान समय में परिवर्तन करने के लिए कदम उठाने का विचार है जिससे कि यात्री त्रिवेन्दम से सवेरे चलकर दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाए ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) विमान क्षमता की वर्तमान कठिनाइयों और उड़ानों की अनुसूची की प्रणाली के कारण इंडियन एयरलाइन्स के लिए इस सेवा को प्रातः काल में परिचालित करना कठिन है।

विमानों के पुर्जों का आयात

362. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स प्रबन्ध व्यवस्था विमानों के पुर्जों को विदेशी मुद्रा में खरीद कर रही है;

(ख) क्या इंडियन एअरलाइन्स प्रबन्ध व्यवस्था ने लाखों रुपए की कीमत के पुर्जे देशी मुद्रा में खरीदे हैं और सही कार्यशीलता नियंत्रण के अभाव में वे अप्रयुक्त पड़े रहे;

(ग) यदि हां, तो उन पुर्जों का क्या मूल्य होगा जो इस समय "नान मूविंग स्टोर्स" में पड़े हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय विचाराधीन हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह कहना ठीक नहीं होगा कि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा खरीदे गए फालतू पुर्जों/संघटकों का सही कार्य निष्पादन/नियंत्रण के अभाव में उपयोग नहीं किया

गया। फालतू पुर्जे, विमानों के सुनियोजित उपयोग, ओवरहालों के पूर्वानुमान और पुर्जों को प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय की गुंजाइश को मद्दे नजर रख कर खरीदे जाते हैं। कम से कम फालतू पुर्जे और संघटक खरीदे जाते हैं। कतिपय बीमायुक्त मदों का प्रबन्ध करना अपेक्षित होता है क्योंकि आवश्यकता के समय उनके उपलब्ध न होने की वजह से विमान का चलना बन्द हो सकता है और उसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है और सेवायें रद्द करनी पड़ सकती हैं। आपातकालीन इस्तेमाल के लिए प्राप्त इन मदों में से कुछ मदें "नान मूविंग/स्लोमूविंग" हो जाती हैं। इस समय, इंडियन एयरलाइन्स की कुल 80.60 करोड़ रु० की माल-सूची में से "नान मूविंग/स्लोमूविंग भण्डार 10.13 करोड़ रु० के होने का अनुमान है।

गांधीजी विश्वविद्यालय, कोट्टयम, केरल

363. **श्री के० मोहन दास** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता देने के लिए केरल के किन-किन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोट्टायम स्थित गांधीजी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने के लिए मान्यता नहीं दी है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस बारे में अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) इस समय केरल में पांच विश्वविद्यालय हैं। ये हैं :—

(1) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम।

(2) कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन।

(3) कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट।

(4) केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर।

(5) गांधीजी विश्वविद्यालय, कोट्टायम।

ये सभी विश्वविद्यालय केरल विधान मंडल के अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी औपचारिक मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय स्रोतों से वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। गांधीजी विश्वविद्यालय को जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केरल सरकार के गांधीजी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता के लिए उपयुक्त घोषित करने के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के अन्तर्गत जांच की है। आयोग ने अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार से भी विश्वविद्यालय के लिए सृजित भौतिक सुविधाओं के ब्यौरे दर्शाने का अनुरोध किया गया था, जिसमें भरी गई संकाय-रिक्तियां भी शामिल हैं। इन मामलों पर भी अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मन्त्री, केरल के बीच जुलाई, 1986 में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। आयोग द्वारा अपेक्षित विस्तृत सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयातित उपकरणों का न लगाया जाना

864. **श्री के० राम मूर्ति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अपने विभागों के लिए खरीदे गए महंगे आयातित उपकरण अब तक नहीं लगाए गए हैं अथवा चालू किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का मूल्य क्या है और इनको किस तारीख को खरीदा गया था तथा इन उपकरण को चालू न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अपने विभिन्न विभागों के लिए समय-समय पर खरीदे गए सभी आयातित उपकरण अधिष्ठापित/चालू कर दिए गए थे। तथापि, एक मोनोक्रोमीटर जो जून, 1975 में खरीदा गया था और अधिष्ठापित/चालू कर दिया गया था, बाद में फालतू पुर्जे न मिलने के कारण खराब हो गया और काम नहीं कर सका। संस्थान इसे फिर से चालू करने के लिए प्रयास कर रहा है। अगस्त, 1986 में खरीदे गए निम्नलिखित उपकरण अधिष्ठापित कर दिए गए हैं और शीघ्र ही चालू हो जायेंगे :—

1. बियर 2 ई वेंटिलेटर
2. पल्मोसिस्टम एस-2 रेस्पाइरेट
3. सेन्ट्रल मोनिटरिंग सिस्टम
4. बी० पी० 2000 इन्फेंट वेंटिलेटर

हवाई अड्डों के लिए बमों को निष्क्रिय करने वाला दस्ता

365. **श्री मुरलीधर भाने :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई अड्डों के लिए बमों को निष्क्रिय करने वाले दस्ते बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मुख्य हवाई अड्डों पर ऐसे दस्ते रखे जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में सभी हवाई अड्डों पर ऐसे दस्ते उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर शुरू में बम्बई/विस्फोटकों का पता लगाने और इन्हें गैर-प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

(घ) विमानक्षेत्र सुरक्षा कर्मचारी अन्य विमानक्षेत्रों पर स्थिति से निपटेंगे।

विमान दुर्घटनाओं की जांच-प्रणाली की समीक्षा

366. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हवाई उड़ान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विमान दुर्घटनाओं की जांच-प्रणाली की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी ही

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नौवहन उद्योग की एकीकृत सहायता

367. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मन्दी ग्रस्त नौवहन उद्योग को एकीकृत सहायता योजना का प्रस्ताव करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जहाज-वित्त पोषण के लिए किए जाने वाले नए संस्थात्मक प्रबन्ध, जिनमें नौवहन विकास निधि समिति द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान ऋण तथा जहां-जहां अनिवार्य हो शिपिंग कम्पनियों को राहतों की प्रति व्यवस्था शामिल होगी, सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सेवा में विलम्ब

368. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के लिए विभिन्न चरणों पर सेवा में विलम्ब की जांच करने के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा इन्दिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल-2 का सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) यदि हां, तो किए गए इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) उन यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है जिन्हें समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 से 12 जुलाई, 1986 तक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों का समय सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला है कि आने वाले औसतन एक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री को रैड-चैनल के मामले में सभी प्रक्रियाओं से निकासी में 129 मिनट और ग्रीन चैनल के मामले में 68 मिनट लगते हैं। सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि यूरोप के देशों से आने वाले यात्रियों की तुलना में खाड़ी देशों सिंगापुर, हांगकांग आदि से आने वाले यात्रियों को, जो अपने साथ शुल्क योग्य काफी सामान लाते हैं, निकासी में अधिक समय लगता है। प्रस्थान करने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री को यात्री जांच के बाद सुरक्षा क्षेत्र में पहुंचने तक औसतन 69 मिनट लगते हैं।

(ग) सीमा-शुल्क और आप्रवासन प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रियों की शीघ्र निकासी के लिए और अधिक काउन्टरों की व्यवस्था करें।

"हर साल बढ़ते हैं 17 लाख विकलांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

369. **श्री सरफराज अहमद :**
श्री विलास मुत्तेमवार } क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 सितम्बर, 1986 के जनसत्ता में "हर साल बढ़ते हैं 17 लाख विकलांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) इस समय देश में विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही/प्रबन्ध किए हैं कि बच्चे विकलांग पैदा न हों और इसके कब तक परिणाम निकलने की सम्भावना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)। (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई देशव्यापी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि विकलांग व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी है। 1981 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगा कि उस समय लगभग 1.2 करोड़ व्यक्ति ऐसे थे जिनमें कोई न कोई विकलांगता थी।

(ग) सरकार द्वारा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन किए गए सामान्य उपायों से जन्मजात विकृतियों, जिनके कारण विकलांगता हो जाती है, को रोकने में महत्वपूर्ण मदद

मिलती है। इन उपायों में अच्छी प्रसवपूर्व देखभाल, प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव करना, माता का पौष्टिक स्तर सुधारना, रक्तालपता आदि से बचाव शामिल है। इन उपायों से 5–10 वर्षों के बाद प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलने की आशा है।

विशाखापत्तनम पत्तन में कोकिंग कोयले और आयातित रसायनों के संग्रह से प्रदूषण

370. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में बाहरी बन्दरगाह की कार्गो बर्थ का कोकिंग कोयला उतारने के लिए उपयोग करने के प्रस्ताव से, जिसकी वर्तमान वाहक पट्टी से ढुलाई करने और पत्तन के प्रशासनिक कार्यालय के सामने संग्रह करने का प्रस्ताव है, प्रदूषण की गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी ;

(ख) क्या भीतरी बन्दरगाह में आयातित अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के भारी मात्रा में भण्डार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी विचार है, जिससे प्रदूषण की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है; और

(ग) क्या भारी मात्रा में कोकिंग कोयला लादना और उतारना तथा उसकी ढुलाई आवासीय क्षेत्रों और नौसेना अड्डे के लिए करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कोकिंग कोयले की हैंडलिंग के लिए सामान्य कार्गो बर्थ का इस्तेमाल करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह प्रस्ताव प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य में संबंधित एजेंसी से क्लियरेंस मिल जाने पर निर्भर करेगा।

(ख) आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लियरेंस मिल जाने के उपरान्त अमोनिया और फास्फ़ोरिक एसिड के स्टोरेज के लिए गोदावरी फ़र्टिलाइजर्ज एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड को बन्दरगाह के भीतरी क्षेत्र में 2.75 हेक्टेयर क्षेत्र आंवटित किया गया है।

(ग) पत्तन के लिए कोकिंग कोयले की हैंडलिंग से बच पाना संभव नहीं होगा। प्रदूषण के विरुध समुचित उपायों के साथ इस प्रकार की हैंडलिंग करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने की संभावना न्यूनम हो जायेंगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शिकायतों को दूर करने की पद्धति

371. **डा० जी० विजय रामा राव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में शिकायतों का दूर करना है, एक नई पद्धति अपनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) संस्थान ने संसद सस्दय प्रो० बी० रामाचन्द्र राव की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक शिकायत समिति का गठन किया है । संस्थान से संलग्न अस्पताल में इलाज के सम्बन्ध में जनता की शिकायत पर विचार करेगी । समिति से यह भी आशा की जाती है कि वह रोगी परिचर्या सेवाओं में और आगे सुधार करने के लिए दोषनिवारक उपाय सुझाएगी ।

तमिलनाडु में नवोदय स्कूल

372. **श्री एन० डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में जिन स्थानों पर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन स्थानों का चयन किस आधार पर किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) तमिलनाडु राज्य में नवोदय विद्यालयों के लिये स्थानों का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। नवोदय विद्यालय की स्थापना सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय गठित करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नौवहन कम्पनियों से ऋण की वसूली

374. **श्री एच० एन० नन्जे गौड :**
श्री जी० एस० बसवराजू : } : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऋण का भुगतान न करने वाली नौवहन कम्पनियों की ओर बकाया राशि में वृद्धि होने से चिन्तित है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋणों की कम वसूली को ध्यान में रखते हुए सरकार शीघ्र और प्रभावी वसूलियों के लिये कुछ विधायी उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दस वर्षों के दौरान विभिन्न नौवहन कम्पनियों को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया और वसूली की गति किस सीमा तक धीमी रही है;

(ङ) किन नौवहन कम्पनियों ने ऋण का भुगतान नहीं किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) ऋणों की शीघ्र वसूली के लिये अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) आवश्यक सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण I और II में दी गई है [मंत्रालय में रखे गये। देखिए एल० टी० 3194/86]

(ङ) आवश्यक सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण III में दी गई है। [मन्त्रालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3194/86]।

(च) मामला सरकार के विचाराधीन है।

भारत की क्रिकेट और हाकी टीमों का प्रदर्शन

375. **श्री बूटा सिंह महन्ती** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सन् 1983 से अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय क्रिकेट टीम के निराशाजनक प्रदर्शन की जानकारी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सियोल में हाकी के खेल में हमारा प्रदर्शन हमारे खेल स्तर में नाटकीय गिरावट का सूचक है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुकाबले में एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीती है। यह उचित नहीं होगा कि इस कार्य निष्पादन को निराशाजनक कहा जाय, जो वस्तुतः काफी हद तक अच्छा है।

(ख और (ग) यह सही है कि भारतीय हाकी टीम ने नवें एशियाई खेलों में रजत पदक की तुलना में दसवें एशियाई खेलों में कास्य पदक जीता था। अतः कार्य निष्पादन में अवनति हुई है। संबंधित संगठनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन कारणों का विश्लेषण करें और उपचारी कदम उठायें।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकों का विदेशों में नौकरी करना

376. **श्री मुरली देवरा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से विभिन्न विषयों में प्रति वर्ष कितने स्नातक उत्तीर्ण होते हैं ;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश स्नातक विदेशों में नौकरी करने लगते है और वहीं बस जाते है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार प्रतिभा पलायन के कारण प्रति वर्ष कितनी हानि होती है और प्रतिभा पलायन रोकने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) प्रत्यक वर्ष विभिन्न अवर स्नातक विषयों में पास होने वाले छात्रों की लगभग संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातकों के सही आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या मोटे तौर पर औसतन 20% है।

(ग) जो इंजीनियर बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं, वे उन्नत दक्षता और महत्वपूर्ण अनुभव ग्रहण करके भिन्न भिन्न अवधियों के बाद लौट आते हैं। क्योंकि बाहर जाने वाले अथवा किसी भी समय वापिस आने वाले लोगों के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है अतः विदेशों में प्राप्त दक्षता और अनुभव के महत्व की मात्रा निर्धारित करना कठिन है, इस प्रक्रिया में होने वाली किसी प्रकार की हानि का अनुमान लगाना भी कठिन है।

छात्रों के लिये उनके पूर्व अन्तिम वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के अलावा प्रत्येक भा० प्रौ० संस्थान का प्रशिक्षण तथा तैनाती अनुभाग भारतीय उद्योगों/संगठनों के साथ सन्निकट और निरन्तर सम्पर्क बनाए रखता है ताकि छात्रों को केवल नौकरी ही नहीं बल्कि वह स्थान भी मिल सकें जहां उनकी प्रतिभाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। इन्हीं प्रयासों के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों का चयन भारतीय उद्योगों/संगठनों द्वारा प्रत्येक वर्ष परिसर साक्षात्कारों के जरिये किया जाता है।

विवरण

भा० प्रा० सं० से प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की लगभग संख्या

1. वैमानिक इंजीनियरी	40
2. कृषि इंजीनियरी	15
3. वास्तुकला	8
4. रासायनिक इंजीनियरी	200
5. सिविल इंजीनियरी	165
6. संगणक विज्ञान और इंजीनियरी	70
7. इलैक्ट्रोकल इंजीनियरी/इलैक्ट्रानिकी इत्यादि	300
8. मेकेनिकल इंजीनियरी	300
9. धातुकर्मीय इंजीनियरी	115
10. खान इंजीनियरी	10
11. नौसैनिक वास्तुकला	17
12. भौतिकी इंजीनियरी	10
13. वस्त्र प्रौद्योगिकी	25
14. एम० एस० सी० (भौतिकी/रसायन/गणित) इत्यादि	285

पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि

377. **श्री गदाधर साहा**
श्री रेणुपद दास } क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पोलियो के रोगियों की संख्या के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(ख) पोलियो की भावी रोकथाम के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :(क) वास्तव में वर्ष 1982 और 1983 के मुकाबले 1984 और 1985 के दौरान पोलियो के रोगियों की संख्या में कमी आई। किन्तु 1984 के मुकाबले 1985 में इन रोगियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। संभवत: यह वृद्धि लोगों को इस रोग के बारे में अधिक जानकारी हासिल होने और रोगियों का पता लगाने के कारण हुई। गत चार वर्षों के दौरान चिकित्सा संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो को सूचित की गई पोलियो के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	रोगी
1982	21469
1983	21310
1984	18040
1985	19733

ऊपर दर्शाये गये आंकड़े केवल विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं द्वारा सूचित किये गये रोगियों के हैं।

(ख) पोलियो के कारण होने वाली रूग्णता और मौत की दर में कमी लाने के लिये पोलियो के टीके को 1979–80 से रोग-प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पोलियो का टीका लगाने का कार्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। 1980–81 में 16.10 लाख शिशुओं को यह टीका लगाया गया था जबकि 1985–86 में 119.08 लाख शिशुओं को यह टीका लगाया गया है। 1989–90 में 183.00 लाख शिशुओं को टीका लगाने की योजना है। 1985–86 में शुरू किये गये व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में पोलियो का टीका कार्यक्रम भी शामिल है और 1990 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 85 प्रतिशत शिशुओं को कवर कर लिया जायेगा। आशा है कि कवरेज की यह प्रतिशतता इस रोग के निवारण में "हर्ड इम्यूनिटी" प्रदान करने में पर्याप्त होगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद् में नई शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव पर की गई चर्चा

378. **डा० एस० जगतरक्षकन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की हाल ही में हुई बैठक में शिक्षा नीति सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर नवोदय स्कूलों के सम्बन्ध में सरकार की नई नीति के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) नवोदय विद्यालय योजना में यह परिकल्पना है कि अलग भाषाई क्षेत्र में प्रत्येक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में 20% छात्रों को भेजा जायेगा। प्रवास मुख्यतः हिन्दी भाषी क्षेत्रों से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के बीच होगा। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तृतीय भाषा के रूप में वहीं भाषा पढ़ाई जायेगी जो अहिन्दी क्षेत्रों से 20% प्रवासी छात्रों की भाषा होगी। यह भाषा अनिवार्य होगी। अहिन्दी भाषा क्षेत्रों में नवोदय विद्यालयों द्वारा कक्षा VIII अथवा IX में हिन्दी/अंग्रेजी भाषा माध्यम सहित सामान्य त्रिभाषा सूत्र अर्थात् क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी का अनुसरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नवोदय विद्यालय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सरकार तथा लोगों के कार्यकलापों में राष्ट्रीय एकता की भावना निहित होनी चाहिये। इसको प्रारम्भ करने का एक तरीका लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के प्रति शुरू से ही अभिन्मुख बनाना है। एकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम नई शिक्षा नीति में निहित कोर पाठ्यचर्या है। कोर पाठ्यचर्या में देश के सभी क्षेत्रों का निवेश तथा राज्यों का पर्याप्त रूप में अंशदान स्वाभाविक और अनिवार्य रूप से निहित होगा। अन्य महत्वपूर्ण उपाय छात्रों को उनकी अत्यधिक संवेदनशील आयु में अपने राज्य की अपेक्षा अन्य राज्यों के समकक्ष व्यक्तियों के साथ रहने और शिक्षा ग्रहण करने तथा राष्ट्रीय एकता के अनुभवों की सक्रिय रूप से जानकारी हासिल करने और उनसे अभिप्रेरित होने का अवसर प्रदान करना है। अन्य और तकनीकी शिक्षा में, देश के बाहर छात्रों के जाने तथा आने की एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी है।

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम की बसों के मार्ग में परिवर्तन

379. श्री तेजा सिंह धर्मी
श्री राम भगत पासवान
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री कमला प्रसाद सिंह

: क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम में दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में अपनी बसों के मार्ग में परिवर्तन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नये मार्ग स्थानीय यात्रियों के लिये सुविधाजनक नहीं थे और निगम ने बसों को पुराने मार्गों पर पुनः चलाना आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस नये परीक्षण में क्या कमियां पाई गई; और

(ङ) नई योजना को तैयार करने में दिल्ली परिवहन निगम ने कुल कितनी धनराशि व्यय की तथा इस कार्य के लिये गैर सरकारी कम्पनी को कितना भुगतान किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) यमुना पार क्षेत्र में कुछ रूटों में किया गया परिवर्तन डी० टी० सी० द्वारा रूटों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया का ही एक अंश था।

(ग) और (घ) यमुना पार क्षेत्र के अधिसंख्यक निवासियों ने बस रूटों के नये पैटर्न के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। इस बारे में मुख्य रूप से जनता की जो प्रतिक्रिया देखी गई वह या तो बस रूटों के आरम्भिक स्थानों को बदलने के बारे में थी या मार्ग बदलने के बारे में थी।

(ङ) 1.61 लाख रुपये के कुल सम्मत प्रभार (1.45 करोड़ रुपये परामर्शी शुल्क के रूप में और 0.16 लाख रुपये कम्प्यूटर टाइम की लागत के रूप में) में से 87,000/- रुपये की राशि अब तक "नेशनल कौंउसिल आफ एप्लाईड इकानामिक्स एण्ड रिसर्च" को अदा की जा चुकी है, जिन्हें दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अध्ययन कार्य सौंपा गया था।

[अनुवाद]

राजस्थान में पुरावशेषों का पंजीकृत न कराना

380. **श्री रामधन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बहुत से निजी न्यासों ने अपने कब्जे/अभिरक्षा में रखे पुरा वशेषों का पंजीकरण नहीं कराया है;

(ख) यदि हां, तो पुरावशेष पंजीकरण अधिनियम के अनिवार्य उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये न्यासधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों मंत्री राज्य में (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास से वेल्लौर के रास्ते से बंगलौर तक वायु दूत सेवाएं आरम्भ करना

381. **श्री एस० जयमोहन**
श्रीमती वसवराजेश्वरी } : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास से बंगलौर तक वेल्लोर होकर वायुदूत सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ताकि उस क्षेत्र के लोगों को वायुदूत सेवा प्रदान की जा सके; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का वेल्लोर जो उत्तर आर्काट जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान है, से होकर ऐसी एक सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

फ्रांस और अमरीका में आयोजित भारत महोत्सव में कलाकृतियों का गुम हो जाना

382. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस में पिछले वर्ष भारत महोत्सव के लिये भेजी गई कुछ बहुमूल्य कला कृतियां गुम पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो गुम हुई कला कृतियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कलाकृति का अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बहुमूल्य कलाकृतियों की देख रेख में हुई भारी उपेक्षा के लिये उत्तर दायित्व निश्चित करने हेतु कोई जांच की है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस प्रकार की बहुमूल्य कलाकृतियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित मानदण्डों में यदि कोई खामियां रह गई हैं, तो उसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं, तथापि, हुक्के की "मुनाल" नामक एक छोटी सी मुखिका, जो राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के संरक्षण में थी, भारत महोत्सव में भेजे जाने से पूर्व गायब पाई गई थी।

(ख) 18 वीं शताब्दी के सात भागों में इस हुक्के का 2.00 लाख रुपये का बीमा कराया गया था। "मुनाल" नामक इस छोटे से भाग का मूल्य मूल्यांकन समिति द्वारा निश्चित किया जाना है।

(ग) जिम्मेदारी निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है ।

(घ) स्पष्टतः इस प्रकार की कला वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई व्यावसायिक खामियां नहीं हैं। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, जिनका सदैव पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ऐसी घटनायें हो सकती है।

कोचीन शिपयार्ड में पाइप की खरीद में अनियमितता तथा उसका दुरुपयोग

383. **श्री के० वी० थामस** : क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में पाइप की खरीद में अनियमितता और उसका दुरुपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अधिक मात्रा में इन्डेन्ट की गई और प्राप्त की गई पाइपों सम्बन्धी आरोप के बारे में छानबीन करने के लिए तथा यदि कोई चूकें हुई हों तो उन पर तथा उनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक समिति गठित की गई है ।

[हिन्दी]

कुतुबमीनार, दिल्ली की मरम्मत के दौरान दुर्लभ मूर्तियों का पाया जाना

384. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुतुबमीनार की मरम्मत के दौरान इसकी दीवारों में कुछ दुर्लभ मूर्तियां खुदी हुई पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी अन्य मूर्तियों के होने की संभावना को देखते हुए सरकार का विचार इसकी मरम्मत करते समय अधिक सतर्कता बरतने का है; और

(घ) यदि हां, तो उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) कुतुबमीनार की संरचनात्मक मरम्मत के दौरान चिनाई के भीतरी भाग में से आंशिक रूप से टूटी हुई दो मूर्तियां मिली हैं ।

(ख) चार भुजाओं वाली नरप्रतिमा जो त्रिभंगा आकृति में खड़ी हुई चित्रित है, जिसने अपने निचले बायें हाथ में तो एक बर्तन पकड़ा हुआ है जबकि उसका निचला दायां हाथ दायें घुटने पर टिका हुआ है । ऊपर के दायें और बायें हाथों में पकड़ी हुई वस्तुयें सुस्पष्ट नहीं है । प्रतिमा के गले में फूलों का हार, जनेऊ और कंठी डाली हुई है । स्त्री की प्रतिमा भी त्रिभंगा आकृति में खड़ी हुई चित्रित है और उसने कर्ण आभूषण, कंठी और बाजू-बंद पहने हुए है ।

(ग) और (घ) मरम्मत कार्य करते समय उचित पर्यवेक्षण द्वारा सम्भवतः सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिनाई के अन्दर यदि कोई मूर्तियां मिली हों तो उनका सावधानी–पूर्वक सुधार और परिरक्षण किया जाए ।

[अनुवाद]

बंगानी वार्सिद कसारा और कडावली स्टेशनों पर पैदल उपरिपुलों का निर्माण

385. **श्री एस० जी० घोलप :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के बम्बई मण्डल में बंगानी वार्सिद, कसारा और कडावली स्टेशनों पर पैदल-उपरिपुलों के निर्माण की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और निर्माण-कार्य के कब तक पूरा किया जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां ।

(ख) वार्सिद पर एक उपरी पैदल पुल पहले से मौजूद है जो अप और डाउन दोनों प्लेटफार्मों को मिलाता है । अन्य स्टेशनों अर्थात् वांगनी, कसारा और कडावली पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को रेलों के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विचार किया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों और कालेजों में रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम

386. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा कालेजों में और अधिक रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने हेतु कोई कदम उठाया है ;

(ख) इन पाठ्यक्रमों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है और कब से; और

(ग) क्या शिक्षित व्यक्तियों के बीच भविष्य में बेरोजगारों की संख्या कम करने की दृष्टि से कालेजों में सामान्य पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश को सीमित करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही: (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इस आशय की परिकल्पना है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 1990 तक 10 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक छात्रों को शामिल किया जायेगा । इस नीति में यह भी परिकल्पना की गई है कि जिन छात्रों ने शैक्षिक धारा के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया है उन के लिए तीसरे स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित किये जायें ।

संसद द्वारा अगस्त, 1986 में पारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई योजना में इस मामले में किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों की रूप रेखाओं का उल्लेख है । इन में व्यावसायिक जनशक्ति का मूल्यांकन करने, पाठ्यक्रमों का डिजाइन तैयार करने और पाठ्यचर्या तथा शैक्षणिक संसाधनों का विकास करने, व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों की आयोजना तथा उनका समन्वय और उनकी प्रगति का निरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रस्तरीय एजेंसियों की स्थापना और उनका विकास शामिल है । कार्यक्रमों के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1985–86 के दौरान 10+2 स्तर पर दाखिला पाने के इच्छुक अनुमानित 25 लाख छात्रों में से लगभग 72 हजार छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों द्वारा शामिल किया गया था ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मुगल लाइन्स के घाटे को बट्टे–खाते में डालने का प्रस्ताव

387. **श्री वी० तुलसी राय :** क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मुगल लाइंस को हुए 106.5 करोड़ रुपए के घाटे को बट्टेखाते डालने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार ने मुगल लाइन्स लिमिटेड के नौवहन विकास निधि समिति की ओर बकाया 106.73 करोड़ रुपये के ऋण और ब्याज को बट्टेखाते डालने का निर्णय किया है ताकि भारतीय नौवहन निगम, मुगल लाइन्स लिमिटेड का कार्यभार न्यूनतम दायित्वों के साथ संभाल सके।

बाला किला का रख–रखाव

388. **श्री राम सिंह यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाला किला नाम प्राचीन ऐतिहासिक किले का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत है ;

(ख) क्या किले का मुख्य द्वार, प्राचीर और प्रमुख प्रकोष्ठ भग्नावस्था में है;

(ग) क्या किले के प्रांगण में प्राचीन तोपें और हथियार भी सुरक्षित रखे गये हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार बारहवीं शताब्दी के अलवर के किले (बाला किला) की मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से उसके संरक्षण और सुरक्षा हेतु कदम उठाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह किला राज्य सरकार के अधीन है और इसका कुछ अंश भग्नावस्था में है।

(ग) किले के अन्दर कुछ तोपें पड़ी हुई हैं।

(घ) किले के संरक्षण एवं सुरक्षा तथा इनके लिये निधियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

बन्ध्यीकरण कार्यक्रम में गिरावट

389. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या विस्फोट को रोकने हेतु बन्ध्यीकरण कार्यक्रम के समग्र कार्य निष्पादन में चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक चार महीनों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्यों और बन्ध्यीकृत व्यक्तियों की संख्या संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान बन्ध्यीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये क्या उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित किए गए 60 लाख नसबंदी आपरेशनों के योजना लक्ष्य के मुकाबले राज्यों द्वारा पहले चार महीनों अर्थात् अप्रैल से जुलाई, 1986 के दौरान 7.94 लाख (अनन्तिम) नसबंदी आपरेशन किय गये बताये गये हैं जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में, अर्थात् अप्रैल से जुलाई 1985 में राज्यों द्वारा 9.43 लाख नसबंदी आपरेशन किये गये थे। यह कार्य निष्पादन चालू वर्ष की इस अवधि के लिये निर्धारित आनुपातिक लक्ष्य का 63 प्रतिशत बैठता है।

(ग) घनिष्ठ मानीटरिंग, पर्यवेक्षण, सेवाओं में सुधार करके और उन्हें संशक्त बनाकर, अन्तर-विभागीय समन्वय, सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों का योगदान प्राप्त करके और बेहतर संचार और प्रचार-कार्यकलाप के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये गहन प्रयास किये जा रहे हैं । राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सितम्बर, 1985 से प्रत्येक ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर सप्ताह किसी एक दिन नसबंदी आपरेशन के लिये शिविरों का आयोजन करें।

नाग विष रोधी सीरूप विकसित करने के प्रयास :

390. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नाग विष रोधी सीरूप विकसित करने के कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जापान में भी एक संस्थान यह सीरूप विकसित कर रहा है;

(घ) क्या सरकार ने इसकी गुणकारिता की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) देश में लगभग 80 वर्ष पहले कोबरा-विष रोधी सीरूप तैयार किया गया था और अब इसे अनेक संस्थाओं में तैयार किया जाता है।

(ग) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

31—अप दानापुर एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

391. श्री सलाउद्दीन
श्री काली प्रसाद पांडेय } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरापुर और शंकरपुर स्टेशनों के मध्य पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन पर 7 सितम्बर, 1986 को 31—अप दानापुर एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के फलस्वरूप कितने यात्रियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(ख) गाड़ी के पटरी से उतरने के क्या कारण थे;

(ग) यदि किसी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार पाया गया तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) इस दुर्घटना में न तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और न ही किसी को चोट आई थी ।

(ख) और (ग) यह दुर्घटना शरारती तत्वों द्वारा रेलपथ की फिटिंग्स हटा देने के कारण हुई थी । कोई भी रेल कर्मचारी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है ।

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(i) रेलपथ पर गश्त लगाना,

(ii) फिश पलेटों को चपटा करना जिससे बोल्टों पर नट मजबूती से कस जाते हैं, बोल्टों की चूड़ियां नष्ट हो जाती हैं तथा बोल्ट छेनी का इस्तेमाल किए बिना नहीं हटाए जा सकते है ;

(iii) पटरी के जोड़ों की झलाई करके फिश प्लेट जोड़ों की संख्या कम करना, तथा

(iv) राज्य सरकार से रेल परिसम्पतियों तथा परिचालन को प्रभावित करने वाले शरारती तत्वों की गतिविधियां रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

392. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए एक प्रतिवेदन के अनुसार इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मीनल पर 70 लाख रुपए की लागत से की गई सभी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) संस्थापन के समय कुछ नियमित जांचों के दौरान, इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में प्रतिस्थापित की जा रही नई अग्निशमन प्रणाली में कुछ कमियां पाई गई थीं जिसमें सुधार करने के लिए ठेकेदार को बताया गया था । भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस प्रणाली को एक विस्तृत प्रदर्शन तथा स्वीकार्य परीक्षण के पश्चात् लिया जाएगा । तब तक किसी भी आपातस्थिति से निबटने के लिए वर्तमान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता रहेगा ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय पत्तन प्राधिकरण और पत्तन विकास निधि की स्थापना

393. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न पत्तनों के कार्य निष्पादन को कारगर और सरल बनाने के लिए केन्द्रीय पत्तन प्राधिकरण तथा पत्तन विकास निधि स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स विलय

394. **श्री राम प्रसाद सिंह**
श्री सोडे रमैया
श्री एस० एम० गुरुडी
डा० बी० एल० शैलेश : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यदि सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है, तो उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही योजना तैयार की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को मिलाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। कार्रवाई योजना तयार करने का प्रश्न इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा।

पन-धारा कार्यक्रम

395. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में भूमिगत जल के कम उपयोग को देखते हुए, क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की जल के परिरक्षण के लिए "पनधारा कार्यक्रम" की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य के 13 जिलों में सातवीं योजना अवधि के दौरान वार्षिक 36,000 हेक्टयर क्षेत्र को कवर करते हुए "राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम स्वीकृत की गई है। कर्नाटक में बंगलोर तथा मैसूर जिलों के हिस्सों में विश्व बैंक की सहायता से "वर्षापोषित क्षेत्रों में पनधारा विकास" पर एक परियोजना भी क्रियान्वयनाधीन है।

राज्य सरकार ने 1986-87 के दौरान पनधारा के आधार पर भूजल के अन्वेषण तथा विकास के लिये स्कीमों को भी हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है।

"बेयरफूट डाक्टर्स" कार्यक्रम

396. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गावों में कम खर्चीली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये "बेयरफूट डाक्टर्स" कार्यक्रम को पूरे जोर शोर से चलाया गया है;

(ख) क्या "बेयरफूट डाक्टरों" को अन्य देशों में भी सफलता मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या "बेयरफूट डाक्टर्स" कार्यक्रम को विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्ड) :

(क) देश में नंगे-पैर डाक्टरों की कोई योजना नहीं है।

(ख) नंगे-पैर डाक्टर चीन में कार्य कर रहे हैं और उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह योजना स्वास्थ्य परिचर्या के प्रोत्साहन और निवारक पहलुओं में सफल हुई है। इन डाक्टरों का प्रसूति और परिवारनियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हुआ रहा है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नौवहन कम्पनियों का संघ बनाने का प्रस्ताव

397. **श्री विजय कुमार मिश्र :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन नौवहन कम्पनियों अर्थात् सिंधिया स्टीम ऐंड नेविगेशन कम्पनी, इंडिया शिपिंग कम्पनी और भारतीय नौवहन निगम का एक संघ गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इन तीन नौवहन कम्पनियों के पास "ब्रेक बल्क कार्गो और कन्टेनराइजेशन" की पर्याप्त क्षमता है; और

(ग) क्या सरकार ने इनकी खरीद अथवा इन नौवहन कम्पनियों के बेड़े में सुधार करने के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल तथा सड़क की तुलना में तटवर्ती नौवहन द्वारा माल की ढुलाई

398. **श्री बीरेन्द्र सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अथवा सड़क मार्ग की तुलना में तटवर्ती नौवहन द्वारा माल की ढुलाई मंहगी अथवा सस्ती है;

(ख) यदि सस्ती है, तो क्या रेल अथवा सड़क मार्ग के स्थान पर नौवहन द्वारा माल की ढुलाई बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि यह मंहगी है, तो इसे सस्ता बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) लम्बे मार्गों पर और बल्क ढुलाई हेतु जहां दोनों दिशाओं के लिए कार्गो ट्रैफिक उपलब्ध होता है वहां तटीय नौवहन लाभप्रद रहता है।

(ख) और (ग) तटीय नौवहन का विकास करने के लिये तटीय प्रचालनों में समन्वय, तटीय बेड़ों का आधुनिकीकरण, पत्तन सुविधाओं में सुधार, भाड़ा-दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए सीमा शुल्क व पत्तन कार्य पद्धति को युक्तिसंगत बनाने आदि जैसे कुछ उपाय किए जा रहे हैं। कुछ नौवहन कंपनियों द्वारा कुछ खास रूटों पर कार्गो यात्री सेवायें शुरू करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव भी सुझाए गए हैं।

आदिवासी लड़कों और लड़कियों के लिए

खेल-कूद प्रशिक्षण सुविधाएं

399. **श्री लाइमन तिग्गा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने विशेष क्षेत्र खेल संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत तीरन्दाजी में 13 आदिवासी लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आदिवासी लड़कों और लड़कियों को हाकी, फुटबाल, आदि खेलों में प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी विशेष क्षेत्र खेल योजना के अन्तर्गत तीरन्दाजी में 72 जनजाति लड़के और लड़कियों को प्रशिक्षित किया था।

(ख) विशेष क्षेत्र खेल की योजना देश के किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि जनजाति क्षेत्र पहाड़ी, समुद्र तटीय क्षेत्र आदि में प्राकृतिक खेल प्रतिभा का पता लगाने पर लक्षित है। योजना में संबंधित खेल विषयों में खेल प्रतिभा का वैज्ञानिक तौर पर उत्कृष्ठ विकास करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) से (ङ) जब कि योजना के अन्तर्गत इस समय जनजाति लड़के और लड़कियों को हाकी और फुटबाल में प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी योजना किसी विशेष खेल विषय तक ही सीमित नहीं है। योजना अभी तक प्रारंभिक स्तर पर है और यथा समय कई खेल विषयों को शामिल करेगी।

नवोदय विद्यालयों में सामान्य कोर पाठ्यक्रम

400. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में सामान्य कोर पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) सामान्य कोर पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना है जिसमें अन्य घटकों के साथ जो लचीले हैं,

एक सामान्य कोर निहित है। देश में अन्य सभी स्कूलों की तरह नवोदय विद्यालय इस पाठ्यचर्या को लागू करेंगे।

(ख) राष्ट्रीय नीति में यह भी परिकल्पना है कि सामान्य कोर के घटक विषय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या के लिये एक ढांचा तैयार किया है और पाठ्यचर्या संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाएं और विभिन्न विषयों में प्रारूप पाठ्यचर्या सहित इस ढांचे को राज्यों को भेज दिया गया है।

त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए विमान सेवाएं

401. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री के० मोहनदास } : **क्या नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिवेन्द्रम से खाडी क्षेत्र के किन देशों के मध्य सीधी विमान सेवायें चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र के कुछ और देशों के लिये सीधी विमान सेवायें चलाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इस समय एयर इंडिया त्रिवेन्द्रम से कुवैत (सऊदी अरब) और दुबई, आबुधाबी, शरजाह और रस-अल-खायमाह (संयुक्त अरब अमीरात) को सीधी हवाई सेवाओं का परिचालन कर रही है।

(ख) और (ग) त्रिवेन्द्रम से बहरीन, दोहा और मसकेट जाने के लिए सीधी सेवा आरम्भ किये जाने के लिये अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

इन देशों के संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेलों में एल्यूमीनियम के पेकटों में भोजन और नाश्ता देने की प्रथा के विरुद्ध शिकायतें

402. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में पुरानी प्रथा को छोड़कर उसके स्थान पर एल्यूमिनियम के पैकेटों में भोजन और नाश्ता देने की प्रथा अपनाये जाने के विरुद्ध लोगों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और पत्रकारों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और इनकी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) क्या एल्यूमिनियम के पैकेटों में दिये जाने वाले भोजन और देने वाले नाश्ते की लागत पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत दिये जाने वाले भोजन और नाश्ते की तुलना में अधिक है और इसके साथ-साथ उनकी मात्रा और गुणवत्ता भी कम हो गई है तथा भोजन अस्वास्थ्यकर पैकेटों में दिया जाता है; और

(ग) इन एल्यूमिनियम के पैकेटों की सप्लाई करने वाली एजेंसियां कौन सी है तथा प्रत्येक पैकेट की कीमत क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) कैसेरोल में भोजन सप्लाई करने की सेवा शुरू होने के समय से अर्थात् 1-6-85 से 30-9-1986 तक इस सम्बन्ध में लगभग 96 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस अवधि के दौरान भोजन के लगभग 70.91 लाख कैसेरोल पैकेटों की सप्लाई की गयी थी। इस प्रकार शिकायतों का प्रतिशत बहुत ही कम है। यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के लिये की गई रायशुमारी से पता चला है कि यात्रियों के भारी बहुमत ने इस सेवा की प्रशंसा की है। शिकायतों के लिये जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उपयक्त दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है और इस सेवा में और अधिक सुधार करने के लिये विभिन्न उपाय भी किये गये हैं।

(ख) थाली भोजन की अपेक्षा कैसेरोल में भोजन की मात्रा थोड़ी कम होती है जिसका मुख्य कारण इस भोजन में पानी की मात्रा कम होना है। लेकिन ऊष्मीय परिमाण प्रायः उतना ही होता है और किस्म बेहतर होती है। कैसेरोल में भोजन का मूल्य थोड़ा सा अधिक है लेकिन केसेरोल सेवा के साथ लाभ अर्थात् अधिक स्वच्छ, गर्म रखने की क्षमता, बेहतर किस्म, आदि की तुलना में अन्य कारक महत्वहीन हैं। थाली भोजन, जिसमें धूल पड़ने तथा मक्खियों के बैठने की संभावना रहती थी, की तुलना में कैसेरोल बहुत ही स्वास्थ्यकर हैं।

(ग) रेलों को अल्यूमिनियम की पन्नियां सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं--मैसर्स इंडिया फाइल्स, मैसर्स मेटलेक्स एसोसियेशन, मैसर्स हनि कोम्ब इंडिया प्रा० लि०, मैसर्स क्राकरी सेंटर और मैसर्स इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी। छोटे आकार के अल्यूमिनियम कैसेरोलों का मूल्य 53 पैसे से लेकर 68 पैसे के बीच तथा बड़े आकार के कैसेरोलों का मूल्य 83 पैसे से लेकर 99 पैसे के बीच होता है, जिसमें बिक्री कर शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

यात्रियों के सामान के साथ लादे गए विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने के मार्गनिर्देश

404. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्क विमान की दुर्घटना की जांच के फलस्वरूप सरकार ने यात्रियों के सामान के साथ लादे गये विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के संबंध में कोई नये विशिष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि उन सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, जहां से एयर इंडिया के विमान उड़ान भरते हैं, इन मार्गनिर्देशों का पालन किया जाये ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वे निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :--

(1) पंजीकृत सामान को यात्रियों के साथ भेजा जाए और अन्तलाइन सामान को यात्री की बिना पहचान किये स्वीकार नहीं किया जाये।

(2) पंजीकृत सामान की एक्स-रे के माध्यम से छानबीन की जाए और उसके कुछ प्रतिशत हिस्से की "स्निफर" की सहायता से जामा-तलाशी ली जाए; और

(3) माल/साथ न ले जाने वाले सामान को उपयुक्त स्थान पर रखा जाए।

(ग) एयर इंडिया के निरीक्षण अधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि वे अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये बार-बार जांच करते रहें।

मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाओं को छोड़ देना

405. **श्री कमल नाथ** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग ने मध्य प्रदेश की 21 सिंचाई परियोजनाओं पर विचार करना छोड़ दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र इस संबंध में मध्य प्रदेश की और किस तरह सहायता करने पर विचार कर सकता है?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त न होने के कारण जुलाई 1981 से सितम्बर, 1986 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन परियोजनाओं की सूची में से मध्य प्रदेश की 19 वृहद तथा मध्य परियोजनाओं को निकाल दिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को शामिल करते हुए शोधित रिपोर्टों के प्राप्त होने पर स्वीकृति हेतु परियोजनाओं की जांच की जा सकती है।

अयोध्या में पुरातात्विक उत्खनन

406. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अयोध्या में कोई पुरातात्विक उत्खनन सम्बन्धी कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम और निष्कर्ष क्या है; और

(ग) क्या उक्त उत्खनन के परिणामस्वरूप आज की अयोध्या के इस स्थल के अधिपत्य के बारे में प्राचीन इतिहास का पता लगा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडी, शिमला ने संयुक्त रूप से पिछले दशक के अन्तर्गत अयोध्या, जिला फ़ैजाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्खनन करवाये।

(ख) और (ग) इन उत्खननों के परिणामस्वरूप, सातवीं शती ई० पू० के प्रारंभिक समय से उसके बाद के कालों तक के अवशेष, पुरावस्तुएं तथा मृद्भाण्ड प्रकाश में लाये गये हैं।

तिरूवेल्ला और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन की मांग

407. **श्री थम्पन थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व केरल की जनता से तिरुवेल्ला-त्रिवेन्द्रम के बीच वरास्ता पातनतिंत्ता–पुनाल्लूर-नेडवान्देगन आदि होकर एक नई रेल लाईन बिछाने के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां तो, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण रेलवे ने कोट्टारकरा के रास्ते वैकल्पिक मार्ग सहित कायनकुलम और तिरुवनन्तपुरम के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए चल रहे सर्वेक्षण और सुझाए गये संरेखण की तुलनात्मक जांच की है । रेलवे का मत है कि दोहरी लाइन बिछाने के बदले इस संरेखण पर विचार नहीं किया जा सकता है और इस पर नयी लाइन के रूप में अलग से विचार करना होगा जिसके लिए संसाधनों की अत्यधिक तंगी है ।

परिवार कल्याण विभाग का पुनर्गठन

408. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही } **:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव परिवार कल्याण विभाग का शीघ्र ही पुनर्गठन करने का है ताकि उसे संशोधित परिवार नियोजन नीति के अंतर्गत नई मांगों को पूरा करने और परिवार नियोजन पर जोर दिए जाने की आवश्यकता वाले विशिष्ट क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के योग्य बनाया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो संशोधित परिवार नियोजन नीति को कब तक अपनाया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । तथापि, कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार जब कभी आवश्यक समझा जाता है, विभागीय ढांचे और कार्यान्वयन तंत्र का उपयुक्त पुनर्गठन किया जाता है ।

सहयोग और परिवार कल्याण सम्मेलन में लिया गया निर्णय

409. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एस० एम० गुरुड्डी } क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1986 के दौरान सहयोग और परिवार कल्याण का एक दिन का सम्मेलन उनके द्वारा आयोजित किया गया था ,

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये हैं और ये निर्णय किस सीमा तक भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सुधार लाने में सहायक होंगें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री, (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां ।

(ख) शहरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनका अधिक से अधिक सहयोग लिया जा सके ।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्राथमिक स्तरों की सभी सहकारी इकाइयों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी क्रियाकलापों में पूरी तरह सम्मिलित किया जाएगा ; और प्लान्ड पेरेन्टहुड को बढ़ावा देने संबंधी प्रयासों को तेज किया जाएगा तथा परिवार कल्याण और जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित सभी सरकारी क्रियाकलापों को पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा । देश की लगभग 35,000 सहकारी संस्थाओं जिनके अंतर्गत 95 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आती है, लोकप्रिय होने के कारण यह आशा की जाती है कि उनके सहयोग से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों को स्वेच्छा से स्वीकार करने में काफी मदद मिलेगी और इस प्रकार घोषित लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित हो सकेगा ।

परिवार नियोजन के स्थाई तरीकों के स्थान पर अस्थाई तरीके अपनाने पर जोर

410. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला नसबन्दी और पुरुष नसबंदी जैसे परिवार नियोजन के स्थाई तरीकों के स्थान पर अस्थाई तरीके अपनाने पर जोर देने का विचार है ;

(ख) परिवार नियोजन के कार्यकरण में बार-बार परिवर्तन करना कितना सफल सिद्ध हुआ है और क्या इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं को कोई नुकसान हुआ है और राजकोष पर बेकार व्यय भार पडा है ;

(ग) सरकार द्वारा आरम्भ किये गये स्थाई तरीकों और अस्थाई तरीकों का ब्यौरा क्या है और उनमें बार-बार परिवर्तन करने के क्या कारण है ?

(घ) क्या नीति में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप गर्भपात के मामलों को प्रोत्साहन मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न हीं नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) वर्तमान परिवार कल्याण कार्यक्रम कैफेटेरिया अप्रोच पर आधारित है जिसके अन्तर्गत पात्र दम्पत्तियों को गर्भ निरोधन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जिन दम्पत्तियों का परिवार वांछित आकार का हो गया है, वे साधारणतया स्थायी तरीकों को अपनाना पसन्द करते हैं जबकि कम उम्र वाले दम्पती बच्चों के जन्म में अंतराल रखने वाले तरीके अपनाना पसन्द करते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के चलाने के बारे में सरकार की नीति यह है कि लोग इसे अपना कार्यक्रम समझकर स्वेच्छा से अपनाएं और किसी तरीके को अपनाना स्वीकारकर्ता की पसन्द पर छोड़ दिया गया है ।

विमान यात्रियों के सामान की जांच करने की नई प्रणाली

411. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रियों के सामान की जांच की कोई नई प्रणाली आरम्भ की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान कितने मामलों में दिल्ली में उतरने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हवाई विमानों में लावारिस सामान पाया गया ; और

(घ) विमानों में लादे जाने वाले लावारिस सामान की सम्भावना को दूर करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां ।

(ख) यह सुनिश्चित किए जाने के लिए उपाए किये जा रहे हैं कि आपरेटर ऐसे यात्री, जो पंजीकृत तो करवा लेते है परन्तु विमान पर सवार होने के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं का असबाब न रखें ।

(ग) सितम्बर, 1985 से सितम्बर, 1986 तक एक ऐसे मामले की रिपोर्ट की गई थी जिसके संबंध में दिल्ली में असबाब की पहचान के समय असबाब की कुछ मदें लावारिस पाई गईं।

(घ) चूंकि एयरलाइनों के लिए असबाब का यात्रियों के साथ सुमेलन करना अपेक्षित है, इसलिए विमान में लावारिस असबाबों के लादने की संभावना नहीं हो सकेगी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् का सम्मेलन

412. **श्री सोमनाथ रथ**
श्री यशवन्तराव गुडारन पाटिल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों के संयुक्त सम्मेलन ने सितम्बर, 1986 में संशोधित परिवार कल्याण संबंधी नीति को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सितम्बर, 1986 में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के संयुक्त सम्मेलन ने जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार कल्याण की नई कार्यनीति के प्रारूप में तैयार की गई विभिन्न प्रणालियों और विशिष्ट योजनाओं का समर्थन किया है।

(ख) कार्यनीति के कुछेक प्रमुख घटक और इस पर की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परिवार कल्याण विभाग

संशोधित कार्यनीति प्रारूप के मुख्य घटक और की गई कार्रवाई की नवीनतम स्थिति

घटक	की गई कार्रवाई
1	2
1. **परिवार नियोजन के अलावा उपाय** : यह सिफारिश की गई है कि महिलाओं की विवाह के समय औसत आयु, महिलाओं का स्तर, महिला साक्षरता, बच्चों के जीवित रहने की दर में वृद्धि, वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे कुछेक सामाजिक आर्थिक सहसम्बन्धों और गरीबी हटाने से संबंधित कार्यक्रमों पर बल दिया जाए।	महिलाओं की विवाह आयु बढ़ाने और निर्णय लेने में उन्हें बराबर का भागीदार बना कर उनका दर्जा बढ़ाने की मुख्य जिम्मेदारी महिला कल्याण विभाग की है। अन्य मंत्रालयों, विभागों के कार्यक्रमों के साथ आर्थिक कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय समितियां बनाने का प्रस्तावहै।
2. **आधार भूत ढांचा** : यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने हैं कि घटिया स्तर की सेवाओं, कर्मचारियों की अनुपलब्धता, प्रबन्ध के घटिया स्तर जैसी कमियों जिससे वर्तमान आधारभूत ढांचे का कम उपयोग होता है, दूर किया जाए।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी खाली पदों को भरने और परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर नजर रखने के लिए मंत्रि मंडलीय समितियां गठित करने की सलाह दी गई है। ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए संशोधित स्टाफिंग पैटर्न तैयार किया गया है और राज्य सरकारों को पर्याप्त छूट दी जाती है कि वे निर्देशन और प्रशासन के खर्च के लिए अधिकतम 7.5 प्रतिशत की बजट सीमा के अंतर्गत कर्मचारियों के बारे में अपनी जरूरतें बताएं।
3. **तकनीकी सेवाओं का उन्नयन** : सेवाओं की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करना होगा, सभी खण्ड स्तरीय प्राथमिक	लेप्रोस्कोपिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और वर्ष 1986–87 के दौरान 4 लेप्रोस्कोपिक

1	2
स्वास्थ्य केन्द्रों को परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए सज्जित करना होगा, चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण को सतत आधार पर चलाना होगा, परिवार कल्याण पर अधिक जोर देने के लिए चिकित्सा और परा-चिकित्सा के मौजूदा पाठ्यक्रमों में विस्तार करना होगा जिसमें जनसंख्या संबंधी तकनीकी और सामाजिक और जनांकिकी प्रभावों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।	प्रशिक्षण केन्द्रों की मंजूरी जारी कर दी गई है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को महिला नसबन्दी, मिनी कैप और पुरुष नसबन्दी आपरेशन करने के कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
4. स्वैच्छिक कार्य :	
संगठित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र सहकारिताओं आदि सहित गैर सरकारी पक्ष को बढ़ावा देना।	परिवार कल्याण कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड युनियनों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को शामिल करने संबंधी नीति तैयार करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में किये गये विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई निश्चित की गई और उस पर काम शुरू हो गया है।
5. समाज की भागीदारी :	
लोकप्रिय समितियां तथा ग्रामीण स्तर पर स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता बल स्थापित करना।	लोकप्रिय समितियों की स्थापना करने के लिए हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं और इस स्कीम के कार्यान्वयन में अब हम राज्यों के साथ सम्पर्क कर रहे हैं। महिला स्वैच्छिक कार्यकर्ता बलों की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शी आधार पर एक स्कीम तैयार करने का विचार किया जा रहा है।
6. गतिशीलता प्रदान करना, आपूर्ति और उपकरणों को कारगर बनाना।	नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वाहन प्रदान करने के प्रस्ताव पर संसाधनों के अभाव को देखते हुए विचार किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहनों से संबंधित आंकड़ों को तेजी से कम्प्युटरीकृत किया जा रहा है।
7. पात्र दम्पति रजिस्टर	एक संशोधित स्कीम विचाराधीन है।
8. कार्यक्रम समन्वय	समन्वय तंत्र विचाराधीन है।

1	2
9 अनुसंधान प्रबंध और मूल्यांकन : परिवार नियोजन अनुसंधान आपरेशनल अनुसंधान आदि को प्राथमिकता दी जानी है।	मनो सामाजिक अनुसंधान के परिणामस्वरूप उपलब्ध आंकड़ों को समेकित किए जाने का विचार है ।
--प्रबन्ध सूचना पद्धति	एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पद्धति के कार्यान्वयन का अध्ययन करने और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कदम उठाने की सफारिश करने के लिए संयुक्त सलाहकार योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । इस समिति ने देश के नार्थ ईस्ट भाग में इस पद्धति की पुनरीक्षा करने के लिए अपनी पहली बैठक शिलांग में की थी ।
--कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन	परिवार कल्याण कार्यक्रम का आई० आर० डी० पी० के सिद्धान्तों पर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं के संबंध में मूल्यांकन करने के लिए चुनिन्दा स्वावलम्बी संस्थानों को शामिल करने की एक स्कीम विचाराधीन है ।
--जन्म अन्तराल विधियां	निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान की अध्यक्षता में जन्म में अन्तराल रखने की विधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था । इस समिति की रिपोर्ट पर आग कार्रवाई की जा रही है । योजना लक्ष्यों के अन्तर्गत कार्य निष्पादन के उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ।
--पुनर्गठित ढांचा	एक माडल स्टाफिंग पैटर्न को अंतिम रूप दिया गया है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्देशन और प्रशासन के लिए स्टाफ हेतु उनकी जरुरतों और स्थानीय परिस्थितियों तथा इस मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शन सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव तैयार करें ।

[हिन्दी]

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सुविधाओं की कमी

413. **श्री राजकुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सुविधाओं की अत्याधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आपातकालीन वार्ड में एक ही बिस्तर पर दो से तीन मरीजों को रखा जाता है ;

(ग) क्या इसके परिणाम स्वरूप बीमारी फैलने का खतरा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) : यह केन्द्रीय सरकार का एक अस्पताल है और जो कोई रोगी यहां इलाज कराने आता है या उसे भर्ती करने की आवश्यकता होती है उसे भर्ती करने से मना नहीं किया जाता । इस अस्पताल में न केवल दिल्ली से बल्कि आस-पास के राज्यों के रोगी भी इलाज के लिए आते हैं। इस कारण भीड़ अधिक हो जाती है और यही सुविधाएं कम नजर आने का मुख्य कारण है । वैसे, आपात विभाग का हाल ही में पुनर्गठन कर दिये जाने के बाद इस स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । अब सामान्य और गैर-आपाती रोगियों के मुकाबले आपाती रोगियों को अन्तरंग रोगी के रूप में दाखिला देने में पहल की जाती है ।

(ग) पलंगों पर एक से अधिक रोगी रखने से रोगियों को एक दूसरे की बीमारी लगती है, इस सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । वैसे, यदि कोई ऐसा खतरा होता भी है तो हाल ही में किए गये सुधारों से ऐसे खतरे कम हो जायेंगे ।

(घ) चौबीसों घंटे बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था की गई है । एक सफाई समिति अस्पताल, विशेष कर आपाती विभाग की सेवाओं का निरीक्षण करती है जहां की सफाई व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो गया है ।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों के बारे में मेहरोत्रा समिति की सिफारिशें

414. **श्री आनन्द सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के संशोधित वेतनमानों के बारे में मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और प्रत्येक के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो सिफारिशों पर तुरन्त कार्रवाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन सिफारिशों और 1983 में सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की सिफारिशों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही) : (क) से (ग). जी, नहीं । मेहरोत्रा समिति की सिफारिशें, रिपोर्ट की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति के विचाराधीन है ।

(घ) 1983 में गठित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा शिक्षक आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों की सिफारिश नहीं की थी । अतः इस आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमानों की मेहरोत्रा समिति के वेतनमानों से तुलना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 का नवीन संरेखण

415. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 का अविलम्ब नवीन संरेखण करने की आवश्यकता की जानकारी है क्योंकि वारापूझा पुल के पूरा हो जाने पर पुडुपौनानी से इडापल्ली (केरल) पहुंचमार्ग पर यातायात बहुत बढ़ जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संरेखण को शीघ्र मंजूरी देने और इसके लिए धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां । चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल कुछ खण्डों को रिएलाइन करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 330 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है । कुछ खण्डों में सामान्य रूट एलाइनमेंट को स्वीकृति दे दी गई है। वारापुझा पुल को मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए पहुंच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण के काम को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उच्च प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक कर्मचारियों की नियुक्ति

416. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि इलैक्ट्रानिक और औषध आदि का व्यवसाय करने वाली अमरीका, जापान और स्वीडन की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उच्च प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक कर्मचारियों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले वेतनों की तुलना में अधिक वेतन देकर भर्ती कर रहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं कि उच्च प्रतिभाशाली वैज्ञानिक कर्मचारियों के विदेश जाने के बजाय उन्हें देश में ही अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों से पर्याप्त आकर्षण प्राप्त हो ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में बहुराष्ट्रिकों द्वारा भारत में इस प्रकार की कोई भी नियुक्ति नहीं आई है ।

(ख) विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपने वैज्ञानिक कार्मिकों को प्रदान किए गए वेतनों और अन्य लाभों की तुलना भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिकों को उपलब्ध वेतनों तथा अन्य लाभों के साथ करना अवास्तविक होगा। हमारी प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों के वेतनों तथा अन्य सेवा शर्तों की, सरकार के अधीन आयोजित सेवाओं के साथ व्यापक तुलना की जा सकती है।

बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियन्त्रण प्रणाली में सुधार

417. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंन्त्रण प्रणाली और विमान संचालन सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह किसी विकसित देश के सहयोग से किया जायेगा ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) दोनों ही स्थानों पर किये जाने वाले कामों में तकनीकी ब्लाकों का निर्माण और नीचे दिए गए उपकरणों की खरीद और उनके संस्थापन कार्य शामिल हैं —

(1) गौण निगरानी राडारों के साथ-साथ लम्बी परास के आधुनिक विमानक्षेत्र निगरानी राडार

(2) विमानक्षेत्र सतह खोजी उपकरण (ए०एस० डी० ई०)

(3) दूरी मापक उपकरण (डी०एम०ई०) के साथ टर्मिनल अति उच्चावृति सार्वदिशिक परास।

(4) दृश्य मार्गदर्शी प्रणाली से सम्बद्ध श्रेणी–2 उपकरण अवतरण प्रणाली।

(5) रेडियो डाटा प्रोसेसिंग फ्लाइट डाटा प्रोसेसिंग और ध्वनि नियंत्रक संचार प्रणाली। इसके अतिरिक्त बम्बई हवाई अड्डे पर टेक्सीपथ और उच्च गति निकास द्वारों का निर्माण किए जाने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली हवाई अड्डे पर डाप्लर अति उच्चावृति सार्वदिशिक परास, दृष्य मार्गदर्शी प्रणाली के साथ, श्रेणी–3 उपकरण अवतरण प्रणाली स्वचालित संदेश प्रेषण प्रणाली और धुंध हटाने और इससे सम्बद्ध उपकरण संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पटरी से उतरने के कारण मेट्रो रेल सेवा को स्थगित करना

418. **श्री रेणु पद दास** क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकता में 1 सितम्बर, 1986 को पटरी से उतरने के कारण मेट्रो रेल सेवा स्थगित कर दी गई ;

(ख) यदि हां, तो रेल के पटरी से उतरने के क्या कारण थे, और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने और निवारक उपायों को सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है।

दिल्ली विश्व विद्यालय की परीक्षाओं में अनियमितताएं

419. **श्री नित्यानन्द मिश्र**
श्री कमला प्रसाद सिंह } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के 50,000 छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन करने का अनुरोध किया है जबकि पिछले वर्ष 7,000 छात्रों ने इस आशय का अनुरोध किया था;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षाओं में अनियमितताओं के कुछ और मामले भी सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने की मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार पिछले वर्ष प्राप्त लगभग 6,000 आवेदन पत्रों की तुलना में इस वर्ष अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन के लिए लगभग 7,300 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति

420. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की : कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास बिना अध्यक्ष के कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने नए अध्यक्ष के बारे में निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है और वह कब तक कार्यभार संभाल लेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : जी नहीं । श्री कृष्ण कृपलानी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) नये अध्यक्ष की नियुक्ति से सम्बन्धित मामला सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार में नेहरू युवक केन्द्रों की गतिविधियां

421. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के रांची, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूमि और पालामऊं जिलों के नेहरू युवक केन्द्रों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त जिलों में जिला-वार गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) रांची और पालामऊं जिलों में नेहरू युवा केन्द्र अपने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए केन्द्रों को जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न कार्यकलाप कर रहे हैं । इन कार्यकलापों में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन; सड़कों की मरम्मत और गांव के तालाब की सफाई आदि के लिए कार्य शिविर; सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तथा साईकल मरम्मत आदि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र; जनजातीय लोक सांस्कृतिक प्रदर्शन; वालीबाल, कबड्डी आदि जैसे खेल; युवा क्लबों को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह आदि मनाना शामिल है । धनबाद में नेहरू युवा केन्द्र ने हाल ही में कार्य शुरू किया है और हजारीबाग तथा सिंहभूमि जिलों में केन्द्र अभी परिचालित किए जाने हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रांची और पालामऊं जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं --

वर्ष	जिला	खर्च की गई राशि
1983–84	पालामउं	1,19,500 रु०
	रांची	94,200 रु०
1984–85	पालामउं	1,59,400 रु०
	रांची	67,100 रु०
1985–86	पालामउं	1,81,300 रु०
	रांची	1,88,800 रु०

वर्ष 1986-87 के दौरान धनबाद में स्थापित नए नेहरू युवा केन्द्र को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 2.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

422. **श्री हरिहर सोरन**
श्री कटूरी नारायण स्वामी } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृति किस दर पर दी जाती है ;

(ख) क्या इन छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिक पूर्व छात्रवृति में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी गई पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति की वर्ष 1984-85 के लिए यथा सूचित दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग). कार्रवाई योजना में यह सुझाया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यापक दाखिले को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन्हें पर्याप्त बनाने के लिए छात्रवृत्ति की राशि और दरों को संशोधित किया जाएगा।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पूर्व मैट्रिक स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग दो योजनाएं चलाता है। जिनमें अन्यों के साथ-2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को पूर्व-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृतियां दी जाती हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृतियां। कक्षा VII से X तक के छात्रों के लिए छात्रवृति की दरें 30 रुपए प्रतिमाह और कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए यह दर 60 रूपए प्रतिमाह है। छात्रवासों में रहने वालों को 100 रु० प्रतिमाह की समान दर से छात्र वृतियां दी जाती हैं ।

(ii) अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृतियां : इस योजना में चुनिंदा अध्येताओं का सारा खर्च, जिसमें फीस, मैसे संबंधी प्रभार, जेबभत्ता, मंहगाई और यात्रा-भत्ते शामिल हैं।

(ख) कल्याण मंत्रालय उन छात्रों के लिए एक पूर्व-मैट्रिक छात्रवृति योजना चलाता है जिनके अभिभावक सफाई, चमड़ा कमाने तथा उसे उतारने आदि जैसे निम्नकोटि के धन्धों में लगे हुए हैं। इसमें भोजन तथा आवास तथा शिक्षा शुल्क और अन्य खर्चों को शामिल करने के लिए वर्ष में दस माह के लिए 200 रुपए से 250 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना में कक्षा VI से X के छात्र शामिल हैं।

(II) राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासन द्वारा

आंध्र प्रदेश	कक्षा 1 में 20 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 70 रुपए प्रतिवर्ष तक
असम	कक्षा 1 में 5 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 7.50 रुपए प्रतिमाह तक
बिहार	कक्षा 1 में 6 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 24 रुपए प्रतिमाह तक
गुजरात	कक्षा V में 40 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 100 रुपए प्रतिवर्ष तक
हरियाणा	कक्षा IX से XI में 20 रुपए प्रतिमाह
हिमाचल प्रदेश	कक्षा I में 2 रुपए प्रतिमाह से कक्षा 10 X में 10 रुपए प्रतिमाह तक
जम्मू और कश्मीर	कक्षा IV में 10 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 28 रुपए प्रतिमाह तक
कर्नाटक	कक्षा V में 75 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 100 रुपये प्रतिवर्ष तक
केरल	कक्षा I में 30 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 105 रुपए प्रतिवर्ष तक
मध्य प्रदेश	कक्षा VI में 150 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 225 रुपए प्रतिवर्ष तक
महाराष्ट्र	कक्षा I में 15 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 10 रुपए प्रतिमाह तक
मणिपुर	कक्षा III में 5 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 20 रुपए प्रतिमाह तक
मेघालय	कक्षा IV में 5 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 7 रुपए प्रतिमाह तक
नागालैंड	कक्षा II में 15 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 20 रुपए प्रतिमाह तक
उड़ीसा	कक्षा II में 55 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 75 रुपए प्रतिवर्ष तक
पंजाब	कक्षा VI में 5 रुपए प्रतिमाह से कक्षा XI में 25 रुपए प्रतिमाह तक

राजस्थान	कक्षा VI में 15 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 30 रुपए प्रतिमाह तक
सिक्किम	कक्षा I से X तक 8.50 रुपए प्रतिमाह तक
त्रिपुरा	कक्षा I में 10 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 30 रुपए प्रतिमाह तक
उत्तर प्रदेश	कक्षा I में 5 रुपए प्रतिमाह से कक्षा VIII में 8 रुपए प्रतिमाह तक
पश्चिम बंगाल	कक्षा V से X तक 20 रुपए प्रतिमाह]
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कक्षा I से VIII तक 10 रुपए प्रतिमाह
अरुणाचल प्रदेश	कक्षा IX और X के लिए 50 रुपए प्रतिमाह की योग्यता-छात्रवृत्ति
चंडीगढ़	कक्षा I से तक 10 रुपए प्रतिमाह
दादरा और नागर हवेली	कक्षा V से VII तक 20 रुपए प्रतिवर्ष]
दिल्ली	कक्षा V में 30 रुपए प्रति वर्ष से कक्षा X में 50 रु० प्रति वर्ष तक
गोवा, दमन और दीव	कक्षा V में 40 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 60 रुपए प्रतिवर्ष तक
लक्षद्वीप	कक्षा VIII से X तक 40 से 75 रुपए प्रतिमाह
मिज़ोरम	कक्षा VI में 12 रुपए प्रतिमाह से कक्षा X में 25 रुपए प्रतिमाह तक
पांडिचेरी	कक्षा VI में 150 रुपए प्रतिवर्ष से कक्षा X में 200 रुपए प्रतिवर्ष तक

टिप्पणी : ये दरें नितांत रूप से तुलनीय नहीं हैं। इन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त राज्य सरकारें छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्तियां भी प्रदान करती हैं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में उपेक्षित वर्गों की योग्यता छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्तियां तथा लड़कियों आदि की उपस्थिति छात्रवृत्तियां, वर्दियां, अपराह्न भोजन, अतिरिक्त-छात्रवृत्तियां भी प्रदान करती हैं।

सातवीं योजना के दौरान राज्यों में अन्तर्देशीय जलमार्ग का विकास

423. **डा० के० जी० अदियोडी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना के दौरान राज्यों में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी किलोमीटर में लम्बाई कितनी है और राज्यवार इसके लिये कितना वित्तीय नियतन किया गया है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास/सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के ब्यौरे, जलमार्गों की लम्बाई और वित्तीय आबंटन निम्न प्रकार हैं --

स्कीम का नाम	लम्बाई, कि० मी० में	वित्तीय आबंटन (करोड़ रुपये में)
1	2	3
चालू स्कीमें		
असम		
1. पाण्डु में स्लिपवे के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना . .	--	0.02
2. पाण्डु में स्लिपवे का निर्माण . .	--	0.98
गोवा		
3. नौचालन सम्बंधी साधनों (एड्स) की व्यवस्था .	--	0.06
कर्नाटक		
4. नई यांत्रिक नौकाओं द्वारा फेरियों का आधुनिकीकरण . . .	--	0.06
केरल		
5. नींदकारा-चेरियाझीकल जलमार्गों का सुधार .	14.00	0.21
नई स्कीमें		
आंध्र प्रदेश		
1. तमिलनाडु बार्डर और पेड्डागंजम लाक के बीच के प्रखंड में बकिंघम कैनाल का सुधार .	258.00	3.00
2. कोम्मामूर कैनाल का सुधार . .	113.05	
3. इलूरु कैनाल का सुधार . . .	141.74	
4. ककिनाडा कैनाल का सुधार . .	47.22	
बिहार		
5. गंडक और कोसी नदियों में जलीय सर्वेक्षण .	300.00 160.00	0.20

1	3	4
गोवा		
6. गंडवी, जुआरी और मापुसा की भारी ड्रैजिंग .	41 18 64	1.60
केरल		
7. उद्योगमंडल कैनाल का सुधार . .	23	0.95
8. ड्रेजर और वाटर हायासिंथ हार्वेस्टर का प्रबन्ध	—	1.45
9. चम्पाकारा कैनाल फेज-II का सुधार	14.17	1.00
तमिलनाडु		
10. बकिंघम कैनाल—एन्नोर से आ०प्र० बार्डर के बीच के प्रखंड का सुधार .	58.00	2.00
उत्तर प्रदेश		
11. गंगा, विशेष रूप से घाघरा के फीडर रूटों के विकास के लिए जलीय सर्वेक्षण और संभाव्यता अध्ययन	—	1.00
पश्चिम बंगाल .		
12. चयनित स्थानों (चित्रा-बॉउरिआ, अचीपुर-अलावेरिआ) पर हुगली नदी को पार करने हेतु नौकाघाट के लिए टर्मिनलों का निर्माण .	—	0.80

पणजी गोवा में टेलीविजन टावर के कारण विमानों को बाधा

424. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी, गोवा में नए टेलीविजन टावर के कारण सायंकाल देर से गोवा से बम्बई के बीच उड़ने वाले विमानों की उड़ान में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है;

(ग) क्या दूरदर्शन प्राधिकारियों को नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अपेक्षित था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, हां। दूरदर्शन प्राधिकारियों ने एक टी० वी० एण्टेना के संस्थापन के लिए एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया था। प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई की गयी और नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया था ।

त्रिभाषी फार्मूले में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

425. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत अपने विद्यमान त्रिभाषी फार्मूले में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यान्वित किए जाने वाले नए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए प्रस्ताव से राष्ट्रभाषा को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता को दोहराया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय खेल संस्थान के पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

426. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय खेल संस्थान (पटियाला) के पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र, की गांधीनगर में स्थापना के लिए सितम्बर, 1983 में एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांधीनगर के खेल कम्पलेक्स में फुटबाल, हाकी, बास्केटबाल, क्रिकेट, टेनिस जैसे विभिन्न खेलों के लिए खेल मैदानों सहित काफी बड़े खेल के कम्पलेक्स तथा औलम्पिक के आधार के तरणताल और ट्रेक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय खेल संस्थान के पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र की गांधी नगर में स्थापना करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या किसी अन्य राज्य ने भी इसके लिए दावा किया है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गांधी नगर में एन० आई० एस० का प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने का पहले ही निर्णय लिया गया है । गुजरात सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा संस्थान की सोसायटी (स्नाइप्स) को गांधी नगर में खेल काम्पलेक्स स्थानान्तरित नहीं किया है। जब भी यह हो जाएगा, तो एन० आई० एस० का केन्द्र कार्य करना शुरू कर देगा ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने भी अगस्त, 1985 में महाराष्ट्र में एन० आई० एस० पश्चिम केन्द्र से स्थान निर्धारण करने के अपने दावे का प्रस्ताव दिया था । अब भारत सरकार ने औरंगाबाद में एन० आई० एस० प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बसें

427. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही प्राइवेट बसों के कितने बेनामी मालिकों का पता लगाया गया है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने डी० टी० सी० रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिटों के अन्तर्गत चलने वाली प्रत्येक प्राइवेट बस में दो चालकों का रखा जाना सुनिश्चित किया;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही प्राइवेट बसों में अभी भी जोर से बजने वाले हार्नों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बसो में कैसेटों और रेडियो को चलाया जाता है और उनके वाहनों की दशा, विशेष रूप से कुशन की गद्दियां न होने, सीट बैक गन्दी होने और पकड़ने के डण्डे न होने की स्थिति अत्याधिक असन्तोषजनक है; और

(ङ) यदि हां, तो अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन निगम प्रचालन के अधीन अभी तक कोई भी प्राइवेट बसों का बेनामी मालिक अभिज्ञान नहीं हुआ है ।

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 65 में यह व्यवस्था है कि परिवहन यान का कोई भी चालक एक दिन में 8 घण्टे से ज्यादा कार्य करने के लिए अनुमत नहीं है । डी० टी० सी० और प्राइवेट प्रचालकों के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार प्राइवेट प्रचालकों के लिए सभी कानूनी धाराओं का पालन करना अपेक्षित है । प्राइवेट बस को तैनात करते समय प्रचालक से उसके द्वारा नियुक्त प्रचालकों के विवरण और फोटो की प्रतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में बस मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

दिल्ली प्रशासन भी इन कानूनी व्यवस्थाओं के उल्लंघन के मामले में एम० टी० ए० परमिटों के अधीन चलाई जाने वाली बसों के मालिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करता है ।

(घ) और (ङ). दिल्ली परिवहन निगम प्रचालन के अधीन प्राइवेट बस मालिकों को इन बसों में प्रशर-हार्न, सांगीतिक उपकरण आदि का प्रयोग न करने की स्थायी हिदायतें हैं। डी० टी० सी० के चैकिंग स्टाफ को इस पहलू पर सख्त निगरानी रखने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अनुदेश दिए गए हैं।

भारतीय कुष्ठ रोग विशेषज्ञ संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय वर्कशाप

428. **श्री चिंता मणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ रोगियों की अधिकतम संख्या वाले जिलों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या भारतीय कुष्ठरोग विशेषज्ञ संघ ने हाल ही में एक दो-दिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया था, यदि हां, तो भारत से कितने कुष्ठरोग विशेषज्ञों ने इस वर्कशाप में भाग लिया और अन्य किन-किन देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस में भाग लिया; और

(ग) इस रोग के उपचार के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 76 जिले।

(ख) जी, हां। 25 भारतीय विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। विदेशों के किसी भी विशेषज्ञ ने इस कार्यशाला में भाग नहीं लिया।

(ग) सुझावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

"कुष्ठ में प्रतिक्रियाओं" पर हुई कार्यशाला की सिफारिशें

1. प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण

1. यह पारित किया गया कि प्रतिक्रियाओं को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ;

(क) लेप्रोमायुक्त कुष्ठ रोगियों में पाए गए ई० एन० एल० संलक्षण (पहले की टाइप–II प्रतिक्रियाएं)

(ख) बॉर्डर लाईन रोगियों में पाई गई परिवर्तित प्रतिक्रियाएं (पहले की टाइप–I प्रतिक्रियाएं)

2. प्रतिक्रियाओं का निदान इस क्षेत्र के पी० एम० डब्ल्यू० द्वारा किया जाना है जिसे इसका उपचार भी शुरू करना चाहिए।

3. उत्क्रमन प्रतिक्रियाओं को मामूली अथवा तीव्र प्रतिक्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाए। तेज पीड़ा अथवा तेज कमी वाली इन सभी उत्क्रमन प्रतिक्रियाओं को प्रचण्ड प्रतिक्रियाओं के रूप में माना जाएगा। मन्द प्रतिक्रियाओं को इस क्षेत्र में प्रति दिन क्लोरोक्वीन की 300–500 मि० ग्रा० वाली खुराक इस्तेमाल कर के नियंत्रित किया जाना है। सरल

स्नायु कार्यकरण जांचों को रिकार्ड किया जाना होता है। यदि 5–7 दिनों में कोई फायदा नहीं होता अथवा यदि तीव्र उत्क्रमन प्रतिक्रिया हो जाती है तो रोगियों को आवश्यक फर्स्ट-एड देनी चाहिए। जिसमें एनलजेसिक का प्रयोग किया जाए और शरीर के रोगाक्रांत हिस्से को आराम दिया जाए। इसके बाद रोगियों को चिकित्सा अधिकारी के पास भेज देना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी को चाहिए कि वह इलाज स्टेरायड्स की भारी खुराक से शुरू करे और इसके साथ रोगाक्रांत भाग को आराम देने के लिए स्लिंग/स्प्लिण्ट और/अथवा पट्टी बांध दे। यदि एक सप्ताह के अन्दर स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है तो मरीज को कुष्ठ अस्पताल (अस्थायी हास्पिटलाइजेशन वार्ड) अथवा विशिष्ट कुष्ठ संस्थाओं में भेज दिया जाना चाहिए। हास्पीटल से छुट्टी मिलने पर अर्ध चिकित्सा कार्मिक को चाहिए कि वह अस्पताल के डाक्टरों द्वारा बताए अनुसार स्टेरायड टेंपरिंग को देखें।

4. तथाकथित विलम्बित प्रतिक्रियाओं को, जो इलाज के रोकने के बाद पैदा होती हैं, दुबारा रोग हुआ समझना चाहिए और फिर से इलाज शुरू कर देना चाहिए।

5. ई० एन० एल० सिंड्रोम को मामूली और धीमी/तीव्र के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

6. मामूली ई० एन० एल० के इलाज में एनलजेसिक और क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाए। मामूली और तीव्र ई० एन० एल० वाले रोगियों को चिकित्सा अधिकारी के पास स्टेरायड के अल्पकालिक इलाज के लिए भेज दिया जाए। इनमें मामूली ई० एन० एल० के वे रोगी भी शामिल हैं जिनकी स्थिति में फील्ड में 5–7 दिन तक इलाज करने पर भी सुधार नहीं होता। तीव्र ई० एन० एल० और स्नायु और नेत्र समस्याओं वाले रोगियों को तत्काल डाक्टर के पास भेज देना चाहिए जो बाद में उन्हें अस्थायी हास्पिटेलाइजेशन वार्ड में भेज सकता है।

7. कुष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए विस्तृत वितरण करने के लिए "कुष्ठ में स्टेरायड" के उपयोग पर एक आलेख तैयार किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण केन्द्रों को स्टेरायड्स के उपयोग पर दिशा-निर्देश भी दिए जाने चाहिएं। प्रतिक्रिया के क्षेत्रीय नियंत्रण पर ओरिएण्टेशन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने की जरूरत है।

मोटर वाहन कराधान कानून के सम्बन्ध में सिफारिशें

429. **श्री एच० वी० पाटिल :** क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से अपने मोटर वाहन कराधान कानून में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). सड़क-टेक्स के भुगतान को युक्तिसंगत बनाने और इसकी वसूली की मानीटरिंग करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वाहनों की खरीद के साथ सड़क टैक्स को एकमुश्त वसूल कर लेने का सुझाव दिया है। परिवहन मंत्रियों की एक विशेष

बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन के पश्चात् इस मंत्रालय ने राज्य सरकार /संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने संबंधित मोटरयान कराधान कानूनों/नियमों में आवश्यक संशोधन करके, कार, मोटर साईकिल, स्कूटर, मोपेड आदि निजी वाहनों पर एक ही बार टैक्स एकत्र करने के निर्णय को क्रियान्वित करें ।

बम्बई दिल्ली रेलवे लाईन का विद्युतीकरण

430. **श्री एच० वी० पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई–दिल्ली रेलवे लाइन का वर्ष 1987 तक विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कार्य शुरू किया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) (क) से (ग). 1987 तक केवल पश्चिम रेलवे मार्ग से बम्बई-दिल्ली रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बम्बई छोर से बम्बई-रतलाम खंड और दिल्ली छोर से दिल्ली-मथुरा-बयाना खंड पहले ही उर्जित किया जा चुका है ।

[हिन्दी]

मोतीहारी, बिहार में गांधी जी विश्वविद्यालय

431. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार मोतीहारी (बिहार) में गांधी जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का है,जहां गांधी जी ने सक्रिय रूप से कार्य किया था और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सोनपुर डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर अपर्याप्त यात्री सुविधायें

432. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर वहां शेडों के असन्तोषजनक रख-रखाव, पेयजल की कमी और अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा टिकट खिड़कियों पर कुप्रबन्ध के कारण जिससे यात्रियों को असुविधा होती है, उस डिविजन के विभिन्न स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री वर्ष प्रति वर्ष कम होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार का वहां स्थिति में सुधार करके उचित रेल सेवा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और वहां स्थिति में सुधार करने सम्बन्धी योजना की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए बीमा योजना

433. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों की मृत्यु हो जाने अथवा उन्हें गम्भीर रूप से शारीरिक चोट लगने पर उनकी सहायता करने की दृष्टि से खिलाड़ियों का बीमा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के कब से लागू किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्यमंत्री (श्री मती मारग्रेट अल्वा) : (क) भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार व्यक्तिक दुर्घटना बीमा की व्यवस्था तथा सीमित चिकित्सा खर्च की योजना तैयार की गई है जिसमें खेल व्यक्ति भी शामिल हैं।

(ख) एशियाई खेल 1986 के लिए खेल व्यक्तियों के लिए स्वीकृत योजना के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

पालिसी के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में सम्मिलित खेल व्यक्ति और ऐसे खेल व्यक्ति शामिल हैं, जो प्रत्येक के लिए एक लाख रुपये की मूल बीमा राशि के लिए स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्तिम रूप से लिए चुने गए हैं।

निम्नलिखित लाभ हैं :—

मृत्यु, दो अंग अथवा दो नेत्रों की हानि, एक अंग तथा एक नेत्र तथा अन्य किसी प्रकार की कुल अस्थाई अपंगता के लिए	सी० एस० आई० का 100%
एक अंग अथवा एक नेत्र की हानि	सी० एस० आई० का 50%
स्थाई आंशिक अपंगता	चोट के प्रकार के आधार पर सी० एस० आई० की भिन्न-भिन्न प्रतिशतता।
अस्थाई कुल अपंगता	अधिकतम 104 सप्ताह तक प्रति सप्ताह सी० एस० आई० का 1% परन्तु यह सी० एस० आई० से अधिक न हो।
दुर्घटना से उत्पन्न चोट के उपचार के लिए चिकित्सा खर्च	सी० एस० आई० का 10% अथवा स्वीकार्य दावे का 25% जो भी कम हो।

कोल्हापुर और मीरज के मध्य शटल सेवा

434. **श्री आर० एस० माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छात्रों और विक्रेताओं के हित में कोल्हापुर मीरज के मध्य शटल सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महालक्ष्मी और सह्याद्रि एक्सप्रेस गाड़ियों में अतिरिक्त सीटें

435. **श्री आर० एस० माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल्हापुर और मीरज रेल लाइनों के बीच सभी स्टेशनों पर महालक्ष्मी और सह्याद्रि एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रथम और दूसरी श्रेणी की अतिरिक्त सीटों के लिए लम्बे समय से की जा रही मांग पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से कार्यान्वित किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) बम्बई वी० टी० पर पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण, महालक्ष्मी और सह्याद्रि एक्सप्रेस गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। इसी प्रकार कोल्हापुर और मिरज स्टेशनों के बीच के स्टेशनों के लिए फिलहाल इन गाड़ियों में अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में नवोदय स्कूल

436. **श्री एस० पलाकोंडायुडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पूर्वत: कुल कितने नवोदय स्कूल चल रहे हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कितने नवोदय स्कूल खोले जाने हैं; और

(ग) सातवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश में नवोदय स्कूलों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले चार नवोदय विद्यालयों अर्थात् नालागोण्डा, चित्तूर, निजामाबाद, और करीम नगर में प्रत्येक जिले में एक-एक नवोदय

विद्यालय संस्वीकृत किया गया है और वर्ष 1987-88 के लिए सात नवोदय विद्यालय अर्थात् पूर्व गोदावरी अदिमाबाद, अनन्तपुर, मेडक, प्रकाशम, विजागा और कुरनूल में प्रत्येक जिले में एक-एक नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किया गया है । वर्ष 1986-87 के लिए संस्वीकृत नवोदय विद्यालयों को नवम्बर/दिसम्बर, 1986 से कार्य आरंभ करने की आशा है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

(ग) निधियों का कोई राज्यवार आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है ।

काचेगुडा और निजामाबाद के बीच रेल लाइन

437. **श्री एस० पलाकोंड्रायुड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश (दक्षिण-मध्य रेलवे) में काचेगुडा से निजामाबाद के बीच बड़ी रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के आरम्भ होने की सम्भावित तारीख क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"यूनेस्को" के साथ सहयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन

438. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनेस्को" के साथ सहयोग के लिये राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं तथा उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके गठन की तारीख क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पिछले आयोग द्वारा प्रकाशन सहित, यदि कोई है, कौन-कौन से कार्य किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की उपाधि, जो चार वर्ष के लिए है, 1985 के अन्त में समाप्त हो गई । आयोग की सदस्यता दो कोटियों की है : (i) व्यक्तिगत और (ii) संस्थागत । आयोग की नई सदस्यता को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के मुख्य कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोग के चार्टर में इन निकायों के दो अनिवार्य पहलुओं पर जोर दिया गया है : यूनेस्को के कार्यकलापों में विभिन्न मंत्रालयीय विभागों, एजेंसियों, संस्थाओं, संगठनों और शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के विकास के लिए कार्यरत व्यक्तियों को शामिल करना, "एक दूसरे के साथ सहयोग करना और यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालयों और शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना में क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने वाले केन्द्रों के साथ विशेषकर कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से तैयार और कार्यान्वित करके सहयोग प्रदान करना"। भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा इसके विविध कार्यकलापों को लागू करते हुए इन दोनों कार्यों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया। आयोग ने अपनी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर न केवल समन्वय एजेंसी के रूप में निभायी बल्कि एशिया और प्रशान्त के राष्ट्रीय आयोगों के साथ सहयोग किया तथा क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाले यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालयों और यूनेस्को परियोजनाओं और कार्यकलापों में बेहतर सूझबूझ लाने के लिए सहयोग किया। राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क निकाय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने व्यक्तियों को प्रेरित करने और विभिन्न विषयों से सम्बंधित संस्थानों को संयुक्त विचारधारा में और विशेषज्ञों को यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामजद करके संयुक्त कार्रवाई को प्रेरित कर अपना कार्यक्रम जारी रखा। इसने यूनेस्को द्वारा अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन और उनकी सिफारिश करने, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, प्रयोगशालाओं में सदस्य राज्यों के यूनेस्को अध्येताओं की तैनाती तथा विशिष्ट स्वरूप के विशेष अध्ययनों को आरम्भ करने के लिए भारत में विशेषज्ञों और संस्थाओं को यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुबन्धों के निष्पादन के साथ-साथ यूनेस्को के सहभागी कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित निधियों के संचालन में भी यूनेस्को की सहायता की है।

गत तीन वर्षों के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कुछ प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित में भाग लेने से संबंधित हैं :—(i) 1983 और 1985 में क्रमशः पेरिस तथा सोफिया में "आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन का 22वां तथा 23वां सत्र, (ii) शिक्षा के लिए यूनेस्को संस्थान के शासी बोर्ड, हेमबर्ग का 36वां सत्र, (iii) संचार के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की अन्तर सरकारी परिषद्, (iv) अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए शिक्षा संबंधी बहुपक्षीय विचार-विमर्श, (v) शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 39वां सत्र (vi) विकास के लिए शिक्षा नवीकरण के एशियाई कार्यक्रम की 9वीं क्षेत्रीय सलाहकार बैठक, (vii) एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोग का 8वां क्षेत्रीय सम्मेलन, (viii) शिक्षा मंत्रियों और एशिया तथा प्रशान्त में आर्थिक योजना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का 5वां क्षेत्रीय सम्मेलन, (ix) क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का तीसरा सत्र। इस अवधि के दौरान, यूनेस्को के महानिदेशक के निमंत्रण पर भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जून, 1985 में पेरिस में स्थित यूनेस्को मुख्यालय का दौरा किया।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने देश में यूनेस्को कूपन कार्यक्रम, जन सूचना कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने, यूनेस्को क्लब अभियान और सम्बद्ध स्कूल परियोजना का समन्वयन जैसे कार्य भी प्रारम्भ किये।

आयोग ने निम्नलिखित प्रकाशन भी निकाले :—

(1) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के महा सचिव की रिपोर्ट।

(2) यूनेस्को की मासिक पत्रिका "कुरियर" के हिन्दी और तमिल संस्करण।

(3) भारतीय राष्ट्रीय आयोग का "न्यूजलैटर"।

विवरण

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्य।

(क) भारत गणराज्य के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों और कार्यों की सूझ-बूझ को बढ़ावा देना;

(ख) शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की प्रगति के कार्यों से सम्बन्धित संस्थाओं और भारत सरकार के बीच सम्पर्क एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(ग) यूनेस्को के अधिकार के अन्दर आने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित विभागों, संगठनों और सेवाओं तथा सरकारी विभागों के साथ सहयोग करना;

(घ) यूनेस्को के कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और विभिन्न व्यक्तियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना ताकि यूनेस्को के लिए सभी तरह की यथा आवश्यक बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध हो सके;

(ङ) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना विशेषकर कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से तैयार करने और निष्पादित करने हेतु क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशान्त राष्ट्रीय आयोग तथा यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रों के साथ सहयोग;

(च) यूनेस्को के उद्देश्यों, कार्यक्रमों और कार्यों से संबंधित सूचना का प्रसार तथा इनमें लोगों की रुचि को जागृत करने का प्रयत्न करना; और

(छ) भारत सरकार को यूनेस्को से सम्बन्धित मामलों में सलाह देना।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की संरचना और कार्य

439. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने इन केन्द्रों की संरचना और कार्यों के सम्बन्ध में विशेषत: संघटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्कृति के संवर्धन के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक केन्द्र का स्पष्ट प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या है और प्रत्येक केन्द्र की संरचना किस प्रकार की है और उसके क्या कार्य हैं तथा संबंधित राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके वित्त पोषण का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी केन्द्र ने राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रिका/समाचार पत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारतीय संस्कृति के सृजनात्मक विकास के लिए हाल ही में स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं। प्रत्येक केन्द्र का अपना ही संघ का ज्ञापन-पत्र तथा नियम एवं विनियम हैं, जिनमें सोसाइटी के उद्देश्य, इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्राधिकार तथा इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य मोटे तौर पर निर्धारित किए गए हैं।

(ख) इन केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों पर बल देना है जिनका विस्तार प्रादेशिक और भाषाई सीमाओं के बाहर भी हो और जिनमें विभिन्न राज्यों के स्वरूपों तथा शैलियों की अद्वितीयता ही प्रतिबिंबित न हो बल्कि संयुक्त रूप से मिश्रित भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी हो। कोई भी राज्य एक-से अधिक केंद्रों में शामिल हो सकता है। जहां तक वित्त पोषण के स्वरूप का सम्बन्ध है, केंद्रीय सरकार भवन, उपकरणों और अवस्थापना आदि के लिए अनावर्ती व्यय की व्यवस्था करेगी। भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य से यह आशा की जाती है कि वह आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाली अक्षय निधि के लिए एक करोड़ रुपए का अंशदान देगा।

(ग) और (घ) : केवल उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने 1986-87 के लिए अपने कार्यकलापों की सूची में यह दर्शाया है कि वह रूपंकर तथा निष्पादन कलाओं पर पत्रिकाएं प्रकाशित करने का विचार रखता है। केंद्र द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं की भाषा के बारे में नहीं बताया गया है।

वातानुकूलित शयनयानों की कमी

440. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मीटर गेज लाइन पर वातानुकूलित शयनयानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग के पास इस समय वास्तव में ऐसे कितने यान उपलब्ध हैं।

(ग) क्या इन यानों के निर्माण के लिये नए क्रयादेश दिये गये हैं ताकि इनकी कमी दूर की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो वास्तव में कितने यानों के निर्माण के लिये क्रयादेश दिये गये हैं तथा उनके किस तारीख तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) दस डिब्बे।

(ग) और (घ) : वर्ष 1986-87 के दौरान मीटर लाइन के 20 वातानुकूलित 2-टियर शयनयानों के निर्माण की योजना बनायी गयी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

441. डा० सुधीर राय क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये नई सिंचाई सुविधाएं पैदा करने और उनका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर कब कार्यवाही की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) निर्माणधीन तथा नई सिंचाई स्कीमों के माध्यम से सातवीं योजना के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 3.83 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का प्रस्ताव है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेंगी।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह के आन्तरिक और बाहरी पत्तन क्षेत्र में खतरनाक रसायनों के भंडारण के लिए स्थान

442. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति क्या जलभूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशाखापत्तनम पत्तन न्यास प्राधिकारी खतरनाक रसायनों के भण्डारण के लिये गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को आन्तरिक और बाहरी बन्दरगाह क्षेत्रों में स्थान आवण्टित करते हैं;

(ख) ऐसे कितनी यूनिटों को स्थान आवंटित किये गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खतरनाक रसायनों को उठाने-धरने और इनका भण्डारण करने वाली यूनिटें असैनिक आबादी और नौसैनिक रक्षा बलों के रिहायशी क्षेत्रों के बहुत समीप हैं;

(घ) क्या पत्तन-प्राधिकारी मालवाही जहाजों द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस की ढुलाई के लिये हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को स्थान आवंटित करने पर विचार कर रहे हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने दो एककों को स्थान आवंटित किये हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स/कैमीकल्स के निर्माण और उत्पादन में रत हैं और दो एककों का अभी कैमीकल्स संबंधी उत्पादन चालू करने का प्रस्ताव है। ये इस प्रकार हैं :—

(i) मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०—99 वर्ष की लीज पर 511.03 एकड़।

(ii) मैसर्स कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लि०—50 वर्ष की लीज पर 490.52 एकड़।

(iii) मैसर्स आन्ध्र पैट्रो कैमीकल्स लि०—30 वर्ष की लीज पर 75 एकड़। यह एकक अभी चालू होना है।

(iv) मैसर्स गोदावरी फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लि०—30 वर्ष के लीज पर से 4.1104 हैक्टेयर। यह एकक अभी चालू होना है।

जहां तक इन एककों के आवासीय क्षेत्रों के निकट होने या न होने की बात है सभी एककों के लिए यह आवश्यक है कि वे सुरक्षा संबंधी पूर्वोपायों के बारे में वर्तमान कानूनों और विनियमों के अनुरूप मुस्तैदी से अनुपालन करें।

(ख) पोर्ट प्राधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए स्थान के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोलावरम परियोजना

443. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को पोलावरम परियोजना के बारे में आन्ध्र प्रदेश से सरकार से सभी स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पोलावरम परियोजना को कब तक अंतिम स्वीकृति दे दिए जाने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्रांस और अमेरिका में हुए भारत महोत्सव में प्रदर्शित मूर्तियों को क्षति

444. **श्री एस० जयपाल रेड्डी**
श्री शरद दिघे
प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री हरिहर सोरन } : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस और अमरीका में भारत महोत्सव में प्रदर्शित किये जाने के लिये भेजे गये चित्रों और मूर्तियों में से लगभग सात बहुमूल्य चित्र और मूर्तियां, जिनमें दीदारगंज की यक्षी भी शामिल है, क्षतिग्रस्त हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वर्ण मंडित हुक्का अभी तक कलकत्ता स्थित संग्रहालय को लौटाया नहीं गया है;

(ग) क्या इस क्षति के कारणों का पता लगाने के लिये जांच के आदेश दिये गये हैं अथवा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच-परिणाम क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा साही : (क) संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस में भारत महोत्सव की प्रदर्शनियों के लिए भेजी गई छब्बीस कला वस्तुएं, जिनमें दीदारगंज यक्षी भी शामिल है, कुछ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक वस्तु अर्थात् हुक्के की मूनाल भारत महोत्सव के लिए भेजने से पहले गायब थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : इस क्षति से संबंधित परिस्थितियों की जांच करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने के आदेश राष्ट्रीय संग्रहालय को दे दिये गये हैं। कार्रवाई की जा रही है।

नई "जनरल सेल्स एजेंसी" की नियुक्ति

445. **श्री एस० जयपाल रेड्डी क्या नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने पहली सेल्स एजेंसी समाप्त करने के छः महीनों के भीतर एक नई "जनरल सेल्स एजेंसी" नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया के राजस्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जिसमें गिरावट आ गई थी, एयर इंडिया ने सामान्य विक्रय एजेंट की नियुक्ति की प्रणाली को अपनाने के बारे में एक ठोस निर्णय ले लिया है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण को एक जन आन्दोलन बनाने के लिए नये सुझाव

446. **श्री राम प्यारे सुमन**
श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री जनवारीलाल पुरोहित
श्री गुरुदास कामत } क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का तेजी से बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई कारगर उपाय करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने परिवार कल्याण की एक जन आंदोलन बनाने के लिए किसी नये सुझाव, नीतियों पर विचार किया है, या कर रही है और यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले तीन वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के राज्यवार कार्य निष्पादन का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल० टी० 3195/86)**

(ख) और (ग) जनसंख्या-वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की एक सुस्पष्ट कार्यनीति पहले ही चलाई जा रही है। वर्तमान कार्यनीति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं---नवीनतम संचार प्रणालियों के द्वारा गर्भ निरोधन की मांग बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनका विस्तार करना, स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करके अधिकाधिक सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देना, जनसंख्या शिक्षा का विस्तार करना, बच्चों के जीवित रहने की दर में वृद्धि करना और कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार लाना।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए एक संशोधित कार्यनीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं---(1) परिवार कल्याण और अन्य सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच बहु-क्षेत्रीय संबंध विकसित करना (2) सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों में व्यावसायिकता उत्पन्न करना (3) जन समितियों का गठन करके पूर्ण सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना (4) कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार करना और विशिष्ट क्षेत्र और वर्ग विशेष दृष्टिकोण अपनाना और (5) सेवाओं की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करना।

फैजाबाद जिले के रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण

447. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों का हाल में डिवीजनल रेलवे प्रबंधक, लखनऊ द्वारा निरीक्षण किया गया था और यदि हां, तो कौन-कौन से स्टेशनों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय क्या-क्या कमियां पाई गईं;

(ख) क्या इस बीच उन कमियों को दूर कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार दीर्घावधिक के आधार पर शीघ्र ही कुछ प्रभावी उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) (क) से (घ) जी हां ! फैजाबाद जिले के तीन रेलवे स्टेशनों, नामत : अकबरपुर, मालीपुर और जफरगंज, का मण्डल रेल प्रबन्धक, लखनऊ द्वारा हाल में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण का ब्यौरा तथा उस पर की गयी कार्रवाई का विवरण एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

नवोदय स्कूल खोलने के बारे में प्रगति

448. **श्री शरद दिघे :**
श्री मुकुल वासनिक :
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री हुसैन दलवाई :
} क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय स्कूलों की स्थापना के संबंध में राज्यवार अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन स्कूलों में कब तक पंजीकरण शुरू हो जाने की आशा है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) (क) वर्ष 1985–86 में दो नवोदय विद्यालय—एक झज्जर (हरियाणा) और दूसरा अमरावती (महाराष्ट्र) में खोले गये थे। वर्ष 1986–87 के लिए 81 विद्यालय तथा वर्ष 1987–88 के लिए 29 विद्यालय पहले ही संस्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 1987–88 में, संलग्न विवरण के अनुसार, 120 से 150 नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1986-87 में संस्वीकृत विद्यालयों के नवम्बर तथा दिसम्बर, 1986 के माह में शुरू होने की संम्भावना है।

(ग) एक स्वायत्त संगठन एक समिति के रूप में फरवरी, 1986 में पंजीकरण के पश्चात् अस्तित्व में आया। नवोदय विद्यालयों को खोले जाने की एक संशोधित योजना को अप्रैल, 1986 में अन्तिम रूप दिया गया। इस वर्ष 81 स्कूलों को खोले जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भूमि के अधिग्रहन, स्कूलों तथा हालों के लिए भवन, प्रिंसिपलों तथा

अध्यापकों की भर्ती तथा स्कूल फर्नीचर आदि मुहय्या कराए जाने सहित पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य किया जाना अपेक्षित है। इन कार्रवाइयों को, चूंकि संगठन को स्थापित किये जाने के बाद और योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही शुरू किया जा सकता है, अतः इस वर्ष स्कूलों को खोलने में कुछ विलम्ब हुआ है।

विवरण

1986–87 और 1987–88 में स्थापित किये जाने वाले नवोदय विद्यालयों की संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत विद्यालयों की संख्या		स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	उन विद्यालयों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जिन्हें 1987–88 में खोला जायेगा
	1985–86	1986–87	1987–88	
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	—	4	7	4 से 5
असम	—	0	0	2 से 3
बिहार	—	7	2	8 से 10
गुजरात	—	2	—	3 से 5
हरियाणा	1	2	—	2 से 3
हिमाचल प्रदेश	—	4	1	2 से 3
जम्मू और कश्मीर	—	7	7	कुछ नहीं
कर्नाटक	—	5	2	4 से 6
केरल	—	4	—	4 से 6
मध्य प्रदेश	—	7	—	8 से 10
महाराष्ट्र	1	6	—	8 से 10
मणिपुर	—	—	1	1 से 2
मेघालय	—	3	—	1 से 2
नागालैंड	—	—	—	1 से 2
उड़ीसा	—	5	—	4 से 5
पंजाब	—	3	—	4 से 5
राजस्थान	—	5	—	5 से 7
सिक्किम	—	—	—	2 से 4
तमिलनाडु	—	—	—	2 से 6

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	—	—	—	1
उत्तर प्रदेश	—	10	5	12 से 15
पश्चिम बंगाल	—	—	—	4 से 6
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	1	—	1
अरुणाचल प्रदेश	—	1	4	2 से 4
चण्डीगढ़	—	—	—	1
दिल्ली	—	—	—	2
गोवा, दमन और दीव	—	1	—	2
दादर और नागर हवेली	—	1	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	1
मिजोरम	—	—	—	1
पांडिचेरी	—	2	—	1 से 2
	2	81		

मद्रास हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स की एयर बस का दुर्घटनाग्रस्त होना

449. श्री शरद दिघे
श्री सुभाष यादव :
श्री महेन्द्र सिंह
श्री यशवंतराव गडाख पाटिल
श्री बल्लभ पाणिग्राही
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री मानक रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सोडे रमैया
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
श्री विलास मुटेमवार
डा० कृपा सिंधु भोई
श्री सरफराज अहमद
डा० बी० एल० शलैश

: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान बम्बई जाने वाली एयर बस के हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इन निष्कर्षों के अनुसरण में कोई कदम उठाए गये हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क), से (ग) : दुर्घटना की जांच करने के लिए वायुयान नियमावली के अधीन एक दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्ति की गई है। जांच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(घ) विमान को इतनी क्षति पहुंची है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है और यह पूरा नुकसान माना गया है। विमान का 20 मिलियन अमरीकी डालर का बीमा कराया हुआ था।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा संयुक्त बेड़ा आयोजना और विमान सेवा संचालन की योजना

450. **श्री शरद दिघे** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स के लिए संयुक्त बेड़ा आयोजना समेकित, मार्ग तालिका निर्धारण संयुक्त तालिका प्रबंध और उपलब्ध इंजीनियरी तथा रख-रखाव सुविधाओं के संयुक्त उपयोग के लिए योजना तैयार करने हेतु 16 जुलाई 1986 को नियुक्त किये गये दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये हुए ग्रुप ने कुछ सुझाव दिए थे। ये मुख्य रूप से, अतिरिक्त क्षमता के अच्छे सदुपयोग, संयुक्त रूप से अनुसूचित उड़ान, एक दूसरे की सुविधाओं के साझे सदुपयोग, भू-सहायक उपस्करों के सामूहिकीकरण, एक-दूसरे की सेवाओं तक पहुंच, आरक्षण/बिक्री विपणन और सुरक्षा आदि के क्षेत्र में दोनों एयर-लाइनों के बीच अधिकाधिक सहयोग के बारे में व्यापक अध्ययन से संबंधित है।

उपर्युक्त सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

एशियाई खेल-स्टेडियम में आय और उन पर किया जाने वाला व्यय

451. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्येक एशियाई खेल स्टेडियम मे कितनी आय हुई और उन पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) इनमें से प्रत्येक स्टेडियम का अधिक उपयोग किये जाने के संबंध में यदि कोई प्रस्ताव है तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रत्येक एशियाड स्टेडियम के अधिक प्रयोग के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण के विचाराधीन हैं :—

(I) ऐसे स्टेडियम में अधिक सुविधाओं का सृजन करना, जहां स्थान उपलब्ध है;

(II) दिल्ली के स्कूलों को स्टेडियमों में नियमित प्रशिक्षण के लिए अधिक छात्रों को भेजने के लिए प्रेरित करना; और

(III) विशेष कार्यक्रम परिचालित करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शरद् ऋतु के दौरान जब परिचालन की लागत बहुत कम है, इन्दिरा गांधी स्टेडियम में सम्बन्धित खेल संघों के सहयोग से जूनियर/उप जूनियर खेल व्यक्तियों के लिए जिम्नास्टिक, वालीबाल, बास्केट-बाल, बैडमिन्टन और टेबल टेनिस में विशेष प्रशिक्षण शिविर भी शामिल है।

विवरण

वर्ष 1984–85, 1985–86 और 1986–87 (सितम्बर 1986 तक) के दौरान प्रत्येक एशियाड स्टेडियम पर अर्जित राजस्व और किया गया खर्च

क्र० सं०	स्टेडियम	राजस्व			व्यय		
		1984–85	1985–86	1986–87 (सितम्बर 1986 तक)	1984–85	1985–86	1986–87 (सितम्बर 1986 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
							(रुपये लाखों में)
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	7.53	7.59	2.67	67.33	100.64	57.72*
2.	तालकटोरा तरण ताल	1.69	1.74	0.78	32.70	36.41	18.81

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हौजखास लॉन टेनिस स्टेडियम	0.04	0.13	0.09	0.92	2.44	0.36[1]
4.	यमुना वैलोड्रम	1.90	0.65	0.55	3.88	10.40	7.04
5.	तुगलकाबाद शूटिंग रेंजिज	0.04	0.02	0.008	9.29	14.01	6.22
6.	नेशनल स्टेडियम	0.22	0.28	0.15	7.67	19.42	2.81
7.	आई० जी० स्टेडियम						
	(i) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा	6.48	5.60	2.32	101.38	160.14	59.85
	(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा	0.52	0.35	0.12	1.11	—	—
	कुल :	18.42	16.36	6.688	224.28	343.46	152.81

इसके अतिरिक्त वर्ष 1984-85 के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हौजखास लॉन टेनिस स्टेडियम, यमुना वैलोड्रम तथा तुगलकाबाद शूटिंग रेंजिज के बारे में दिल्ली नगर निगम को सम्पत्ति कर/सेवा प्रभार के लिए 75 लाख रुपये की राशि दी गई है।

*इसमें राष्ट्रीय तथा हौज़खास लॉन टेनिस स्टेडियम के लिए अनुरक्षण अनुदान शामिल है।

[1]इससे अनुरक्षण अनुदान शामिल नहीं है।

सड़क दुर्घटनाओं की दर के बारे में अध्ययन

452. श्री सी० जंगा रेड्डी :
डा० ए० के० पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन तथा आयोजना अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये अध्ययन के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना की दर विश्व में पहले से ही सबसे अधिक रही है और अभी यह दर वर्ष 1960 से 1983 तक के 23 वर्षों के दौरान एक वर्ष में 9 प्रतिशत तक बढ़ गई है तथा दुर्घटनाओं से मृत्यु दर 22 प्रतिशत बढ़ गई है जिससे इस समय लगभग 350 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान होता है और इसके अतिरिक्त आगामी 15 वर्षों में दुर्घटनाओं की दर में लगभग 4 गुनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां जिससे दुर्घटना से मृत्यु होने वाली दर सबसे अधिक है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पाईलट) : (क) जी, हां।

(ख) सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण ये हैं :—

(क) मानव असफलता अर्थात् ड्राइवरों की गलती।

(ख) खराब सड़कें।

(ग) वाहनों में यांत्रिक खराबी और

(घ) वाहनों की बढ़ती हुई संख्या।

सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों और विनियमों को सख्त बनाना, कड़ी मेडिकल जांच, वाहन प्रमाणीकरण जांच, सुरक्षित एक्सल भारों का लागू किया जाना, ज्योमेट्रिक्स इंटर-सेक्शन सुधार शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों पर राजमार्ग गश्त और ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूलों की अन्य स्कीमें हैं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है।

(ग) नागालैण्ड

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रशासन

453. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले 17 वर्षों से भी अधिक समय से तदर्थ व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है और इस कारण से भारी असंतोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियमित व्यवस्था करने के लिए शीघ्र किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख): बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है जो 1915 में अधिनियमित किया गया था और जिसको पिछली बार 1969 में संशोधित किया गया था। ऐसे सुझाव दिए जाते रहे हैं कि मौजूदा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों में, विशेष रूप से उनमें जो इसके अभिशासन से संबंधित हैं, और संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वे विश्वविद्यालय अभिशासन की सामान्य पद्धति के अनुरूप हो सकें। सरकार को इस मामले की जानकारी है।

राज्यों द्वारा 10+2+3 फार्मूले का कार्यान्वयन

454. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई शिक्षा नीति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "शिक्षा" एक समवर्ती विषय है, सभी राज्यों में 10+2+3 फार्मूला लागू करने के लिए क्या उपाय करने जा रही है ;

(ख) यदि कुछ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र इस 10+2+3 फार्मूले को आरम्भ करने के अनिच्छुक हैं; तो उनके वित्तीय आबंटन के संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें 10+2+3 फार्मूले व्यवस्था अभी शुरू की जानी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति को अपनाने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गये हैं। डिग्री स्तर के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1-6-1986 से विनियम भी जारी किये हैं जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी छात्र प्रथम डिग्री प्रदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के पश्चात् 3 वर्ष के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर लेता है।

(ख) अभी तक किसी भी राज्य ने इन विनियमों को अपनाने में अनिच्छा प्रकट नहीं की है। तथापि, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान ने 1-6-86 के बाद समय अवधि बढ़ाने की मांग की है जिसे वि० अ० आ० ने स्वीकार कर लिया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम नहीं अपनाया है।

पानी के संकट को दूर करने के लिए किये गए उपाय

455. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल**
डा० गौरीशंकर राजहंस } : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों का प्रधान मंत्री द्वारा दौरा किये जाने के पश्चात् सरकार ने जल संसाधनों का विकास करने तथा पीने के पानी की कमी और कृषि-प्रयोजनों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) नई राष्ट्रीय जल नीति दस्तावेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति के कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान अब तक राज्य सरकारों को बाढ़ राहत के लिए 420.12 करोड़ रुपए की कुल केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी जिसमें से पेय जल कार्यक्रमों के लिए 157.77 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय जल नीति दस्तावेज का प्रारूप राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

कलकत्ता में कुष्ठरोगियों की संख्या में वृद्धि

456. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में कुष्ठरोगियों की संख्या सबसे अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो दर्ज किये गये मामलों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी नहीं।

(ख) 1-3-1985 की स्थिति के अनुसार कलकत्ता में दर्ज कुष्ठ रोगियों की संख्या 13878 है।

भारतीय नौवहन निगम का दक्षिण कोरियाई जहाज-निर्माता से नौ-वहन संबंधी सौदा

457. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 1986 के "पेट्रियट" में "फिशी शिप परचेज डील शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया अबोर्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय नौवहन निगम के कुछ उच्च अधिकारियों ने एक दक्षिण कोरियाई जहाज निर्माता से जहाज की खरीद के सौदे में धन कमाने का कथित षडयंत्र किया है और मंत्रालय ने समय पर कार्यवाही करके देश को 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के नुकसान से बचाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय नौवहन निगम लि० की जहाज खरीद प्रक्रिया का नया मूल्यांकन करने के लिये एक समिति गठित की गई है। समिति, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता लगाने के लिये कि क्या आर्डर प्रतियोगी दर पर और भाड़ा आय के वास्तविक अनुमान पर दिये गये थे, भारतीय नौवहन निगम द्वारा दक्षिण कोरिया के एक शिपयार्ड को 12 बल्क कैरियर्ज के लिये दिये गये आर्डरों की जांच करेगा और इस विशेष खरीद पर वित्तीय उलझनों सहित भावी कार्रवाई पर भी टिप्पणी करेगा। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भारत के मुख्य "ऐथलेटिक्स" प्रशिक्षक केन बोसेन द्वारा पद-त्याग

458. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1986 के "पेट्रियट" में "बोसेन क्विटस इन डिस्गस्ट टु कोच इन ताइवान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें खेलों के विकास के संबंध में अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि भारत में समस्या गलत प्रणाली अपनाये जाने की नहीं है बल्कि हमारे यहां कोई व्यवस्था ही नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि, खेलों को बढ़ावा देने में कार्यरत कई राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य एजेंसियों के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता है, फिर भी, इस बात को मानना कठिन है कि देश में कोई खेल पद्धति नहीं है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के महानिदेशक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार श्री बोसन ने ताईवान एथलेटिक संघ द्वारा उन्हें दिये गये रोजगार के प्रस्ताव को "सदा के लिए" अस्वीकार किया है। श्री बोसन अभी भी संस्थान में वर्तमान नौकरी में हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों की देखभाल

459. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री नारायण चौबे } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयु स्नायु-शल्य चिकित्सा के 50 प्रतिशत रोगी चिकित्सक से भेंट करने से पहले ही मर जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्ड) : (क) जी, नहीं।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अस्पताल जगह और वित्त संबंधी अड़चनों के भीतर सभी रोगियों को जिनमें न्यूरो-सर्जन से परामर्श की जरूरत वाले रोगी भी शामिल हैं, पर्याप्त चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। न्यूरो-सर्जरी बहिरंग रोगी विभाग ने जो पहले सप्ताह में एक बार कार्य करता था, बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए अब सप्ताह में तीन बार कार्य करना शुरू कर दिया है। न्यूरो-सर्जरी विभाग में पलंगों की संख्या इस समय 39 है। तंत्रिका विज्ञान केन्द्र का विस्तार करने का कार्यक्रम पहले ही चरणबद्ध ढंग से चल रहा है। जब वह केन्द्र पूर्णतया कार्य करना शुरू कर देगा तो इसमें न्यूरो-सर्जरी के लिए 180 पलंग होंगे जिनमें 15 से 20 पलंग गहन परिचर्या की जरूरत वाले रोगियों के लिए होंगे।

पी० टी० उषा को राष्ट्रीय खिलाड़ी घोषित करने का प्रस्ताव

460. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री मुकुल वासनिक
श्री सोडे रमैया
श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिओल एशियाई खेलों में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुमारी पी० टी० ऊषा को राष्ट्रीय खिलाड़ी घोषित करने की सिफारिश की है जसा कि ब्राजील सरकार ने साहसिक फुटबाल खिलाड़ी पेले के मामले में किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने यह सिफारिश की है कि कुमारी पी० टी० ऊषा को भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय एथलीट के रूप में अपनाया जाय जैसे कि ब्राजील ने सुविख्यात फुटबाल खिलाड़ी पेले के मामले में किया है। इस संबंध में ब्राजील में स्थित हमारे दूतावास से स्थिति का पता लगाया है, और उन्होंने राष्ट्रीय खेल संघ, ब्राजील के प्राधिकारियों से सम्पर्क करने के बाद सूचित किया है कि न तो पेले को और न ही किसी अन्य खेल व्यक्ति को ब्राजील में राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के रूप में घोषित किया है। तथापि, कुमारी पी० टी० ऊषा को पहले ही 31 अक्तूबर, 1986 तक की अवधि के लिये जो अब 31 अक्तूबर, 1988 तक बढ़ाई गई है, निम्नलिखित विशेष सुविधायें प्रदान करके उत्कृष्ट एथलीट के रूप में विशेष दर्जा दिया गया है :—

(i) केवल प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षक की व्यवस्था, और

(ii) उनकी इच्छा के स्थान पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सुविधायें और अन्य भत्ते प्राप्त करना जैसे कि प्रशिक्षण शिविर में उपलब्ध हैं, चाहे वह औपचारिक प्रशिक्षण शिविर में न भी हों।

उत्तर प्रदेश में शिशुओं की मत्यु संबंधी यूनिसेफ की रिपोर्ट

461. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की उस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि समुचित प्रतिरक्षण सुविधाओं के अभाव में उत्तर प्रदेश में प्रति घंटा नवजात से चार वर्ष की आयु समूह के 114 से भी अधिक शिशुओं की मृत्यु हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अधूरी पड़ी सिंचाई योजनायें

462. **श्री हरीश रावत** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अनेक मध्यम और लघु सिंचाई योजनायें धन की कमी के कारण या तो अधूरी पड़ी है अथवा उनका कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं और अधूरी पड़ी योजनाओं का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और उनकी लागत क्या है तथा इन योजनाओं को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को कितने अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है?

जल संसाधन मंत्री (बी० शंकरानन्द) : (क) छठी योजना से पूर्व हाथ में ली गई 20 मध्यम सिंचाई स्कीमों को सातवीं योजना में आगे ले जाया गया है। लघु स्कीमों की सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है। परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारणों में से एक कारण है परियोजनाओं का प्रचुर मात्रा में होना, जिससे उपलब्ध संसाधन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बंट जाते हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। स्कीमों को पूरा करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त संसाधन, समयावधि तथा उन संसाधनों पर निर्भर करेंगे जो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उपलब्ध कराये जायेंगे।

विवरण

उत्तर प्रदेश में छठी योजना से पूर्व मध्यम निर्माणाधीन स्कीमों का ब्योरा :

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	शुरू होने का वर्ष	अनुमानित लागत	1985–86 के अन्त तक प्रत्याशित व्यय	पूरा करने के लिये अपेक्षित शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1.	केन नहर का पुर्नरुपण	69–70	245	172	73
2.	अलीगंज सिंचाई स्कीम	74–75	657	621	36
3.	बालान बखर व्ययवर्तन	अनुपलब्ध	168*	259	अनुपलब्ध
4.	बखर मरिहान	1977	190	154	36
5.	रोहिणी बांध	75–76	332	324	8
6.	सजनाम बांध	77–78	1266	1165	101
7.	धनकवा बांध	78–79	277	213	64
8.	डोंगरी बांध	77–78	256*	266	–
9.	सरजू पी० सी०	72–73	225*	772	–
10.	गुन्टामाला बांध	1975	503	130	373
11.	किशनपुर पी० सी०	72–73	1644	1045	599
12.	ओगसी पी० सी०	73–74	327	241	86
13.	यमुना पी० सी०	76–77	1554	1193	361
14.	उमरहाट पी० सी०	73–74	294	224	70
15.	संशोधित कवानो पी० सी०	77–78	725	310	415
16.	संशोधित टोनस पी० सी०	68–69	1479	422	1057
17.	धोबा पी० सी०	अनुपलब्ध	125*	155	–
18.	पईसुनी व्ययवर्तन	78–79	521	1	520
19.	खतीमी सिंचाई स्कीम	76–77	225	178	47
20.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	77–78	1150	750	400

*संशोधन किया जाएगा।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात रोगी-कक्ष के बारे में शिकायतें

463. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के आपात रोगी-कक्ष में स्थान की कमी, गंदगी और चादरें न बदलने के बारे में आम शिकायतें हैं ;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ग) क्या मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कभी आपात रोगी-कक्ष की आकस्मिक जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) क्या इस वार्ड के विस्तार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्ड) : (क) और (ख) : हालांकि इस अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में जगह की कमी है फिर भी इस संबंध में रोगियों से कोई शिकायत नहीं मिली है। पलंग की चादरें रोज, और रोगी की छुट्टी हो जाने के बाद बदल दी जाती हैं।

(ग) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री तथा इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते हैं और पाई गई कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं। तथापि, और सुविधायें प्रदान करने के लिये उपलब्ध जगह की पुनर्व्यवस्था की जा रही है और कुछ अतिरिक्त पलंग प्रदान किए गए हैं।

सिओल एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या

464. श्री हरीश रावत
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव
श्री उत्तम राठौड़ :
श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री नारायण चौबे :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री साइमन तिग्गा: } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिओल में हुई दसवें एशियाई खेलों में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया और भारत ने नवें एशियाई खेलों की तुलना में विभिन्न खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं;

(ख) प्रत्येक खिलाड़ी के ठहरने, खाने-पीने ड्रेस, और मनोरंजन आदि पर कितना खर्च आया है;

(ग) क्या भारतीय शिष्ट मंडल में खेलों में भाग न लेने वाले सदस्यों का प्रतिशत चीन और जापान की तुलना में काफी अधिक था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) सरकार ने सिओल में हुए दसवें एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए कुल 310 खेल व्यक्तियों की स्वीकृति दी थी, जिसमें 186 सरकारी खर्च पर थे और 124 बिना सरकारी खर्च के थे। दसवें एशियाई खेलों में विभिन्न विषयों में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या 37 थी, जिसमें 5 स्वर्ण, 9 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं, जब कि नवें एशियाई खेल, 1982 में भारत द्वारा कुल 57 पदक जीते गये थे। (13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य)।

(ख) उपर्युक्त सन्दर्भ में भारतीय ओलम्पिक ऐसोसियेशन को अभी तक 34 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। तथापि भोजन, आवास, किटिंग, आकस्मिक आदि पर हुए कुल खर्चे का तब पता लगेगा जब संबंधित विभिन्न एजेंसियों से बिल और भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन से लेखे प्राप्त हो जायेंगे और उनकी जांच की जाएगी।

(ग) भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन ने सूचित किया है कि उनकी अस्थायी सूचना के अनुसार भारतीय दल में अधिकारीगण की प्रतिशतता चीन अथवा जापान से अधिक नहीं थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं द्वारा कमीशन पर खाद्य पदार्थ बेचने की व्यवस्था

465. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं द्वारा कमीशन पर खाद्य पदार्थ बेचने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या खान-पान सेवा भारत पर्यटन विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही है;

(ग) क्या बढे हुए मूल्यों पर कम खाद्य पदार्थ उपलब्ध किये जा रहे हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रेल विभाग विक्रेताओं के कमीशन की दरें बढ़ाने पर विचार करेगा और यदि हां, तो यह कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। तथापि, भारतीय पर्यटन विकास निगम के परामर्श से रेलवे द्वारा नयी दिल्ली स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर कुछ चुनींदा वस्तुओं की बिक्री के लिये फाइबर ग्लास ट्राल्यिां परीक्षण के तौर पर शुरू की गयी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) क्षेत्रीय रेलों द्वारा कमीशन की दरें लाभ, बिक्री की मात्रा, स्थानीय परिस्थितियां आदि विभिन्न सम्बद्ध तत्वों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं और उसकी समीक्षा की जाती है। फिलहाल इसकी पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

466. **श्री० एच० बी० पाटिल : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुदृढ़ और कारगर सुरक्षा उपाय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) सभी चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया गया है।

(2) हवाई अड्डे के साथ-साथ हवाई अड्डों के अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्रों में प्रविष्टि पर और पाबंदी लगा दी गई है।

(3) विमान वाहकों को खान-पान की मदों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिये निदेश दे दिये गए हैं।

(4) नागर विमानन सुरक्षा के मामले में "सेवा कालीन" प्रशिक्षण कार्यक्रम हवाई अड्डा सुरक्षा पुलिस के लिये शुरू कर दिया गया है।

सुचेता कृपलानी अस्पातल, नई दिल्ली में अप्रयुक्त पड़े उपकरण

467. **श्री सुभाष यादव**
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में करोड़ों रुपये के उपकरण उचित देखभाल न किये जाने के कारण खराब हो गये हैं और अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में, जिसमें सुचेता कृपलानी अस्पताल भी शामिल है, अप्रयुक्त अथवा कम उपयोग में लाये जा रहे उपकरणों की समग्र स्थिति का पता लगाने के लिये सरकार ने एक-एक सदस्यीय समिति गठित की है। समिति के निष्कर्षों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

दूसरे हुगली पुल के निर्माण के लिए प्रदान की गई धनराशि

468. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दूसरे हुगली पुल के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को धनराशि प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता और ऋण (ब्याज दर सहित) के रूप में अब तक प्रदान की गई और निकट भविष्य में प्रदान की जाने वाली धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां। पश्चिम बंगाल सरकार को केवल ऋण के रूप में सहायता प्रदान की गई है।

(ख) दूसरे हुगली पुल के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल को दी गई ऋण सहायता का वर्षवार विवरण संलग्न है। 1100.00 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान दिये जाने का प्रस्ताव है।

ऋण सहायता की ब्याज-दर प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। 1 जून, 1986 से लागू नई ब्याज-दर 8½ प्रतिशत प्रति वर्ष है।

विवरण

(लाख रु० में)

वर्ष	दी गई ऋण सहायता
1972-73	50.00
1973-74	400.00
1974-75	207.00
1975-76	134.20
1976-77	230.00
1977-78	329.03
1978-79	106.38
1979-80	600.00
1980-81	1000.00
1981-82	1200.00
1982-83	1456.00
1983-84	500.00
1984-85	2000.00
1985-86	2525.00
1986-87	1400.00
	(अब तक दी गई धनराशि)
कुल	12137.61

एक्यूपंक्चर द्वारा मधुमेह का इलाज

469. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि इलाहाबाद स्थित एक भारतीय एक्यूपंक्चर केन्द्र ने यह दावा किया है कि एक्यूपंक्चर से मधुमेह के अनेक रोगियों का इलाज किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो एक अनुसंधान संस्थान के रूप में इस संस्था की क्या स्थिति है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा इसकी कोई भी अनुसंधान परिषद् इंडियन एक्यूपंक्चर सेंटर, इलाहाबाद को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने बतलाया है कि मधुमेह में एक्यूपंक्चर की भूमिका पर कोई अच्छी तरह से लिखित रिकार्ड के रूप में नियंत्रित परीक्षण और डाक्टरी इलाज की दृष्टि से प्रयोग किये जाने वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विशेषज्ञों का विचार है कि इस समय जो मेडिकल इलाज उपलब्ध है उसके मुकाबले एक्यूपंक्चर प्रणाली कोई अधिक लाभकारी नहीं है।

रेल-कर्मचारियों की भर्ती

470. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में, रेल प्रशासन वार, 1975 में कितने लोगों को रोजगार दिया गया और 1980 से अब तक इनका वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या भर्ती पर लगाई रोक को, यदि कोई है, हटाने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलों पर परिचालनिक पदों की रिक्तियों को भरने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, नौकरी से हटाये जाने या प्रतिनियुक्ति आदि के कारण हुई गैर-परिचालनिक पदों की रिक्तियों को भरने पर 29 जुलाई, 1986 से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

विवरण

रेलवे	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985
मध्य	184,996	210,049	212,186	210,865	212,458	213,052	214,069
पूर्व	206,624	222,663	224,986	224,402	222,700	220,585	222,424
उत्तर	208,808	227,466	230,736	232,198	233,875	235,116	236,873
पूर्वोत्तर	95,629	100,014	101,821	101,452	102,355	102,302	107,058
पूर्वोत्तर सीमा	83,194	88,556	89,059	86,281	86,258	86,094	85,605
दक्षिण	135,507	135,183	136,348	137,614	137,009	140,903	139,699
दक्षिण मध्य	106,428	116,630	120,789	121,228	125,065	126,615	128,103
दक्षिण पूर्व	191,861	197,550	197,851	200,094	201,562	201,187	202,810
पश्चिम	190,303	201,744	206,159	208,126	208,130	211,248	210,465
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	14,728	16,014	16,137	16,114	16,096	15,647	15,423
डीजल रेल इंजन कारखाना	6,578	7,928	8,075	8,022	8,143	8,163	8,249
सवारी डिब्बा कारखाना	13,451	14,437	14,587	14,549	14,737	15,206	15,433
पहिया एंव धुरा संयंत्र	—	165	236	375	573	889	1,075
रेलवे बोर्ड तथा अन्य रेल कार्यालय	7,086	11,961	13,184	13,660	15,133	15,335	15,894
जोड़	1,445,193	1,550,360	1,572,154	1,574,980	1,584,094	1,592,342	1,603,180

मस्तिष्क ज्वर के कारण हुई मौतें

471. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1986 की अवधि के दौरान मस्तिष्क-ज्वर से पीड़ित अथवा मरने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी; और

(ख) इस बिमारी की रोक थाम के लिये क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अक्तूबर, 1986 तक जापानी एंसेफलाइटिस के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	रोगी	मृत्यु
1	2	3
असम	874	320
आन्ध्र प्रदेश	476	150
बिहार	67	11
गोआ	1	—
कर्नाटक	31	9
मणिपुर	15	5
तमिलनाडु	55	22
उत्तर प्रदेश	1549	533
कुल	3068	1050

(ख) इस रोग को नियंत्रण में करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रोगियों की रिपोर्ट नियमित रूप से एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है।

2. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं से इस रोग के रोगी की रिपोर्ट मिलती है उसके आस-पास 2–3 किलो मीटर क्षेत्र में मैलाथियान फांगिंग/यू० एल० वी० स्प्रे के अतिरिक्त बी० एच० सी०/डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाए।

3. एन० आई० वी०, पुणे, स्कूल ऑफ ट्रोपिकल मेडिसन, कलकत्ता, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को इस कार्यक्रम में परामर्श देने और रोगियों का पता लगाने का काम करते हैं।

4. राज्य और क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे जापानी एंसेफलाइटिस रोग को नियंत्रण में करने के लिये निरन्तर राज्यों से सम्पर्क रखें।

5. जापानी एंसेफलाइटिस के प्रकोप को नियंत्रण में करने के लिये बी० एच० सी०/डी० डी० टी० और मैलाथियान की सप्लाई राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा की जाती है।

6. प्रभावित राज्यों को फांगिंग/यू० एल० वी० मशीनों की सप्लाई राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा की जाती है।

7. जापानी एंसेफलाइटिस पर स्वास्थ्य शिक्षा के काम को तेज कर दिया गया है और इस रोग की रोकथाम के लिये सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक दिशा निदेश दे दिये गये हैं।

दिल्ली परिवहन निगम में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी घोटाले की जांच

472. **श्री काली प्रसाद पांडेय**
श्री पी० एम० सईद
श्री चिंतामणि जैना } : क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में बारह करोड़ रुपये के कथित घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम और लगभग 12 करोड़ रुपये की मांग करने वाले दिल्ली के करीब 140 दवा विक्रेताओं के बीच के विवाद को निपटा दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) जांच होने तक दावों का निपटान रुका हुआ है।

झेलम एक्सप्रेस को मिराज और कोल्हापुर तक चलाया जाना

473. **श्री आर० एस० माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झेलम एक्सप्रेस गाड़ी को पुणे से मिराज और कोल्हापुर तक चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) : जी नहीं। जम्बूतवी और मिराज के बीच 177/178 झेलम एक्सप्रेस और सम्बद्ध गाड़ियों में दूसरे दर्जे का सीधी सेवा वाला एक शयनयान पहले से ही चल

रहा है। पर्याप्त संसाधनों और टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण 177/178 झेलम एक्सप्रेस गाड़ी को पुणे से मिरज/कोल्हापुर तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

कोल्हापुर हवाई पट्टी का विकास

474. **श्री आर० एस० माने** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि कोल्हापुर हवाई पट्टी का कार्य पूरा हो जाने पर बम्बई कोल्हापुर और गोआ के लिये तीसरा वायु मार्ग उपलब्ध हो जायेगा;

(ख) क्या कोल्हापुर हवाई पट्टी को कोल्हापुर हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सक्षम प्राधिकारियों को इसके लिये योजना तैयार करने के कोई अनुदेश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कोल्हापुर हवाई अड्डे के तैयार हो जाने पर वायुदूत की कोल्हापुर को बम्बई से विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

(ख) से (घ) कोल्हापुर हवाई अड्डे का विकास कार्य, जिसमें धावनपथ का विस्तार संबंध पेवमेंटों और टर्मिनल परिसर तथा अभिगम मार्गों का निर्माण आदि शामिल है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है और कार्य चल रहा है।

निरक्षरता में वृद्धि

475. **श्री रामकृष्ण मोरे**
श्री चिन्तामणि जैना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निरक्षरता की वार्षिक वृद्धि की वर्तमान प्रतिशतता कितनी है और वर्ष 2000 तक निरक्षरता कितने प्रतिशत हो जाने का अनुमान है;

(ख) निरक्षरता की प्रतिशतता में वृद्धि और देश में साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय को एशिया के अन्य विकासशील देशों से किस प्रकार तुलना की जा सकती है; और

(ग) वर्तमान रुख तथा अब तक की उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2000 तक साक्षरता सम्बन्ध लक्ष्य, यदि कोई है, को प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दस वर्षों के अन्तराल में की जाने वाली जनगणना में अन्य बातों के साथ-साथ साक्षरता से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में सभी आयुवर्गों की जनसंख्या में निरक्षरता की प्रतिशतता 63.37 थी । यह 1971 की 70.55 प्रतिशत निरक्षरता दर की तुलना में 6.78 प्रतिशत कम थी । इस प्रकार भारत में प्रतिशतता में कोई वार्षिक वृद्धि नहीं है । अगली राष्ट्रीय साक्षरता दर 1991 में ही उपलब्ध होगी जब अगली जनगणना आयोजित की जाएगी ।

(ख) देश में निरक्षरता की प्रतिशतता में इस समय कोई भी वृद्धि नहीं हुई है । भारत कुल राष्ट्रीय उत्पाद (कु० रा० उ०) के अनुपात का लगभग 3% खर्च शिक्षा पर करता है । एशियाई देशों के सम्बन्ध में शिक्षा पर खर्च की तुलनात्मक प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

अफगानिस्तान	2.0%
बेहरीन	2.9%
बंगला देश	1.9%
भूटान	—
ब्रुनी दरूसलेम	1.8%
बर्मा	1.6%
चीन	—
साईप्रस	3.9%
लोकतंत्रात्मक यमन	7.4%
होंग कांग	2.9%
इंडोनेशिया	2.2%
ईरान	5.7%
इराक	4.3%
ईजराइल	7.8%
जापान	5.7%
जॉर्डन	5.8%
कोरिया गणराज्य	5.1%
कुवैत	3.7%
लाओ लोकतंत्रात्मक गणराज्य	0.5%
लेबनान	3.0%
मलेशिया	7.5%
पेनिन सुलर मलेशिया	—
सबाह	—
सारावक	—
मालदीव	0.6%

नेपाल	2.6%
ओमन	2.3%
पाकिस्तान	2.0%
फिलिपाइन्स	2.0%
कतार	5.0%
साउदी अरेबिया	4.7%
सिंगापुर	4.4%
श्री लंका	3.0%
सीरियाई अरब गणराज्य	5.9%
थाईलैंड	3.9%
तुर्की	3.4%
संयुक्त अरब अमीरात	1.9%
यमन	6.6%

स्रोत—"सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक 1985"—यूनेस्को

(ग) साक्षरता स्तर बढ़ाने के लिए जिन बातों पर मुख्य बल दिया जाना है, उनमें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, अनौपचारिक शिक्षा और 15–35 आयु वर्ग में निरक्षरता को दूर करना शामिल है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीतियों की परिकल्पना की गई है :

(i) विशेष रूप से 15–35 आयु वर्ग में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए प्रौढ़ शिक्षा के व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे ।

(ii) 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के व्यापक दाखिले और उन्हें स्कूलों में व्यापक रूप से बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाएगा ।

(iii) स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों, स्कूल रहित बस्तियों के बच्चों, काम में लगे हुए बच्चों और उन लड़कियों के लिए, जो पूरा दिन स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती, एक विस्तृत और व्यवस्थित कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा।

(iv) स्कूल में बच्चों को बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी से तैयार की गई नीतियों को अपनाकर स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।

(v) महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में निरक्षरता को दूर करने के लिए विशेष उपाय किए जायेंगे ।

"कार्रवाई योजना" नामक दस्तावेज में (इस दस्तावेज को सभा पटल पर 8 अगस्त, 1986 को प्रस्तुत किया गया था) उक्त नीति के मानदण्डों को कार्यान्वित करने के लिए बहुदेशीय संचालन सम्बन्धी नीतियों को ठोस रूप दिया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए और हवाई अड्डों का विकास

476. श्री चिन्ता मणि जैना
श्री मोहन भाई पटेल
श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अवतरण सुविधाओं के प्रयोजनार्थ और हवाई अड्डे तैयार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) हवाई अड्डे कब तक तैयार हो जायेंगे और यातायात के लिए खोल दिये जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार इन हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में घोषित करने पर विचार करेगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जी हां। अहमदाबाद, बंगलौर, नागपुर, मंगलौर, त्रिवेन्द्रम तथा हैदराबाद के लिए अध्ययन किए गए हैं। इनमें से त्रिवेन्द्रम और हैदराबाद से अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं पहले ही परिचालित की जा रही हैं। निकट भविष्य में इन विमान क्षेत्रों में से कुछ से सीमित अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं को आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं : वर्तमान चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के अतिरिक्त फ़िलहाल किसी भी अन्य विमान क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई इंजीनियरों के लिए अखिल भारतीय सेवा संवर्ग बनाना

477. श्री चिन्तामणि जैना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई इंजीनियरों को नियुक्त करने की वर्तमान प्रणाली क्या है ;

(ख) क्या सिंचाई प्रयोजनों के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है और इस कार्य में केवल सिविल इंजीनियरों को लगाया जा रहा है जिन्हें सिंचाई के बारे में बहुत कम जानकारी होती है ;

(ग) क्या राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन ने भी यह सिफारिश की है कि सिंचाई इंजीनियरों के एक अलग संवर्ग के साथ, एक अखिल भारतीय इंजीनियरी सेवा संवर्ग गठित किया जाए ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इंजीनियरी कालेजों में एक अलग सिंचाई इंजीनियर पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सिंचाई अभियंताओं की नियुक्ति राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा प्रचालित भर्ती नियम के अनुसार की जाती है जिसमें सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था है ।

(ख) सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में सिंचाई इंजीनियरी एक विषय है । राज्य तथा केन्द्र सरकार के सिंचाई अभियंताओं को प्रवर्तन/सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाह्य रोगी विभाग का बन्द होना

478. **श्री भरत कुमार ओडेदरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अपने बाह्य रोगी विभाग को बंद करने पर विचार कर रहा है जैसा कि दिल्ली के विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने इस वर्ष अपना वार्षिक दिवस नहीं मनाया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री : (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चूंकि रेजिडेंट डाक्टरों ने वार्षिक दिवस में शामिल न होने का निर्णय लिया था इसलिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का वार्षिक दिवस नहीं मनाया गया ।

पोरबन्दर से जेटी तथा पुराने जेटी तक रेल लाइन को परिवर्तित करना

479. **श्री भरत कुमार ओडेदरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर स्टेशन से वर्ष भर उपयोग किए जा सकने वाले जेटी और पुराने जेटी पतन तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पत्तन यातायात सड़क द्वारा ढोया जा रहा है।

मशीनीकृत पोतों के स्वामियों को रियायती दरों पर ऋण

480. श्री भरत कुमार ओडेदरा : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने सौराष्ट्र, गुजरात के मशीनीकृत पोतों के स्वामियों को रियायती दरों पर ऋण दिये जाने की सिफारश की है ;

(ख) क्या सरकार ने बोर्ड की सिफारिश कार्यान्वित नहीं की है और सभी मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पडे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने का विचार है; और

(घ) आज की तारीख तक सरकार के पास कुल कितने मामले लंबित पड़े हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय जहाजों को मंजूर किये जा रहे ऋणों की पद्धति पर ही सेलिंग वैसल्ज के लिए बैंकों के माध्यम से इमदादी ऋण देने की एक वैकल्पिक योजना का पक्ष समर्थन किया है ।

(ख) और (ग) इस संबंध में एक स्कीम प्रतिपादित करने का पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है । सरकार के पास ऋण प्रदान करने संबंधी कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है ।

(घ) कोई नहीं ।

बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण

481. श्री भरत कुमार ओडेदरा : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने अंतर्देशीय पोतों के लिए मंजूर किये गये ऋणों के नमूने पर अनुदान की वैकल्पिक योजना के रूप में बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण देने के पक्ष में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कितने ऋण मंजूर किये गये हैं ;

(ग) क्या सह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिये ऋणों की मंजूरी के संबध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सेलिंग वैसल्ज के मामले में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने बैंकों के माध्यम से इमदादी ऋण देने की एक वैकल्पिक योजना का पक्ष-समर्थन किया है। सरकार द्वारा इस संबंध में एक योजना प्रतिपादित करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक कोई ऋण स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न हीं नहीं उठते।

अन्धेपन के मामलों में वृद्धि

482. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्रीमती प्रभावती गुप्त } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में, विशेषकर बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण अन्धेपन के बढ़ते हुए मामलों पर हाल ही में गहरी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विटामिन "ए" की कमी के कारण अन्धेपन के शिकार बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बच्चों के संबंध में अधिक ध्यान दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अन्धेपन के बढ़ते हुए कारणों, विशेष रूप से बढ़ती आयु संबंधी कारणों जैसे मोतिया बिन्द, ग्लाकोमा आदि, के बारे में समय-समय पर चिन्ता व्यक्त की है। किन्तु इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली शुष्क नेत्र प्रदाह (जोरोप्थोसामिया) की व्यापकता में कोई वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) तथापि, चौथी पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार ने 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन की रोक-थाम की एक योजना चलाई हुई है जो बाद की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए चल रही है।

दिल्ली में जूनियर डाक्टरों की मांगें

483. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री डी० एन० रेड्डी
श्री राजकुमार राय } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के जूनियर डाक्टर अक्तूबर, 1986 के महीने के दौरान हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) सरकार का उनकी मांगों के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली के छह बड़े अस्पतालों में जूनियर डाक्टरों ने 15 अक्तूबर, 1986 को सांकेतिक हड़ताल रखी ।

(ख) और (ग) : जूनियर डाक्टरों की मुख्य मांग वेतन बढ़ाने के बारे में है और इस पर वित्त मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना

484. **श्री एन० डेनिस** : क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम नहर परियोजना की स्थापना हेतु कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक में कावेरी नदी पर बने बांध

485. **श्री एन० डेनिस** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर बनाए गए अथवा अब बनाए जा रहे बांधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन जलाशयों की कुल क्षमता कितनी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : सूचना निम्नवत है :—

क्रम सं०		सक्रिय जल भण्डारण (मिलियन घन मी०)
	पूरे हो चुके बांध	
1.	कृष्णाराजसागर	1268.58
2.	बैरा मांगला	21.16
3.	कानवा	22.71
4.	मारकोना हेली	67.82
5.	हीबा हल्ला	10.79

क्रम सं० 2	सक्रिय जल भंडारण (मिलियन घन मी०)
6. मांगला	8.18
7. नुगु जलाशय	138.47
8. गुन्डल	29.76
9. सुवणावथी	31.15
10. चीखोला	10.53
निर्माणाधीन बांध	
1. हेमावथी	962.76
2. हरंगी	183.63
3. काबीनी	543.40
4. तरका	74.01
5. वोतेहोल	38.68
6. सागर डोडाकरे	5.66
7. मचनबिले	38.43
8. नेलूर अमनकार	5.89
9. चीकलीहोल	उपलब्ध नहीं
10. इग्मालूर	0.65
11. अरकावथी	1496.00
12. उडूथोरहल्ला	17.06

कावेरी जल–विवाद

486. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडियार, श्री एन० डेनिस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर-राज्यीय कावेरी जल-विवाद का कोई हल ढूंढ निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य में विवाद के हल के संबंध में एक नये फार्मुले का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने विचार व्यक्त किया है कि बातचीत के जरिए विवाद को हल किया जा सकता है तथा तमिलनाडु सरकार के अनुरोध अनुसार, अभिकरण के गठन के लिए राष्ट्रीय जल नीति तैयार होने तक प्रतीक्षा की जाए।

नेशनल बुक ट्रस्ट का कार्य निष्पादन

487. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न भाषाओं में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्यकरण की समीक्षा करने तथा विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के प्रकाशन में तेजी लाने की दृष्टि से इसे पुनर्गठन करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत को स्थापित करने के उद्देश्य हैं :

(अ) अच्छे साहित्य को तैयार करना और उसके निर्माण को प्रोत्साहित करना और जनता को ऐसा साहित्य सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराना ;

(आ) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से अंग्रेजी, हिन्दी और भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं में निम्नलिखित किस्मों की और अधिक पुस्तकें प्रकाशित करना :—

(i) भारत का प्राचीन साहित्य ;

(ii) भारतीय भाषाओं में भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट रचनाएं और एक भारतीय भाषा से अन्य भाषा में उनका अनुवाद ;

(iii) विदेशी भाषाओं से उत्कृष्ट पुस्तकों का अनुवाद ;

(iv) लोकप्रिय प्रसार के लिए आधुनिक ज्ञान की उत्कृष्ट पुस्तकें ;

(इ) पुस्तक-सूचियां प्रकाशित करना, प्रदर्शनियां और सेमिनार आयोजित करना और लोगों को पुस्तक-प्रेमी बनाने में हर आवश्यक कदम उठाना; और

(ई) देश के विभिन्न भागों में न्यास के उद्देश्यों के समान क्षेत्रीय पुस्तक न्यास स्थापित अथवा उनके गठन को प्रोत्साहित करना।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

1983–84	135
1984–85	221
1985–86	178

(इन आंकड़ों में मूल अनुवाद, संशोधित संस्करण और पुनर्मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं।)

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कार्यक्रमों की इसकी कार्यकारी समिति और विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए गठित प्रकाशन पैनलों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

महिलाओं के लिए साहसपूर्ण कार्यों सम्बन्धी भारतीय अकादमी

488. श्री महेन्द्र सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माउन्ट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला श्रीमती बचेन्द्रीपाल ने महिलाओं में साहसपूर्ण कार्य करने की भावना पैदा करने के लिए किसी उपयुक्त स्थान पर महिलाओं के लिए साहसपूर्ण कार्यों सम्बन्धी एक भारतीय अकादमी स्थापित करने का सुझाव दिया है और इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो रूपरेखा की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव, चट्टान पर चढ़ने, मरुस्थल आधारित तथा उजाड़ साहसी कार्य, रेफटिंग, वाईट-वाटर रनिंग, कैनोइंग, जनरल वाटर मेन शिप. सी-बोर्न एडवेन्चर और एयर-बोर्न एडवेन्चर में महिला युवा नेताओं को प्रशिक्षण देने पर लक्षित है।

(ग) प्रस्ताव भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को भेजा था, जिसने ही में राष्ट्रीय एडवेन्चर संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्ताव सहित दोनों पुरुष तथा महिलाओं के लिए साहसिक कार्यकलापों के बारे में समेकित योजना प्रस्तुत की थी।

[हिन्दी]

दिल्ली हवाई अड्डे पर माल की चोरी

489. श्री महेन्द्र सिंह
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री रामश्रय प्रसाद सिंह :
श्री जी० जी० स्वेल
श्री एस० एम० गुरड्डी
डा० कृपा सिन्धु भोई
श्री कमला प्रसाद सिंह

: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने इंदिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल से बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं की चोरी किये जाने का पता लगा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बने नए एयर कार्गो टर्मिनल से अप्राधिकृत ढंग से माल उठाए जाने की कुछ घटनाओं की हाल में सूचना मिली है। पुलिस तथा सीमा-शुल्क विभाग मामले की जांच कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट मिलने पर उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन गुना और शिवपुरी जिलों की सिंचाई परियोजनाएं

490. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों के लिए सिंचाई की उन योजनाओं के नाम क्या हैं जो सरकार के पास स्वीकृति के लिए अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ;

(ख) इन योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है इनसे कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी और इन्हें स्वीकृति न दिये जाने के योजनावार कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों की भैंसतोरा, बन्दियानाला, और माद खेरा योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे देगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) : सूचना नीचे दी जाती है :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	सिंचाई क्षमता (लाख हैक्टेयर)	वर्तमान स्थिति
राजघाट नहर परियोजना (बृहत्त स्कीम)	46.15	1.21	योजना आयोग की सलाहकार समिति की 6-1-83 को हुई बैठक में स्वीकार कर ली गई थी। तथापि, दतिया वाहक नहर के संरेखण संबंधी कुछ मुद्दे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के बीच निपटाए जाने शेष हैं।
माहौर (मध्यम स्कीम)	18.67	0.14	सलाहकार समिति की 24-8-84 को हुई बैठक में विचार किया गया था। सलाहकार समिति के प्रेक्षणों की अनुपालना किए जाने की मध्य प्रदेश सरकार से सितम्बर, 1984 से प्रतीक्षा है।

(ग) गुना जिले को लाभ प्रदान करने वाली बंदियानाला स्कीम को योजना आयोग ने मार्च, 1982 में अनुमोदित कर दिया था। अन्य दो स्कीमें मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

[अनुवाद]

पश्चिमी कोंकण तट पर प्रस्तावित नौवहन सेवा

491. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नौवहन कम्पनी ने महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक और केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता लिए बिना बम्बई से पणजी और कोंकण तट के साथ मंगलोर तक द्रुतगामी नौवहन सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में आश्वस्त होने के पश्चात् प्रस्तावित नौवहन सेवा चलाने की अनुमति दे दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम कोंकण तट पर प्रस्तावित नौवहन सेवा चलाने की अनुमति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मैसर्स सत्यगिरि शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने कोंकण तट के साथ-साथ तीव्र गति की यात्री-जहाज-सेवाएं शुरू करने का एक प्रारम्भिक प्रस्ताव किया है। कम्पनी ने इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें किसी सरकार से कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग). इसी विषय पर दिनांक 31-7-86 को मौखिक प्रश्न संख्या 223 के उत्तर में (प्रतिलिपि संलग्न) सदन को सूचित किया गया था कि प्रस्ताव की जांच की जानी है। पार्टी से इस सिलसिले में पूर्ण तकनीकी ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है जो अभी प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

कंजक्टिवाइटस से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या

492. **श्री आर० एम० भोऐ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंजक्टिवाइटस नामक नेत्र-रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कतिपय राज्यों से आंकड़े एकत्र किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कंजक्टिवाइटिस अधिसूचनीय रोग नहीं है, इसलिए कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना

493. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा**
श्री एस० एम० गुरुडी } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या कराची में 'पान एम' के विमान का अपहरण किये जाने के बाद भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने भारत के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्धकों को सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए नया पत्र जारी किया है ;

(ख) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डों के सुरक्षा बोर्डों को तत्काल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं का पुनः निर्धारण करने के लिए निर्देश दिए थे जिससे कि किसी विमान का अपहरण न किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो देश में सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). जी, हां। (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) सभी चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया गया है।

(2) हवाई अड्डों के साथ-साथ हवाई अड्डों के अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्रों में प्रविष्टि पर और पाबन्दी लगा दी गई है।

(3) विमान वाहकों को खान-पान की मदों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

(4) नागर विमानन सुरक्षा के मामले में "सेवा-कालीन" प्रशिक्षण कार्यक्रम हवाई अड्डा सुरक्षा पुलिस के लिए शुरू कर दिया गया है।

एयर इंडीया बोइंग का आपात स्थिति में मास्को में उतारना

494. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री जी० एस० बसवराजु
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त, 86 के दौरान एयर इंडिया बोइंग 707, जिसमें भारत के प्रधान मंत्री यात्रा कर रहे थे, को आपातस्थिति में मास्को से उतारने से संबंधित जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है।

दसवें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीयों को पुरस्कार राशि देना

495. श्री मुकुल वासनिक
प्रो० के० वी० थामस } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दसवें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीयों को कुछ पुरस्कार राशि देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) ऐसे खेल व्यक्तियों और टीमों को विशेष पुरस्कार दिए जाने हैं। जिन्होंने दसवें एशियाई खेलों में पदक जीते थे।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विशेष पुरस्कार देने की योजना के अनुसार 10वें एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि निम्नलिखित होगी :—

(i) स्वर्ण पदक (परिमेय विशेष में राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ने पर)	1.50 लाख रुपए
(ii) स्वर्ण पदक (बिना राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ने पर)	1.00 लाख रुपए
(iii) रजत पदक	75.00 हजार रुपए
(iv) कांस्य पदक	50.00 हजार रुपए

टीम प्रतियोगिताओं के लिए विशेष पुरस्कार निम्नलिखित राशि के अनुसार होंगे :—

(क) 2 की टीम	उपर्युक्त राशि का 1 1/2 गुणा
(ख) 3 अथवा 4 की टीम	उपर्युक्त राशि का 2 गुणा
(ग) 5 से 10 तक की टीम	उपर्युक्त राशि का 3 गुणा
(घ) 11 या उससे अधिक की टीम	उपर्युक्त राशि का 4 गुणा

पुरस्कार सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार बचत प्रमाण पत्र, बीमा पालिसी, नकद अथवा अन्यथा में दिए जाएंगे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया गया कार्य

496. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलों के क्षेत्र में अब तक क्या कार्य किया गया है; और

(ख) इसके भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने नियंत्रणाधीन स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के अलावा, पहले से ही 12 वर्ष के अन्दर आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा का पता लगाने तथा पोषण करने के लिए योजनाएं चला रहा है और उन्होंने पहले ही पहली राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित की है। यह देश के विभिन्न भागों में कई दौड़ें आयोजित करके सभी के लिए खेल की धारणा विकसित कर रहा है। वह बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर चला रहा है और इस प्रयोजनार्थ शुरू की गई विशेष क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत तीरन्दाजी जैसे देशी खेलों को विकसित कर रहा है । खेल प्रशिक्षण के लिए स्कूलों को अपनाने और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के अन्तर्गत पता लगाए गए प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने के अलावा वह खेल संगठनों द्वारा प्रयोग के लिए खेल उपस्कर के पूल का रखरखाव भी कर रहा है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण ने निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की हैं और उन्हें संचालित करेगा :—

1. खेल प्रतिभा का पता लगाना और पोषण तथा स्कूलों को अपनाना।
2. राष्ट्रीय शारीरिक उपयुक्तता आन्दोलन।
3. खेल विज्ञान अनुसंधान छात्रवृत्तियां।
4. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल चिकित्सा केन्द्र की स्थापना।
5. देशी खेलों तथा युद्ध सम्बन्धी कलाओं का विकास।
6. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य खेलों का विकास।
7. पड़ोसी समुदाय खेल केन्द्र।
8. तकनीकी खेल उपस्करों का केन्द्रीय पूल।
9. विशेष क्षेत्रों में उपस्करों का विकास।
10. कम्प्यूटराइज्ड खेल डाटा बैंक की स्थापना।
11. गैर युवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां।
12. चिकित्सा विस्तार सेवाएं।

अधिकृत प्रैस संवाददाताओं और कैमरामैनों को यात्रा रियायतें

497. **श्री पी० एम० सईद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत प्रैस संवाददाताओं और कैमरामैनों को यात्रा सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको किस अवधि से लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) माने माने प्रैस संवाददाताओं और न्यूज कैमरामैनों के लिए रेल यात्रा में रियायत की मात्रा 11-9-1986 से पहले दर्जे में 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है। दूसरे दर्जे में 50 प्रतिशत की रियायत दी गई थी और यह रियायत बरकरार है।

केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

498. **श्री पी० एम० सईद :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है और यदि हां, तो उसके उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) किस स्तर पर विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का विचार है; और

(ग) इस समय कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है तथा इस केन्द्रीय संस्थान द्वारा कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृत विभागों में राज्य मंत्री (श्री मती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सोवियत संघ में (चेरनोबिल) परमाणु दुर्घटना से फैली रेडियोधर्मिता के कारण कैंसर

499. **श्री पी० एम० सईद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सोवियत संघ में हुई चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना से रेडियोधर्मिता के फैलने के कारण विश्व भर में भारी संख्या में लोगों को कैंसर हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी खतरे का कोई मूल्यांकन किया है और इस संबंध में की जाने वाली पूर्व सावधानियां, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में रेडियो-धर्मिता नगण्य थी और इस बारे में कोई सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं थी।

रेल पटरियों का आयात

500. **श्री तेजा सिंह दर्दी**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने पश्चिमी देशों से एक लाख टन रेल पटरियां आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल पटरियों की आवश्यकता को स्वदेशी स्रोतों से पूरा करना संभव नहीं था;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं;

(घ) किन-किन देशों से रेल पटरियों का आयात किये जाने की संभावना है और प्रत्येक देश से कितने मूल्य पटरियों का आयात किया जायेगा; और

(ङ) रेल पटरियों को बदलने के कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) विश्व निविदाएं आमंत्रित करके एक लाख टन पटरियों का आयात किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1986–87 के लिये चार लाख टन की आवश्यकता की तुलना में भिलाई इस्पात संयंत्र ने (जो सप्लाई का एक मात्र स्रोत है), चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में केवल 81,600 टन पटरियां सप्लाई की हैं।

(घ) खरीद विश्व निविदाओं के माध्यम से की जानी है और ठेका देने के काम को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस स्थिति में अभी जहां से आयात किये जाने की संभावना है, उस देश का नाम मालूम नहीं है।

(ङ) 1985–86 के दौरान 3300 कि० मी० के लक्ष्य की तुलना में 3578 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण का कार्य पूरा किया गया था। 1986–87 के लिए रखे गये 3800 कि० मी० के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष के दौरान (सितम्बर 86 तक) 1484 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण का कार्य किया गया है।

दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशनों पर संगठित गिरोह द्वारा अनारक्षित रेल डिब्बों की सीटों की बिक्री

501. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय "सीटस्केलपर्स" के संगठित गिरोह द्वारा अनारक्षित रेल के डिब्बों के यात्रियों को लूट लिया जाता है और यह गिरोह अनारक्षित डिब्बों की सीटों पर कब्जा कर लेता है और तब उन सीटों को वैध टिकट वाले यात्रियों को बेच देता है, और

(ख) यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त गिरोह का पता लगाने तथा उसे समाप्त करने और यात्रियों विशेषकर समाज के गरीब वर्ग से आने वाले यात्रियों को शोषण से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) ऐसे किसी संगठित गिरोह के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तथापि, असामाजिक तत्वों द्वारा सीटों को घेरे जाने के अलग-अलग मामले पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ख) ऐसी गतिविधियों में असामाजिक तत्वों के लिप्त होने को रोकने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) यार्ड/धुलाई लाइनों में खड़ी गाड़ियों के खाली रेकों में अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(2) यार्ड/धुलाई लाइनों से खाली रेकों को प्लेटफार्म पर लाने से पहले सवारी डिब्बों के दरवाजों में ताले लगाये जाते हैं।

(3) अनारक्षित सीटों को घेरने और बेचने में लिप्त असामाजिक तत्वों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए निरंतर अचानक जांच की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक–भुवनेश्वर सैक्शन को चौमार्गी बनाने के लिए विश्व बैंक से ऋण

502. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक–भुवनेश्वर सैक्शन को चौमार्गी बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण भी मंजूर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से कुल कितनी राशि का ऋण प्राप्त हुआ है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर सेक्शन के कुछ खण्डों को चार लेन वाला बनाने के लिए सामान्य योजनागत आवंटनों के अन्तर्गत 103.46 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खड़गपुर-बालासोर और बरहामपुर रायपुर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

503. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खड़गपुर-बालासोर सड़क और बरहामपुर (उड़ीसा) से रायपुर (मध्य प्रदेश) तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति ने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी हां, लेकिन वित्तीय प्रतिबंधों के कारण सिफारिश को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं हुआ है ।

इंदिरा गांधी स्मारक जल महोत्सव

504. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में प्रति वर्ष इंदिरा गांधी स्मारक अन्तर्राष्ट्रीय जल-महोत्सव आयोजित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो महोत्सव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोचीन में इस प्रयोजन हेतु स्थायी आधार पर एक "जल स्टेडियम" बनाया जाएगा; और

(घ) क्या कोचीन समुद्र तट पर श्रीमती इंदिरा गांधी की एक प्रतिमा स्थायी तौर पर स्थापित की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी मेमोरियल इन्टरनेशनल बोट रेस पहली बार कोचीन में सितम्बर, 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल इन्टरनेशनल बोट रेस सोसायटी के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। आयोजकों की प्रत्येक वर्ष बोट रेस आयोजित करने और प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाने की योजना है। उनका अन्य जल खेलों को शामिल करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का भी प्रस्ताव है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केरल राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) ऐसा प्रस्ताव है और उसकी जांच की जा रही है।

कोचीन पत्तन के लिए विदेश से नया तलकर्षक (ड्रेजर)

505. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन पत्तन के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले नए तलकर्षक (ड्रेजर) की लागत क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : कोचीन पत्तन न्यास द्वारा उनके पुराने ड्रेजर "लेडी विलिंग्डन" के स्थान पर प्रस्तावित नये ड्रेजर को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 21.29 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर संस्वीकृति प्रदान की है।

लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करना

506. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **जल संधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनके स्थान का ब्यौरा क्या है जिन्हें शुरू में छठी योजना अवधि के दौरान अथवा उससे पहले आरम्भ और चालू किया जाना था ;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना की आरम्भिक अनुमानित लागत क्या है और छठी योजना के अन्त तक कितनी धनराशि खर्च की गई और प्रत्येक योजना के संशोधित अनुमान क्या हैं तथा प्रत्येक को पूरा करने तथा चालू करने की सम्भावित तारीख क्या है ;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना से कितना लाभ होने का अनुमान है; और

(घ) यदि ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कार्य शुरू करने के बाद किसी परियोजना के अनुमानित उद्देश्यों में संशोधन किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे संशोधन करने से उनमें कितना समय लगेगा और लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 18 परियोजनाओं के मामले में उनके लक्ष्यों में राज्य सरकारों द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। लागत में वृद्धि तथा समय अधिक लगने के कई कारणों में लक्ष्य में परिवर्तन तथा संसाधनों की कमी शामिल है।

विवरण

छठी योजना के दौरान पूरा किए जाने के लिए अभिज्ञात परन्तु पूरी की गई बृहत् सिंचाई परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कहां पर स्थित है	मूल लागत	अद्यतन लागत	छठी योजना के अन्त तक व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	मूल क्षमता जिसमें लक्ष्य बदले गए हैं	क्या सातवीं योजना में पूरा किए जाने की संभावना है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	91.12	849.63	555.07	895.28	833.60	—
2.	श्रीरामसागर चरण–I	,,	40.10	1007.00	396.62	651.00	250.00	—
3.	गोदावरी बराज	,,	26.59	86.01	70.77	—		हां
4.	वम्सधारा चरण–I	,,	8.78	51.15	32.18	20.14		,,
5.	तुंगभद्रा उ० स्त० न० चरण–दो (अन्तर्राज्जीय)	आंध्र प्रदेश कर्नाटक	14.52	111.70 15.34	48.66 11.41	89.65 80.91		—
6.	सोमसिला चरण–I	आंध्र प्रदेश	17.20	147.00*	62.83*	44.24*	285.00	हां
7.	धनसिरि	असम	15.83	66.32	30.93	43.40		,,
8.	गण्डक सोपान–I	उत्तर प्रदेश	15.47	139.47	104.23	308.39		—
9.	बारनेर जलाशय	बिहार	8.03	62.93	8.23	22.40		
10.	दमनगंगा (अन्तर्राज्यीय)	गुजरात संघ राज्य क्षे०	24.40	132.26	80.46	56.07		
11.	पानम	गुजरात	10.67	56.54	46.30	49.37	21.85	हां
12.	साबरमती	,,	17.59	86.00	78.06	55.68	36.83	,,
13.	माहीबजाज सागर (अन्तरा०)	गुजरात राजस्थान	31.36	46.70 215.02	37.20 131.55	201.00 80.00	46.57	—

14. गुड़गांव नहर (अन्तर्रा०)	हरियाणा	2.88	16.83	16.42	81.00	26.57	हां	लिखित उत्तर
	राजस्थान		13.92	10.01	28.20		—	
15. जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट	हरियाणा	40.00	130.00	114.92	155.00		—	
16. लोहारू लिफ्ट	,,	4.13	34.62	31.82	66.00	10.45	—	
17. पश्चिम यमुना नहर पुनरूर्पण	हरियाणा	3.02	12.49	10.49	248.00		हां	
18. भद्रा	कर्नाटक	31.93	59.00	58.82	105.57		हां	
19. तुंगभद्रा बांध तथा बांया तट नहर	,,	1.59	90.40	69.27	244.38		हां	
तुंगभद्रा आर० बी० एल० एल० सी०	,,	अनु०	6.83	5.56	37.50		हां	
20. चित्तूरपूझा	केरल	0.99	17.86	14.07	27.00	22.51	,,	
21. कुट्टीयाडी	,,	4.96	50.00	46.17	35.85		—	
22. पम्बा	,,	3.83	54.00	48.58	49.50		—	
23. पझासी	,,	4.42	59.12	49.50	32.40		हां	
24. महानदी जलाशय	मध्य प्रदेश	496.02	734.28	77.35	340.00	(केवल जल सप्लाई)	—	
25. अपर वेनगंगा	,,	50.60	97.20	68.58	105.00		—	
26. जयकवाड़ी चरण–एक	महाराष्ट्र	38.46	252.81	233.61	141.64		—	
27. कृष्णा	,,	27.66	156.20	92.00	113.26	106.33	—	
28. भीमा	,,	42.58	321.00	185.67	162.50		—	
29. अपर तापी चरण एक व दो	,,	12.09	93.73	52.87	55.14		—	
30. मांजरा	,,	20.19	32.15	30.37	24.00		हां	
31. वेधुर	,,	12.28	34.52	3.05	29.65		—	
32. खडकवासला	,,	11.62	175.31	78.45	62.00	31.17	—	
33. अपर गोदावरी	,,	14.20	79.74	42.66	67.29		—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	लोकतक लिफ्ट	मणिपुर	4.62	24.40	21.30	40.00		हां
35.	आनन्दपुर बराज	उड़ीसा	21.94	15.04	11.60	40.00		हां
36.	रेंगाली (बांध का सिंचाई हिस्सा)	"	अनु०	33.97	32.02	—		—
37.	जाखम	राजस्थान	2.33	60.25	95.72	21.18	13.27	—
38.	राजस्थान चरण–I	"	66.46	246.00	226.59	588.00		—
39.	परम्बीकुलम एलियार	तमिलनाडु	24.86	64.29	62.53	101.25	97.17	हां
40.	सारदा सहायक	उ०प्र०	64.84	775.00	441.44	1582.00	621.45	—
41.	कोसी सिंचाई	"	2.93	17.32	15.92	48.80	34.97	हां
42.	नरायणपुर पर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	"	9.96	38.75	19.77	72.92		हां
43.	सोन पम्प नहर	"	5.64	31.00	18.54	30.00	43.90	—
44.	देवकाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	"	14.29	31.72	20.04	73.60		हां
45.	कंसबती	पश्चिम बंगाल	25.26	100.16	87.89	402.00		—
46.	तीस्ता बराज सोपान–I चरण–I	"	69.72	400.00	173.81	379.60		—
47.	दामोदर घाटी निगम का बराज एवं सिंचाई प्रणाली (विस्तार एवं सुधार)	"	अनु०	35.00	30.06	515.38		हां
48.	सलौली	गोवा, दमन और दीव	9.61	73.18	32.84	14.40	20.85	—

*चरण –दो शामिल है।

देश में गर्भवती महिलाओं का शारीरिक ढांचा

507. श्री शान्ति धारीवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के तीन बाल रोग चिकित्सकों ने यह घोषणा की है कि देश में गर्भवती महिलाओं के शारीरिक ढांचे को देखते हुए उनमें से अधिकांश इक्कीसवीं शताब्दी तक स्वस्थ और सामान्य बच्चों को जन्म नहीं दे सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है कि महिलाएं स्वस्थ और सामान्य बच्चों को जन्म दे सकें; और

(ग) यदि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बाल रोग चिकित्सकों द्वारा की गई घोषणा की कोई जानकारी नहीं है । तथापि, गर्भवती महिलाओं के पोषणिक स्तर—जो नवजात शिशु के वजन का एक प्रमुख निर्धारक होता है—में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पोषण की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता से बचाव की योजना शुरू की है तथा उसे जारी रखा जा रहा है । इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्धन गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने की योजना चला रहा है ताकि गर्भस्थ शिशु पर कुपोषण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके ।

कन्टेनर परिवहन निगम का गठन

508. श्री एस० जी० घोलप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुधार समिति ने कन्टेनर परिवहन निगम के गठन की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है और रेल विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) रेल सुधार समिति की सिफारिश थी कि देश में कन्टेनरीकरण के विकास के बेहतर हितों के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए । तदनुसार, इस संबंध में अध्ययन करने का कार्य रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानोमिक सर्विस लिमिटेड को सौंपा गया था । उनकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है । इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

बम्बई डिवीजन में रेलवे स्टालों के किराये में संशोधन

509. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के बम्बई डिवीजन ने 11 वर्षों के लिये भूतलक्षी प्रभाव से रेलवे स्टालों के किराये में संशोधन किया है;

(ख) क्या ऐसा रेलवे के किसी अन्य डिवीजन में भी किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन स्टालों के पट्टे की अवधि केवल तीन वर्ष है;

(घ) क्या सरकार को इस प्रस्ताव से विरुद्ध और बम्बई डिवीजन द्वारा लिये गये निर्णय में संशोधन करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) खानपान/बिक्री स्टालों के लिये करार की सामान्य अवधि 3 वर्ष थी जिसे संशोधित करके अब 5 वर्ष कर दिया गया है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) अभ्यावेदन की जांच की जा रही है ।

राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

510. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान कुछ राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में लाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार मछलीपत्तनम विजयवाड़ा राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का है जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) संसाधनों पर सख्त प्रतिबन्धों के कारण, इस समय आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम विजयवाड़ा राज्य राज मार्ग सहित किसी भी राज्य में किसी नये मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना सम्भव नहीं है ।

नई दिल्ली रेलवे आरक्षण कार्यालय में लगाये गये कम्प्यूटरों का कार्यकरण

511. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के नई दिल्ली आरक्षण कार्यालय में लगाये गये कम्प्यूटर लगाये जाने के बाद से अब तक कितनी बार खराब हुए है; और

(ख) यदि कम्प्यूटरों का कार्यकरण असंतोषजनक रहा है, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1-1-1986 से अब तक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण का कार्य, सिस्टम में खराबी आने के कारण, 19 बार प्रभावित हुआ था। प्रभाव की अवधि 30 मिनट से लेकर 2 घंटे 45 मिनट तक रही थी। तथापि, एक अवसर पर हार्डवेयर में बड़ी खराबी आ जाने के कारण आरक्षण कार्य 7 घंटे 40 मिनट तक रुका रहा था। इनमें से. 11 बार यह सिस्टम पर काम करने वाले कर्मचारी अनुभव न होने के कारण, 6 बार हार्डवेयर की छोटी मोटी खराबियों के कारण तथा 2 बार हार्डवेयर की बड़ी खराबी आने के कारण प्रभावित हुआ था। दिल्ली आरक्षण परियोजना के चरण II के लिये खरीदे जा रहे अतिरिक्त हार्डवेयर आ जाने पर खराबियों में और कमी हो जायेगी।

दूसरे चरण का कार्यान्वियन मार्च 1987 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम में बस किरायों में वृद्धि की तुलना में निगम की वित्तीय स्थिति

512. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस-किराये में अत्यधिक वृद्धि किये जाने से इस उपक्रम की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार हुआ है और यात्री-सेवाएं अच्छी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) बस-भाड़ों में हुई हाल की वृद्धि से आशा है कि इसके कुल वार्षिक प्रचालन घाटों में कुछ हद तक कमी हो जाएगी।

यात्रियों को उपलब्ध सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से उठाए गए कदमों में, जिनमें सघन चैकिंग प्रणाली शामिल है जिसके अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से चैकिंग की जाती है, ये अधिकारी क्रू के बर्ताव की चैकिंग करने के साथ-साथ बसों की प्रस्तुति (प्रेजेंटेबिलिटी) से संबंधित पहलुओं पर भी निगरानी रखते हैं। कुछ बसों में बस स्टापों की अवस्थाओं को सूचित करने के लिए जन संबोधन-प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए "आल रूट पास" धारकों को पालम कोच तथा टूरिस्ट स्पैशल बसों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त हाल ही में प्रयोगात्मक आधार पर ट्रांस टिकट स्कीम लागू की गई है जो यात्रियों को रास्ते में दो और बसें बदलने की सुविधा प्रदान करती है। "जैसे चाहें वैसे यात्रा करें" वाला 4 रु० कीमत वाला टिकट सप्ताह के सभी दिवसों में उपलब्ध है। इन सभी उपायों से कुशल यात्री-सेवा उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के लिए आई० डी० पी० एल० से दवाइयों की खरीद

513. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों (एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों) के लिए दवाइयों की खरीद निविदा सूचनाएं जारी करके की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दवाइयों की सप्लाई के लिए सबसे कम दर की निविदाएं स्वीकार की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सबसे कम दरों पर खरीदी गई दवाइयां पूर्णतः निष्क्रिय और घटिया, पुरानी तथा मिलावटी होती है और इनके प्रयोग से रोगियों को नुकसान पहुंचता है; और

(घ) यदि हां, तो इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी जो कम से कम 15 विशेषज्ञों के विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यताप्राप्त है; से सीधे दवाइयों की खरीद न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री : (कुमारी शैलजा खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए जेनेरिक किस्म की औषधियां टेण्डर इन्क्वायरी द्वारा पंजीकृत फर्मों से और प्रोपराइटरी औषधियां सिग्नल अटेण्डर इन्क्वायरी द्वारा निर्माताओं से खरीदी जाती हैं। मैसर्स आई० डी० पी० एल०, एच० ए० एल०, एस० एस० एण्ड कम्पनी, बी० सी० पी० डब्ल्यु० (एलोपैथिक औषधियां) आई० एम० पी० सी० एल० (आयुर्वेदिक औषधियां) जैसे सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों/कम्पनियों द्वारा सप्लाई गई दवाइयां सिर्फ उनसे ही खरीदी जाती हैं ।

(ख) निम्नतम प्रस्ताव को केवल तभी स्वीकार किया जाता है यदि वह निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है।

(ग) नहीं, एलोपैथिक दवाइयों के संबंध में प्रयोगशालाओं से सन्तोषजनक जांच रिपोर्ट मिलने पर और आयुर्वेदिक दवाइयों के संबंध में सन्तोषजनक आर्गोनोलिप्टिक जांच के बाद ही दवाइयां स्वीकार की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश होकर श्रीनगर से कन्या कुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग

514. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ;

(ख) आंध्र प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश होकर श्रीनगर से कन्या कुमारी तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास/निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(ङ) क्या मालमायात को सुलभ बनाने के लिये आंध्र प्रदेश के सभी शहरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को कब तक शुरू किये जाने की आशा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 69

(ख) 5

(ग) और (घ) जी नहीं। आंध्र प्रदेश होकर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का मार्ग पहले ही मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (ख) (श्रीनगर-जालंधर), (जालंधर-दिल्ली), 2 (दिल्ली-आगरा), 3 (आगरा—शिवपुरी), 25 (शिवपुरी-झांसी), 26 (झांसी-लखनडान), और 7 (लखनडान-नागपुर-निजामाबाद-हैदराबाद-ऊटी-बंगलौर-कृष्णगिरि-सलेम-डिंडीगुल-मदुरै-कन्याकुमारी) जुड़ा हुआ है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

जन्म निरोधक टीके का विकास

515. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नए जन्म निरोधक टीके का विकास किया गया है;

(ख) क्या इस टीके का इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में परीक्षण किया गया है; और

(ग) सार्वजनिक प्रयोग के लिए इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जन्म निरोधक वैक्सीनें राष्ट्रीय रोग-प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान में तैयार की जा रही हैं। दो सम्मिश्रणों का परीक्षण किया गया है और उन्हें छोटे क़िस्म के स्तनधारियों और मनुष्येतर स्तनपायियों पर कारगर पाया गया है। क्लिनिक-पूर्व विष-विज्ञान संबंधी अध्ययनों में प्रतिकूल परिणाम न पाए जाने पर प्रथम चरण में मनुष्य पर डाक्टरी परीक्षण किए गए हैं। इस वैक्सीन का सार्वजनिक प्रयोग इन परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

महामारी के रूप में काला–अजार रोग

516. **श्री सी० माधव रेड्डी**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में कई राज्यों में काला आजर बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है और इस बीमारी से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां तो प्रभावित राज्य कौन-कौन से हैं तथा इस बीमारी से प्रभावित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :

(क) से (ग) बिहार और पश्चिम बंगाल कालाअजार स्थानिकमारी वाले राज्य हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारयों से मिली सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान सूचित किये गये रोगियों की संख्या इस प्रकार है --

बिहार	5191
पश्चिम बंगाल	1456

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के आधार पर देश में काला-आजार के प्रकोप की मानीटरिंग कर रहा है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय/राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान भी इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं और अन्य उपचारी उपाय किये जा रहे हैं जिनमें घर-घर में जाकर रोगियों का पता लगाना, कीट-विज्ञान अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम, कीटनाशी छिड़काव आदि शामिल हैं। काला-आजार के नियंत्रण के लिए राज्यों को कीटनाशी दवाइयां अपेक्षित मात्रा में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बजट में से राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच 50 : 50 आगत हिस्सेदारी के आधार पर सप्लाई की जाती है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बेड़े को लेने का प्रस्ताव

517. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सम्पूर्ण बेड़े को लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पोतों की संख्या क्या है और इस पर कितना खर्च आयेगा;

(ङ) क्या इस योजना के संबंध में गैर-सरकारी नौवहन क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के स्वामित्व वाले अप तटीय सप्लाई जहाजों का अधिग्रहण करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने जुलाई, 1986 में विभिन्न पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। उसके उत्तर में भारतीय नौवहन निगम ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सम्पूर्ण बेड़े का अधिग्रहण करने के लिए अगस्त, 1986 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास 33 अप तटीय सप्लाई पोत हैं जिनमें से 3 पोतों का भारतीय शिपयार्डों में फैब्रीकेशन किया जा रहा है। इन अप तटीय सप्लाई जहाजों की कुल कीमत लगभग 180 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय शिपर्स एसोसिएशन ने निजी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों की ओर से यह अनुरोध किया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के स्वामित्व वाले उक्त अप तटीय सप्लाई जहाजों का अधिग्रहण करने अथवा अन्यथा उनका प्रचालन करने के लिए पहला विकल्प भारतीय नौवहन कम्पनियों को दिया जाए। उक्त अभ्यावेदन समुचित निर्णयों के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया था क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए वही प्रशासनिक मंत्रालय है।

सभी विद्यालयों में समान शिक्षा प्रणाली

518. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री रामभगत पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी विद्यालयों में समान प्रणाली अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि सरकार समान शिक्षा प्रणाली अपनाने पर विचार नहीं कर रही है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या समान शिक्षा प्रणाली पब्लिक स्कूलों में भी लागू की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, में, सामान्य शैक्षिक ढांचे पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और सामान्य कोर के साथ एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढ़ाचे की परिकल्पना है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन की कार्रवाई योजना संसद द्वारा पिछले सत्र में अनुमोदित कर दी गई है और इसे राज्यों में परिचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और इसके कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार की हैं। उपरोक्त मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा तैयार की गई प्रारूप पाठ्यचर्या को अपनाने के लिए उन्हें राज्यों को परिचालित कर दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सभी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को अपनाने की सिफ़ारिश की गयी है।

नई रेल लाइन का पूरा किया जाना

519. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान किन्हीं रेल लाइनों के बिछाने का कार्य पूरा हुआ है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उन लाइनों के नाम क्या हैं, और सातवीं योजना के दूसरे वर्ष में कौन-कौन सी नई रेल लाइनों के पूरा होने और यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है,

(ग) क्या ऐसी नई रेल लाइनों के बिछाने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें बिछाने का कार्य छठी योजना में शुरू किया गया था और जिनसे क्षेत्रीय आर्थिक विकास सुनिश्चित होने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :

(क) और (ख) जी हां, 1985-86 के दौरान निम्नलिखित लाइनें खोली गयी हैं —

(1) नागोथाना–रोहा
(2) धर्मनगर–पेचारथल
(3) तिरूनेलवेलि से मिलविट्टान तक सामानान्तर बड़ी लाइन।
(4) कोरापुट–मचिलीगडा

1986–87 में मिलविट्टान-तूतीकोरिन हार्बर बड़ी लाइन पूरी कर ली गयी है और तलगड़िया–तुपकाडीह नयी लाइन मार्च, 1987 में खोल दिये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित नयी रेल लाइनें शुरू करने को प्राथमिकता दी गयी है --

(1) मोटूमारी–जगयापेट्टे (आंध्र प्रदेश)

(2) भुज–नलिया (गुजरात)

(3) कोरापुट–रायगडा (उड़ीसा)

(4) भटिंडा बाई-पास लाइन (पंजाब)

(5) कोटा-चित्तौड़गढ़–नीमच (राजस्थान)

चिकित्सा शिक्षा के लिये नया सामान्य पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव

520. **श्री विजय कुमार मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने चिकित्सा शिक्षा का पुनर्विन्यास करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् के क्या सुझाव हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) क्या सरकार का देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए नई योजना और नया सामान्य पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री : (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के 12वें संयुक्त सम्मेलन ने 22–24 सितम्बर, 1986 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है :

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से अनुरोध किया जाए कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अनिवार्य तत्वों को समाविष्ट करने की दृष्टि से स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समीक्षा करें।

(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारें स्वास्थ्य विज्ञानों के विश्वविद्यालय स्थापित करें ताकि आधुनिक और विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी इत्यादि की विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।

(iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों को चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णय को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कालेजों में दाखिले की एक-समान कार्यविधियां विकसित करनी चाहिएं।

उपर्युक्त सिफारिशों पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर कार्रवाई की जाएगी।

कालीकट में हवाई अड्डे का निर्माण

521. श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री पी० जे० कुरियन
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री सुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री वक्कम पुरुषोतमन
श्री के० मोहन दास } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट स्थित हवाई अड्डा निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां तो अब तक इसका कितना प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) इसकी मूल लागत और संशोधित प्राक्कलन क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) : जी हां। परियोजना का निर्माण कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में, मिट्टी कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है। सितम्बर, 1986 तक कुछ मुख्य मदों के निर्माण कार्यों की प्रगति इस प्रकार है :—

टर्मिनल भवन :	30 प्रतिशत
एप्रन :	50 प्रतिशत
धावन पथ और टैक्सी पथ आदि	10 प्रतिशत
तकनीकी ब्लाक :	25 प्रतिशत

(ग) मूल अनुमानित लागत 14.66 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमानित लागत 22.41 करोड़ रुपए।

(घ) निर्माण कार्य दिसम्बर, 1987 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 6 नवम्बर, 1986/15 कार्तिक, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 12, नीचे से पंक्ति 4, "प्रो0पी0जी0कुरियन" के स्थान पर "प्रो0पी0जे0 कुरियन" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 7, "श्री मुकुल वासूनिक" के स्थान पर "श्री मुकुल वासनिक" पढ़िये।

पृष्ठ 24, नीचे से पंक्ति 10, "श्री अजीत कुमार साह" के स्थान पर "श्री अजित कुमार साहा" पढ़िये।

पृष्ठ 31, पंक्ति 12, "(ङ)" के स्थान पर "(ङ.)" पढ़िये।

पृष्ठ 32, नीचे से पंक्ति 8, "(क) से (छ :)" के स्थान पर "(क): छह।" पढ़िये।

पृष्ठ 38, पंक्ति 7 तथा पृष्ठ 106, पंक्ति 35, "डा0बी0एल0शलेश" के स्थान पर "डा0बी0एल0शैलेश" पढ़िये।

पृष्ठ 49, पंक्ति 10, "कोट्ट" के स्थान पर "कोट्टायम" पढ़िये।

पृष्ठ 51, पंक्ति 17, "उद्योग की" के स्थान पर "उद्योग को" पढ़िये।

पृष्ठ 52, पंक्ति 20, "श्री विलास मुत्तेममवार" के स्थान पर "श्री विलास मुत्ते पढ़िये।

पृष्ठ 58, नीचे से पंक्ति 11, "दिल्ली नगर निगम" के स्थान पर "दिल्ली परि निगम" पढ़िये।

पृष्ठ 60, पंक्ति 5, "नागर मंत्रालय" के स्थान पर "नागर विमानन मंत्रालय"।

14, पंक्ति 24, 27 और 31, "सीरूप" के स्थान पर "सीरप" पढ़िये।

56, नीचे से पंक्ति 7, शीर्षक में "विलय" से पहले "का" अंतःस्थापित करिये

57, पंक्ति 7, "पन-धारा कायक्रम" के स्थान पर "पनधारा कार्यक्रम" पढ़िये।

75, नीचे से पंक्ति 3, "श्री यशवन्तराव गुडारन पाटिल" के स्थान पर

यशवन्त रावगडाख पाटिल" पढ़िये।

90, पंक्ति 9, "याक" के स्थान पर "क्या" पढ़िये।

94, पंक्ति 4, शीर्षक में "लए" के स्थान पर "लिए" पढ़िये।

106, पंक्ति 28, "श्री मानक रेड्डी" के स्थान पर "श्री मानिक रेड्डी" पढ़िये।

106, पंक्ति 32, "श्री विलास मुटेमवार" के स्थान पर "श्री विलास मुत्तेमवार"
।

107, पंक्ति 11, शीर्षक में "योयना" के स्थान पर "योजना" पढ़िये।

107, नीचे से पंक्ति 6, शीर्षक में "आय" से पहले "से" अंतःस्थापित करिये।

135, नीचे से पंक्ति 6, "हैo कृपा सिन्धु भोई" के स्थान पर "डाo कृपा
] भोई" पढ़िये।

194, पंक्ति 12, "श्री आचार्य" के स्थान पर "श्री बसुदेव आचार्य" पढ़िये।

195, नीचे से पंक्ति 11, "श्री सयद शाहबुददीन" के स्थान पर "श्री सैयद
बुददीन" पढ़िये।

203, पंक्ति 3, "(उपाध्यक्ष" के पश्चात "महोदय" अंतःस्थापित करिये।

262, पंक्ति 12, "(शिलोन)" के स्थान पर "शिलांग" पढ़िये।

274, पंक्ति 6, "श्री इन्दरजीत गुप्त" के स्थान पर "श्री इन्द्रजीत गुप्त" पढ़िये।

274, पंक्ति 8, "उपायक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।

285, नीचे से पंक्ति 8 तथा पृष्ठ 286, नीचे से पंक्ति 11, "श्री एस०जयमाल
" के स्थान पर "श्री एस०जयपाल रेड्डी" पढ़िये।

सुलूर में हवाई अड्डे का निर्माण

522. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कोयम्बतूर के निकट सुलूर में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इस निर्माण कार्य हेतु कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा करने संबंधी कोई समयावधि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) : कोयम्बत्तूर के निकट सुलूर में भारतीय वायु सेना का एक हवाई अड्डा पहले से ही है जिसे इंडियन एयरलाइन्स के परिचालनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सुलूर में दूसरा हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में नवोदय विद्यालय

523. **श्री बी० एस० विजयराघवन :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पालघाट जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल के अन्य जिलों में खोले जाने वाले नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सातवीं, पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय किया गया है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान केरल के पालघाट जिले में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान केरल के जिन अन्य जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, वे हैं —

जिला इदुक्की
जिला पाथानामथित्ता
जिला कासारगोड
जिला एरनाकुलम

कीटनाशक दवाओं के अन्धाधुन्ध उपयोग के कारण स्वास्थ्य को खतरा

524. डा० जी० विजय रामाराव
श्री मानक रेड्डी : } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मलेरिया के कीटाणु देश में फिर से पैदा हो गए हैं ; और

(ख) क्या दक्षिण और मध्य अमरीका और अफ्रीका में कीटनाशक दवाओं के अन्धाधुंध प्रयोग के कारण ओन्को केरसियसिस नामक फाइलेरिया रोग फैल रहा है और यदि हां, तो सरकार का, इस संबंध में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)

(क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है । तथापि, कृषि मंत्रालय में सरकार द्वारा कीटनाशी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित पंजीयन समिति कीटनाशी दवाओं को अनुमोदित करते समय कीटनाशक दवाओं का उपयुक्त उपयोग निर्धारित करने पर अत्यधिक सावधानी बरतती है ।

स्केलेटल फ्लूरोसिस से प्रभावित लोग

525. डा० जी० विजय रामाराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीने के पानी के कारण स्केलेटल फ्लूरोसिस से 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, और यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है;

(ख) क्या स्केलेटल फ्लूरोसिस चाय, काफी, पान, सुपारी और फ्लोराइड टूथपेस्ट के प्रयोग से बढ़ जाती है; और

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित मदों पर दूरदर्शन आकाशवाणी और अन्य प्रचार माध्यम पर रोक/प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में, राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :

(क) फ्लोरोसिस फैलने तथा उसके निवारक उपायों के बारे में राज्यों से प्राप्त विवरण संलग्न हैं ।

(ख) इसकी पुष्टि करने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं ।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

विवरण

फ्लोरोसिस का प्रकोप तथा फ्लोरोसिस को रोकने के लिए किए गये उपाय :

1. **गुजरात** : गुजरात के अमरेली जिले में फ्लोरोसिस से 16 गांव प्रभावित हैं।

गुजरात में गुजरात जलपूर्ति एवं मल निपटान बोर्ड द्वारा अमरेली जिले के भेसान, वेधानिया, भरिया तथा पिपलवा गांवों में पानी को फ्लोराइड रहित करने की नालगोंडा विधि की आजमायश की जा रही है।

कर्नाटक : वर्ष 1985-86 में डेंटल फ्लोरोसिस के कुल 286 रोगियों का उपचार किया गया। फ्लोरोसिस से निम्नलिखित 9 जिले प्रभावित हैं। (1) तुमकुर (2) रायचूर (3) बेलारी, (4) धारवार (मुण्डगीर तालुक के 7 गांव) (5) कोलार (6) चित्रदुर्ग (7) चिकमगलूर (8) हसन और (9) गुलबर्गा।

तुंगभद्रा नदी से धारवार जिले में मुण्डगीर के 7 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करने की दूसरी सुविधा प्रदान की गई है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के चनुपुर जिले के थपराला गांव में 1983 में फलोरोसिस के 171 रोगी थे। उस कुंएं विशेष का उपयोग करना बन्द कर दिया गया तथा उन गांवों में दो नए कुंए खुदवा दिए गये। 1986 में कोई मामला नहीं मिला और इस समय कोई गांव प्रभावित नहीं है।

पंजाब : पंजाब में फ़लोरोसिस के प्रकोप वाले जिले हैं—भटिंडा, फरीदकोट, संगरूर, तथा फिरोजपुर। 1598 गांवों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कर दिया गया है और 490 अन्य गांवों में काम चल रहा है।

रोगियों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	रोगियों की संख्या
1983	3347
1984	8455
1985	7901

आन्ध्र प्रदेश : आन्ध्र प्रदेश के प्रभावित जिलों के 171 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कर दिया गया है। नालगोंडा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कादरी नगरपालिका क्षेत्र में पानी को फलोराइड रहित करने का एक संयंत्र लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार लोगों को अपने-अपने घरों में ही फ्लोरीन को दूर करने की विधि अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

हिमाचल प्रदेश : पिछले तीन वर्षों मे अब तक केवल 30 रोगियों का ही पता चला है।

तमिलनाडु : तमिलनाडु में 6 जिले अर्थात् उत्तरी अरकाट, त्रिची, धर्मपुरी, सेलम कोयम्बतूर तथा पेरियार जिले फ्लोरोसिस रोग ग्रस्त जिले हैं (कोयम्बत्तूर और पेरियार जिले में 726 बस्तियां)। 10-9-86 की स्थिति के अनुसार 126 बस्तियों में अर्थात् कोयम्बतूर में 28 और पेरियार जिले में 98 बस्तियों में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था कर दी गई है। ई० ई० सी० सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत इस सुविधा को कुल 417 बस्तियों में (कोयम्बतूर में 96 और पेरियार में 321) पहुंचाने का प्रस्ताव है (इनमें से 126 में यह सुविधा पहले ही पहुंच गई है।

अनुसंधान और विकास संगठन का नवीकरण

526. **श्री जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवारक औषधियों के संबंध में अनुसंधान और विकास संगठन का नवीकरण; पुनर्गठन किया जाएगा और इसे सशक्त बनाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) : अनुसंधान और विकास के साथ-साथ रोकथाम पर अधिक बल देना, 2000 ईसवीं तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की नीति का पहले ही एक अंग है। इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं में रोगप्रतिरक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, रोग की जांच, प्रदूषण नियंत्रण, आनुवंशिक सलाह, और चिरकालिक विघटनकारी तथा आनुवंशिक रोगों की रोकथाम शामिल हैं तथा बुनियादी और प्रचालनात्मक अनुसंधान करना भी इसमें शामिल है।

फुतवाह-इस्लामपुर रेलवे लाइन का बन्द किया जाना

527. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में फुतवाह-इस्लामपुर रेलवे लाइन को बन्द किये जाने के कारण बिहार की जनता को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर इस मार्ग पर लिंक रेल शुरू करने पर पुनर्विचार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :

(क) और (ख) : इस लाइट रेलवे को परिसम्पत्तियों की खराब हालत, हानि तथा क्षेत्र के सड़क परिवहन द्वारा भली भांति सेवित होने जैसे सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद बन्द किया गया था। रेल सम्पर्क को फिर से खोलने तथा इसे बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाड़ी के देशों के लिए विमान भाड़ा

528. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी क्षेत्र के लिए विमान भाड़ा कम करने के मामले को कभी अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसियेशन के समक्ष उठाया गया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :

(क) और (ख) : जी, हां। एयर इंडिया ने खाड़ी क्षेत्र के लिए विमान भाड़ा कम किए जाने के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ फोर्म में उठाया था। तथापि, वाणिज्यिक आधार को मद्दे नजर रखते हुए विभिन्न सदस्य एयरलाइनों ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।

(ग) चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों का एक संघ है, इसलिए सरकार उस फोर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

[हिन्दी]

जोधपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना

529. **श्री बुद्धिचन्द्र जैन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय घोषित करने के लिये प्राथमिक अपेक्षायें क्या हैं;

(ख) क्या राजस्थान में जोधपुर विश्वविद्यालय इन सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय में बदले जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) : जैसाकि केन्द्र सरकार नीति के तौर पर किसी भी राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित नहीं करती है, अतः इस प्रयोजन के लिए कोई भी विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

महिला नसबंदी का असफल होना

530. **श्री परसराम भारद्वाज**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद परिवार नियोजन कार्यक्रम में विशेषकर आदिवासी महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं के संबंध मे, उत्साहजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी खबरें भी मिली हैं कि महिला नसबंदी हानिकारक सिद्ध हुई है और इससे सभी आशाएं मिथ्या सिद्ध हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं, सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों में परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। लैप्रोस्कोपिक नसबंदी हानिकारक सिद्ध नहीं हुई है। लैप्रोस्कोपिक नसबंदी की गुणकारिता में सुधार लाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस विधि के असफल हो जाने के अवसरों को कम किया जा सके। लैप्रोस्कोपिक नसबंदी के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के विशेषज्ञ दल से परामर्श कर दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए भेज दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लैप्रोस्कोपिक नसबंदी के मामलों में इस विधि के असफल होने की दर 0.3 प्रतिशत से लेकर 2.7 प्रतिशत तक है।

असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में स्थित पाओहाली पहार में हुई रेल फाटक दुर्घटनायें

531. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊपरी असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में पाओहली पहार के मानव-रहित रेल फाटक पर बस और रेल की टक्कर हुई थी जिसके फलस्वरूप 28 व्यक्ति मरे और 60 व्यक्ति घायल हुये,

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना की जांच कर ली गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त ने बस के ड्राइवर तथा कंडक्टर को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :—

(1) राज्य सरकार से घात लगाकर जांच के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं को अनुशासित करने हेतु कार्रवाई करने तथा सड़क संरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण को गहन करने का अनुरोध किया गया है।

(2) पर्याप्त सावधानी बरते बिना समपारों को पार करने की जोखिम के प्रति सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करने हेतु प्रचार अभियान।

बिहार में वायुदूत सेवाएं

532. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन जिला-शहरों और तीर्थ स्थानों को वायुदूत सेवा से जोड़ा गया है;

(ख) क्या जिन जिला शहरों में हवाई अड्डे हैं; उन सभी को इस सेवा से जोड़ने के संबंध में कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि नहीं, तो भूतल परिवहन की कठिन स्थिति और राज्य में विशाल दूरियों को देखते हुये इस सेवा की कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) : वायुदूत इस समय बिहार राज्य में राची, जमशेदपुर और पटना के लिए विमान सेवा का परिचालन कर रही है।

(ख) और (ग) : विमान क्षमता की उपलब्धता, आवश्यक आधार-भूत सुविधाओं के विकास और परिचालनों की आर्थिक बाध्यता के आधार पर वायुदूत की चालू योजना अवधि में, धनबाद, मया और पूर्णिया को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

विमान, शिक्षा और संचार के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्र

533. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय विज्ञान, शिक्षा और संचार के लिये एक केन्द्र स्थापित करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय छात्रों को मूलभूत विज्ञान को समझने में सहायता के लिये प्रयोग की सुविधाएं जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, विकसित करेगा; और

(ग) क्या सरकार के पास गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा ऐसे प्रयोगों के भारी मात्रा म उत्पादन के लिये रूपरेखा तैयार करने या तैयार करवाने की योजनायें हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हाँ ।

(ख) विज्ञान शिक्षा तथा संचार केन्द्र स्कूलों में उपयोग के लिए पैकेजिस का विकास कार्य भी आरंभ कर देगा । इस प्रयोजनार्थ गठित एक कार्यान्वयन समिति द्वारा इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

चटोपाध्याय आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

534. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षकों के वेतन/भत्तों से संबंधित चटोपाध्याय आयोग की सिफारिशों के संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :(क) और(ख) : चटोपाध्याय आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इस आयोग द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

अनुबन्ध

विवरण

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग-I की मुख्य सिफारिशें

1. अध्यापक की भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की होनी चाहिए, विशेषकर :—

(i) संगठित भारत;

(ii) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया;

(iii) उत्पादकता;

(iv) सहृदय और सावधान सोसायटी ।

तथापि यह समझा जाता है कि अध्यापक का प्राथमिक कार्य मनुष्य निर्माण से संबंधित है, अर्थात् आने वाले कल के लिये भारत का निर्माण ।

2. निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय शुरू किये जाने चाहिएं :—

(क) गृह-निर्माण हेतु ऋणों को आसान तथा नर्म बनाने के लिये अध्यापकों हेतु एक गृह राशि का सृजन करना;

(ख) अध्यापकों के लिये गृह निर्माण सोसायटियों को प्रोन्नत करना;

(ग) प्रमुख शहरों में अध्यापकों के लिये विश्राम गृहों की व्यवस्था;

(घ) मूल वेतन के 7.5% की दर पर चिकित्सा भत्ता और प्रसूति तथा गम्भीर बीमारी में इलाज और चिकित्सा खर्चों की कुल लागत की प्रतिपूर्ति करना;

(ङ) स्कूल में प्रथम उपचार सुविधाओं की व्यवस्था।

3. सेवा निवृत्ति के बाद अध्यापकों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिये स्वास्थ्य की सुविधाएं तथा चिकित्सा जांच उपलब्ध कराते रहना चाहिए।

4. आयोग सिफारिश करता है कि सातवीं योजना के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-अध्यापकों के लिये एक लाख मकानों के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी राय में 25,000/– रु० की लागत एक साधारण आवासीय एकक का निर्माण करना सम्भव होना चाहिए।

5. अध्यापकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकलापों को, गृह, चिकित्सा सहायता, पुस्तक-प्रकाशन, शिक्षा ऋण, अध्यापक, विज्ञान-गृहों आदि की योजनाओं को शामिल करने के लिए विविध बनाना चाहिए।

6. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों के वेतनमानों के अधिव्यय को एक सिंगल रनिंग स्केल से बदलने की संभावना का गम्भीरता से पता लगाना चाहिये। देश में अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की सभी श्रेणियों के लिये एक संयुक्त राष्ट्रीय वेतनमान की दिशा में इसे पहले कदम के रूप में लिया जाना चाहिए।

7. आयोग द्वारा सुझाई गई नई वेतन निर्धारण नीति के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि औसतन राज्य में प्रत्येक माध्यमिक अध्यापक को कम से कम 100/– रुपये प्रति मास का लाभ होगा जबकि प्राथमिक अध्यापक के मामले में यह लाभ कम से कम 150/– रुपये प्रति मास की होगी।

8. आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रस्तावित एक संयुक्त रनिंग स्केल में प्रवेश बिन्दु से पांच साल बाद और तत्पश्चात् हर दस वर्ष के बाद दक्षता रोध की व्यवस्था होनी चाहिये। यह वेतन को निष्पादन के साथ जोड़ने के लिये किया गया है। आयोग का सुझाव है कि जिस प्रत्येक बिन्दु पर दक्षता रोध पड़ता है उसके पूर्व के वर्षों में सम्बन्धित शिक्षक के निष्पादन की समीक्षा करते वक्त संस्था के प्रमुख द्वारा इसे देखा जाना चाहिये। यदि ऐसा मूल्यांकन उद्देश्य पूर्वक किया जाता है तो ये सिफारिश की जाती है। कि आवश्यकता होने पर अन्य संस्था के प्रमुख अथवा ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए सुप्रसिद्ध किसी भी निरीक्षक को ऐसी समीक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है।

9. आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सरकार को संयुक्त रनिंग स्केल के कार्यान्वयन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के घाटे को पूरा करना चाहिए।

10. प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में वरिष्ठ पदों की संख्या को साथ-साथ लगातार बढ़ाने के वास्ते उप-प्रधानाचार्य /प्रथम अध्यापक के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या का मोटे तौर तर समनुज्म वितरण उस इस प्रकार होना चाहिए। सहायक अध्यापक (60 प्रतिशत), वरिष्ठ अध्यापक (25 प्रतिशत), उप प्रधानाचार्य (10 प्रतिशत), और प्रिंसीपल/मुख्याध्यापक (5 प्रतिशत)

11. शारिरिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं, संगीत, चित्रकला आदि के अध्यापकों के वेतन तथा अन्य कार्य परिस्थितियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

12. आयोग सिफारिश करता है कि सातवीं योजना काल के दौरान प्रत्येक राज्य को कम से कम एक चार वर्षीय समेकित शिक्षा कालेज शुरू करना चाहिए।

13. प्रारम्भिक अध्यापकों के लिए कक्षा–II के पश्चात् दो वर्ष का प्रशिक्षण वांछनीय है। इस विषय में प्रयत्न किये जाने चाहिएं कि यथाशीघ्र प्रारंभिक अध्यापकों के प्रशिक्षण तरीके दो सामान्य प्रशिक्षण तरीकों में स्थापित किया जाये।

14. यह सिफारिश जोर देकर की गई है कि भविष्य में शिक्षक प्रशिक्षण केवल उन्हीं अध्यापकों तक सीमित होना चाहिए जो कि पहले से ही भर्ती किए जा चुके हैं या उनका भर्ती के लिए चयन हुआ है।

15. प्रत्येक सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य रूप से एक कार्यलाशा के रूप में होना चाहिए जिसमें अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने के साथ-साथ वास्तविक व्यावहारिक कार्य के लिए अवसर प्रदान किये जाएं और शामिल होने वाले शिक्षक उक्त सामग्री को अपने, स्कूलों में प्रयोग के लिए अपने साथ वापिस ले जा सकें।

16. राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षक आचार संहिता शिक्षक सगठनां के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए।

17. काम न करने वाले और अकुशल व्यक्तियों में से योग्य और अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का सरल और स्वाभाविक रूप से पता लगाने के लिए यह एक अन्य महत्वपूर्ण कदम होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई के संचालन को अधिक तेज और अधिक कुशल बनाया जाना है।

18. स्कूल के कार्य में मुख्याध्यापक की भूमिका के आलोचनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसका चयन हमेशा योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिए और न कि वरिष्ठता व औचित्यता के आधार पर।

19. स्कूल शिक्षा में स्तरों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय सगठन फौरन स्थापित किया जाना चाहिए।

20. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् में कानूनी शक्तियां निहित होनी चाहिएं।

21. देश में शिक्षक व्यवसाय के स्तर को बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और शैक्षणिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा को पुनः शुरू करने की जोरदार सिफारिश की जाती है।

राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को अनुदान

535. **सैयद शाहबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : --

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 और चालू वर्ष के लिए राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रन्थालय और इन्दिरा गांधी स्मारक के लिये कितनी राशि के सहायता अनुदान की स्वीकृति दी है ;

(ख) इन संस्थानों के संबंध में किसी सरकारी विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा यदि कोई अन्य व्यय किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के लिये दी जाने वाली अनुदान की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) विवरण संलग्न है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम	संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान की राशि (लाख रुपयों में)			
		1985-86		1986-87	
		योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय	58.87	35.00	66.00	45.00
3.	इन्दिरा गांधी स्मारक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	150.00*

*एक बार अक्षय अनुदान ।

"सती" के मामलों के बारे में समाचार

536. **सैयद शाहबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 1986 में जबलपुर में सती प्रथा के पुनः प्रवर्तन के बारे में समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या देश के अन्य भागों से इसी प्रकार के समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) "सती विनियमन अधिनियम, 1929" के अन्तर्गत सती कुप्रथा पर पूर्णतया रोक है और इसे एक दण्डनीय अपराध माना गया है । सती होने के लिए अवप्रेरित करना या प्रयत्न करना एक दण्डनीय अपराध है । इस अधिनियम को लागू करने और ऐसी कुप्रथाओं के विरुद्ध लोगों के दिलों में जागरुकता उत्पन्न करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा की दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण योजना

537. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि --

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये शिक्षण योजना की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की है ;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इस योजना में भाग लेने वाले व्यक्तियों की केन्द्र-वार तथा परीक्षा-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो उस परीक्षा में सफल रहे जिसके लिये उन्हें विश्वविद्यालय आयोग द्वारा प्रायोजित केन्द्रों में पढ़ाई कराई गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :(क) अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं की योजना की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी विचार किया जाना है ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रों में प्रायोजित होने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या और सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	केन्द्र	आयोजित पाठयक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	सफल उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आगरा विश्वविद्यालय	5	14	परिणाम की प्रतीक्षा है ।
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	17	388	77
3.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	5	32	शून्य
4.	बंगलौर विश्वविद्यालय	2	143	परिणाम की प्रतीक्षा है।
5.	भोपाल विश्वविद्यालय	7	120	1 और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम प्रतिक्षित है ।
6.	कालीकट विश्वविद्यालय	6	171	4 और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित है ।
7.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	3	84	उपलब्ध नहीं है ।
8.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	2	175	शून्य
9.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	2	14	2
10.	जामिया मिलिया इस्लामिया	21	126	34 और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित है ।
11.	जम्मू विश्वविद्यालय	3	155	परिणाम प्रतीक्षित है ।
12.	काश्मीर विश्वविद्यालय	3	28	परिणाम प्रतीक्षित है ।
13.	एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	1	60	परिणाम प्रतीक्षित है ।
14.	लखनऊ विश्वविद्यालय	3	27	6
15.	एम० डी० विश्वविद्यालय; रोहतक	5	59	20
16.	मेरठ विश्वविद्यालय	2	52	शून्य
17.	नागपुर विश्वविद्यालय	15	75	4
18.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
19.	पटना विश्वविद्यालय	उपलब्ध नहीं है	92	शून्य
20.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	6	54	शून्य

1	2	3	4	5
21.	बी० एन० के० एच० पी० जी० डिग्री कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद (उ० प्र०)	6	15	उपलब्ध नहीं है ।
22.	गांधी फैजम (पी० जी०) शाहजहांपुर (उ० प्र०)	9	211	9 और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं ।
23.	गवर्नमेंट कालेज, केसरगढ़, केरल	6	163	परिणाम प्रतीक्षित है ।
24.	हमीदिया कन्या कालेज, इलाहाबाद (इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उपकेन्द्र)	4	36	परिणाम प्रतीक्षित है ।
25.	करामत हुसैन मुस्लिम कन्या डिग्री कालेज, लखनऊ (उ० प्र०)	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है ।
26.	लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोंडा (उ० प्र०)	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है ।
27.	एम० ई० सी० कालदी कालेज मन्नारघाट, केरल	4	75	परिणाम प्रतीक्षित है ।
28.	एन० एस० एस० कालेज, मनजेरी, जिला मालापुरम (केरल)	9	38	4 और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं ।
29.	लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ (उ० प्र०)	2	73	6
30.	एन० पी० आर्ट्स और कामर्स कालेज केशद, जिला जूनागढ़, गुजरात	2	95	परिणाम प्रतीक्षित है ।
31.	राजा सराफाजी गवर्नमेंट कालेज, थंजोवूर (तमिलनाडु)	3	13	12
32.	सेंट मेरी कालेज, सोल्तन बेटरी, जिला कालीकट (केरल)	4	36	शून्य
33.	जमारी नगुरव्युरप्पन कालेज कालीकट (केरल)	5	184	16
34.	श्री नारायण कालेज, मटिका जिला त्रिचूर (केरल)	10	156	4 और कुछ उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित है ।

नदी घाटी परियोजनाओं में गाद जमा हो जाना

538. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एस० एम० गुरड्डी }: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नदी घाटी परियोजनाओं में जमा गाद की मात्रा का पता लगाने के लिए पांच जलाशयों का अध्ययन करने का निर्णय किया है ;

(ख) इस अध्ययन के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य शामिल किये जायेंगे और क्या यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से किया जायेगा; और

(ग) इस अध्ययन के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पांच जलाशयों नामत: गोबिन्द सागर (पंजाब) , हीराकुड (उड़ीसा), श्रीराम सागर (आन्ध्र प्रदेश), तुंगभद्रा (कर्नाटक) और उकई (गुजरात) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से तलछटन अध्ययन करने हेतु एक स्कीम आरम्भ की गई है । इसके लिये वित्तीय आवश्यकताओं में 5,88,550 अमरीकी डालरों की यू० एन० डी० पी० सहायता तथा 29.16 लाख रुपये का भारतीय घटक शामिल है ।

राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन क्षेत्र

539. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम को कितने क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है और इसे कितने क्षेत्र में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ;

(ख) देश में इस क्षेत्र में अब तक किए गए अनुसंधान का ब्यौरा क्या है और यह कौन कौन सी संस्थाओं में किया गया है और इसकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(ग) राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा किए गए अनुसंधान को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ; और

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा दिल्ली को छोड़कर घेंघा स्थानिकमारी वाले शेष सारे क्षेत्रों को राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ला दिया गया है। जैसे ही संबंधित राज्यों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आयोडीकृत नमक के अलावा

दूसरे नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी यह कार्यक्रम लागू कर दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा गोंडा देवरिया और गोरखपुर जिलों में जन्म के समय अवटु-अल्पक्रिया (हाइपोथायराइडिज्म) तथा अवटुवामनता (क्रेटिनिज्म) संबंधी अनुसंधान कार्य किए गए हैं । परिणामों से पता चला है कि गोंडा, देवरिया तथा गोरखपुर घेंघा रोग पीड़ित क्षेत्रों में जन्में 4–15 प्रतिशत बच्चों में जन्म के समय रासायनिक अवटु-अल्पक्रिया पाई गई है और उपर्युक्त क्षेत्रों के उन गावों में, जहां यह रोग उग्र रूप से फैला हुआ है, लगभग 2–4 प्रतिशत में अवटु-वामनता पाई गई है । रिपोर्टों से इन तीन जिलों में स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक मन्दता होने की घटनाओं का भी पता चला है ।

आयोडीन की कमी के कारण हुए उपर्युक्त विकारों पर काबू पाने की दृष्टि से गोंडा, देवरिया तथा गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के 20 घेंघा स्थानिकमारी वाले जिलों में तथा देश में घेंघा स्थानिकमारी वाले अन्य क्षेत्रों में सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीकृत नमक की सप्लाई शुरू कर दी गई है । बहरहाल आयोडीन की कमी के कारण होने वाले विकारों की समस्या पर काबू पाने के लिए साधारण नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक की सप्लाई करना सबसे आसान और सस्ता तरीका है । इसलिए, भारत सरकार ने देश में 1992 तक चरणवार ढंग से सम्पूर्ण नमक को आयोडीन युक्त करने की स्कीम अनुमोदित कर दी है ।

(घ) राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार नमक को आयोडीकृत करने के लिये सहायता देती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि नीचे दर्शायी गई है:—

1983–84	21.21 लाख रुपये
1984–85	13.94 लाख रुपये
1985–86	26.22 लाख रुपये

स्वीकृति के लिए अनिर्णीत पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

540. **श्री मूल चन्द डागा : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के पास किन राज्यों की कितनी सिंचाई योजनाएं विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ अनिर्णीत पड़ी हुई है और ये योजनाएं कब से अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ;

(ख) राजस्थान सरकार की कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी हुई हैं और ये कब से हैं तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन योजनाओं की कब तक जांच की जायेगी और इन्हें मंजूरी प्रदान की जायेगी; और

(घ) "राजस्थान नहर" का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) स्कीमें कब तक स्वीकृत हो जायेंगी, यह राज्य सरकार के उत्तर पर निर्भर करता है ।

(घ) नहर पर निर्माण कार्य के आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरे किए जाने की संभावना है ।

विवरण

केन्द्र के पास लम्बित नई वृहत् तथा मध्यम परियोजनाओं संबंधी सूचना

30–9–1986 की स्थिति के अनुसार

परियोजना का नाम	के० ज० आ० में प्राप्ति की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1. पुलिचिन्तला स्कीम	अक्तू०, 1985	जांच चल रही है ।
2. श्री राम सागर परियोजना चरण-2	सितम्बर, 1986	–तदैव–
3. जुराला परियोजना	सितम्बर, 1986	–तदैव–
4. मोदीकुंटा वेगु परियोजना	जनवरी, 1986	–तदैव–
5. पालम वेगु परियोजना	जनवरी, 1986	–तदैव–
6. वर्दराज स्वामी गुडी परियोजना	अगस्त, 1986	–तदैव–
असम		
1. पगलादिया बांध परियोजना	दिसम्बर, 1985	जांच चल रही है ।
2. खारमुझा लिफ्ट सिंचाई	मई, 1982	तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणी योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है
बिहार		
1. सलैया	अगस्त, 1982	सलाहकार समिति ने विचार कर लिया है और योजना आयोग को स्वीकृति प्रदान करनी है ।
2. केस्त्री	अप्रैल, 1982	–तदैव–
3. रामरेखा	मई, 1983	–तदैव–
4. दनसिंहटोली	अप्रैल, 1982	–तदैव–
5. सतपोटका	मार्च, 1982	–तदैव–
6. कातरा	जुलाई, 1982	–तदैव–
7. भैरवा	नवम्बर, 1980	–तदैव–
8. बस्की	अप्रैल, 1980	–तदैव–

1	2	3
गुजरात		
1. खारीकट का आधुनिकीकरण	मई, 1980	सलाहकार समिति ने विचार कर लिया है और योजना आयोग को स्वीकृत प्रदान करनी है ।
हरियाणा		
1. पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	दिसम्बर, 1984	जांच चल रही है ।
2. बीबीपुर झील की क्षमता बढ़ाना	दिसम्बर, 1980	तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणी योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई।
जम्मू व कश्मीर		
1. मारतंद नहर का आधुनिकीकरण	जनवरी, 1985	जांच चल रही है ।
2. सनीगुल नहर का आधुनिकीकरण	जनवरी, 1985	—तदैव—
3. शाहबाद सिंचाई नहर	दिसम्बर, 1985	—तदैव—
4. दादी नहर	दिसम्बर, 1985	—तदैव—
5. रफीवाद उच्च एल० आई०	मई, 1986	—तदैव—
कर्नाटक		
1. भीमा प्रवाह सिंचाई परियोजना	नवम्बर, 1985	जांच चल रही है ।
केरल		
1. मीनाचलि नदी घाटी सिंचाई	फरवरी, 1984	—तदैव—
मध्य प्रदेश		
1. वीना कम्पलेक्स सोपान-एक	फरवरी, 1986	जांच चल रही है।
2. अरपा परियोजना	जनवरी, 1986	—तदैव—
3. मोंगरा सिंचाई परियोजना	मई, 1986	—तदैव—
महाराष्ट्र		
1. नीरा देवपघाट	जनवरी, 1986	जांच चल रहीं है।
2. वर्ना	अगस्त, 1983	—तदैव—
3. विश्व मित्री नदी	जनवरी, 1985	—तदैव—
4. वांया तट नहर एक्स गिरणा बांध	अप्रैल, 1984	—तदैव—
5. कालपात्री टैंक	फरवरी, 1985	—तदैव—
6. धर	सितम्बर, 1985	—तदैव—
7. अपर कर्वा	नवम्बर, 1985	—तदैव—
8. निम्बुघाट नाला	मार्च, 1984	—तदैव—

1	2	3
9. रेनापुर	जनवरी, 1986	जांच चल रही है ।
10. वाल्दी	मार्च, 1986	–तदैव–
11. बोर देहगांव	फरवरी, 1986	–तदैव–
12. सुंगदेवाडी	मार्च, 1986	–तदैव–
13. चेपदोह	अप्रैल, 1986	–तदैव–
14. कोरडी नाला	जून, 1986	–तदैव–
15. नर्थमांद	जुलाई, 1983	तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणी योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ।
16. शिवना ताकली	सितम्बर, 1981	–तदैव–
17. जंगमहट्टी लिफ्ट सिंचाई	दिसम्बर, 1981	–तदैव–
18. जाम	दिसम्बर, 1984	–तदैव–
19. सकोल	सितम्बर, 1983	–तदैव–
20. रेगोनम	मार्च, 1983	–तदैव–
21. तिम्भीपुरी	अप्रैल, 1982	–तदैव–
22. मोरना	मई, 1983	–तदैव–
23. मसाल्गा	सितम्बर, 1983	–तदैव–
24. कार	अगस्त, 1983	–तदैव–
मणिपुर		
1. दोलाईथाबी बराज परियोजना	मई, 1986	जांच चल रही है ।
उड़ीसा		
1. आनन्दपुर का नहरीकरण	28 फरवरी, 1986	जांच चल रही है ।
2. ओंग बांध	23 जनवरी, 1986	–तदैव–
3. रेट (काला हांडी)	4 नवम्बर, 1985	–तदैव–
4. अहेराजोर (साबालपुर)	23 अगस्त, 1984	–तदैव–
5. तेलंगीर (कोरापुर)	9 मार्च, 1984	–तदैव–
6, अपर लंथ (बालानगीर)	20 अगस्त, 1986	–तदैव–
7. कोलरा (मयूरभंज)	20 जुलाई, 1986	–तदैव–
8. हीराकुड में दरारों के उपचारी उपाय	मई, 1985	–तदैव–

1	2	3
9. देव	मार्च, 1982	सलाहकार समिति द्वारा विचार कर लिया गया है और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है ।
पंजाब		
1. बीकानेर और पूर्वी नहर के लिए नई साझी नहर का निर्माण	13 मार्च, 1986	जांच चल रही है ।
2. शाहनहर नहर के सुधार का विस्तार	अगस्त 1986	–तदैव–
3. पंजाब सिंचाई परियोजना (जल मार्गों को पक्का करना)	19 सितम्बर, 1985	–तदैव–
4. सतलुज यमुना लिंग नहर भाग-1	मार्च, 1985	सलाहकार समिति द्वारा विचार कर लिया गया है तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है ।
5. पंजाब सिंचाई परियोजना सोपान-दो (नहरों को पक्का करना)	अगस्त, 1982	–तदैव–
राजस्थान		
1. जयसमंद टैंक का आधुनिकीकरण	12 जनवरी, 1981	जांच चल रही है ।
2. राजस्थान पोषक गंग नहर लिंक नहर का निर्माण	18 जनवरी, 1985	–तदैव–
3. गल्वा आधुनिकीकरण	8 जनवरी, 1986	–तदैव–
4. पार्वती नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	17 फरवरी, 1986	–तदैव–
5. गुलेंदी सिंचाई	2 फरवरी, 1983	–तदैव–
6. पिपलैट लिफ्ट सिंचाई	16 अगस्त, 1983	–तदैव–
7. ओलवारा लिफ्ट सिंचाई	14 फरवरी, 1985	–तदैव–
8. कारेली सिंचाई	16 मार्च, 1985	–तदैव–
9. लोअर पार्वती	4 जून, 1985	–तदैव–
10. पारवान आधुनिकीकरण	25 फरवरी, 1986	–तदैव–
11. राजसमंद सिंचाई का आधुनिकीकरण	25 अप्रैल, 1986	–तदैव–

1	2	3
तमिलनाडु		
1. परम्बीकुलम एलियार ग्रयाकट विस्तार (समेकित)	5 फरवरी, 1986	जांच चल रही है ।
2. पेरियार वेगई चरण-दो का ग्राधुनिकीकरण	5 दिसम्बर, 1985	–तदैव–
3. कावेरी डेल्टा का ग्राधुनिकीकरण (सोपान-एक)	ग्रगस्त, 1985	–तदैव–
4. ग्रनईमाधवु जलाशय स्कीम	15 जुलाई, 1982	–तदैव–
उत्तर प्रदेश		
1. बेवार पोषक परियोजना	नवम्बर, 1984	जांच चल रही है।
2. सुहेली	फरवरी, 1979	तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणी योजना ग्रायोग को प्रस्तुत कर दी गई है।
3. मधोतांडी	ग्रक्तूबर, 1981	–तदैव–
4. खातिमा	जनवरी, 1982	–तदैव–

उपरोक्त के ग्रतिरिक्त 118 वृहत तथा 67 मध्यम स्कीमों के बारे में केन्द्रीय जल ग्रायोग/तकनीकी सलाहकार समिति के प्रेक्षणों के उत्तरों/ग्रनुपालना के लिए राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों का निर्माण करने की ग्राधुनिक तकनीक

541. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **जल–भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों का निर्माण करने की ग्राधुनिक तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं है; ग्रौर

(ख) यदि यह उपलब्ध है तो टिकाऊ, मजबूत ग्रौर बेहतर सड़कों ग्रौर पुलों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ग्रौर (ख) जी, नहीं । तथापि हमारी श्रम उन्मुख नीति संबंधी प्राथमिकता, संविदाकारी एजेंसी के पास ग्रवस्थापना के ग्रभाव ग्रौर पर्याप्त संसाधनों की ग्रनुपलब्धता के कारण सड़क/पुल निर्माण की प्रक्रिया में ग्राधुनिक तकनीकों को ग्रपनाते हुए भारी परिवर्तन लाना संभव नहीं है ।

गोवा में मंडवी पुल का ढह जाना

542. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गोवा में मंडवी पुल के ढह जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसके लिए किसी को उत्तरदायी, यदि कोई है, ठहराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जांच आयोग अधिनियम के तहत गोवा, दमन व दीव सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया है । आयोग पुल के गिरने के कारणों और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए चूंकों संबंधी प्रश्न की भी जांच करेगा । आयोग अपनी रिपोर्ट 28-2-1987 तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देगा ।

[अनुवाद]

नवोदय स्कूलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

543. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नवोदय स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां ।

(ख) नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्बन्धित जिले में व्याप्त उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगा । यदि इन दोनों श्रेणियों में से एक भी श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में दाखिले के लिए अर्हक नहीं होते हैं तो इस आरक्षण को दोनों श्रेणियों के बीच अन्तर-परिवर्तन करना संभव होगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

544. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाढ़ के कारण रेल विभाग को नुकसान

545. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) देश में हाल में आई बाढ़ से रेल विभाग को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और नुकसान को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) देश में हाल की बाढ़ से रेलों को लगभग 17.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । इस नुकसान में यातायात आमदनी में कमी होने के साथ-साथ पुलों, रेल पथ सिगनल और बिजली उपकरणों तथा अन्य परिसम्पत्तियों आदि को पहुंची क्षति/उनकी मरम्मत जैसे भौतिक नुकसान भी शामिल हैं । यातायात को पुन: चालू करने के लिये बाढ़ से क्षतिग्रस्त खंडों की मरम्मत के लिये तत्काल कार्रवाई की गयी थी ।

उड़ीसा के लिए वायुदूत सेवाएं

546. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में वायुदूत सेवाएं प्रारम्भ करने का है; और

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वायुदूत इस समय उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर और राउरकेला के लिये विमान सेवाएं परिचालित कर रही है । विमान क्षमता की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर वायुदूत की चालू वित्त वर्ष में जयपुर, झारसगुडा और गोपालपुर को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है ।

विशाखापत्तनम पत्तन का विकास

547. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात के प्रयोजनार्थ विशाखापत्तनम पत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो विशाखापत्तनम पत्तन पर जहाजों के घाट पर लगाने की सुविधाओं के प्रतिशत विस्तार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त पत्तन विस्तार पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से लौह अयस्क का निर्यात करने की सुविधाएं वहां पहले से उपलब्ध हैं । लौह अयस्क लदान सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए 9.59 करोड़ रु० का प्रावधान और 1.70 लाख डी० डब्ल्यु टी० तक के लौह अयस्क कैरियर्स प्राप्त करने के क्रम में लौह अयस्क बर्थ को गहरा करने के लिए 8 करोड़ रु० की टोकन व्यवस्था सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है ।

मद्रास में दुर्घटनाग्रस्त एयर बस को हुई क्षति

548. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मद्रास में दुर्घटनाग्रस्त 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली एयर बस, इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन को एयर बस इंडस्ट्रीज द्वारा लीज पर दी गई थी;

(ख) इस लीज की शर्तें क्या हैं;

(ग) हाल ही में इसी तरह की कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और तत्संम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) लीज करार के अन्तर्गत इंडियन एयरलांइस को 20 मिलियन अमरीकी डालर में विमान का बीमा कराने की अपेक्षा है । करार में आगे यह भी व्यवस्था है कि ठीक न किये जाने वाले नुकसान के लिए, एयर बस इंडस्ट्रीज को सभी देय किराए और बीमा रकम के भुगतान के बाद इस प्रकार के विमान के लिए यह करार स्वतः ही समाप्त हो जायेगा । विमान को हुई क्षति की मरम्मत की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए, बीमा-कर्ता मैसर्स जी० आई० सी० ने यह निर्णय लिया कि विमान को पूरी तौर पर हानि हुई मान लिया जाए । मैसर्स जी० आई० सी०, मैसर्स एयर बस इंडस्ट्री को बीमे की रकम का भुगतान करने की व्यवस्था कर रही है ।

(ग) हाल ही में कोई घटना नहीं हुई ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को अनुदान

549. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या फोर्ड फाउंडेशन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को 3,50,000 डालर का अनुदान देने की पेशकश की है; और

(ख) करोड़ों रुपए की लागत वाले इस केन्द्र पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसका कुल अनुमानित व्यय कितना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 94.37 लाख रुपए अब तक (अक्तूबर, 1986 तक) खर्च किए जा चुके हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कार्यक्रमों के लिए 25 करोड़ रुपए और केन्द्र के भवन परिसर के लिए 60 करोड़ रुपए का आवंटन है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय सं० 1 अनिवार्य दवाइयों की कमी

550. **श्री राजकुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय सं० 1, काली बाड़ी में अनिवार्य दवाइयों की सदैव कमी रहती है और वहां दवाइयां 4 से 7 दिन बाद सप्लाई की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा औषधालयों को अनिवार्य दवाइयां सप्लाई नहीं की जाती हैं;

(ग) क्या सरकार का, यह पता लगाने के लिए कि दवाइयों का दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच कितनी बार की गई है और उनके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय नं० 1 काली बाड़ी में सूचीबद्ध औषधियां कुल मिला कर उपलब्ध हैं। जब विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित कोई अनिवार्य सूचीबद्ध औषधियां अथवा गैर सूचीबद्ध औषधियां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उस दशा में ये औषधियां मैसर्स सुपरबाजार से खरीदी जाती हैं और लाभार्थियों को सप्लाई की जाती हैं।

(ग) ऐसा कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रोगियों द्वारा दवाइयों और चिकित्सा मदों की खरीद

551. **श्री राजकुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के रोगियों को दवाइयां और चिकित्सा मदें अपने पैसों से बाजार से खरीदनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस अस्पताल को सभी दवाइयां सप्लाई नहीं करती है; और

(ग) यदि ऐसा नहीं है, तो रोगियों को दवाइयां खरीदने हेतु कहने के क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) अस्पताल फार्मूतरी में शामिल सभी दवाइयों का स्टाक रखने के सभी प्रयास किए जाते हैं। अस्पताल को अधिकतर दवाइयां चिकित्सा सामग्री डिपो द्वारा सप्लाई की जाती हैं और बाकी दवाइयों की स्थानीय खरीद की जाती है। यदि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को देर-सबेर दवाइयां खरीदनी पड़ जाएं तो उन्हें उन दवाइयों की लागत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। अनुपलब्ध दवाइयों की स्थानीय खरीद की जाती है। जनरल वार्ड में गरीब रोगियों को अनुरोध करने पर ऐसी लागत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

आजमगढ़ जिले में माउनाथ भंजन में केन्द्रीय विद्यालय

552. **श्री राजकुमार राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पारदाह खण्ड माउनाथ भंजन में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही/प्रस्तावित है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पारदाह खण्ड माउनाथ भंजन में एक केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल) खोलने से संबंधित एक अनुरोध केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संसद सदस्य, श्री आर० के० राय से प्राप्त हुआ था। प्रायोजित एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र सहित केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानदण्डों की एक प्रति संगठन द्वारा उन्हें भेज दी गई थी।

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब ये अनुरोध भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, रक्षा-कर्मचारियों अथवा भारत सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के संगठनों जैसी प्रायोजित एजेन्सियों से प्राप्त होते हैं तथा जिन्हें लगभग 15 एकड़ भूमि और अस्थायी आवास भी उपलब्ध कराना होता है। अतः पारदाह खण्ड माउनाथ भंजन में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई संगठन द्वारा तभी की जाएगी जब एक प्रायोजित एजेंसी द्वारा ऐसा एक प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा।

[अनुवाद]

फ्लाइंग क्लबों की स्थिति

553. **श्री आनन्द सिंह**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही } : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान, देश के "फ्लाइंग क्लबों" की बिगड़ती स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो फ्लाइंग क्लबों को भारत की नागर विमानन सेवाओं का एक विश्वसनीय पूरक माध्यम बनाने के लिए इनकी स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि देश में सभी उड़ान क्लबों की स्थिति बिगड़ रही है। निःसंदेह कुछ उड़ान क्लबों को वित्तीय कठिनाइयों और प्रशिक्षण विमान उपलब्ध न होने और उनके कार्य योग्य न होने की समस्याओं के साथ-साथ पूरी तरह से योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।

उड़ान परिचालनों की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हाल ही में उड़ान क्लबों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की दर 240 रुपए से बढ़ा कर 294 रु० प्रति घंटा कर दी है। देश के विभिन्न उड़ान क्लबों में आबंटन के लिए एरो क्लब आफ इंडिया को प्रशिक्षण विमान और सहायक पुर्जे प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान भी दिया गया है। कमर्शियल पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज में एक उत्कृष्ट उड़ान केन्द्र के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थापित की जा रही है। देश में यह अकादमी विमानन सेवाओं के लिए पायलटों की आवश्यकताएं पूरी करेगी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा चरण

554. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या योजना आयोग ने राजस्थान के चार क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं तो उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के दूसरे चरण का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) योजना आयोग की सलाहकार समिति ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-दो को कुछ प्रेक्षणों के अध्यधीन जिनसे राज्य सरकार को जून, 1986 में अनुपालनार्थ अवगत करा दिया गया है, तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से सक्षम पाया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परियोजना के दूसरे चरण में कुल 943.24 करोड़ रुपए की लागत से 393 कि० मी० से 649 कि० मी० तक इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण, प्रवाह नहरों तथा 6 लिफ्ट स्कीमों के माध्यम से 8.1 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था और पीने के लिए तथा औद्योगिक कार्यों के लिए 0.65 मिलि० एकड़ फुट जल का प्रावधान करने की परिकल्पना है।

समेकित चिकित्सा प्रणाली का विकास

555. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 2 सितम्बर, 1986 को दिल्ली में भारतीय चिकित्साशास्त्र के चिकित्सा व्यवसायियों की हुई एक बैठक में उन्होंने भारत में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर एक समेकित चिकित्सा प्रणाली विकसित करने के लिए कहा था, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सन् 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के बीच सुव्यवस्थित तालमेल स्थापित किया जाए और ये सभी पद्धतियां इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी अच्छी बातों से योगदान दें। जहां भी उनका सह-अस्तित्व और सह-मिश्रण अपेक्षित होगा, उसे देश के व्यापक हितों को देखते हुए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के सक्रिय सहयोग से कालान्तर में प्राप्त करना होगा।

लघु उद्योगपतियों के लिए रेल गाड़ियों में विशेष कोटा

556. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या लघु उद्योगपतियों के उपयोग के लिए विभिन्न रेलगाड़ियों में विशेष कोटा निर्धारित किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुलबर्गा और बंगलौर के बीच वायुदूत सेवाएं

557. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का बंगलौर से गुलबर्गा नगर के लिए वायुदूत सेवा की भारी मांग को दृष्टि में रखते हुए तत्काल बंगलौर से गुलबर्गा तक की वायुदूत सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : जी, नहीं। गुलबर्ग उन स्टेशनों की सूची में नहीं है जिन्हें चालू योजना अवधि में वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़ा जाना है।

पुराने विमानों को बदलना

558. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने ऐसे अनेक विमान सेवा से हटा दिए हैं जिनका यात्री उड़ानों में इस्तेमाल किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या इसके साथ-साथ उनको नए विमानों से बदलने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) देशीय विमान सेवा के लिए देश में ही विमानों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने हाल ही में अपने विमान-बेड़े से 5 बोइंग 707 विमान हटा लिए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड नागर विमानन सैक्टर सहित, विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लाइसेंस के अधीन डोर्नियर डी ओ 228 विमानों का निर्माण कर रहे हैं। सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में भी प्रत्येक मामले के आधार पर 5700 किलोग्राम के वजन से ऊपर के विमान निर्माण की भी अनुमति दे दी है।

मास्को में भारत महोत्सव के अवसर पर दक्षिण के मंदिर जवाहरातों का प्रदर्शन

559. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दक्षिण भारत से मंदिर के जवाहरातों को मास्को में भारत महोत्सव के लिए भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव से सहमत है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में समुचित प्रचार कर दक्षिण भारत में इस मामले पर बढ़ रहे संदेह को दूर करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन द्वारा "एड्स" का प्रचार

560. **श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया में एड्स की बीमारी फैलने के खतरे का संकेत दिया है ;

(ख) क्या दूरदर्शन और अन्य प्रचार माध्यमों से इस बीमारी का प्रचार बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 39वें अधिवेशन के 6 अगस्त, 1986 के दस्तावेज में बताया गया है कि इस प्रदेश में एड्स अभी जन स्वास्थ्य की एक प्राथमिक समस्या नहीं है । परन्तु सदस्य देश इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि जब तक इसकी रोकथाम और नियंत्रण के आवश्यक उपाय नहीं किए जाएंगे यह रोग गम्भीर स्वास्थ्य समस्या का रूप ले सकता है ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एस्प्रीन और सेलोसाइलेट्स के प्रयोग में सावधानी

561. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि ब्रिटेन और अमरीका में एस्प्रीन और सेलीसाइलेट्स के प्रयोग से जीवन के लिए खतरनाक "रेयेज सिंड्रोम" नामक एक असाधारण रोग होने का पता चला है ;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादन स्थलों से वितरण स्थलों तक पर्याप्त एहतियाती उपाय किये हैं कि बनाई गई दवाइयां रोगियों को, विशेष कर कम उम्र के व्यक्तियों को, न दी जायें ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को भी सावधान करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां । सरकार को विदेश में "रेज" सिंड्रोम नामक वायरल ज्वर से पीड़ित बच्चों में एस्पिरिन के कारण हुई बताई गई विपरीत प्रतिक्रियाओं की जानकारी है । वैसे, एस्पिरीन तथा सेलिसिलेट्स खाने वाले तथा रेज सिंड्रोम होने के वास्तविक कारण क्या हैं इनका अभी पता नहीं चला है ।

(ख) से (घ) एस्पिरिन तथा अन्य सेलीसिलेट चीजों को बेचने वाले औषध निर्माताओं को पहले ही निर्देश दे दिये हैं कि डिब्बे तथा स्ट्रिप पैकटों पर यह चेतावनी लिखी जाए "चिकित्सीय परामर्श के सिवाय 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में उपयोग न की जाएं"। राज्य औषध नियंत्रकों से भी कहा गया है कि वे एस्पिरिन तथा सेलिसिलेट्स योग बेचने वाली फर्मों को डिब्बों और स्ट्रिप पैकटों पर यह चेतावनी देने की सलाह दें।

बाल पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता लाने की योजना

562. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को बाल पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता लाने का कार्य सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई योजना तैयार की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास "नेहरू बाल पुस्तकालय" माला के अन्तर्गत 1968-69 से बच्चों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करता रहा है। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य देशभर में बच्चों को प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें मुहैया करके एकता और भाईचारे की भावना पैदा करना है। पौराणिक कथाएं, धर्म, इतिहास, लोक-कथाएं, त्यौहार, देश और इसके लोग, स्वतंत्रता आन्दोलन, पशु और पक्षी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मौलिक संस्कृति और खेलकूद आदि सहित विविध प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता है। ये पुस्तकें सक्षम व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं, विभिन्न भाषाओं में इनका अनुवाद किया जाता है और इनका एक समान मूल्य रखा जाता है।

31 मार्च, 1986 तक मौलिक अनुवादों, संशोधित संस्करणों और पुनर्मुद्रण सहित 1157 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

विजयवाड़ा-वाल्टेयर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

563. **श्री सी० सम्बु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा वाल्टेयर रेल लाइन के विद्युतीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और विद्युतीकरण के कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वायुदूत सेवा का विस्तार

564. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या सरकार ने अपने वायुदूत संचालन कार्यक्रम में वर्ष 86-87 के दौरान विस्तार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष के दौरान वायुदूत सेवा के अन्तर्गत कौन-कौन से अतिरिक्त स्थान सम्मिलित किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में दक्षिण क्षेत्र के कुछ अधिक महत्वपूर्ण शहरों को वायुदूत की पूरक विमान सेवा से जोड़ने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :

(क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान अब तक निम्नलिखित 11 स्टेशन वायुदूत सेवा के अन्तर्गत लाए गए हैं --

1. गोवा
2. गोरखपुर
3. अगरतला
4. वाराणसी
5. भोपाल
6. लखनऊ
7. कमालपुर
8. कैलाशहर
9. दमण
10. इम्फाल
11. दीमापुर

(ग) और (घ) आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, परिचालनों की आर्थिक साध्यता और विमान क्षमता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान योजना अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में निम्नलिखित स्टेशनों में वायुदूत सेवाएं चालू करने की योजानाएं हैं --

1. कालीकट
2. चेटिनाड
3. हुबली
4. मद्रास
5. मंगलौर
6. पांडिचेरी
7. रायचूर
8. तंजौर
9. तिरुनेलवेली
10. तूतीकोरिन

[हिन्दी]

बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति

565. **श्री विजय कुमार यादव :** मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में शिक्षा विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति अत्याधिक निराशाजनक है ;

(ख) क्या अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की या तो इमारतें हैं ही नहीं या फिर इमारतें टूटी-फूटी हालत में हैं और वहां अध्यापकों की भी कमी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या शिक्षा की स्थिति में सुधार करने और अन्य विकास कार्यों के साथ विद्यालयों के लिए इमारतों का निर्माण करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) और (ख) बिहार शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक है और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा (30-9-1978 जो एक संदर्भ तारीख है, को) आयोजित चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 23.67 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल और 69.22 प्रतिशत माध्यमिक स्कूल पक्के भवनों में खोले गए थे । उसी सर्वेक्षण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में 65.47 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो अध्यापक थे जबकि माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों के संस्वीकृत 96.12 प्रतिशत पद भरे गए थे ।

(ग) और (घ) राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 10249 स्कूल भवनों के निर्माण/मरम्मत के लिए और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार प्रतिभूति कार्यक्रम के अन्तर्गत 3800 स्कूल भवनों के निर्माण/मरम्मत के लिए सहायता भी प्राप्त की । आठवें वित्त आयोग ने भी बिहार में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 40.79 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में "आपरेशन ब्लेक बोर्ड" नामक एक सांकेतिक नई योजना की परिकल्पना की गई है जिसके अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों को दो पक्के कमरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल भवन के निर्माण, एकल अध्यापक स्कूलों में दूसरे अध्यापक की नियुक्ति और प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जाएगी ।

द्विमासिक/त्रैमासिक पास योजना आरम्भ किया जाना

566. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या उन्हें दिल्ली परिवहन निगम से द्विमासिक अथवा त्रैमासिक पास (रियायती मासिक टिकट) योजना आरम्भ करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :

(क) से (ग) : द्विमासिक पास शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, दिल्ली परिवहन निगम ने तिमाही और छमाही पास शुरू करने की स्कीम का एक प्रस्ताव किया है जिस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

[अनुवाद]

बिहार में नेहरू युवक केन्द्र की नई शाखाएं

567. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गुमला और लोहारदगा जिलों में नेहरू युवक केन्द्र की शाखाएं न खोले जाने के क्या कारण है ; और

(ख) इन्हें कब तक खोल दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) :

(क) और (ख) : देश के प्रत्येक जिले में नेहरू युवा केन्द्र चरणों में स्थापित किए जा रहे हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुमला तथा लोहारदगा जिलों में नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने की भी आशा है ।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विकिरण का खतरा

568. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को समुचित सावधानी बरते बिना रेडियो-धर्मी पार्सलों को चढ़ाते-उतारते समय विकिरण के भारी खतरे का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :

(क) से (ग) : रेडियो सक्रिय सामान को अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार पैक किया जाता है । कार्गो टर्मिनल के बाहर खतरनाक वस्तुएं रखने वाले गोदाम में रेडियो सक्रिय माल रखने के लिए एक पृथक कोष्ट उपलब्ध है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को विकिरण के प्रभाव में आने का कोई खतरा नहीं है ।

पंजाब में मुकेरियन और तलवारा पोंग बांध के बीच रेल सेवा प्रारम्भ करना

569. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में मुकेरियन और तलवारा पोंग बांध के बीच, कई वर्ष पहल रेल लाइन बिछाए जाने के बावजूद कोई रेल सेवा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक रेल सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ग) इस मार्ग पर अभी तक रेल सेवा आरम्भ न करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :

(क) मुकेरियन और तलवारा पोंग बांध के बीच कोई चालू रेलवे लाइन नहीं है। पोंग बांध के निर्माण के समय निजी रेलवे साईडिंग का निर्माण किया गया था जो यात्री यातायात के प्रयोजन के लिए नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद] 12.00 मध्यान्ह

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : आन्ध्र प्रदेश के 17 जिलों में मस्तिष्क ज्वर गम्भीर रूप से फैल चुका है । इस बीमारी में हजारों बच्चे तमिलनाडु , आन्ध्र प्रदेश तथा मेरे जिले कोलार में मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं । इसलिए चर्चा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दे दीजिए ।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं । हजारों बच्चे इस मस्तिष्क ज्वर से मर गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बिना जरूरत के सदन का समय बर्बाद मत करिए । आप मेरे पास आइए । हम उस पर चर्चा करेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

डा० वी० वेंकटेश : यह एक गम्भीर समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये । हम उस पर चर्चा करेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते (ताजापुर) : बंगलौर के आवबार इकानामिक्स टाइम्स में खबर थी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में मनाये गये ऋण मेला समारोह में बैंक ऋण लेने वाले आवेदन पत्र काला बाजार में बेचे गये ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं दे चुका हूं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मैंने सौ दफा कहा कि अगर आप कोई चीज सीरिअसली चाहते है ।

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप एक-एक करके हमें बोलने की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बुलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । मैं सबको समय दूंगा तथा हरेक की बात सुन सकता हूं । हम यह निश्चित कर सकते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है । उस पर चर्चा करने के लिए मैं सभी को अनुमति दूंगा । उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । मैंने आपको मेरे पास आने के लिए कहा है । कुछ विषयों के बारे में तो हम पहले ही सोच चुके हैं और यदि उसके अतिरिक्त कोई और विषय सामने आयेगा तो हम उसे भी ले लेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं है । आप इस बात पर क्या बिना जरुरत सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं । जबकि मैं यहां पर उपस्थित हूं । हम हर समय चर्चा कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री वासुदेव आचार्य : आप हमें बात कहने की अनुमति प्रदान कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको क्या अनुमति दूं ?
इसके लिए कोई नियम नहीं है .....

श्री आचार्य : क्या कोई नियम है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अनुमति नहीं दी है । यदि आप उन नियमों को पढ़ें तो क्या आप बता पायेंगे कि यह विषय स्थगन प्रस्ताव के लिए ठीक है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : स्विस बैंकों में सैंकड़ों करोड़ रुपये की रकम का गुप्त रूप से जमा होने से ज्यादा क्या कोई और बात महत्वपूर्ण हो सकती है ? ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शोर करने से तो अच्छा है आप मुझे लिखित में दीजिए मैं और को मालूम करूंगा तथा फिर आप से बात करूंगा । कोई मुश्किल नहीं है ....

[हिन्दी]

इसका कोई फायदा नहीं है ।

[अनुवाद]

आवश्यक रूप में आप सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं ? जब मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं तो बिना जरूरत परेशान क्यों हो रहे हैं ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है । इस तरह से कुछ नहीं होगा । मैं इस तरह से कोई बात नहीं सुनुंगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी भी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं । मैंने कल भी आप की बात सुनी थी और आपको बोलने की अनुमति दी थी । आप मुझे लिखित में दीजिए और मुझसे मिलिए तथा फिर कहिए कि यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है । मैं उस पर गौर करूंगा । इसमें कोई दिक्कत नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है । आप मुझे मिलिए तथा अपने विचारों से मुझे अवगत कराइये । मैं इस तरह से आपकी बात नहीं सुनूंगा । ... जब मैं आपको वचन दे रहा हूं फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं । क्या मैं आपको अवसर देने से इंकार कर रहा हूं ? यदि मैं आपको इन्कार करता हूं तो मैं दोषी हूं परन्तु यदि आप इस तरह से बिना जरुरत सदन का समय नष्ट करेंगे तो आप दोषी होंगे ।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन करने के लिए कोई नियम नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : एक परिपाटी है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं तो ऐसी कोई बात नहीं है.... आप ऐसा क्यों करेंगे ? आप बोलिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइये। आप नेता हैं। जब मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं सभी बातों पर चर्चा करूंगा, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : दिल्ली विश्व विद्यालय अध्यापकों की मांगों पर एक चर्चा की जानी चाहिये। पिछली दफे वे सभी अध्यापक आप से मिले थे तथा आपने उन्हें हड़ताल वापस लेने का निवेदन किया और उन्होंने ऐसा ही किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस तरह से बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। हम इसे बाद में लेंगे। कृपया बैठ जाईये।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : स्पीकर सर, आज हिन्दुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि यह हिन्दुतान की प्रेस फ्रीडम पर बहुत बड़ा हमला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री सयद शाहबुद्दीन : उर्दू वीकली "नई दिल्ली" में एडीटर सिद्दिकी को टैरोरिस्ट बना कर गिरफ्तार किया गया है। इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता है... [**व्यवधान**]....**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं है। वहां डेली किलिंग हो रही है ..... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वालिया, आप चर्चा की मांग कीजिए मैं आपको अनुमति दूंगा..... [**व्यवधान**]

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है कि आप चर्चा के लिये मांग कीजिए और मैं उसकी अनुमति दूंगा।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे बाद में बात कीजिए। इस तरह मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : आप का स्वागत है। आप बाद में मुझे मिलिये। इस तरह से मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बाद में आप मुझसे मिलिये।

[व्यवधान]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दोगे तो होगा।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दीजिये।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : हम वाक आउट कर रहें हैं।

तत्पश्चात् श्री शमिन्दर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

12.10 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लोक भविष्य निधि अधिनियम, आयकर अधिनियम तथा केन्द्रीय शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिलित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अन्तर्गत लोक भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 20 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1013 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी ।देखिये संख्या एल०टी०-3137/86]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 3576, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग)

के अन्तर्गत "वाइल्डलाइफ एसोसिएशन आफ साऊथ इंडिया, बंगलोर" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 3577, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "आरोग्यवरम डिवलपमेंट सोसाइटी, मदनापल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 3578, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "ज्ञान प्रबोधिनी, पूणे" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का० आ० 3579, जो 18 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "दि नेहरू ट्रस्ट फार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 3580, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आल इंडिया पिंगलवाड़ा सोसाइटी (रजि०), अमृतसर" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छः) का० आर० 3581, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "डिफेंस सिविलियन्स वैलफेयर (टी० बी०, कैंसर एण्ड लैप्रसि) फंड" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ०, 3582, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कैथेडरल रिलीफ सर्विस, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 3583, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नेशनल कोओपरेटिव डिवलपमेंट कारपोरेशन" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 3584, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कैंसर पेशंट्स एन्ड एसोसिएसन, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(दस) का० आ० 3585, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कलकत्ता जोराष्ट्रियन स्त्री मण्डल" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट के देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 3596, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आल इंडिया फैडरेशन आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स, बैकवर्ड एण्ड माइनॉरिटीस एम्पलाइस वैलफेयर एसोसिएशन (रजि०)" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 3597, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "डिवाइन लाइट स्कूल फार दि ब्लाइंड ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 3600, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ वेस्ट लैंड्स डिवलपमेंट" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 3601, जो 18 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[पंचालय में रखी गई देखिये। देखिए संख्या एल० टी० 3138/86]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 1040 (अ), जो 26 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोचीन (केरल) में कोचीन निर्यात

प्रसंस्करण क्षेत्र को मुक्त व्यापार जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 1041 (अ), जो 26 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्पाद-शुल्क माल को, जब वह भारत के अन्य भागों में स्थित उनके विनिर्माण के कारखानों या भांडागारों , एक-मात्र निर्यात के लिए आशयित माल के उत्पादन के लिए कोचीन निर्यात प्रसंस्करण जोन जो अवधित उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए उस जोन में लाया जाये, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 1042 (अ), जो 26 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 अगस्त, 1979 की अधिसूचना संख्या 243/79-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि "उपशीर्ष सं० 5401.10" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "उप-शीर्ष सं० 5401.90" शब्द और अंक रखे जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 1066 (अ), जो 9 सितम्बर 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कच्चे नेप्था, जिसका भारतीय उर्वरक नियम की तालचर यूनिट के गैस टरबाईन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाना अभीष्ट है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रति किलो लिटर 525 रुपए से अधिक उत्पाद-शुल्क की छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 1072 (अ), जो 10 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित चीनी को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 1074 (अ), जो 10 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 15 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 236/85-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उक्त अधिसूचना के साथ नयी स्पष्टीकरण के खण्ड (1) को प्रतिस्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का नि० 1081 (अ), जो 15 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हाथ से बने गलीचों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 1082, जो 15 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गंधक-चूर्ण को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 1083(अ), और 1084(अ), जो 15 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, थल द्वारा भारी पानी संयंत्र, थल को भारी पानी के विनिर्माण के लिए और उक्त भारी पानी संयंत्र के परीक्षण तथा उसे चालू करने के लिए प्रदाय किये जाने वाले अमोनिया या संश्लिष्ट गैस को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 1985(अ), जो 15 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी कारखाने या आसवनी में उत्पादित ऐसे कार्बोनिक अमल (कार्बन डाइआक्साइड) को, जो भारतीय मानक विनिर्देश सं० 307–1966 के अनुरूप नहीं है, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादशुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 1128 (अ), जो 3 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा 23 नवम्बर, 1961 की अधिसूचना संख्या 180/61–के० उ० शि० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रंजकों को, इस बात के बावजूद कि विनिर्दिष्ट रंजको का निर्माण किए जाने वाले रंजक वर्गीकरणीय है, छूट होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 1136(अ), जो 6 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 22 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 318/86–के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि दोहरे/अधिक लपेटों वाले सूत, जब तक वे शुल्क प्रदत्त धागों से बनाए जाते हैं, उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 1145(अ), जो 8 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी भी रूप के रॉक फास्फेट को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 1164(अ), जो 23 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हाथ से बने गलीचों को (चाहे बुनाई पूर्व या बुनाई पश्चात् संक्रियाओं के दौरान बेहतर परिसज्जा के लिए कोई मशीन प्रयोग की गई हो या नहीं) उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3139/86]

12:12 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) कोटा स्थित परमाणु बिजलीघर संख्या I के ठीक से न चलने के कारणों की जांच करने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : राजस्थान में बिजली की कमी ने किसान को ही नहीं छोटे और बड़े उद्योगों को जो क्षति पहुंचायी है वह एक चिन्ता का विषय बन गया है। बिजली की कमी ने उस के कुएं में जो थोड़ा बहुत पानी था उसे भी निकालने में असमर्थ कर दिया है।

राजस्थान में 1973 में एटामिक पावर स्टेशन नं० 1 कोटा में कैनेडियन कोलैबोरेशन से लगाया था। उस की कुल क्षमता 220 मेगावाट थी। सन् 1984-85 में जीरो प्रतिशत बिजली उत्पादित हुई। 1985-86 में 4 प्रतिशत और 1986-87 में जुलाई 1986 तक 9 प्रतिशत बिजली उत्पादित हुई।

इस तरह से राजस्थान एटामिक प्लान्ट नं० 1 राजस्थान सरकार के लिए बराबर सिरदर्द बना रहा। 1984-85 में 8070 घण्टे, 1985-86 में 7579 घंटे और 1986-87 में जुलाई 1986 तक 3672 घंटे बन्द रहा।

इस की मरम्मत के लिए सरकार ने पिछले तीन वर्षों में एक करोड़ से भी ज्यादा व्यय कर दिया है। ऐसा विदित हुआ है कि इस प्लान्ट के सम्बन्ध में सरकार आखिरी निर्णय इस वर्ष के अन्त तक ले लेगी।... **(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : : यह क्या कर रहे हैं आप ?

श्री मूल चन्द डागा : यदि यह यूनिट बराबर चालू रहती तो 1;150 मिलियन यूनिट्स पावर अपनी क्षमता का 60 प्रतिशत के हिसाब से उत्पादित कर देती।

सरकार से यह आशा की जाती है कि यह इस की जांच कराये और पता लगायें कि जो घाटा अब तक हुआ है उस के लिए कौन जिम्मेदार है एवं इतने अर्से तक जो कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई उस के लिए कौन दोषी पाये गये हैं। मैं चाहूंगा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और उन्हें दंडित किया जाये एवं जिन्होंने निर्णय इतनी देरी से लिया है उन से स्पष्टीकरण मांगा जाये अन्यथा जनता के धन के साथ जो यह खिलवाड़ किया जाता है, वह भविष्य में न हो इस प्रकार की कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(दो) दिल्ली–दीवानगंज को हरिश्चन्द्रपुर से जोड़कर बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण करने और धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता

डा० गुलाम सरवरी (रामगंज) : 'अन्तर प्रान्तीय' अर्थव्यवस्था योजना के तहत चार वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि पश्चिम बंगाल में हरिश्चन्द्रपुर और चंचल होते हुये पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में गैजोल में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के साथ बिहार में

कटिहार के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जोड़ा जाये। इस प्रयोजन के लिये अलाल में महानन्दा नदी पर पुल बनाने हेतु तथा कटिहार से दिल्ली-दीवानगंज तक की सड़क के बिहार में पड़ने वाले भाग हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी। परन्तु दिल्ली–दीवानगंज से हरिश्चन्द्रपुर तक की सड़क के पश्चिम बंगाल में पड़ने वाले भाग के लिए अब तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। सड़क के इस भाग के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः जनहित के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क सम्पर्क बनाने के लिए यह शीघ्र किया जाना चाहिए।

(तीन) उड़ीसा की विद्युत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपाय करने की मांग

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उड़ीसा में पिछले कई वर्षों में बिजली की कमी चलती आ रही है। इस समय स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गई है। बिजली की कमी के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस समय उड़ीसा पड़ौसी राज्यों से बिजली खरीद रहा है परन्तु स्थिति अभी भी चिन्ताजनक है।

उड़ीसा राज्य को फरक्का विद्युत् उत्पादन प्रणाली से बिजली मिलनी चाहिये। परन्तु फरक्का से उड़ीसा का बिजली देने हेतु ट्रांसमीटर लाइन उपलब्ध नहीं है। यह परियोजना अधूरी है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ट्रांसमीशन लाइन को पूरा करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जायें ताकि उड़ीसा राज्य को बिजली मिल सके।

इन्दावती जल-विद्युत परियोजना से उड़ीसा राज्य को काफी मदद मिलेगी परन्तु इसका क्रियान्वयन समयानुसार नहीं किया जा रहा है। अतः इस परियोजना को पूरा करने लिये प्रभावी कदम उठाये जाने चाहियें।

जब तक राज्य मे विद्युत् उपलब्ध नहीं होगी तब तक सातवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दे।

[हिन्दी]

(चार) खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने की मांग

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : भारत जैसे विशाल देश में जहां साक्षर लोगों का प्रतिशत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अत्यंत ही न्यून है तथा जहां आज भी काफी संख्या में लोग गरीबी की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण अंचलों में ऐसी चिकित्सा पद्धति जो सस्ती और आम लोगों की पहुंच के अन्दर तथा गुणकारी हो, का अभाव है। इस दिशा में आयुर्वेद जो समस्त चिकित्सा पद्धतियों की जननी रही है, के व्यापक प्रचार प्रसार की जनहित तथा देशहित में आवश्यकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का खलीलाबाद क्षेत्र जिस की कुल जनसंख्या गरीब लोगों की है, वहां आयुर्वेदिक चिकित्सकों का अभाव है। काफी संख्या में लोग इस अभाव के कारण उचित चिकित्सा अपने परिवार के लोगों की न करा पाने के कारण समय से पूर्व काल-कवलित हो जाते हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अविलम्ब केन्द्र सरकार खलीलाबाद में योग्य चिकित्सकों हेतु एक आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना कर गरीब लोगों को अच्छे चिकित्सकों की सुविधा प्रदान करायें।

12.16 म० प०

[अनुवाद]

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

(पांच) गोवा में मण्डोवी नदी पर नया पुल बनाने का कार्य शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : गोवा के लोग इस बात पर अत्यन्त क्षुब्ध हैं कि गोवा में मण्डोवी नदी पर नेहरु पुल के अचानक गिर जाने पर यद्यपि जल भूतल परिवहन राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट ने गोवा का तुरन्त दौरा किया था परन्तु नये पुल के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों द्वारा गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह वास्तव में बहुत ही दुख की बात है कि इस पुल के अचानक टूट जाने से गोवा का जो नुकसान हुआ है तथा भविष्य में वहां की अर्थ-व्यवस्था को जो नुकसान होगा उसे बहुत ही हल्के ढंग से लिया जा रहा है।

गोवा निवासियों को आशंका है कि जल भूतल परिवहन मंत्री जी ने जिस प्रकार कड़ा रवैया अपनाया था उसी प्रकार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मण्डोवी नदी पर बिना विलम्ब किये नये पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाये।

[हिन्दी]

(छः) नरमा कपास का वसूली मूल्य 700/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन में उठाना चाहता हूं। गत वर्ष में कपास का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल था जो अब घटकर 370 रुपए से 380 रुपए तक रह गया है। किसान ने अच्छा बीज, महंगी सफरे की दवा व महंगी खाद लगाकर अथक परिश्रम से नरमा कपास की फसल पैदा की परन्तु उसे अपनी लागत एवं परिश्रम का कोई फल नहीं मिल रहा है। बाजार में नरमा कपास की फसल आ चुकी है। यदि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो किसान की आर्थिक स्थिति पर प्रहार होगा।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार के काटन विभाग के मन्त्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि नरमा कपास के भाव जो निर्धारित किये गए हैं, वह कम हैं। अतः 700 (सात सौ) रुपए भाव प्रति क्विंटल निर्धारित किये जायें ताकि किसानों को अपनी फसल का लाभ मिल सके। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। इस बात को लेकर सदन में भी चर्चा होनी चाहिए और सी० सी० आई० को भी पाबन्द करें कि जहां काटन का क्षेत्र है वहां की मंडियों में निर्धारित मूल्य पर सुचारु रूप से खरीद शुरू करने का आदेश देवें और जो काटन निर्यात की जानी है, तुरन्त लदान की जाये ताकि किसान को टाइम पर फायदा मिल सके।

[अनुवाद]

(सात) यातायात की भीड़-भाड़ की समस्या को हल करने के लिये बड़े शहरों में भूमिगत मैट्रो रेल प्रणाली की व्यवस्था करने की मांग

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दीपेट) : महानगरों तथा हैदराबाद जैसे अन्य बड़े शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या और मोटर यात्रा की बढ़ती हुई संख्या के कारण सड़क यातायात में काफी अधिक भीड़भाड़ हो गई है। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। बड़े शहरों में सड़कों पर अधिक यातायात के कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। अतः यह अनिवार्य है कि यात्रियों की सुविधा के लिये और सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिये ऐसे शहरों में भूमिगत रेल प्रणाली

उपलब्ध करायी जाये । इस प्रणाली की शुरूआत से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बम्बई, हैदराबाद, मद्रास तथा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भूमिगत मैट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र कदम उठाये जायें ।

(आठ) कर्नाटक —महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों की शिकायतों की जांच करने की मांग

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बेलगांव, निपानी, कारवाड़, खानापुर आदि शहरों में 10 लाख मराठी भाषी लोग रहते हैं और धर्म, भाषा एवं रहन-सहन आदि के बारे में महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं । इस क्षेत्र की 75 प्रतिशत आबादी इन्हीं लोगों की है तथा निपानी, खानापुर जैसे स्थानों पर 90 प्रतिशत से ज्यादा यही लोग हैं ।

राज्य के पुनर्गठन के समय बिना किन्हीं विचारार्थ विषयों के महाजन आयोग नियुक्त किया गया था तथा यह क्षेत्र गलती से कर्नाटक में शामिल किया गया था इसी प्रकार 200 गांवों को जहां पर अधिकांशतः कन्नड़ भाषा बोली जाती है उन्हें भी महाराष्ट्र में रखा गया था । सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी बोलने वाले लोग 5 नवम्बर, 1986 से बोट-क्लब पर तीन दिन का धरना दे रहे हैं ।

कर्नाटक सरकार ने 1982 में विधान सभा में संकल्प पारित किया था जिसके द्वारा गैर-कन्नड़ भाषी स्कूलों में पहले दर्जे से कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाया गया था । कन्नड़ भाषा पढ़ाने के लिये 100 प्रतिशत मराठी बोलने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की गयी । कन्नड़ के पढ़ाये जाने से चार महीने तक लगभग 500 मराठी स्कूल बन्द रहे ।

सरकार ने इस बात को मान लिया है कि महाजन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें अन्तिम नहीं हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने यह मामला दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों पर छोड़ दिया है । दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच अनेक बैठकें हो चुकी हैं परन्तु दोनों मुख्य-मंत्री अपनी-अपनी विधान सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों से बाध्य हैं । मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना यह मामला हल नहीं हो सकता ।

मैं प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र पर भी राज्यों के पुनर्गठन के लिये सर्वमान्य सिद्धान्त जैसे कि गांवों में रहने वाले लोगों का साधारण बहुमत, सीमा की संलग्नता आदि लागू किये जायें ।

(नौ) दूरदर्शन के एक धारावाहिक "राज से स्वराज" में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन को विकृत करके दिखाये जाने के संबंध में जांच करने की मांग

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : दूरदर्शन धारावाहिक 'राज से स्वराज' में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की छवि प्रदर्शित की गई उससे पूरे देश का मस्तक शर्म से झुक गया है । नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के व्यक्तिगत जीवन का जैसी गलत और तोड़-मरोड़ कर जो छवि प्रदर्शित की गई है, उसके विरोध में भारत भर समस्त वर्ग के लोगों ने अपनी आपत्ति अभिव्यक्त की है । इस प्रकार के चल-चित्र के विरूद्ध आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैकड़ों आई० एन० ए० सैनिकों के साथ-साथ कैप्टेन श्रीमती लक्ष्मी सहगल (स्वामीनाथन) ने जोरदार विरोध प्रकट किया है । सरकार को इस बात की जांच करानी चाहिये कि किसकी स्वीकृति से और कैसे इसे दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया है और इस संबंध में प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाये । इसके प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये

और दोषी व्यक्ति को समुचित दण्ड दिया जाये। ऐसा प्रतीत होता है दूरदर्शन पर प्रदर्शित किये जाने वाले कार्यक्रमों का सारा का सारा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। इसलिये, उच्च राजनैतिक पर इसकी समुचित जांच सुनिश्चित करने के लिये इसे फिर से फिल्माया जाये।

[हिन्दी]

(दस) कपास उत्पादकों को कपास के लाभप्रद मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने की मांग

श्री तेजा सिंह दर्दी (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, आज देश में कपास उत्पादक किसान बड़ी ही दयनीय एवं असहाय स्थिति में फंस गया है। विशेष कर पंजाब के मुक्तसर, अबोहर, फाजिल्का, भटिण्डा, बरेटा, रामपुरा फूल का किसान गत दिनों पड़े सूखे और अतिवृष्टि के बावजूद किसान ने अपनी मेहनत एवं सूझबूझ के बल पर कपास की फसल में गत वर्षों की अपेक्षा वृद्धि की है। सरकार ने भी कपास का समर्थन मूल्य गत वर्ष की अपेक्षा पांच रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने की गत दिनों घोषणा कर दी तथा साथ ही लम्बे समय के लिए कपास निर्यात नीति का भी एलान कर दिया। तीन वर्ष तक, प्रतिवर्ष 6 लाख बेल निर्यात देश से किया जाएगा। निर्यात नीति की घोषणा से कपास की मांग तो बढ़ जाएगी, किन्तु उस बढ़ी हुई मांग का लाभ कपास किसान को दिलवाने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। माली हालत एवं साधन किसान के ऐसे नहीं कि वह अपनी फसल को खुले बाजार में उचित मूल्य पर बेच पाए। सरकार की ओर से कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं कि वह किसान से समर्थन मूल्य पर उसकी फसल खरीदे। ऐसी परिस्थिति में आज किसान अधिक फसल पैदा करके भी हानि उठाने के लिए बाध्य हो रहा है। खुले बाजार में वह समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य हो रहा है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह तुरन्त ऐसी व्यवस्था करे, जिससे किसान को समर्थन मूल्य मिलने की गारन्टी हो जाए और आज जो शोषण हो रहा है, उससे वह बच जाए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

12.24 म० प०

[अनुवाद]

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा द्वारा एक पृथक राज्य के लिये आन्दोलन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर ध्यान करता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि उसके बारे में वह एक वक्तव्य दें :

"गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा एक पृथक राज्य के लिए किए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे का आन्दोलन बताया जाता है, मुख्य रूप से भारत संघ में ही एक अलग राज्य गोरखालैंड बनाने तथा 1950 की भारत, नेपाल मैत्री संधि को निरस्त करने के लिए है।

जैसा कि सदन को विदित है पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के आन्दोलन के कारण कानून और व्यवस्था की अनेक घटनाएं हुई हैं। मैं इनमें से कुछ मुख्य घटनाओं का थोड़े शब्दों में उल्लेख करूंगा।

गोरखालैण्ड मुक्ति मोर्चे ने 12 से 14 मई, 1986 के दौरान 72 घण्टे के एक बंद का आयोजन किया था जिसमें हिंसा की कई घटनाएं हुई और पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। 25 मई 1986 को पथराव की घटना में ग्रस्त कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के परिणामस्वरूप कुर्सियोंग में गो० रा० मु० मो० के समर्थकों ने एक जुलूस निकाला, निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया और पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया। पुलिस ने गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 2 घायल हो गये।

27 जुलाई, 1986 को गो० रा० मु० मो० के समर्थकों ने भारत नेपाल मैत्री संन्धि के अनुच्छेद 7 की प्रतियों को विभिन्न स्थानों पर जलाया। कलिम्पोंग में पुलिस पर हिंसक आक्रमण किया तथा पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुसार गोलीबारी में 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 38 घायल हुए जबकि पुलिस का 1 कार्मिक मारा गया और बड़ी संख्या में कार्मिक घायल हुए। अगले दिन से दार्जिलिंग तथा अन्य इलाकों में 108 घण्टे का बन्द शुरू हुआ।

गो० रा० मु० मो० ने 15 अगस्त, 1986 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की थी और इसके बजाय काले झण्डे फहराये। उनका पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में इमारती लकड़ी के भेजे जाने को 23 अगस्त, 1986 से रोकने का एलान था। फिर भी 14 अगस्त, 1986 को, गो०रा०मु०मो० के अध्यक्ष श्री सुभाष गिशिंग ने आन्दोलन को एक माह तक स्थागित करने की घोषणा की।

सितम्बर, 1986 से हिंसा की कई घटनाएं हुई जिनमें से बहुत सी घटनाओं में गो० रा० मु० मो० और सी० पी० एम० के समर्थकों के बीच टकराव और संघर्ष हुआ। राज्य सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से अर्द्धसैनिक बलों को भेजने के लिए अनुरोध किया और उनके अनुरोधों को तुरन्त स्वीकार किया गया। इस समय के० रि० पु० ब० की 14 कम्पनियां और सी० सु० बल की 2 कम्पनियां दार्जिलिंग क्षेत्र में विद्यमान हैं।

भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विभाजन का विरोध करती है और उसने पृथक राज्य गोरखालैण्ड की मांग को स्पष्टतः अस्वीकार किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय स्वायतता का प्रस्ताव किया है और इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। किन्तु भारत सरकार संविधान में कोई संशोधन करने के पक्ष में नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि 1950 की भारत नेपाल मैत्री संधि को निरस्त करने की मांग सन्धि के अनुच्छेद 6 और 7 का गलत अर्थ लगाने के कारण उठी है। उपरोक्त अनुच्छेदों के अन्तर्गत भारत में नेपाल के नागरिक यद्यपि वे विदेशी हैं, कई मामलों में कुछ विशेषाधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। यदि इस संधि को निरस्त कर दिया जाता है जैसा कि गो०रा०मु०मो० द्वारा मांग की गई है, नेपाल के नागरिक भारत में अपने विशेषाधिकार खो देंगे और उनको अन्य विदेशियों की तरह अपने मूल देश को वापस भेजना होगा। निःसन्देह इसी प्रकार नेपाल में रह रहे भारत के नागरिक जिन्हें इस समय नेपाल के नागरिकों के समान कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, मिलने बन्द हो जायेंगे। जहां तक भारत में नेपाली मूल के नागरिकों का संबंध है, संधि से उनके अधिकारों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेपाली मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिक

हैं, उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त हैं और वे भारत के अन्य किसी नागरिक के समान ऐसे अधिकारों को प्राप्त करते रहेंगे। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत संधि को निरस्त करने की मांग अनुपयुक्त और अनावश्यक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह कहा जा सकता है कि 14 अगस्त, 1986 को दिये गये एक वक्तव्य में एक महीने के लिए आन्दोलन के स्थगन की घोषणा करते हुए श्री गिर्शिंग ने कहा कि वे अपनी शिकायतों का समाधान भारतीय संविधान की रूप-रेखा के भीतर रहते हुए करना चाहते हैं। मुझको भेजे गये 15 सितम्बर, 1986 के एक पत्र में श्री सुभाष गिर्शिंग ने यह भी स्पष्ट किया था कि नेपाल नरेश को 23 दिसम्बर, 1983 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें भारत-नेपाल संधि के विरूद्ध अपनी शिकायतें रखी थी और ज्ञापन की एक प्रति भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजी थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 15 महीने के बाद उस ज्ञापन की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तथा कुछ देशों की सरकारों के प्रधानों को भी भेजी गयी थीं। उन्होंने यह भी कहा कि :—

> "हमारा इरादा अपनी आन्तरिक समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण तथा उनका समाधान भारत के बाहर करने का कदापि नहीं था और हमें अपनी मूल स्थिति को स्पष्ट करने में कोई झिझक नहीं है और हमें राष्ट्र संघ तथा कुछ सरकारों को भेजे गये ज्ञापन से उत्पन्न संदेह अथवा संशय पर खेद है। हम संघीय सरकार को तथा उसके जरिए संसद तथा भारतवासियों को, भारत जो हमारी मातृभूमि है के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा का आश्वासन देते हैं।"

हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में लोगों द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करने की मांग की जाती है। कई मांगें जो राजनैतिक स्वरूप की हैं आर्थिक सामाजिक कारणों से उत्पन्न और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रिया में पिछड़ जाने की भावना के कारण उत्पन्न होती हैं। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास से काफी हद तक उस क्षेत्र के लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकता पूरी होगी। विकास कार्य में लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, शिक्षा, रोजगार आदि का ध्यान रखना होगा। सरकार को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार, दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़ेपन और उस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगी और वहां के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रयास करेगी।

सरकार यह स्पष्ट करना चाहेगी ताकि कोई संदेह न रहे कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में चाहे शिकायतें कितनी ही वास्तविक क्यों न हों हिंसा का कोई स्थान नहीं है। गोरखा, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा भारी गलत फहमी में है यदि वह समझता है कि हिंसक मुठभेड़ से उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। सरकार हिंसा की निंदा करती है, जिसके कारण दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में, गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा और सी० पी० एम० के टकराव के रूख के कारण हिंसा हुई। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि कुछ लोगों की उपेक्षा से उनमें असंतोष और हिंसा न बढ़े। राज्य में विधि और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है और भारत सरकार राज्य सरकार को वह सहायता देती रहेगी जिसका अनुरोध किया जाएगा।

मैं गो०रा०मु०मो० से अपील करने में सदन के सहयोग और समर्थन करने का अनुरोध करूंगा कि गो०रा०मु०मो० अपनी अलगाव वादी मांगों को त्यागने और लोगों की वास्तविक शिकायतों के समाधान पर जोर देने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके अपनाए।

मैं पश्चिम बंगाल सरकार से और विशेष तौर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वे उच्च कोटि की राजनीतिज्ञता का परिचय दें और असंतोष को दूर करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्था और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से बातचीत करने की पहल करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, अत्यधिक खेद और चिंता के साथ मैं भाषण आरम्भ करता हूं और मेरे भाषण में कुछ अधिक समय लग सकता है तथा आप मुझसे सहमत होंगे क्योंकि अध्यक्ष के साथ मेरी बात हो गई है।

एक माननीय सदस्य : जी हां, समझौता हो गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप ने वक्तव्य सुना होगा तथा में यह कहने को बाध्य हूं कि यह वक्तव्य बहुत गैर-उत्तरदायित्वपूर्ण हैं। मुझे नहीं पता कि माननीय मंत्री महोदय के लिये वक्तव्य कौन लिखता है। और आप पहला पैराग्राफ पढ़िये।

"गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे का आन्दोलन मुख्य रूप से भारत संघ में ही अलग राज्य गोरखालैण्ड बनाने तथा 1950 की भारत, नेपाल मंत्री संधि को निरस्त करने के लिये हैं।"

हमें जो प्राप्त हुआ था, वह यह है। और अब अंतिम क्षणों जो संशोधन किया गया है, वह इस प्रकार है :

"यह बताया जाता है, मुख्यतः।

यह पहली बार नहीं हुआ है। संसद सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री की जो बैठक का संक्षिप्त लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसमें एक बात बहुत ही मजेदार है जिसे मैं कहना चाहूंगा :

उसमें लिखा हुआ है कि "जहां तक गोरखालैण्ड प्राप्त करने के बारे में उत्पन्न स्थिति का संबंध है।" उनका मस्तिष्क जिस तरह काम कर रहा है. मुझे नहीं पता। इसके अलावा धारवाड़ की बैठक के बारे में, कर्नाटक में दूरदर्शन से रिपोर्ट दिया गया था—मुझे बताया गया था, मैंने उसे देखा नहीं था—कि प्रधान मंत्री ने गो०रा०मु०मो० के आन्दोलन की भर्त्सना की है। इसके बाद शुद्धि प्रकाशित हुई। "नहीं। उन्होंने आन्दोलन की भर्त्सना नहीं की है। उन्होंने दोनों पक्षों की हिंसा की भर्त्सना की है। यह क्या है। आप सैद्धान्तिक रूप नहीं अपना रहे हैं। और आप दोनों बातों को मिला रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की भ्रांति चलती रहे। दार्जिलिंग में उत्तेजना फैली हुई, लोग मारे जा रहे ह, हमारे आधेकारियों को जलाया जा रहा है और बेतरह खून बहाया जा रहा है। हमारे सदस्य श्री आनन्द पाठक पर कातिलाना हमला किया गया। कार्यालय को तोड़ डाला गया। और अब यह कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष हिंसा पर उतारू हैं। इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों को शह दे रहे हैं जो पृथकतावादी आन्दोलन चला रहे है। हर चीज बराबर नहीं हो सकती। जी हां, हमारे लोग प्रतिरक्षा कर रहे हैं, और इस पर गर्व है। किन्तु आप दोनों को बराबर कैसे ठहरा सकते हैं? कोई आक्रमण कर रहा है, कोई प्रतिरक्षा कर रहा है। केवल नेतृत्व के महान गुण रखने वाले ही इस प्रकार के वक्तव्य दे सकते हैं, जो असंभव हों।

हम इसे राष्ट्रविरोधी कहते हैं, हम इसे पृथकतावादी कहते हैं, हम इसे विभाजनकारी कहते हैं। क्यों ? अब विचार करने के लिये यह बात मुख्य नहीं है, कि वे क्या कह रहे हैं। आन्दोलन किस प्रकार चलाया जा रहा है? उसकी दिशा क्या है? इसका मंतव्य

क्या है? मुख्य बात यह है। उनका प्रयत्न लोगों को विभाजित करना है। एक वर्ग के व्यक्तियों की दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से भिड़ाओ। इसके बिना वे पृथक राज्य की मांग के लिये दवाब नहीं डाल सकते। अतः यह प्रणाली खतरनाक है। और यदि आप अपने देश की पृष्ठभूमि को पृथकतावादी आन्दोलन, साम्प्रदायिक ताकतों से, जो अपना सर उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, साम्राज्यवादी षंडयन्त्र से अलग रखने की चेष्टा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गल्ती पर हैं। इस प्रकार की गलतियां भूतकाल में भी होती रही हैं। हम के० रि० पु० बल भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार के आभारी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा। इस व्यक्तव्य की सच्चाई क्या है? मुझे नहीं पता। इसके प्रति क्या औचित्य है? बंगाल का विभाजन क्यों नहीं होगा? मुझे बताया जाये। यदि उनका आन्दोलन राष्ट्र विरोधी नहीं है, यदि उनकी परेशानियां वास्तविक हैं, और यदि आप यह महसूस करते हैं कि पश्चिम बंगाल का रवैया उनके प्रति न्यायोचित नहीं है तो और आप पश्चिम बंगाल के साथ क्यों संलग्न रखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह आन्दोलन राष्ट्रविरोधी नहीं है, यदि कोई बात राष्ट्र-विरोधी होगी तो पश्चिम बंगाल को उससे निपटना होगा। अतः जो राष्ट्रविरोधी हैं, राज्य सरकार को उससे निपटना होगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रविरोधियों को प्रोत्साहित करने के प्रति क्या तर्क है?

हम उन्हें राष्ट्र-विरोधी क्यों कहते है? हमारे पास इस समय एक ऐसा दस्तावेज है जिसे संबंधित प्राधिकारियों, केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, संयुक्त राष्ट्र आम सभा, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, योरोपीय मानव अधिकार आयोग और विदेशी सरकारों के अध्यक्षों को ज्ञापन भेजा है। उसमें क्या कहा गया है? उसकी विषय वस्तु क्या है?

> "राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बरती गई गंभीर उदासीनता और जाति संहार के अपराधों की निर्दयी चुनौती का मुकाबला करने के लिये गो०रा०मु०मो० का गठन करना पड़ा था।"

इसके आगे कहा गया है:

> "दो पृथक-पृथक स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान का सृजन करके केवल हिन्दू और भारतीय मूल के मुसलमानों के भाग्य का निर्णय करके अंग्रेज स्वयं ही अपने देश इंगलैण्ड को लौट गये और उक्त गोरखाओं और उनकी आत्म समर्पित भूमि तथा प्रदेशों को 15 अगस्त, 1947 से आत्म विनास के कालचक्र के चौराये पर छोड़ दिया गया है" .....

इतना ही नहीं है। दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा सैनिकों को सेना त्यागने का अनुरोध करने वाले पोस्टर भी लगाये गये हैं। एक पोस्टर में क्या कहा गया है?

> "बहादुर गोरखा सिपाहियों—दार्जिलिंग की आवाज सुनो। हमारे भाइयों और बहनों की हत्या करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने के०रि०पु० बल तैनात कर दिया है .....कृपया तत्काल सेना को त्याग दो, हमारे जीवन की रक्षा करो और के० रि० पु० बल से युद्ध करो।"

क्या यह राष्ट्रविरोधी नहीं है ? क्या आपने कभी इसकी भर्त्सना की है ? क्या कभी आपने उनके द्वारा की गई हिंसा तथा तथाकथित न कि दोनों पक्षों की भर्त्सना की है ? दोनों बातें उलझाइये, नहीं। वे भारी नुकसान कर रहे है ·····(व्यवधान)। यह उसी प्रकार का आन्दोलन है, इसकी गंध इसी प्रकार की है, जैसा आन्दोलन पंजाब में चलाया गया है। उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाये जिनसे आंतकवादी आन्दोलन का नेतृत्व किया था, वह वही व्यक्ति है, जिसको विभिन्न प्रकार से उस व्यक्ति ने ही जो अब प्रधान मंत्री है एक धार्मिक व्यक्ति कहा था। और उसका क्या हुआ, यह आपको पता ही है।

आप देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। आपने कल समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि घीसिंग ने क्या कहा है। उन्होंने कहा था कि नदियां रक्त से लाल हो जायेंगी ····· (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : क्या यह सब कहने के लिये आपकी अनुमति लेंगे? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वे लोग घीसिंग के लिये संक्षिप्त भाषण तैयार कर रहे हैं?

इसके संदर्भ में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस वर्ष 18 अगस्त को कांग्रेस (ई) सहित सभी दलों की बैठक बंगाल में हुई थी। इसे राष्ट्र-विरोधी बताते हुए सबसे एक ही वक्तव्य दिया था और लोगों से उसे प्रथम करने को कहा था। उस पर किसने हस्ताक्षर किया था ? हस्ताक्षर करने वालों में अन्य लोगों के अलावा प्रिय रंजन दास मुंशी भी थे, जो इस समय राज्य स्तर के वाणिज्य मंत्री है। उसके बाद क्या हुआ ? प्रधान मंत्री वहां गये थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उन लोगों से बात की थी या नहीं। दल की बात बिल्कुल ही गिरा दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रविरोधी नहीं है। उन लोगों ने कहा कि वे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुशासित दल के व्यवहार का यह एक महान उदाहरण है। जहा तक कलकत्ता जाने के बाद पत्रकारों द्वारा नेपाल के राजा को पत्र लिखे जाने और अन्य व्यक्तियों को भेजे गये पत्रों के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेपाली अपने राजा को पत्र लिख सकते है। कौन से नेपाली अपने राजा को पत्र लिख सकते हैं। जो भारतीय हैं, क्या वे नेपाली राजा को पत्र लिख सकते हैं ? क्या वे ऐसा कर सकते हैं ·····(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने कहा है कि ····(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अमल दत्त : (डायमंड हार्नर) मैं आपसे केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करें ····(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो कुछ वह कह रही हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित की ए।·····(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल करने से मना किया है। **(व्यवधान)****

श्री अमल दत्त : जो कुछ वह कह रही हैं, क्या वह कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अमल दत्त : आप कृपया इसे सम्मिलित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है कि कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अमल दत्त : आपको इसे शामिल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसे शामिल किया जाए। वह यहां यह गान क्यों गा रही हैं और डांस कर रही हैं? कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि वह यहां मौजूद हैं ···· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैं उन्हें अनुमति कैसे दे सकता हूं?

श्री अमल दत्त : यहां वह जो कुछ कह रही हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हम दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस दल और यह महिला नेपाली लोगों के लिए चिल्ला रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं···· **(व्यवधान)****

उपाध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया बैठ जाइए। वह बोल रहे हैं। मैं प्रत्येक को इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। आप कृपया बैठ जाइए। श्री चौधरी आप अपना भाषण जारी रखिए। आप जो भी स्पष्टीकरण चाहते हैं, वह पूछिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमन्, मैं बहुत गंभीर हूं। श्रीमन् एक स्थिति की कल्पना कीजिए। अगर आन्दोलनकारी भारतीय नेपाली नहीं हैं, तो वे यहां समस्या क्यों पैदा कर रहे हैं? और अगर वे भारतीय हैं, तो वे दूसरे देशों को क्यों लिख रहे हैं और दूसरे देशों, जैसे नेपाल, से संचालन क्यों कर रहे हैं?····· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 10 मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह पूछिए, अन्य लोगों को भी बोलना है। आप अकेले ही बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं, चार अन्य लोगों को भी बोलना है।

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया है कि इस चर्चा के लिए कुछ और समय दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चार अन्य सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री वासुदेव आचार्य : कल अध्यक्ष महोदय ने मुझ से कहा था कि इस चर्चा के लिए नियमों में ढील दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल 3–4 मिनट और बोलने की अनुमति दूंगा।

**कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमन्, यह ठीक नहीं है। श्रीमन्, इसके अलावा आर्थिक मांगें और पिछड़ेपन आदि का जिक्र किया गया है। प्रधान मंत्री अक्सर इसका जिक्र करते हैं। इस सबका अर्थ क्या है ? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 9–22 अगस्त, 1986 के "फ्रंटलाईन" के अंक में श्री घिसिंग से लिए गए साक्षात्कार को पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया है "हम दाल और चावल के लिए गोरखालैंड नहीं मांग रहे हैं।"

प्रश्न : गोरखालैंड की आर्थिक मांग क्या है ? क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए आबंटित धन को ठीक तरह से खर्च नहीं किया गया है या गलत प्रयोग किया गया है अथवा उसमें बेईमानी की गई है ?

उत्तर : हमें पहाड़ी विकास नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी सड़कों को सोने से विछवा दिया जाए।

प्रश्न : क्या इसका अर्थ यह है कि आपकी मांग में गोरखालैंड के लिए आर्थिक अंश नहीं है।

उत्तर : नहीं, हमारी आवाज, आबंटित राशि के दुरुपयोग या अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नहीं है।'

अब वे कह रहे हैं कि वे पिछड़े हैं। सभी जगह पिछड़ापन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्र विरोधी आन्दोलन चलाया जाए। आप उनके पिछड़ेपन की बात क्यों कर रहे हैं ? सभी जगह पिछड़ापन हैं। पश्चिम बंगाल में 12 जिले ऐसे हैं जो दार्जलिंग से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। मैं नेपाली लोगों की समस्याओं को समझता हूं, जिन्हें हल किया जाना चाहिए लेकिन यह अलग बात है, लेकिन आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते।

इसके अलावा वह कह रहे हैं कि उनकी मांगें संविधान के अन्तर्गत हैं। मेरे पास कुछ दिन पूर्व श्री घिसिंग द्वारा श्री बूटा सिंह को लिखा गया पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह पत्र खिलता में नेपाल सरकार को लिखा है और इसकी प्रतियां अन्य देशों को भेजी हैं। उस पत्र में भी उन्होंने कहा है, हम देश में तथा अन्य स्थानों में विभिन्न जातिवादी और अन्य संगठनों से अपील करते हैं कि वे अपनी समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/मंचों पर उठाएं।" उन्होंने अपना अधिकार आरक्षित रखा है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहां–कहां पत्र भेजे हैं और आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह गलत बात है और आज जो कुछ आपने कहा, उस पर आप अड़े नहीं रह सकते। आप कानून और व्यवस्था की अच्छी स्थिति पैदा नहीं कर रहे, आप अपनी कार्यवाही से उन्हें अवप्रेरित कर रहे हैं और स्थिति उग्र बन गई है। आप संविधान के अनुच्छेद 249 की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह तरीका नहीं है। यह मामले छोटे–छोटे राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करने चाहिएं।

भारत–नेपाल संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का यहां जिक्र करना आवश्यक है। यह मांग की गई है कि भारत–नेपाल संधि के अनुच्छेद 7 को रद्द किया जाए। इससे नेपाल से हमारे संबंध खराब होंगे। कुछ लोग नेपाल के साथ हमारे संबंध बिगाड़ने में सक्रिय भूमिका निभा

रहे हैं। आप जानते हैं कि उनकी मंशा क्या है और इसे गोरखलैण्ड से कैसे जोड़ा गया है। इससे अंततः देश का विभाजन होगा। श्री घिसिंग ने कहा है :

"नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित किए जाने के पश्चात्, भारत–नेपाल संधि का कोई महत्व नहीं रह गया है। भारत नेपाल गोरखा ट्रूप समझौता भी रद्द किया जाएगा और 1950 की स्थिति और समझौता भी रद्द किया जाएगा।....

भारत–नेपाल संधियों के रद्द हो जाने के बाद, भारत में रह रहे 60 लाख नेपाली कहीं के नहीं रहेंगे। बाद में, शायद, नेपाल में रह रहे 75 लाख बिहारी और हिन्दुस्तानी (उत्तर प्रदेश निवासी) लोगों को भी नेपाल से निकाल दिया जाए"।

आप इस षडयंत्र का अन्दाजा लगा सकते हैं। शांति क्षेत्र को कैसे इन सब बातों से जोड़ा गया है? नेपाल सरकार ने किस शांति क्षेत्र की बात की है? क्या हमारी सरकार इसका समर्थन करती है? क्या हम यह माने कि नेपाल को भारत से दूर ले जाने की एक चाल है? क्या हमारे संबंधों का इस पर बुरा असर पड़ेगा? क्या आप इसे नहीं समझते?.... (व्यवधान)

आप कहते हैं कि नहीं, नहीं, हमारे नेपाल से अच्छे संबंध हैं। लेकिन आप खतरे को नहीं समझते, आप इस तरह समस्या को ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं डा० सतीश मिश्र द्वारा 5 अक्तूबर, 1986 के 'लिन्क' में लिखे गए लेख का उल्लेख करता हूं :—

"नेपाल सरकार 1950 में हुई शांति और मैत्री संधि को संशोधित करने की कोशिश कर रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष चालें चल रहा है। इस दिशा में जी० एन० एल० एफ० की मांग नवीनतम कदम है",

इसके अलावा इतिहास को तोड़ने–मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल दार्जिलिंग से जोड़ा जा रहा है। क्या दार्जलिंग नेपाल का एक भाग था। ऐतिहासिक रूप से यह सत्य नहीं है। वे कैसे जोड़ रहे हैं? हम जानते हैं कि नेपाल में वृहद् नेपाल की मांग की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से यह कैसे जोड़ा जा रहा है? हमें इस बात को समझना होगा। हमें अपने व्यवहार में भोला ही नहीं बने रहना चाहिए। वे कैसे व्यवहार करना चाहते हैं। समाचारपत्रों में मैंने पढ़ा है कि उत्तराखण्ड क्रांति दल की स्थापना की गई है, जिसकी मांग है कि कुमांऊ और गढ़वाल पहाड़ियों को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना की जाए। इन लोगों का जी० एन० एल० एफ० से संबंध है।

'फ्रन्टलाईन' में छपे एवं साक्षात्कार में भी घिसिंग ने कहा है :—

प्रश्न : "मगर आपका गोरखालैण्ड भारतीय नेपालियों की सुरक्षा और उन्हें भारतीयता की पहचान के लिए है तो आपने अपना आन्दोलन यहीं से ही क्यों आरम्भ किया है, असम या अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों से क्यों नहीं?"

उत्तर : "वहां भी जल्द ही यह आन्दोलन आरम्भ किया जाएगा। अब हमने सातों राज्यों के लिए एक मुख्य संयोजक नियुक्त किया है"

इस परिप्रेक्ष्य में हमें इसे देखना चाहिए। उन्होंने ये बातें कही हैं। आप जो कुछ कहते हैं, उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या आप उनसे अपील करेंगे? मुझे इस बात से हैरानी हुई है कि आपने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और लोगों को राजनीति भत्ता दिखाना चाहिए। अब तक वे क्या करते रहे हैं? क्या वे मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं? लेकिन इससे आप निश्चय ही देश की अखण्डता को खतरा पैदा कर रहे हैं। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। (व्यवधान)

इसमें एक आशा की किरण है। उनसे जो लड़ रहे हैं, जिन पर हमला हो रहा, वे सब हमारे नेपाली भाई हैं। वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ संगठित हैं। अपनी मातृ-भाषा, अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता की मान्यता की मांग कर रहे हैं? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह क्या है? आप दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। स्वायत्ता से उनका क्या अभिप्राय है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हालांकि यह बात इस आन्दोलन से सीधे जुड़ी हुई नहीं है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले को राजनैतिक और सख्ती से निपटना चाहिए। उनको क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने से आप इस आन्दोलन को बन्द नहीं कर सकते। लोक चेतना कैसे जागृत करनी है, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात है। निश्चय ही यह करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आशा की किरण यही है कि नेपाली भाई ही इन अलगाववादी शक्तियों से लड़ रहे हैं। मैं यहां केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें पूरी तरह से मदद दी जाए और दोनों तरफ से हिंसा को रोका जाए और स्थिति को और न उलझाया जाए। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, हानिकारक है और इससे स्थिति अधिक संकटग्रस्त हो गई है। अगर आप इसी प्रकार कार्यवाही करते रहे, तो पहले यह लासदी सिद्ध हुई है अब अपरिपक्व दृष्टिकोण अपनाने से और अधिक खतरनाक सिद्ध होगी। हमें इसे जल्द दबाना चाहिए।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प पर बोलते हुए, आरम्भ में, मुझे इस सम्मानित सभा द्वारा देश की एकता और अखण्डता के प्रति, कई अवसरों पर व्यक्त की गई चिंता की याद आती है।

श्रीमन्, इस सम्मानीय सभा ने अपनी इच्छा जाहिर की थी और देश के किसी भी भाग में अलगाववादी और विघटनकारी शक्तियों का इसने चट्टान की तरह मुकाबला किया। श्रीमन्, आपको याद होगा कि इस सम्मानीय सभा में कई अवसरों पर यह कहा गया है कि देश में या देश के बाहर के किसी भी खतरे से देश के एकता एवं अखण्डता के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, सत्ताधारी दल अपनी संकीर्ण लाभों के लिए...

एक माननीय सदस्य : क्या पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी है?

श्री अनिल बसु : नहीं, केन्द्र की सत्ता पार्टी। यहां आप सभी उपस्थित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से केन्द्र में सत्तारूढ़ दल अपने संकीर्ण लाभों के लिए न तो इतिहास से ही कोई सबक ले रहा है, और न ही ऐसा करने की उसकी कोई इच्छा है। देश के इस भाग में सत्ताधारी दल द्वारा असदावादी साम्प्रदायिक और पृथकतावादी शक्तियों को बढ़ावा देने से सारे राष्ट्र को कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है? (व्यवधान)

जम्मू और काश्मीर की मिसाल है। वहां क्या हो रहा है ? अब वहां राष्ट्रीय कांग्रेस और फारूक की मिली-जुली सरकार ने शपथ ली है। आप जानते हैं कि पहले वहां क्या हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस में दल बदल हुआ। उसको किसने बढ़ावा दिया ? वहां खलीदा शाह नेशनल कांफ्रेंस सरकार के निर्माण में किसने साथ दिया ? आपने, कांग्रेस लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और बाद में आप जानते हैं कि जम्मू और काश्मीर में रूढ़िवादी शक्तियों को शह मिली और आपको मजबूर होकर वहां फारूक के साथ सरकार बनानी पड़ी। मैं समझता हूं कि आप अभी पंजाब का सबक नहीं भूले होंगे। आज जो व्यक्ति प्रधान मंत्री है, उस समय वह एक संसद सदस्य था और कांग्रेस का महासचिव था। उन्होंने कहा था कि भिंडरवाला एक धार्मिक नेता है और उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। आप जानते हैं कि कांग्रेस दल समेत सारे देश को इसका क्या मूल्य चुकाना पड़ रहा है।

अलगाववादी शक्तियों द्वारा दार्जिलिंग में चलाए जा रहे वर्तमान आन्दोलन में, जी० एन० एल० एफ० ने एक अलग राज्य की मांग की है। उसने देश के उस भाग में हिंसा पैदा की है, ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो सके और अलग राज्य गोरखालैण्ड की स्थापना की जा सके। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के ही अन्य नेताओं ने कहा है कि यह आन्दोलन राष्ट्र-विरोधी नहीं है। मैं आपकी अनुमति से कांग्रेस संसदीय दल की 'प्रेस रिलीज' को यहां उद्धृत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, यह आवश्यक नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह दल का मामला है। वह इसे कैसे उद्धृत कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : महोदय, वह नहीं समझती। यह प्रेस रिलीज है।

उपाध्यक्ष महोदय : अंतर्वस्तु क्या है, आप बता सकते हैं।

श्री अनिल बसु : प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं कि यह मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या है और कथित संघर्ष राष्ट्र विरोधी नहीं है। इसका क्या अर्थ है ? **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर हो रही लगातार टिप्पणियों को रोका जाए।

श्री अनिल बसु : यह बजाय अनियंत्रित हिंसा और गुंडागर्दी के सिवाय और कुछ नहीं है। यह मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। महोदय, यह एक राजनीतिक आन्दोलन है। जिसे जी० एन० एल० एफ० द्वारा चलाया जा रहा है तथा इसे साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा समर्थन प्राप्त है **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृपया इन पर नियंत्रण करें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुनः बातों को दोहरा रहे हैं। मंत्री महोदय ने यह पहले ही बता दिया है। पुनः दोहराने से क्या लाभ है ?

श्री अनिल बसु : यह साम्राज्यवादी ताकतों से समर्थन प्राप्त एक राजनीतिक आन्दोलन है जिसका एकमात्र उद्देश्य देश की एकता और अखण्डता को तोड़ना है। इसका पता नेपाल के महाराजा अन्य देशों तथा यू० एन० ओ० के राष्ट्राध्यक्षों को घिसिंग द्वारा लिखे गए पत्र से चलता है। उन्होंने वह पत्र 23–12–1983 को नेपाल के महाराजा को लिखा था आज तक उन्होंने इस पत्र को बिना शर्त के वापिस नहीं लिया है। वह पत्र अभी भी उनके पास है। उन्होंने उस पत्र में कहा है :

"महामहिम को ऐतिहासिक निर्णय तथा महामहिम के सुलेमानी निर्णय के लिए साहसी कदम उठायें।"

वह आगे कहते हैं :

"अब फैसला महामहिम आपके हाथ में है।"

यह पत्र दिनांक 23–12–1983 का है। क्या यह एक राष्ट्र–विरोधी पत्र नहीं है? अगर आप समझते हैं कि यह एक राष्ट्र विरोधी पत्र है तो आपको इस पत्र की निन्दा करनी चाहिए और आपको उन्हें उस पत्र को बिना शर्त वापिस लेने के लिए कहना चाहिए। लेकिन आज तक उन्होंने नेपाल के महाराजा, यू० एन० ओ० तथा विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों को लिखे पत्र को वापिस नहीं लिया है। वह पत्र अभी भी उनके पास है।

कुर्सिआंग में जी० एन० एल० एफ० की आम सभा की 2–6–1985 की बैठक में उन्होंने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा :

"हमारे बार-बार सिफारिश करने तथा स्मरण पत्रों के बावजूद हम नेपालियों को भारतीय संघ में न्याय नहीं मिल सका। केवल मारवाड़ियों, बिहारियों, पंजाबियों, बंगालियों को भारत में न्याय मिला है।"

और बाद में, उन्होंने यह कहा है :

"आजकल विश्व में सब जगह बहुत से छोटे–छोटे राष्ट्र "माइक्रो राज्य" बनाए जा रहे हैं। यू० एन० ओ० इन राष्ट्रों को एक अलग प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहा है। उन्हें यू० एन० ओ० को सिर्फ 55,000 डालर देने पड़ते हैं।"

इसका अर्थ है, वे 55,000 डालर देने के लिए तैयार हैं। पत्र तथा घिसिंग ने जी० एन० एल० एफ० की आम सभा की बैठक में जो कहा उसका विषय यह है। इसका मतलब है, हजारों डालर उन्हें मिल रहे हैं। उन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों से डालर अर्थात् साम्राज्यवादी डालर मिल रहे हैं इसका उल्लेख स्वयं घिसिंग ने किया है।

मुझे नहीं मालूम, राष्ट्र–विरोधी क्या है। हमारे एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, जैसा कि प्रेस में प्रकाशित हुआ है, श्री अशोक सेन, केन्द्रीय विधि मंत्री ने रिपोर्टरों को बताया है जो कलकत्ता के दैनिक समाचार पत्रों में छपा है कि अपने स्वतंत्रता संग्राम में हमने बाहरी सहायता ली है। अगर जी० एन० एल० एफ० बाहरी देशों से सहायता लेता है तो इसमें क्या खराबी है?

1.00 म० प०

आप केन्द्रीय मंत्रियों के दृष्टिकोण को देखिए । वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बुराई कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार का यह रूख है । जी० एन० एल० एफ० की मांग क्या है ? वे भारत–नेपाल संधी को रद्द करना चाहते हैं । वे एक अलग 'गोरखालैण्ड' बनाना चाहते हैं । उद्देश्य क्या है ? विधि मंत्री यहां इसकी निन्दा करने के लिए नहीं हैं । श्री आनन्द पाठक, इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य का घर जला दिया गया था । उसका जीवन खतरे में है तथा उसका घर जला दिया गया है । न तो केन्द्रीय सरकार ने और न ही किसी केन्द्रीय सरकार के मंत्री ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की है । श्री बूटा सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा है कि दोनों तरफ से हिंसात्मक कार्यवाही हो रही है । वह जो हमला कर रहे है तथा जिन पर हमला हो रहा है दोनों को बराबर बता रहे हैं । इसीलिए हम कह रहे हैं कि मात्र सी० आर० पी० कर्मियों को भेजने से कोई लाभ नहीं होगा । आपने जो किया है हम उसकी तारीफ करते हैं । हम आपके इस कार्य की तारीफ करते हैं । लेकिन यह एक राजनीतिक मुद्दा है । यह एक राजनीतिक प्रश्न है जिसे राजनीतिक तौर पर हल करने की आवश्यकता है । इसी कारण, अल्पसंख्यकों की समस्या का हल संबंधित राज्य के ढांचे के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाए । उन अल्पसंख्यकों की भाषा तथा संस्कृति को संरक्षण दिया जाए । राज्य में जो विषय पूर्णतया उनसे संबंधित है न कि अन्यों से ऐसे मामलों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए । इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जिसमें सभी दल सम्मिलित हैं ने 1953 में ही दार्जिलिंग की क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग को पहचाना था तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा था तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में, नेपाली बोलने वाले भारतीय नागरिकों की, अपनी भाषा को सम्मिलित करने की शिकायत वास्तविक भी थी । आप संविधान के अनुच्छेद 244, अनुसूची छः में सरलता से संशोधन कर सकते हैं । आप संविधान की सातवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को आसानी से शामिल कर सकते है । पश्चिम बंगाल सरकार अपना कर्त्तव्य निभा रही है । अब आपका कर्त्तव्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया जाएगा । इसमें कोई मुद्दा नहीं है । अब श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया बोलेंगे ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : माननीय सरदार बूटा सिंह द्वारा मामले से संबंधित विवरण तथा सूचना जो सभा पटल पर रखी गई है तथा पर्चों, समाचार पत्रों तथा माननीय साथियों के भाषण से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसकी तुलना करने पर असंतुलित विकास तथा बेरोजगारी आदि बातों के कारण जो देश के कई भागों की वास्तविक शिकायत है उससे सहमत हुआ हूं । देश के कई भागों में भाषा तथा धर्म के नाम पर कुछ शिकायतें हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको और समय चाहिए । आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

1.05 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.10 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

2.10 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[अनुवाद] [जारी]

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा एक पृथक राज्य के लिए आन्दोलन

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामूवालिया अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस के विभिन्न वर्गों में प्रकाशित समाचारों तथा गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह द्वारा सदन में पढ़े गए वक्तव्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर मैं देखता हूं कि देश के कुछ क्षेत्रों में कतिपय असंतोष के कारण सदैव रहे हैं। व्याप्त बेरोजगारी तथा विकास के असंतुलन के कारण कुछ समस्याएं रही हैं और कुछ समस्याएं मौजूद हैं। धन की कमी, देश की अधिक आबादी तथा कई अन्य कारणों की वजह से लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र की स्थिति पर प्रत्येक को चिंता हो रही है। कारण हो सकते हैं। भारत विभिन्नता में एकता की बात में पक्का विश्वास रखता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, क्षेत्रीय अस्तित्व के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का होना और उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसी भावनाएं सभी जगह होती हैं। इस सदन तथा देश को गंभीरता से सुनिश्चित करना होगा कि इन भावनाओं को अधिकतम सीमा तक पूरा किया जाए लेकिन बड़ी सतर्कता के साथ करना होगा। अर्थात्, यह सुनिश्चित किया जाए कि नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में न चला जाए जिन्हें अभी अपना उत्तरादायित्व नेतृत्व सिद्ध करना बाकी है दार्जिलिंग क्षेत्र में, गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के अनुसार वे मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। इस पर मेरा एक एतराज है : मुक्ति किससे ? इस प्रकार की आकर्षक नारेबाजी से नाम कमाना अच्छा नहीं है। इससे कतिपय शक की गंध आती है। मैं भी अपने अनुभव से महसूस करता हूं--क्योंकि मैंने भी अपने राज्य में अनुभव किया है--कि जब कभी भी केन्द्र और राज्य के बीच विवाद होता है, जब कभी भी केन्द्र और राज्य के बीच गलतफहमी होती है, तो समस्याएं बजाय हल होने के और अधिक उलझ जाती हैं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि संपूर्ण राष्ट्र के सामने जो मामला हो उस पर अधिकतम समझदारी दिखायी जानी चाहिए। समस्याएं हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन समस्याएं भारत भूमि पर ही भारतीय संविधान के ढांचे में हल किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हमारी आंतरिक समस्याओं को हल कराने के लिए किसी भी पड़ौसी देश से किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता नहीं लेने देनी चाहिए।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि श्री घिसिंग ने 15 सितम्बर, 1986 को एक पत्र लिखा था। क्या मैं माननीय मंत्री से इसे सभा-पटल पर रखने तथा सभा में प्रस्तुत करने के लिए कह सकता हूं ताकि देश को पता चल सके कि श्री घिसिंग ने भारत सरकार को क्या लिखा है...

श्री वासुदेव आचार्य : मंत्री महोदय के उत्तर के साथ; दोनों पत्र।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : हां, दोनों पत्र।

सरकार ने दो या तीन आश्वासन दिए हैं, मैं कुछ हद तक सहमत हूं। मैं इन आश्वासनों का स्वागत करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल का विभाजन स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जायेगा, मैं इन आश्वासनों का भी स्वागत करता हूं। मैं इस वक्तव्य का भी स्वागत करता हूं कि संघों को रद्द करने की मांग अवांछनीय है।

एक तरफ तो यह कहा जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि भारत सरकार जरा सा भी यह इशारा नहीं दे कि जो ताकतें भारत-विरोधी हैं वे भारत सरकार की किसी भी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि भारत सरकार इन मामलों पर इसके विपरीत विचार कर सकती है।

अन्त में, मैं नम्रतापूर्वक सुझाव करता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए देश को, संपूर्ण राष्ट्र को तथा सभी राजनीतिक दलों को, भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता और एकता को सुरक्षित रखने के लिए तथा इस महान देश के लोगों के आपसी प्यार को बचाने के लिए, एक व्यक्ति के रूप में खड़ा हो जाना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से बहुत ही उदास हुई हूं। मैं जानती हूं कि आप मुझे अधिक समय नहीं देंगे; लेकिन कृपया उदासीनता को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय दें।

पहले तो, इस वक्तव्य के पैराग्राफ 2, 3, 4 और 5 में आन्दोलन का जो खुलासा दिया गया है उससे लगता है कि या तो सरकार को वास्तविकता का पता नहीं है अथवा वह उसको बताना नहीं चाहती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी क्या उन्हें पता है कि हमारे सी० पी० आई० दल के बड़े कार्यकर्त्ताओं को धमकी दी गई है, उनके घरों को जला दिया गया है और उन से आन्दोलन में शामिल होने के लिए भी कहा जा रहा है; अन्यथा उनका जीवन खतरे में होगा। यह उनसे हर समय कहा जा रहा है। न केवल सी० पी० आई०, सी० पी० आई० (एम०) ही बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जो लोग भी घिसिंग कार्य के साथ नहीं चलेगा, उन सबको हमेशा यह धमकी दी जा रही है। क्या आपको मालूम है कि बस पकड़ने के लिए भी आपको अनुमति की जरूरत है—अगर आप जी० एन० एल० एफ० समर्थक हैं—अगर नहीं तो बन्दूक की नोक पर आपको ऐसा नहीं करने दिया जाता? क्या आप जानते हैं कि टैक्सी पकड़ने के लिए आपको अनुमति की जरूरत है अन्यथा आपको बन्दूक की नोक पर टैक्सी पकड़ने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आप आन्दोलन में सम्मिलित नहीं हो जाते? क्या स्थिति की गंभीरता, आपके यहां किए गए उल्लेख में, झलक पायी है। मेरे विचार से यह नहीं आ पायी है। ना ही यह बताया गया है कि लगातार मिरिक सीमा से हथियारों की तस्करी हो रही है। क्या आपने यह यहां बताया? क्यों नहीं बताया? आप किन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे मैं वक्तव्य के पैराग्राफ 9 से अतिशय क्षुब्ध हूं जिसमें उल्लेख किया गया था कि 15 सितम्बर 1986 को लिखित उनको संबोधित पत्र में घीसिंग ने बताया कि 23 दिसम्बर 1983 को भारत-नेपाल संधि के विरुद्ध अपनी शिकायतों की चर्चा करते हुए नेपाल के राजा को एक ज्ञापन दिया गया। और इस ज्ञापन की एक-एक प्रति भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजी गई। उनके द्वारा यह पत्र भेजने की कोई निंदा नहीं की गई है। न तो यह बताया गया है कि इस पत्र में क्या लिखा है। क्या यह सही नहीं है कि घिसिंग के इस महत्वपूर्ण पत्र में गोरखाओं के जनमत के प्रश्न पर ब्रितानियों के व्यवहार का उल्लेख किया गया है कि उन्हें भारत में समझा जाना चाहिए या नेपाल में। नेपाल के राजा को लिखे गए इस पत्र में जनमत का उल्लेख किया गया है। यह कैसे हुआ कि यह आपकी जानकारी में नहीं आया? जहां तक मैं जानती हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने समस्त जानकारी आपको प्रदान कर दी है और आपके पास इसकी प्रतिलिपि है। क्या यह एक संदेहास्पद बात नहीं है? मैं जानना चाहूंगी कि आप इस प्रश्न पर इतने शिथिल क्यों हैं।

मैं इस तथ्य का स्मरण कराना चाहूंगी कि यह एक सीमा क्षेत्र है तथा संवेदनशील इलाका भी है यह स्थान राजनीतिक खेल के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि गोरखा राज्य का प्रश्न ताजा नहीं है। जब अमेरिका की जान हाप कुक चोग्याल की पत्नी के रूप में सिक्किम की महारानी थी, उन्होंने नेपाल, सिक्किम तथा दार्जिलिंग को मिलाकर एक संयुक्त नेपाल बनाने के लिए लेख छाप-छाप कर इसकी वकालत की थी। कम से कम उनका एक लेख अमेरिका से प्रकाशित नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका में छपा था। क्या सरकार ने इसे पढ़ा है क्या उसका यह नहीं सोचना है कि ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो इस प्रश्न पर अपना सिर उठा सकते है? क्या इसका यह नहीं मानाना है कि इस प्रकार का आन्दोलन खतरनाक है ?

मैं गंभीरतापूर्वक इस सदन को बताना चाहूंगी कि सत्तारूढ़ दल के व्यवहार ने तथा इसके प्रधानों सहित इसकी कार्यपालिका ने इस आन्दोलन को बढ़ावा दिया है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। कलकत्ता में राजीव गांधी के भाषण के उपरांत, जिसमें उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी नहीं कहा था, वहां तुरन्त आक्रोश उमड़ पड़ा। लोगों का चाहे जो भी मत हो लेकिन हरेक को यह सोचना चाहिए कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें हम सब उपस्थित थे जिसमें कांग्रेस (आई) के प्रियरंजन दास मुंशी इस सभा के वक्तव्य में 'राष्ट्र विरोधी' जोड़ना चाहते थे। वक्तव्य ने विभाजनकारी और विध्वंशकारी शक्तियों का उल्लेख किया और ये शब्द उन लोगों द्वारा लाए गए थे न कि हमारे द्वारा। अगले ही दिन प्रधान मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। उनकी निंदा में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। अतः क्या यह उकसावा नहीं है? हम आपको बताना चाहेंगे कि दार्जिलिंग की समूची कांग्रेस (आई) पार्टी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का साथ दे रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कुरसांग रेडियो अपने नेपाली समाचार बुलेटिन में हमेशा यही खबर देता रहता है कि दूसरी पार्टी से कितने लोग गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट में शामिल हो गए हैं। क्यों? क्या यह उकसाना नहीं है? यदि ऐसा है तो उनका क्या कहना है। यह चिंता करने वाली बात है कि वहां क्या हो रहा है।

अब मैं अंतिम बात पर आती हूं, यह बहुत मनोरंजक है। मैं आपका ध्यान वक्तव्य के पैरा 10 के साथ पठित पैरा 7 की ओर दिलाती हूं।

"भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विभाजन के विरुद्ध है और उसने पृथक गोरखालैण्ड राज्य की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है।"

यह अच्छी बात है तब

"पश्चिम बंगाल की सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है और इस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है किन्तु भारत सरकार संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करने के पक्ष में नहीं है।"

पैराग्राफ 10 में लिखा है :

"....अनेक मांगें जो ऊपर से राजनीतिक प्रतीत होती हैं, उनकी जड़ में सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं और उनमें सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया के प्रति उपेक्षा का स्वर होता है। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा।"

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल आर्थिक मांगें नहीं है बल्कि ये सामाजिक आर्थिक मांगें हैं। इन लोगों की सामाजिक आर्थिक मांगे क्या हैं?

हमारे दल ने, जब यह विभाजित नहीं था, यह मुद्दा उठाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि यह न केवल हमारा ही दल है। 1957 में जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। इस क्षेत्र के तीन बड़े दलों कांग्रेस पार्टी, साम्यवादी पार्टी, आल इंडिया गोरखा लैण्ड लीग, तथा बंगालियों लेप्चान और भूटियाच के प्रतिनिधियों, इस क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों और मैदानी इलाके के 50 विधायकों ने उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए एक ज्ञापन दिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने, जिसे मैं दोहराना चाहूंगी, एकमत से क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करते हुए एक संकल्प पारित किया था। थोड़ी सी जागृति बड़ी सी हानि को कम कर देती है। यदि इसे पहले ही क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई होती, तो मुझे विश्वास है, कि इन तत्वों को यह अवसर नहीं मिलता। आज तक आपका यही कहना है कि पश्चिम बंगाल का विभाजन नहीं चाहते। यह बड़ी अच्छी बात है।

सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनायी जा सकती है। क्या यह मामला केवल कुछ करोड़ रुपए देने से संबंधित है? बूटा सिंह जी मैं आपको धन्यवाद प्रदान करती हूं क्योंकि आप जितना दे सकते हैं उतना धन आपने दिया और हम यह भी खर्च वहन करेंगे जो दार्जिलिंग की समस्या को सुलझा दे। लेकिन मेरा विचार है कि ऐसा नहीं होगा। आपको न केवल दार्जिलिंग के लिए बल्कि सभी क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़े पैमाने पर धन देना चाहिए। केवल इससे ही मदद नहीं मिलेगी। स्थानीय स्वायत्तता के लिए संविधान का संशोधन भी करना होगा।

यदि सरकार इस आन्दोलन को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती तो सरकार नेपाल को मिलाकर क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ साथ अन्य सभी मांगों को क्यों अस्वीकार कर रही है? दार्जिलिंग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है। आप इस समस्या को किस प्रकार हल करना चाहते हैं।

मैं नहीं समझती कि इस वक्तव्य से इस समस्या का हल निकल आयेगा। यदि कुछ भी होगा तो वह यह कि यह ऐसी गतिविधियां जारी रखने के लिए संकेत होगा और इससे और अधिक समस्यायें पैदा होंगी।

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, प्रधानमंत्री ने कहा है कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट राष्ट्र विरोधी नहीं है। लेकिन, निःसन्देह यह राष्ट्र विरोधी है। नेपाल के प्रधानमंत्री को 15 फरवरी 1984 तथा 12 मार्च 1985 को घीसिंग का लिखा गया पत्र, नेपाल में प्रतिनिधिमंडल का भेजना, विभिन्न देशों के राजदूतों जैसे :—सोवियत रूस, ब्रिटेन, बंगलादेश तथा पाकिस्तान से मिलना ये सब बातें हमें यह सब करने के लिए बाध्य करती हैं कि यह आन्दोलन पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। अमेरिका भी एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा था कि इसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। संभवतः हमारे गृहमंत्री को इसकी एक प्रतिलिपि प्राप्त हो चुकी है। ये सभी गतिविधियां बिना किसी सन्देह के सिद्ध करती हैं कि ये आन्दोलन राष्ट्र विरोधी है। मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने अपने दल की संसदीय पार्टी की बैठक में कहा था कि गोरखा लैण्ड नेशनल लिबरेशन फ्रंट राष्ट्र विरोधी नहीं है। मैं इस वक्तव्य की निंदा करता हूं।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने जो कदम उठाये हैं मैं उनकी सराहना करता हूं। दूसरी ओर बैठे कांग्रेस सदस्यों के उत्तेजनात्मक वक्तव्यों से आज यह आन्दोलन और बढ़ रहा है।

आज आंदोलन का मुख्य कारण यह है कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं सूची में संशोधन करके राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार को संविधान का संशोधन इसी अनुरूप करना चाहिए और इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।

इस क्षेत्र के अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। उनके अन्दर शंका व्याप्त है कि दार्जिलिंग क्षेत्र की सुविधाएं और रोजगार अवसर का लाभ केवल बंगाली लोगों को मिल रहा है। दूसरे, सरकार टीक, पर्यटन तथा चाय से लगभग 30 करोड़ रुपये अर्जित कर रही है। इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग नेपाली वंश हैं उनका सोचना है कि अर्जित किये गये राजस्व का एक प्रतिशत भी उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है और बहुसंख्यक रूप से उनकी राय है कि इस राजस्व का लाभ बंगाली लोग उठा रहे हैं।

जहां तक भारत सरकार के क्रियाकलापों का संबंध है, इस क्षेत्र के लोग विशेषकर नेपाली लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें सूचना तथा प्रसारण माध्यमों में जैसे आकाशवाणी और टेलीविजन में उपयुक्त स्थान नहीं दिया जा रहा है और निस्संदेह यह सत्य है। भारत सरकार की अक्षम क्रिया-करणों और अक्षम नीतियों के कारण लोगों में इस प्रकार की धारणा पनप रही है। उनकी धारणा है कि बंगाली लोगों को 100 प्रतिशत स्थान मिल रहा है जबकि नेपाली मूल के लोगों को आल इंडिया रेडियो में 3.18% स्थान प्राप्त हो रहा है। जहां तक टेलीविजन का संबंध है, इन लोगों का सोचना है कि बंगाली लोगों को इसमें 100 प्रतिशत स्थान प्राप्त हो रहा है जबकि नेपाली मूल के लोगों को 0.3% स्थान प्रदान किया जा रहा है।

भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच 1950 में हुई संधि की धारा 7 के संदर्भ में नेपाली मूल के लोग समझते हैं कि उन्हें अभी भी अप्रवासी करार दिया जा रहा है। उनकी धारणा है कि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा या राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल नहीं किया जा रहा है।

अंत में मेरा मत यह है कि यह सब इसलिये है क्योंकि कांग्रेस सरकार अगले विधान सभा चुनावों को जीतने के उद्देश्य से दार्जिलिंग में हर प्रकार का दांव पेच इस्तेमाल कर रही है। यह सब भारत सरकार के उकसाने वाले वक्तव्यों के कारण हो रहा है।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हम गोरखालैण्ड की समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि भारत सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची का संशोधन करना चाहिए।

दूसरे उन लोगों से जो इस आन्दोलन के नाम पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, सख्ती से निपटा जाए। तीसरे, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को दार्जिलिंग जिले को पुनर्गठित करना चाहिए, ताकि नेपाली मूल के लोगों

के लिए एक अलग जिला हो जिसमें उन्हें सभी सुविधाएं तथा अवसर उपलब्ध हों। पश्चिम बंगाल सरकार को एक जिला विकास बोर्ड का गठन करना चाहिए जिससे नेपाली मूल की जनता प्रसन्न हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया इस विषय पर पूर्ण चर्चा करने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दे सकता हूं। यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे सकता। यदि मैं आप को अनुमति दे दूं तो मुझे अन्य लोगों को भी देनी होगी। हम पूर्ण चर्चा नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए, नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री बोलने को तैयार हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह पूर्ण चर्चा नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए तैयार किए हुए भाषण ध्यान से सुने हैं। **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह) : उन्हें मेरे वक्तव्य के संबंध में कुछ नहीं कहना था। वे अपने ऐसे मुद्दे लाए हैं जो इस मामले से संबंधित नहीं हैं। . . . **(व्यवधान)**

अतः जब वह इस सदन में अपना भाषण दे रहे थे तो मैं चुप रहा। महोदय, इस ध्यानाकर्षण के द्वारा यह एक अत्यन्त छोटा मुद्दा है।

अब आप उनके नोटिस की शब्दावली देखिए। सारी बात नोटिस की शब्दावली तक ही सीमित रखी जानी थी। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह उनके अपने शब्द नहीं हैं। **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : ध्यानाकर्षण सूचना की शब्दावली मुझे मंत्री के रूप में ..... आदेश देती है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुनिये वह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बात को अभी पूरा नहीं किया। पहले उन्हें पूरा करने दीजिए। पहले आप उनकी बात सुनिए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, अब मुझे अपने वक्तव्य के अनुसार ही उत्तर देना है और मेरा उत्तर उसमें दिए गए मुद्दों तक ही सीमित है। ध्यानाकर्षण सूचना की भाषा मेरे लिए एक आदेश है मैं इस से बाहर नहीं जा सकता हूं। अतः, मैंने सोचा कि माननीय सदस्य

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कम से कम मेरा वक्तव्य पढ़ेंगे और स्पष्टीकरण मांगेंगे । यदि उनकी ऐसी इच्छा होती तो मैं पूरी ईमानदारी से उनकी बातों का उत्तर दे देता । किन्तु लगता है श्रीमती गीता मुखर्जी को छोड़कर जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, किसी भी सदस्य ने मेरा वक्तव्य नहीं पढ़ा है । उन्होंने इसे पढ़ा । (व्यवधान)

उन्होंने वक्तव्य से मेरे ही शब्दों को उद्धृत किया । श्री बलवंत सिंह जी रामूवालिया ने भी कुछ अंश पढ़े हैं, किन्तु मैं हार्दिक रूप से देशवासियों के प्रति उनके निवेदन से सहमत हूं कि हमें देश की एकता और अखंडता के मामलों में एक हो कर रहना चाहिए । मैं श्री रामूवालिया जी और डा० चिन्ता मोहन को भी बधाई देता हूं जब उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करना चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए बोर्ड स्थापित करने चाहिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : बोर्ड तो है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह डा० मोहन के वक्तव्य पर टिप्पणी कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उसी समय कह देते, अब नहीं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह वही कह रहे हैं जो श्री मोहन ने कहा है ।

सरदार बूटा सिंह : मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री ने जो कुछ कहा है वह डा० चिन्ता मोहन द्वारा कही गई बात के संबंध में था । वह उस पर टिप्पणी कर रहे हैं । वह अब अपने विचार नहीं कह रहे हैं । वह उनके विचारों के संबंध में टिप्पणी कर रहे हैं, बस उनका उत्तर उनके मुद्दे के संबंध में है ।

श्री अमल दत्त : यहां देश के गृह मंत्री हैं जिन्हें .....नहीं ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप को मंत्री का उत्तर सुनने में रुचि नहीं है ? क्या आप उनकी बात सुनेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । मेरी बात सुनिये । पहले उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह कह रहे हैं कि विकास परिषद तो पहले ही विद्यमान है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा कहने दीजिए । यदि वह गलत कहते हैं तो आप विशेषाधिकार प्रस्ताव उठा सकते हैं । कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है । यदि वह गलत कह रहे हैं तो आप यह उठा सकते हैं । आप उन्हें व्यवधान मत डालिए । हस्तक्षेप मत कीजिए । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : गृह मंत्री की किसी 'लूज टाक' (ओछी बात) की गलत व्याख्या की जाएगी ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ? वह ओछी बात नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री **वसुदेव आचार्य** : ये विकास परिषद् तो वहां पहले से ही हैं। **(व्यवधान)****

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगी ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रही है । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । मंत्री बोलने को तैयार हैं।

(व्यवधान)**

2.42 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मैं स्वयं इसे देखूंगा।

सरदार बूटा सिंह : कृपया अब बैठ जाइए ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रकार से आप की बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं हो रही है । मैं उस मामले को देख लूंगा। आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ए० चार्ल्स : "लूज टाकिंग" (ओछी बात) शब्द कार्यवाही वृतांत में नहीं जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि ऐसी कोई बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाए जो................जो उचित नहीं है ।

श्री ए० चार्ल्स : हमें आप का संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा । आप चिन्ता मत कीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्होंने कहा कि हम बोर्ड को पुनर्गठित करना चाहिए । मैं चाहता हूं कि वह हमें बता दें कि किस प्रकार बोर्ड का पुनर्गठन करें, और क्या ऐसा करने से यह आन्दोलन रुक जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं..........कृपया बैठ जाइए । हमने आपकी बात सुनी है । अब हमें उनकी बात भी सुनने दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। यदि सभी सदस्य मेरी बात पर शोर मचायेंगे तो वे मुझे उन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकते हैं जो मैंने उठाए हैं । मैं ये मुद्दे उठाऊंगा ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री अमल दत्त : किंतु उचित ढंग से।

सरदार बूटा सिंह : मैं यह उचित ढंग से करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्रोध से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमें शान्तिपूर्वक चर्चा करनी चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय आप के आदेश के अनुसार मुझे उत्तर देने का अधिकार है; और मैं अपना उत्तर पूरा करूंगा। मैं ने अभी सभा को याद दिलाया कि माननीय सदस्य डा० चिन्ता मोहन ने क्या कहा था, और मैंने उन्हीं के शब्द दोहराए। मुझे नहीं मालूम क अमल दत्त जी और मेरे मित्र क्यों आपत्ति करते हैं। **(व्यवधान)** मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। मुझे अभी इस पर टिप्पणी करनी है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने क्या कहा ?

सरदार बूटा सिंह : मैंने स्वयं कुछ नहीं कहा है। मैं केवल डा० चिन्ता मोहन द्वारा कही गए शब्द दोहरा रहा था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात में विघ्न मत डालिए।

सरदार बूटा सिंह : यदि डा० मोहन यह कह देते है कि उन्होंने यह नहीं कहा तो मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। कहा उन्हें ऐसा कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए।

सरदार बूटा सिंह : वे अनावश्यक रूप से .....**(व्यवधान)** उन्हें वास्तविक स्थिति का सामना करना चाहिए। समस्या वही है। वास्तविक स्थिति यह है कि ....

कार्मिक, लोक शिकायन तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय आप इस प्रकार लगातार टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते।

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मेरी माननीय सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी ने कुछ समय पूर्व कहा है तो वास्तविक स्थिति यह है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसे ही उद्धृत कर रहा हूं। आप उनकी बात मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं। मुझे उत्तर देने का पूरा अधिकार है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : परन्तु आपको प्रसंगानुकूल होना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : नहीं, मैं आपके राज्य के बारे में आपसे कुछ अधिक जानता हूं। यदि आप यह चाहते हैं .....**(व्यवधान)** यदि आप चाहते हैं तो मैं उन तथ्यों को पढ़ दूंगा जो निश्चित रूप से आपको बहुत असुविधाजनक स्थिति में रख देंगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, आप फिर ऐसा कर रहे हैं। यह एक बहुत बुरी आदत है।

सरदार बूटा सिंह : सदन के नियमों का पालन करना अधिक अच्छा है। हमें उनका पालन करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : आप कृपया करके उन तथ्यों को पढ़ दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं एक व्यवस्था की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री एस० जयमाल रेड्डी : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : हम यही सब तो करते रहे हैं।

श्री एस० जयमाल रेड्डी : परन्तु मंत्री महोदय सूचना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो बात सामने आ रही है आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : श्रीमती गीता मुखर्जी ने उस क्षेत्र की स्थिति के विशेष उदाहरण दिए हैं और उन्होंने कहा है यदि मैं उन्हें गलत उद्धृत नहीं कर रही हूं—व यहां उपस्थित हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बस में चढ़ना है तो उसे जी० एन० एल० एफ० के लोगों की अनुमति लेनी पड़ती है तभी वह बस में चढ़ सकता है। इससे केवल यह बात सामने आती है कि जिले का प्रशासन कितना कमजोर है और स्थानीय अधिकारीगण ..... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इस बात को जारी रखने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। देश की दुर्गति होगी। **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : क्या मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या वे यह चाहते हैं कि गृह-मंत्रालय को वहां जाना चाहिए और यात्रियों को बसों में चढ़ानेमें यातायात अधिकारियों की सहायता भी करनी चाहिए? महोदय क्या यह स्थानीया प्रशासन की विफलता नहीं है ? (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपको मुझे संरक्षण देना है। इस पैराग्राफ तक तो आपका वक्तव्य जी० एन० एल० एफ० आन्दोलन की गम्भीरता और इसके आक्रमणकारी क्रिया-कलापों को प्रकट नहीं करता **(व्यवधान)** यदि आप इसे गम्भीरतापूर्वक अनुभव करते तो आप अलग तरह से लिखते क्योंकि आप उनके प्रति नम्र बनना चाहते हैं। ..... **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : मुझे सदन में यह कहते हुए खुशी है कि जिस सदस्य ने पूर्ण रूप से वक्तव्य को पढ़ा था वह श्रीमती गीता मुखर्जी थी और मुझे यह कहते हुए दुख है कि उन्होंने पैरा 11 छोड़ दिया है; पैरा 11 में मैंने जोर देकर बहुत स्पष्ट यह लिखा है कि किसी सन्देह की गुंजायश न रखते हुए सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है चाहे समस्याएं कितनी भी हों। जी० एन० एल० एफ० की भारी भूल है यदि वह यह समझता है कि हिंसक गतिविधियां करने से इसे अपने उद्देश्य में कुछ सफलता मिलेगी। आप इससे अधिक क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे **(व्यवधान)**

कानून और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेवारी जिला अधिकारियों के माध्यम से राज्य-सरकारों की होती है । क्या आप मुझसे इस व्यवस्था में परिवर्तन करवाना चाहते हैं ? आप कृपया करके मुझे यह बताइये कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत मैं इस व्यवस्था में कैसे परिवर्तन कर सकता हूं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि शासक दल का व्यवहार जलने का है तो कौन जिम्मेदार होगा ?

सरदार बूटा सिंह : जब आप बोल रहे थे तो मैंने कभी भी विघ्न नहीं डाला। निश्चित रूप से सैफुद्दीन साहब ने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया । मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता है । अब आप कृपया करके मुझे अनुमति देंगे क्योंकि अन्यथा वे यह कहेंगे कि मैं असामयिक रूप से बोलने की कोशिश कर रहा हूं । हल्के तौर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं और उसमें एक सबक है । जब हम छोटे बच्चे थे तो हम गांवों में ग्रामोफ़ोन सुना करते थे और यदि रिकार्ड किसी जगह रुक जाता है तो यह वही शब्द कहता रहता था जिस पर वह रुक जाता था और अब ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी बंगाल में सी० पी० एम० का रिकार्ड पूर्णतः टूट चुका है और अब वे कह रहे है देश विरोधी कांग्रेस आई, देश विरोधी कांग्रेस आई, देश विरोधी कांग्रेस आई और कार्य जारी रखने के लिए व उन्हें ऊपर उठाने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता है। अब सी० पी० एम० का यह रुख है । वे प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यह बात कहलावाना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल हैं। **(व्यवधान)**

महोदय अब कृपया मुझे पृष्ठ भूमि को देखने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया करके विघ्न मत डालिए।

सरदार बूटा सिंह : कुछ समय पहले पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुछ कागज प्रस्तुत किए थे और वे भारत सरकार की राय जानना चाहते थे। उन कागजातों की विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय दोनों द्वारा जांच की गयी थी । अब जब आपको संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत इन सभी बातों की जांच करनी है तो देश के कानून के अनुसार आपको संविधान के विशिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत उनकी व्याख्या करनी है। उनकी सूचना के अनुसार परिणाम यह था कि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ये बहुत से कागजात किसी ऐसी बात को इंगित नहीं करते जिसे देश विरोधी कहा जा सके । अब उसके बाद कलकत्ता में एक सभा हुई थी जिसमें मेरे अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे। उस बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन हुआ था जिसमें पश्चिमी बंगाल के जिसमें श्रीमती गीता मुखर्जी सहित प्रत्येक सदस्य द्वारा एक उल्लेख किया गया था। उस संवाददाता-सम्मेलन में मैं भी उपस्थित था । इस विषय में एक संवाददात ने माननीय प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछा था और उन्होंने यह उत्तर दिया था कि जांच के बाद गृह मंत्रालय व विधि मंत्रालय की सलाह पर यह पाया गया है कि अब तक प्रस्तुत किए गए कागजातों में ऐसा कुछ नहीं है जिनके आधार पर इस मांग को राष्ट्र विरोधी घोषित किया जा सके । और उन्होंने यह भी कहा है कि इन कागजातों से अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है । परन्तु उन्होंने कहा है

कि यदि उस हाल मे बैठा कोई संवाददाता कोई अतिरिक्त प्रमाण या अतिरिक्त कागजात प्रस्तुत कर सकता है जिससे यह सिद्ध हो सकता है कि द्रेश के संविधान के अनुसार यह आन्दोलन राष्ट्र विरोधी है तो मैं उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा । इस विषय पर इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। आप वही बातें बार-2 क्यों कह रहे है? मै एक-एक मुद्दे का क्रमानुसार उत्तर दूंगा। अन्यथा हम इस विस्तृत चर्चा को जारी रखेंगे और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी ऐसा करने जा रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : इस भव्य सदन में विवाद, ध्यानाकर्षण या प्रश्नों का उद्देश्य यही है कि हमें निष्पक्षता से मामलों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए और तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

अब वास्तविकता यह है, और मैं इस सदन में स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के बाद मैं लगातार पश्चिमी बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री के साथ सम्पर्क बनाए हुए था और अब भी बनाए हुए हूं। इस विशेष मुद्दे के बारे में किसी भी अवसर पर मैंने पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से कोई शिकायत या कोई समस्या नहीं होने दी है। हम सन्तोषपूर्वक एक दूसरे से सहयोग करते रहे हैं और हम स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामूवालिया व डा० चिन्ता मोहन को छोड़कर अब विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों में से अधिकांश ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस (आई) इसे चुनाव का एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अब मैं इस विषय पर श्री अमल दत्त से अधिक ज्ञान रखने का दावा नहीं करूंगा परन्तु इस मुद्दे से पश्चिमी बंगाल में किसे लाभ पहुंचा है? क्या आप इस सदन को बता सकते हैं ? उस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? वहां कितनी सीटें हैं? यह एक सरल प्रश्न है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपकी गलती के कारण उन्हें लाभ होने वाला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक मुद्दा और है इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। प्रश्न इस बात का नहीं है कि लाभ किसे होने वाला है यदि इसकी कोई प्रतिक्रिया होती है तो क्या होगा ? बंगाल में प्रत्येक व्यक्ति मार्क्सवादी नहीं है। देश का हित खतरे में है।

एक माननीय सदस्य : ओह !

अध्यक्ष महोदय : बस, बहुत हो चुका।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, संक्षेप में कहूं तो बात उल्टी है इस विषय के सम्बन्ध में बात उल्टी है। यदि कोई व्यक्ति इस राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो मैं विनम्रतापूर्वक इस बारे में यह कहता हूं और प्रो० मधु दण्डवते ने चाहे जो भी कहा हो (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे यह कहना पड़ा कि आप अनुपयोगी वक्तव्य दे रहे हैं और आप इसके कारण अपने मत खोने जा रहे हैं; एक बार लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और आप दूसरी बार विभाजन करने जा रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस सम्बन्ध में प्रो० दण्डवते पूर्णत : अनभिज्ञ हैं । वह इस विषय के बारे में अधिक नहीं जानते ।

इसलिए महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि हम इसे राजनैतिक मुद्दा न बनाएं । पश्चिमी बंगाल सरकार के माननीय नेताओं के भाषणों और वक्तव्यों द्वारा जिसकी कोशिश की जा रही है (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : तो ऐसा आप कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : हम नहीं कर रहे। हम देश के सामने वास्तविकताओं को रखने की कोशिश कर रहे हैं और देश के सामने वास्तविकताएं बहुत स्पष्ट हैं । हम किसी भी पक्ष द्वारा हिंसा किये जाने से डर कर चुप नहीं हो जायेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह "किसी भी पक्ष (दिस एण्ड देट एंड) क्या है? (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं हो रहा है, अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया करके अपनी सीट पर बैठ जाइये। यह उचित तरीका नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : जिस बात को मैं इंगित कर रहा हूं उसका मैं अपने वक्तव्य में उल्लेख कर चुका हूं ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। कृपया करके व्यवस्था बनाए रखिए। हम इस प्रकार कैसे सदन की कार्यवाही चला सकते हैं ?

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा समझते हैं कि हर मिनट के बाद उठना आपके लिए ठीक है।

सरदार बूटा सिंह : जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, हिंसा की निंदा की जानी चाहिए और यह निंदा दृढ़ता से की जानी चाहिए । हिंसा के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही कभी दी जायेगी। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार जी० एन० एल० एफ० और सी० पी० एम० के मुकाबला करने के रवैये के कारण हुई हिंसा की निंदा करती है जिससे दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह विवाद है या क्या है ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कोई बातचीत या प्रश्न पर प्रश्न नहीं हो सकते। आपको केवल पहले से ही उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कृपया करके बैठ जाइये। मैं आपको इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना कार्य कर चुके हैं अब उन्हें उत्तर देने दीजिए।

**कार्यवाही--वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं--यदि आप चाहते हैं तो मैं आंकडों को पढ़ सकता हूं--जिनके आधार पर सी० पी० एम० और जी० एन० एल० एफ० हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करते पाए गए हैं। **(व्यवधान)**
इस हिंसा से कई निर्दोष लोगों की जाने गई हैं।

अगले दिन मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी ने मुझसे पूछा कि मैंने हमारे माननीय सहयोगी श्री आनन्द पाठक पर आक्रमण की निन्दा क्यों नहीं की। मैंने ऐसा किया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कब ?

सरदार बूटा सिंह कलकत्ता में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कलकत्ता में प्रेस पर उनका इतना दबाव है कि अगर हम उनके पक्ष में भी कोई वक्तव्य देते हैं तो प्रेस के लोग इसे नहीं छापते। केवल सी० पी० एम० के वक्तव्य ही प्रकाशित होते हैं। **(व्यवधान)** अब मैं यहां कार्यवाही वृतान्त में अपनी गहन सहानुभूति व्यक्त करता हूं **(व्यवधान)** कृपया मुझे श्री आनन्द पाठक जी के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने दें जिन्होंने अपना घर खो दिया है और जिनका जीवन खतरे में था। दूसरी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। **(व्यवधान)**

3.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : ममता जी कृपया बैठ जाइये **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : गत समय में, लगभग चार माह पूर्व आंकड़ों से पता चलता है कि उस क्षेत्र में इन दो तत्वों द्वारा शुरू की गयी हिंसा ..... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें बैठने के लिए कहिए..... **(व्यवधान)** हम उनका उत्तर सुनना नहीं चाहते ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए कहें .....

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : उनके बैठने के लिए कहने वाले ये कौन होते हैं ? ..... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वापिस ले लूं ? ..... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : इन्होंने मंत्री महोदय को' बैठने' को कहा है ..... **(व्यवधान)** इन्हें क्या अधिकार है ? ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखें।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सुभाष घिसिंग द्वारा दिये गये ज्ञापन तथा मेरे पत्र के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। सभा-पटल पर उस पत्र को रखने में मुझे कोई झिझक नहीं है। इस पत्र पर पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई थी।

श्री बसुदेव आचार्य : कौन-सा पत्र ?

सरदार बूटा सिंह : सुभाष घिसिंग ने जो पत्र मुझे लिखा था तथा जो पत्र मैंने उनके पत्र की प्राप्ति के लिए लिखा था उसका भी विषय। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मेरा बहुत ही नजदीकी संबंध है ..... **(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : और घिसिंग से भी।

सरदार बूटा सिंह : नहीं। जो भी संदेश मेरे पास आया था , मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बता दिया था और वह भी मेरे द्वारा की गयी कार्यवाही से सहमत थे। दुर्भाग्य से, माननीय मुख्यमंत्री ने जब वह दिल्ली में थे, कहा था कि मेरे कलकत्ता से वापिस आने के बाद मैंने पत्र लिखा था। यह ठीक नहीं है। शायद आपमें से कुछ ने उन्हें गुमराह किया होगा । कलकत्ता जाने से पहले मैंने पत्र की पावती दी थी।

महोदय, इस समय जब कि सारे मामले पर यहां बहुत ही ईमानदारी से चर्चा हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री ने इस मामले पर बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि पश्चिम बंगाल के किसी विभाजन की अनुमति नहीं दी जायेगी । इस मामले पर भारतीय संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा .....**(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्यों नहीं ?.....**(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : महोदय, अब यहां फंस गये। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यह राष्ट्रविरोधी है और अब ये उसे जगह देना चाहते हैं। संविधान में क्यों संशोधन हो? गीता जी हम यह कैसे कर सकते हैं? आप **खिलवाड नहीं कर सकते**.....**(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : अब ये उसे जगह देने के लिए संविधान में संशोधन कराना चाहते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। यह एक विचित्र तर्क है मुझे खेद है मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे नेता ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी अलगाववादी वृत्ति के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या क्षेत्रीय स्वायत्तता अलगाववादी प्रवृत्ति है?

सरदार बूटा सिंह : गीता जी अब बस। **(व्यवधान)** और महोदय मैं कार्यवाही –वृतान्त में लाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी० एन० एल० एफ० की मांग क्षेत्रीय स्वायत्ता की नहीं है। इसे उसके साथ मत जोड़िये।

सरदार बूटा सिंह : मैं यह कार्यवाही–वृतान्त में लाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा से चाहे वह कोई भी करे, सख्ती से निपटा जायेगा। मैं सिर्फ आशा करता हूं तथा महसूस करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार तथा उसके नेता इस तंग पक्षपातपूर्ण रवैये से ऊपर उठ राजनीतिज्ञता का प्रदर्शन कर समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे जो पूर्ण रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में हैं । भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को अपना समर्थन जारी रखने में नहीं हिचकिचायेगी। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य अब सहमत होंगे कि अब कोई बात बाकी नहीं रही है जिसका उत्तर न दिया गया हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : विद्यमान्, कानून का खंडन करने वाला कोई वक्तव्य अर्थात् एफ० ई० आर० आर० ए० ('फेरा') के खतरनाक अपराधियों को तस्करों को आम माफी देने वाले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की घोषणा .....

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्होंने इसे ठीक न समझा होता तो वह इसे नहीं लाते। इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

भारतीय राष्ट्रिकों और कंपनियों के विदेशों में जो विदेशी हित/आस्तियां और संपत्तियां हैं उनके संबंध में घोषणा करने की योजना के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्तमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): महोदय, मैं भारतीय राष्ट्रिकों तथा कंपनियों द्वारा विदेशों में धारित विदेशी हित/परिसम्पत्तियों तथा धारिताओं के संबंध में प्रकटीकरण की एक योजना के बारे में घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

2. सरकार ने कर नियमों का पालन करने के लिये लोगों को स्वेच्छा से आगे आने के वास्ते प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कदम उठाए हैं। आयकर के प्रयोजनों के लिए पहले न प्रकट की गई आय तथा संपत्ति के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के लिए अवसर दिए गए थे इसी प्रकार, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित एक योजना भी आरंभ की गई थी। इन योजनाओं ने उन करदाताओं को, जिन्होंने पहले करों का अपवंचन किया हो, एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जिसे वे अपने आपको दोषमुक्त कर सकें तथा सरकार को अपनी बकाया राशियों का भुगतान कर सकते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत करों में कोई छूट नहीं दी गई थी और सरकार के प्रति देय राशियों की वसूली पूरी तरह सुनिश्चित थी। इसी भावना से जिससे सरकार को आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा-शुल्क के संबंध में इन स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं को आरंभ करने में प्रेरणा मिली है, सरकार का यह विचार है कि सभी संबद्ध पक्षों को एक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से आगे आएं और विदेशों में अपने हितों के बारे में सूचना दें। तदनुसार, सरकार सभी संबद्ध पक्षों को विदेशों में धारित अपने प्रकट न किए गए वित्तीय हितों तथा क्रियाकलापों के बारे में स्वेच्छा से घोषणा करने और उन्हें फेरा की अपेक्षाओं के अनुसार चलने के लिए आमंत्रित करती है। यद्यपि विदेशों में धारित ऐसे हितों/क्रियाकलापों की पूरी सूची बहुत बड़ी होगी, फिर भी इसमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :—

1. विदेशों में बैंक खातों में अथवा किन्हीं अन्य संगठनों/व्यक्तियों के पास जमा शेष रकमें।
2. विदेशी प्रतिभूतियां (जिनमें शेयर, ऋणपत्र, बांड आदि शामिल हैं)।

3. चल संपत्तियां [ऊपर--------(2) से भिन्न] जो विदेशों में उनके स्वामित्व में हों तथा धारित हों।

4. विदेशों में धारित अचल संपत्तियां।

5. विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर जिन्हें न तो भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को बताया गया हो और न ही उनके संबंध में अनुमति प्राप्त की गई हो।

6. भारतीय फर्मों/कंपनियों के विदेशी संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों द्वारा खरीदे गए तथा धारित विदेशी सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयर जिनके बारे में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना न दी गई हो।

7. विदेश में परामर्श/तकनीकी/प्रबंधकीय संविदाओं से होने वाली आय, जिसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित नहीं किया गया है/भारत में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।

8. विदेशी पक्षों को, सीधे ही अथवा विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के माध्यम से, जिसमें घोषणाकर्ता के हित हैं, दी गई गारंटी या ऋण।

9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा के खर्च न किए गए शेष भाग का ब्यौरा जिसे बैंक की अनुमति के बिना विदेशों में रख लिया गया हो।

10. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अनिवासियों को अदा की गई भारतीय/ विदेशी मुद्रा का ब्यौरा।

11. देश में लाई गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा जिसे किसी प्राधिकृत डीलर/मुद्रा बदलने वाले को वापस बेचा न गया हो।

12. विदेशी मुद्रा में विदेशों में प्राप्त अदायगियों की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में बिना किसी उचित प्राधिकार के अनिवासियों को अथवा उनकी ओर से रुपयों में की गई अदायगियों के ब्यौरे।

13. विदेशी कंपनियों में सहयोग/भागीदारी करना (इक्विटी शेयरों भागीदारी से भिन्न), जैसे कि किसी विदेशी कंपनी में डाइरेक्टर का पद धारण करने के संबंध में ब्यौरे।

14. घोषणाकर्ता द्वारा अकेले ही अथवा अन्यों के साथ मिलकर भारत से बाहर स्थापित न्यासों के ब्यौरे।

15. बिना किसी उचित प्राधिकार के घोषणाकर्ता द्वारा किए गए कोई अन्य लेन-देन अथवा क्रियाकलाप जिनका संबंधी विदेशी मुद्रा से हो।

3. सभी घोषणाएं निर्धारित प्रपत्र में की जानी चाहिए और उन्हें नियंत्रक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई–400023 को 31–3–87 तक भेज दिया जाना चाहिए । रिजर्व बैंक घोषणाओं की जांच–पड़ताल करेगा और प्रत्येक घोषणाकर्ता को उसके विदेशी हितों या घोषित किए गए क्रियाकलापों की कानूनी वैधता या अन्यथा के बारे में और उसके साथ-साथ आगे किन्हीं और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भी सुझाव देगा । जहां कहीं आवश्ययक होगा, घोषणाकर्ताओं को, विदेशों में वित्तीय हितों/क्रियाकलापों को जारी रखने या विदेशी परिसम्पत्तियों की धारिता के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत बैंक की अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अलग से आवेदन-पत्र देने होंगे । जिन मामलों में रिजर्व बैंक यह समझे कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति नहीं दी जा सकती, तो उन मामलों में रिजर्व बैंक घोषणाकर्ता को आवश्यक कदम उठाने के लिए तथा उन शर्तों के बारे में निदेश देगा जो कि ऐसे लेन-देनों में शामिल परिसम्पत्ति आदि को भारत में वापस लाने की दृष्टि से उपयुक्त होंगे । जिन मामलों में रिजर्व बैंक यह समझे कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति नहीं दी जा सकती; तो उन मामलों में रिजर्व बैंक घोषणाकर्ता को आवश्यक कदम उठाने के लिए तथा उन शर्तों के बारे में निदेश देगा जो कि ऐसे लेन-देनों में शामिल परिसम्पत्तियों आदि को भारत में वापस लाने की दृष्टि से उपयुक्त होंगे । भारत में विदेशी मुद्रा वापस लाने के लिए दायित्वों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और घोषणाकर्ता को फेरा के मार्ग निर्देशकों के अनुसार चलना होगा ।

4. भारत सरकार यह आशा करती है कि सभी संबंधित पक्ष विदेशों में अपने वित्तीय हितों/क्रियाकलापों के बारे में स्वेच्छा से घोषणा करने के इस अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे । सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि यद्यपि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों में ऐसे हितों/क्रियाकलापों के संबंध में जिनसे अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए किसी कानूनी नियमों/विनियमों का उल्लंघन होता हो, विनियमन के लिए कोई ढील नहीं दी जाएगी, तथापि "फेरा" के अन्तर्गत घोषणाकर्ताओं के विरुद्ध अभियोग प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी ।

5. सोने, चांदी, औषध और नशीले पदार्थों या अन्य निषिद्ध मदों से संबंधित अनाधिकृत बाजारों में गैर-कानूनी लेन-देनों के द्वारा अधिगृहीत की गई या खरीदी गई विदेशी मुद्रा के संबंध में कोई क्षमादान नहीं किया जाएगा । जिन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले ही आपराधिक अभियोग या न्याय–निर्णयन कार्यवाही शुरू कर दी गई है, यह योजना उन पर लागू नहीं होगी । तथापि, यदि संबंधित पक्ष चाहें तो जिनपर न्यायनिर्णयन या आपराधिक अभियोग की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और वे उनके अलावा किन्हीं अन्य लेन देनों के बारे में स्वेच्छा से घोषणा करना चाहते हैं, जिनके संबंध में उपरोक्त कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, उनके संबंध में ऐसी स्वैच्छिक घोषणा कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, चूंकि यह आर्थिक अपराधियों को लाइसेंस देना है अतः मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा दिये गय वक्तव्य पर नियम 193 के अन्तर्गत हमें चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी अधिकार प्राप्त है, श्रीमान्।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय: आपको भी अधिकार है, महोदय। इसकी कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल मांग के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। बस इतनी, सी बात है।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह ठीक है। मैंने यही कहा था, श्रीमान्।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं हिचकिचाया था, श्रीमान् ?

प्रो० मधु दंडवते : मुझे डर है, हम समय से पूर्व 21वीं सदी में चले जायेंगे, महोदय और इसीलिए मैं चर्चा चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक बात नहीं कही गयी है, क्या माफी पर्याप्त होगी।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, उनके इस वक्तव्य को देने से पहले, सारी बात प्रैस में कैसे पहुंज गयी? आज सभी क्षेत्रीय समाचार पत्रों में इस समाचार को छापा है। **(व्यवधान)**

3.11 म० प०

पाकिस्तान द्वारा किये गये कथित परमाणु विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाकिस्तान द्वारा किये गये कथित परमाणु विस्फोट तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को ए० डब्ल्यू० ए० सी० एस० ('अवाक्स') तथा अन्य आधुनिकतम हथियार सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने विश्व को सचेत कर दिया था कि पाकिस्तान हथियार एकत्रित कर रहा है और कतिपय विदेशी शक्तियां पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रही हैं। आज, इस चर्चा को शुरू करते हुए, महोदय, मैं संपूर्ण राष्ट्र को सचेत करता हूं कि स्थिति किस तरफ चल रही है।

महोदय, यह खबर है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जब यह समाचार अथवा जानकारी प्रकाशित हुई थी तो हम सब की यह राय थी कि

राष्ट्रपति रीगन इस बात को गंभीरता से लेंगे। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि पिछले सप्ताह रीगन प्रशासन ने यह प्रमाण-पत्र दे दिया था कि इस्लामाबाद एक गैर परमाणु देश है और बाद में अमरीका ने पाकिस्तान को 600 मिलियन डालर के हथियारों की मंजूरी दे दी।

महोदय, एक तो हम शान्ति के पक्ष मे रहे हैं दूसरे हम विश्व में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के समर्थक हैं। भारत ने कभी अपने पड़ोसियों पर आक्रमण नहीं किया। भारत के कई छोटे पड़ौसी देश हैं लेकिन उन्हें हमारे बड़े देश से कोई धमकी, जोखिम या खतरा नहीं है, क्योंकि हम सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। लेकिन महोदय यह स्पष्ट है कि 1953, से जब से पाकिस्तान ने अमरीका के साथ समझौता किया है तब से वह लगातार बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठे कर रहा है। जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान को अवाक्स (एयर बोरन वार्निंग सिस्टम) और रेडार विमान दिये गये हैं। ये विमान दूसरे देशों के 200 कि० मी० क्षेत्र से सूचना इकट्ठी कर सकते हैं। अगर यह 400 कि० मी० की दूरी हो तो आप मेरे कथन को ठीक कर सकते हैं। इसलिये ये भी पाकिस्तान को दिये जा रहे हैं। यह लिखा गया है कि इस्लामाबाद अब जल्द ही पूरा बम बनाने वाला है। इसलिए यह बहुत गंभीर स्थिति है। विगत में अमरीकी हथियारों का प्रयोग करने के लिए ईरान अमरीका का एक अड्डा था और ईरान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग एशिया तथा उसके आस-पास के देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए करते थे पहले ईरान इसका अड्डा था लेकिन ईरान के शाह का पतन होने के बाद अमरीका उसी प्रकार से अपने गन्दे इरादे से पाकिस्तान की सारी हद को अपना अड्डा बना रहा है। हमारे देश को केवल हथियारों का ही खतरा नहीं है। यहां मैं विषय और इरादे को संयुक्त रूप लेना चाहता हूं और साथ ही साथ साम्राज्यवादियों द्वारा पाकिस्तान को हथियार आदि देने की बात है। विश्व में कई शक्तियां व ताकतें हैं जिन्हें हमारे देश की प्रगति से ईर्ष्या है। वे चाहते हैं कि भारत में प्रगति नहीं होनी चाहिए। इस ईर्ष्या के कारण वे निहित स्वार्थों के कारण भारत के विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार हमारे देश में घुसपैठिये भेजकर अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। पूर्व वर्षों में पाकिस्तान के साथ दो युद्ध हो चुके हैं। इन दो युद्धों के दौरान ये सभी हथियार जो अमरीका से प्राप्त किये गये हैं वे हमारे देश के विरुद्ध इस्तेमाल किये जा रहे हैं यद्यपि अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी देशों ने आश्वासन दिया था कि ये हथियार भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे। लेकिन तब भी उन हथियारों को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किया गया। एक तरफ पाकिस्तान हथियार प्राप्त कर रहा है और दूसरी तरफ श्रीलंका पांच देशों से हथियार प्राप्त कर रहा है। इन को हथियार कौन दे रहा है ? इसराइल, चीन, दक्षिण अफ्रीका और युनाइटिड किंगडम—ये सब देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं।

पाकिस्तान का हस्तक्षेप अब कोई गुप्त बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कई बार पाकिस्तानी अधिकारियों और पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री को कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए अगर आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री को तथ्यों के साथ आगे आना चाहिए जो इस बड़े देश की प्रभुसत्ता के लिए बहुत आवश्यक है। पाकिस्तानी

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश में अस्थिरता उत्पन्न कर रहा है। पश्चिम सीमा के मामले को लीजिए। यह अफवाह है कि आपरेशन ब्लू स्टार के बाद हजारों भारतीय नागरिक पाकिस्तान चले गये भारत सरकार को उन आंकडों को इकट्ठा करना चाहिए। उन लोगों को अब विशेष किस्म के हथियारों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमारे देश में निर्दोष लोगों को मार कर अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए भेजा जा रहा है। पाकिस्तान इन लोगों को हथियार तथा प्रशिक्षण दे रहा है। पाकिस्तान उन्हें धन भी दे रहा है। कुछ दिन पहले स्वर्णमंदिर में खालिस्तान के नारों के इश्तहार देखे गये थे और ये इश्तहार लाहौर के छापेखाने में छापे गये थे। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। कुछ दिन पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया था कि जो लोग सीमा पार कर पाकिस्तान से भारत आये थे वे पकड़े गये हैं और पूछताछ के दौरान पता चला है कि उन्हें फैसलाबाद, मुल्तान और दूसरी छावनियों में प्रशिक्षण दिया गया था। इन लोगों को पाकिस्तान ने कहा था "उस देश में जाओ और एक सम्प्रदाय के लोगों की हत्याएं करो। यह रहस्योद्घाटन रिकार्ड में है जैसा कि मुख्यमंत्री ने मुझे बताया।

मैंने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के एक विवरण को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल जिया के साथ एक भेंट में जिसमें भारत के राजदूत भी उपस्थित थे जनरल जिया ने स्वीकार किया है कि उसके देश ने यूरेनियम की 90% संवृद्धि की क्षमता अर्जित कर ली है हमारे राजदूत की उपस्थिति में देश के शासनाध्यक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया था। राजदूत ने भारत सरकार को यह सूचना अवश्य दी होगी लेकिन भारत सरकार अभी तक गम्भीर नहीं हुई है और न ही कोई कार्यवाही की है।

पाकिस्तान हमारे देश की धार्मिक व अन्य भावनाओं का दुरुपयोग कर रहा है। पाकिस्तान ने हमारे देश की एकता, अखण्डता को समाप्त कर, यहां अस्थिरता पैदा करने और फूट डालने में कोई कसर नहीं छोडी है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु शक्ति की प्राप्ति और अधिक संख्या में हथियारों की मात्रा ने इस धमकी को और अधिक गम्भीर बना दिया है।

मैं दो या तीन सुझाव देना चाहूंगा। पहला सुझाव यह है कि जो भारतीय नागरिक वहां हैं उनका हमारे राष्ट्र के मुख्य और सक्रिय हितों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है। शिमला समझौते के अनुसार यदि हमें पाकिस्तान सरकार के साथ उच्चस्तरीय बात भी करनी पडे तो भी कुछ उपाय पाकिस्तान से भारतीय राष्ट्रिकों को वापस लाने के लिए किये जाने चाहिएं। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद कई लोगों को वापस लाया गया था। पंजाब में पाकिस्तान की गतिविधियां कुछ अधिक गम्भीर हैं। पंजाब भारत की एक तलवार रही है और मेरी इच्छा है कि भविष्य में भी भारत की तलवार बना रहेगा। 1965 के युद्ध के दौरान हमारी पंजाब की बहनें, माताएं और अन्य औरतें भारतीय सैनिकों की सेवा के लिये और सैनिक भाइयों की सहायता के लिए अंतिम खाई तक गई थीं। पाकिस्तान की इच्छा है कि ये भावनाएं यहां समाप्त हो जायें। हमें पाकिस्तान को ऐसा नहीं करने देना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार देश के प्रति खतरे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र को पुनः आश्वासन देने की आवश्यकता है।

महोदय यह केवल राजनीतिक दलों के लिए चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। क्या सरकार इस सदन के माध्यम से देश को संतुष्ट करेगी और बतायेगी कि देश की सुरक्षा के लिए कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

दूसरा मुद्दा है : हमारे देश में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कौन से उपाय किये जा रहे है। पंजाब, जम्मू और काश्मीर और देश के अन्य भागों में गैर राष्ट्रीय ताकतें को भड़काया जा रहा है। पाकिस्तान के मनसूबों को नाकामयाब करने और हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब के लोगों को जागरूक और प्रेरणा देने के लिए कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? यद्यपि मुझे विश्वास है कि पिछली कई शताब्दियों में यह देश कठिनाई से गुजर रहा था। यही स्थिति भविष्य में भी रहेगी लेकिन सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह पूरे राष्ट्र को साथ लेकर चले और पाकिस्तान में परमाणु बम और अत्याक्स तथा अत्याधुनिक हथियारों की पूर्ति के कारण पाकिस्तान की ओर गंभीर खतरे को ध्यान में रखते हुए इस देश की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय करें।

श्री जो० जो० स्वैल (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान द्वारा आणविक विस्फोट करने के प्रश्न पर दुर्भाग्यवश हमारे अनेक वैज्ञानिकों के वक्तव्यों से मालूम होता है कि यह भूकम्प के झटके थे और परमाणु बम का विस्फोट न था। अमरीका की रक्षा संबंधी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार यह आणविक विस्फोट था। अमरीका के ये संगठन बहुत विश्वसनीय हैं जब उनकी यह रिपोर्ट है और जो एक विख्यात समाज पत्र अर्थात् वाशिंगटन पोस्ट में छपी है तो हमें इसे सही मानना चाहिए। विश्व ने इसे नोट कर लिया है। मैं रिकार्ड करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि 19 से 21 सितम्बर के बीज उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में वामाई चौकी के नजदीक भूकम्प आया था। इस भूकम्प को हमारे बंगलौर स्थित गौरी बिदानूर भूकम्प केन्द्र में नोट किया गया था परन्तु साथ ही इन दिनों पाकिस्तान ने आणविक विस्फोट भी किया था लेकिन क्योंकि यह विस्फोट 'ट्रिगर' का परीक्षण करने के लिए किया गया था, यह विस्फोट पृथ्वी के नीचे नहीं किया गया था, लेकिन केवल सतह के नीचे या सतह पर किया गया था, और परमाणु शक्ति नहीं बनी। अब इस तरह के विस्फोट से भूकम्पी तरंगें नहीं उठी थीं और इसलिए हमारे भूकम्पलेखियों द्वारा रिकार्ड नहीं किया जा सका। इसमें संदेह नहीं कि यह एक विस्फोट भूकंप था और सारा इरादा 'ट्रिगर' के परीक्षण का था जो बम्ब के पुर्जों को जोड़ने या बनाने के काम आता है।

अब अमरीका के आणविक विज्ञान के क्षेत्र में सभी बुद्धिमान लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम बनाने के लिए सामग्री बिल्कुल तैयार है जिसे कभी भी प्रयोग में लाया जा सकता है उन्होंने उल्लेख किया है कि वह इस बम को विभिन्न स्थानों से पुर्जे जोड़कर एक हफ्ते के अन्दर एक पूरा बम तैयार कर सकता है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरीका के राज्य विभाग प्रवक्ता ने भी यह कहा है कि यह समाचार कि पाकिस्तान द्वारा विस्फोट किया गया अनुमान पर आधारित है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह सच नहीं था अगर उन्हें विश्वास था यह सच नहीं था तो उन्हें इस प्रकार

कह देना चाहिए था । पर उन्होंने कहा था कि यह अनुमान पर आधारित है और जब राष्ट्रपति रीगन ने 27 अक्तूबर को अगर तारीख के बारे में गलती नहीं कर रहा हूं—एक प्रमाण-पत्र दे दिया जिससे कि पाकिस्तान को सहायता के रूप में भुगतान किया जा सके तो उन्होंने केवल यह कहा कि पाकिस्तान के पास बम नहीं है वैसे तकनीकी रूप से हों, उनके पास बम नहीं है लेकिन वे एक सप्ताह में बम तैयार कर सकते हैं । यह वस्तुस्थिति है। यह एक नई स्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं।

मैं जानता हूं मेरे पास सीमित समय है पाकिस्तान को अवाक्स विमान देने का समझौता हाल में पिछले महीने अमरीका के रक्षा मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान किया गया था अवाक विमानों को देने आणविक भूकंप का अनुसरण करना है जिसे पाकिस्तान ने विस्फोटित किया था अगर राष्ट्रपति जिया के घर के नीचे परमाणु बम मिलता तो भी अमरीकी प्रशासन पाकिस्तान को कुछ नहीं कहता । इससे यह स्पष्ट है कि अमरीका पाकिस्तान द्वारा आणविक विस्फोट को गम्भीरता से नहीं ले रहा हैं ।

ये अवाक्स विमान क्या हैं ? किसी ने अवाक्स विमानों को एक विद्युत चालित प्लेटफार्म परिभाषित किया है। अवाक्स विमान क्या करते हैं ? ये अवाक्स विमान हवा में निरन्तर उड़ने वाले विमान होते हैं और वे 500 कि० मी० की दूरी तक सब कुछ देख सकते हैं मैं नहीं जानता कि लाहौर या रावलपिण्डी से भारत कितना दूर होगा। मेरे विचार में यह बम्बई में स्थित हमारे उपकरणों से दूर देख सकेंगे। ये बंगलौर तक जा सकते हैं वे हमारी सेना की गतिविधियों को देख सकेंगे। यदि हमारी भूमि से कोई हमारा विमान उड़ान भरता है तो पाकिस्तान को तुरंत उसका पता चल जायेगा और वह जवाबी हमला कर सकता है ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं। अवाक्स विमानों के रखरखाव के लिए तीन सौ अमरीकी तकनीशियन तथा इंजीनियर पाकिस्तान में तैनात रहेंगे। इस प्रकार यह एक नई स्थिति हो गयी है ।

तीसरा, मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान को कब अवाक्स विमान दिये जायेंगे। मेरे विचार से ये बिमान कल प्राप्त हो सकते हैं । अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह चाहते हैं यदि आवश्यक हुआ तो शुरू में इन विमानों को चलाने के लिए, अमरीकी सैनिक वहां जायें ।

उनके पास पहले से ही ये लड़ाकू विमान—मेरे विचार में लगभग पांच—साऊदी अरब में हैं तथा उन्हें कभी भी पाकिस्तान लाया जा सकता है । इससे यह स्पष्ट है कि अमरीका पाकिस्तान में अपना अड्डा स्थापित करेगा। यह कहा गया है कि यदि इन अवाक्स विमानों में से तीन को काम में लाया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि लगभग 300 सैन्य कर्मियों को एक स्थान विशेष पर तैनात किया जाये ।

इसका अर्थ यह है कि इस क्षेत्र में, सैन्य स्थिति में एक अन्य गुणात्मक परिवर्तन होगा जिसमें अमरीका स्वयं अन्तर्ग्रस्त होगा अमरीकी कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त होंगे । यदि कल पाकिस्तान में तीन अवाक्स विमानों को प्रयोग में लाया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि पाकिस्तान में 300 अमरीकी विमान चालकों, इंजीनियरों तथा अन्य लोगों को शीघ्र ही तैनात किया जाए ।

महोदय, आपने मौरीपुर विमान-क्षेत्र के बारे में सुना है जहां से अमरीका के कुछ अत्याधुनिक विमान—पी-3, आरियन, निगरानी विमान उड़ान भर रहे हैं। आजकल वे परिष्कृत 42 विमान की क्षमता वाले विमानों को ही उड़ा रहे हैं जो गैरी पावर्स द्वारा उड़ाया गया था और सोवियत भूमि पर मार गिराया गया था। आजकल वह अफगानिस्तान से उड़ान भर रहा है। हमारी सीमा के आसपास भी यही स्थिति बनती जा रही है। हमारे सामने यह एक नई स्थिति पैदा हो गई है।

मैं फिर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह केवल विमान का ही मामला नहीं है, पाकिस्तान से सम्बन्धित परमाणु बम बनाने का ही मामला नहीं है परन्तु अमरीका पाकिस्तान को अत्याधुनिक टैंक, जो उनके पास हैं, की सप्लाई भी कर रहा है। उन्होंने इसे एम० आई० ए० आई० टैंक का नाम दिया है। अमरीका ने ये टैंक अपने नाती मित्र देशों को भी सप्लाई नहीं किये हैं। ये टैंक पाकिस्तान को मिल जायेंगे। मुझे बताया गया था कि वाशिंगटन में हमारे राजदूत को श्रीमान बाईन बर्गर ने कहा था कि अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति के कारण पाकिस्तान को इन अवाकस विमानों की आवश्यकता है। सीधा सा सवाल है कि यदि आप यह कहते हैं कि उन्हें इन सब परिष्कृत हथियारों की जरूरत अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति के कारण है तो ये टैंक किस लिये हैं? ये अत्याधुनिक टैंक एम० आई० ए० आई०, जो आप पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो आपने ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी को नहीं दिये हैं, ये टैंक किस लिए हैं? क्या ये टैंक खैबर दर्रे पर चढ़कर अफगानिस्तान के पहाड़ों पर बम वर्षा करने के लिए हैं? क्या यह बात तर्क संगत है? यह एक साधारण सी बात है कि इन हथियारों का प्रयोग केवल पाकिस्तान तथा भारत के मैदानों में किया जा सकता है। और जब आप कहते हैं कि अवाक्स विमान केवल अफगानिस्तान में विमानों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए हैं तो अवाक विमान भारत में भी विमानों की गतिविधियों पर निगाह रख सकते हैं।

मैं यह प्रश्न पाकिस्तान तथा अमरीका दोनों के निवासियों से पूछना चाहता हूं। क्या उनका कहना यह है कि वे अफगानिस्तान तथा सोवियत संघ के विरुद्ध भरपूर युद्ध लड़ना चाहते हैं? यदि आप ऐसा नहीं करने जा रहे तथा पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि वे सोवियत संघ के साथ खुले रूप से युद्ध करने के बारे में नहीं सोचता तथा वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आज यह कहना चाहूंगा कि यह सब अमरीका की भौगोलिक युद्धनीति के हित का एक भाग है। अमरीका जो कह रहा है, एक सामरिक मतैक्य तथा सेना की शीघ्र तैनाती—यह सब उसी का एक हिस्सा है। यदि यह अमरीकी समाचारपत्रों तथा रीगन महोदय तक पहुंच सके तो मैं यह प्रश्न इस सभा के माध्यम से पूछना चाहता हूं। पिछले वर्ष मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था और जो उसने सोवियत संघ के परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव के उत्तर में कहा वह मैंने सुना था तथा रिकेबिक में जो हुआ है हम सब जानते हैं। अमरीका ने निरस्त्रीकरण से मना कर दिया है।

आणविक हथियारों में कमी करने तथा ब्रिटेन एवं फ्रांस के आणविक हथियारों की

परवाह किये बिना यूरोप में मध्यम दूरी एवं थोड़ी दूरी के आणविक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सोवियत संघ के ठोस प्रस्तावों की मैं सराहना करता हूं। उन्होंने अन्तर महाद्वीपीय आणविक अस्त्रों में 50% कमी करने का प्रस्ताव रखा। ये बहुत ठोस प्रस्ताव है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अमरीका उसे स्वीकार नहीं करे परन्तु राष्ट्रपति रीगन ने इन प्रस्तावों को मानने से इन्कार कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप एक गतिरोध उत्पन्न हो गया।

एक विशिष्ट बात जिसका जिक्र रीगन महोदय हमेशा करते हैं यह है कि सोवियत संघ क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा कर रहा है। वे कहते हैं कि जब तक क्षेत्रीय अस्थिरता में कमी नहीं की जाती तब तक अमरीका का सोवियत संघ में विश्वास करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वे अफगानिस्तान कम्पूचिया, इथोपिया तथा कई अन्य देशों का जिक्र करते हैं। मैं अमरीका के राष्ट्रपति से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं: "पाकिस्तान को हथियार और अस्त्र देकर आप भारतीय उप-महाद्वीप में क्या कर रहे हैं? क्या आप अस्थिरता का एक अन्य क्षेत्र नहीं बना रहे हैं? क्या इससे शान्ति कायम करने में सहायता मिलती है?"

यह सब कुछ कहने के बाद हम निःसन्देह अपनी सरकार से यह जानना चाहेंगे कि वे इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे। मैं जानता हूं कि यह इतना सरल प्रश्न नहीं है जिसका जवाब दिया जा सके। मैं यह भी जानता हूं कि चाहे सरकार के पास कुछ योजनायें भी हों तो भी वह उन योजनाओं को सभापटल पर नहीं रख सकती। हमें गम्भीरता से सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, परन्तु हमें अमरीकी जनता तथा अमरीकी प्रशासन में एक भिन्नता करनी होगी, हमें अमरीकी जनता तथा अमरीकी राष्ट्रपति रीगन में भिन्नता करनी होगी जो आज एक सक्षम राष्ट्रपति नहीं हैं। 'डेमोक्रेटिक पार्टी' को सीनेट में तथा 'हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज' में बहुमत से विजयी बना कर अमरीकी जनता ने उस पर अपना अविश्वास व्यक्त कर दिया है। उन्होंने उसकी नीतियों पर अविश्वास व्यक्त कर दिया है। समस्याओं के प्रति उसका यह दृष्टिकोण है। परन्तु मेरे विचार में जब हम यह सब कहते हैं, तो भी हमें अमरीकी जनता के मतैक्य का ध्यान रखना होगा। हमें गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए तथा अमरीकी जनता तथा अमरीकी कांग्रेस तक पहुंचना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह की बातों से विश्व शान्ति कायम नहीं होती है। उसी समय हमें अपने देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधना चाहिए और हमारे देश के समक्ष खतरों की जानकारी देनी चाहिए।

3.48 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, यह बिल्कुल ठीक है कि हमें अपने पड़ौसी देश में हाल ही की गतिविधियों से उत्पन्न एक गम्भीर स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। इस वर्ष सितम्बर में एक शक्तिशाली विस्फोट के बारे में छपे एक समाचार से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान आणविक हथियार बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। साथ ही अमरीका पाकिस्तान को जानबूझकर आधुनिक हथियार सप्लाई कर रहा है, तथा इनके उपयोग करने के सम्बन्ध में भी कोई बात छिपी नहीं है।

अब तक अमरीका द्वारा पाकिस्तान को 1981 और 1986 के दौरान 3.2 अरब डालर तक के आधुनिक एवं अन्य प्रकार के हथियार सप्लाई किये गये और 4.02 अरब डालर की राशि वर्ष 1987 से वर्ष 1993 तक के लिए पैकेज के रूप में दी गयी। इतनी मात्रा में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की गई है। इसके अलावा रिपोर्टों से यह लगता है कि अमरीकी प्रतिरक्षा विभाग ने 1000 लाख डालर से अधिक राशि सशस्त्र सेना कर्मियों को ढोने के वाहनों एवं 159 एम हाउइटसर तोपों की सप्लाई के रूप में और सप्लाई करने का अनुमोदन किया है। यह उस पैकेज के अतिरिक्त है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है तथा यह उसका पूरक है।

महोदय, जहां तक सैनिकों को लाने ले जाने वाली बख्तरबन्द गाड़ियों का सम्बन्ध है; यह बिल्कुल ठीक बात है कि इन्हें अफगानिस्तान में उस विशेष भू-भाग के स्वरूप के कारण प्रयोग नहीं किया जा सकता।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारी यह सूचना ठीक है या नहीं कि 1981 से अमरीका ने पाकिस्तान को 40 एफ०–16 विमान, 20 एच०–15 लड़ाकू हेलीकाप्टर, 100 एम–48, ए–5 टैंक, 75 एम–113 ए–2 बख्तरबंद सेना कर्मचारी ले जाने वाले विमान, 1005 प्रक्षेपास्त्रों सहित 24 टन प्रक्षेपास्त्र वाहन, 155 एम० एम० हाउटजर की 100 तोपें (स्वयं मार करने वाली) और 75 खींच कर ले जाने वाले वाहन 155 एम०एम० की हाउटजर तोपें तथा 40 हल्की (इंच) हाउटजर तोपें (स्वयंमार करने वाली) आदि सप्लाई किये हैं। ये वे हथियार हैं तथा हथियारों की वह संख्या है जो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हैं। इसके अलावा अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अवाक्स विमान सप्लाई करने का भी हाल ही में निर्णय किया गया है जिनका उपयोग हमारी प्रतिरक्षा तैयारियों एवं हमारे रक्षा ठिकानों पर निगरानी करने के लिए ही किया जा सकता है। इससे उन्हें हमारी प्रत्येक बात स्पष्ट हो जायेगी। जहां तक उनकी तैयारी की बात है यह ठीक ही कहा गया है कि उनकी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि थोड़े से परिश्रम से ही वे परमाणुबम बना सकेंगे। यह भी कहा गया है कि जहां तक एफ–16 की बात है उनमें पहले से ही आणविक हथियार ढोने की क्षमता है। तेहरान में ईरानियों द्वारा अमरीकी दूतावास में जब्त किये गये अमरीकी दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि पाकिस्तान को सप्लाई किये गये एफ–16 बिमानों का इस्तेमाल भी हमारे देश के विरुद्ध किया जायेगा न कि अफगानिस्तान के विरुद्ध। इसलिए इस बात को सिद्ध करने के पूरे प्रमाण हैं कि इस प्रकार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना है। क्योंकि अमरीका नहीं चाहता है कि भारत, जो कि गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के प्रति समर्पित है मजबूत बनें। जहां तक अमरीका का सवाल है हमें स्थिति को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय जहां तक अमरीका की बात है अभी हाल ही में वहां के रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया था। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार एवं रक्षा सचिव के मध्य हुई चर्चा का क्या स्वरूप था। मैं जानता हूं कि यह कहा जावेगा कि यह चर्चा

गोपनीय है । परन्तु श्री वाइनबरगर की मंशा तथा साथ ही अमरीकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को आधुनिक हथियार सप्लाई करने की बात को गुप्त नहीं रखा गया है। यह बात पाकिस्तान के समाचार पत्रों में भी छपी है तथा इस इरादे का स्पष्ट संकेत दिया गया तथा समस्त संसार को यह बताते हुए इसे न्यायोचित ठहराया गया है कि पाकिस्तान को इन आधुनिकतम हथियारों की आवश्यकता पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र की अफगानिस्तान द्वारा तथाकथित अतिक्रमण का सामना करने के लिए है । महोदय, उन्होंने हमें क्या बताया है तथा हमने उन्हें क्या कहा है ? क्या हमने उन्हें यह बताया है कि इससे हमारे सम्बन्धों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा तथा इससे हमारे सम्बन्धों में कड़वाहट आयेगी और पारस्परिक सम्बन्ध भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे ?

जहां तक हमारे देश की बात है यह एक अमित्रतापूर्ण व्यवहार है। क्या इसे स्पष्ट किया गया है? माननीय मंत्री ने एक अन्य स्थान पर कहा है कि हमें मृदुभाषी जरूर होना चाहिए परन्तु तथ्यों के प्रति भी स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन तथ्यों के प्रति स्पष्ट होने से क्या तात्पर्य है? हम यह जानते हैं कि हमें तथ्यों का पता लगाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें तथ्यों के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए । अब ये तथ्य जो हमें विभिन्न स्रोतों से मिले हैं सही हैं या नहीं क्योंकि आपके स्रोतों तक तो हमारी पहुंच नहीं है? यदि ये ही वे तथ्य हैं तो मैं इन्हें बहुत स्पष्ट तथ्य कहूंगा। फिर इन तथ्यों के बल पर आप कितनी देर तक मृदुभाषी बने रह सकते हैं ? यही कारण है कि इससे सम्बन्धित एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण पहलू है तथा वह यह है कि एक पत्रकार सम्मेलन में श्री आरमीटेग ने बताया कि भारत पाकिस्तान को सीधे एवाक्स विमानों की सप्लाई की अपेक्षा, निगरानी को तरजीह देगा। यह बहुत गंभीर बात है यह वहां के प्रतिरक्षा विभाग ने भी रिकार्ड किया है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं पढ़ना चाहूंगा कि 24 अक्तूबर को एक पत्रकार सम्मेलन में श्री आरमीटेज ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान दोनों इस बात पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सहमत हुए हैं कि अफगानिस्तान सीमा पर कम खर्चीले साधनों से पाकिस्तान की पूर्व हवाई चेतावनी क्षमता में तुरन्त सुधार की आवश्यकता है। क्या एवाक्स विमान हाक-आइज विमानों से भिन्न हैं जिनकी सप्लाई के बारे में बातचीत की जा रही है । श्री आरमीटेग का उत्तर था—

> "हम एवाक्स प्रकार के विमानों की क्षमता के निर्धारण की बात कर रहे हैं यदि पूर्व हवाई चेतावनी प्रणाली की अधिक आवश्यकता है तो समस्या ऐसी प्रणाली को खोजने की है जो कम खर्चीली हो तथा तकनीकी रूप से प्रभावी हो।"

फिर उन्होंने एक अमरीकी पत्रकार के इस प्रश्न के बारे में कि क्या भारतीय इसकी अपेक्षा निगरानी को प्राथमिकता देते हैं तो श्री आरमीटेग का जवाब था कि यह प्रश्न संभवतः आपको उनसे (भारत से) पूछना चाहिए था। मैं समझता हूं कि संभवतः कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि भारत चाहेगा कि वे भारत की सीमा पर गश्त लगायें ताकि इस बहाने वास्तविक रूप से विमान सप्लाई करने की अपेक्षा वे हमारी सीमाओं के निकट भी गश्त लगा सकें। यह एक बहुत ही गंभीर मसला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एवाक्स

विमानों की सप्लाई के प्रश्न पर चर्चा की गई थी अथवा नहीं और क्या हमारी सरकार द्वारा अमरीकी सरकार को यह बताया गया था कि "यदि आप ऐसा समझते हैं तो आप अपनी निगरानी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं परन्तु पाकिस्तान को एवाक्स विमानों की सप्लाई न करें।" यह रिकार्ड हुआ है तथा इसकी हमारी सरकार को जानकारी है। हम इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं।

4.00 म० प०

श्री वाइनबरगर ने अमरीकी सरकार की मंशा को गोपनीय नहीं रखा है। जब हमारे राजदूत श्री कौल उनसे मिले तो उन्होंने इस आधुनिकतम विमान की सप्लाई के बारे में अमरीकी सरकार के निश्चय को दोहराया, यद्यपि उन्हें यह बताया गया था कि इससे हमारे देश एवं पाकिस्तान की स्थितियों में पूर्ण असंतुलन पैदा हो जायेगा। परन्तु फिर भी सफाई दी जा रही है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अफगान समस्या है। परन्तु पाकिस्तान को इस प्रकार के आधुनिक विमान अथवा हथियार, टैंक आदि सप्लाई करना किसी तरह भी उचित नहीं है।

मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं जिसमें कहा गया है:

> "अमरीकी निर्णय जैसा कि श्री वाइनबरगर ने कहा है अफगानिस्तान के कारण बना हुआ है, श्री वाइनबरगर जो शस्त्र नियंत्रण के मामले में रूस विरोधी समझे जाते हैं उन की दृष्टि में पाकिस्तान न केवल सोवियत संघ के विरुद्ध एक अग्रिम पंक्ति वाला देश है अपितु पाकिस्तान अमरीका के लिए एक सैनिक अड्डा भी है जिसका प्रयोग अमरीका जरूरत के समय कर सकता है।"

विश्व के इस भाग में यह अमरीकी इरादों का वास्तविक ध्येय है या अमरीकी कार्यवाहियां हैं। इस मामले में हमारे देश को कठोर रवैया अपनाना चाहिए। हम जानते हैं कि उनका इससे केवल यही अभिप्राय नहीं है, परन्तु यह हमारे लिए निरन्तर कठिनाइयां पैदा करने का भी एक निरन्तर प्रयास है। हम जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तथा अमरीका में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों का आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फिर यहां गड़बड़ी पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सहायता देने के लिए और सक्रिय रूप से अलगाववादी गतिविधियां चलाने के लिए भेजे जा रहे हैं। हमें इसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और उनका हमारे प्रति जो रवैया रहा है उसे याद रखना चाहिए। इस स्थिति में हमें अमरीकी सरकार को अपनी धारणा स्पष्ट करनी है जिसका साम्राज्यवादी युद्ध व्यापार का रवैया सुस्पष्ट है। इसकी हमें जानकारी भी है तथा यह छिपा नहीं है। हमें रीगेन के ढांचे में परिवर्तन से ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जहां तक पाकिस्तान एवं भारत के प्रति उनके रवैये का संबंध है, हम उनके रवैये में कोई बड़ा परिवर्तन होने की आशा नहीं कर सकते हैं। और उस आधार पर कि चाहे राष्ट्रपति रीगन अब निस्सहाय हो गये हों या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परन्तु प्रश्न यह है—कि हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना होगा। हमें अपनी धारणा बहुत स्पष्ट करनी होगी और उसके अनुसार अपनी गतिविधियों को भी ढालना होगा। हम उनसे तकनीकी सहायता मांगते हैं

हम उनसे उच्च कम्प्यूटर मांग रहे हैं, आप उन लोगों के साथ दृढ़ता नहीं दिखा सकते हैं, जिनसे आप नयी जानकारी एवं प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही, जहां तक पाकिस्तान को तथा अन्य देशों को हथियारों की सप्लाई का संबंध है आप उनसे कड़ाई से भी पेश नहीं आ सकते हैं ।

इस बात पर हमने हमेशा सरकार को पूरा समर्थन दिया है अर्थात् अपनी गुट-निरपेक्ष नीति के बारे में सदा ही सहयोग दिया है यद्यपि हम कह रहे हैं कि सरकार ने इसे उचित महत्व नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने इस देश के मित्र सोवियत संघ को, जिसने मित्रता को निभाया है और इसे एक महाशक्ति कहा है, इससे अलग रखने की कोशिश की है ।

लेकिन यहां हम सोवियत रूस तथा अमरीकी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में अन्तर पाते हैं । हम इस संबंध में अत्यन्त चिंतित हैं । मैं नहीं चाहता कि हमें कड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जहां तक हमारी शक्ति का संबंध है हमें सहृदयता की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए । हमें नैतिक तथा भौतिक दोनों ही शक्तियां बरकरार रखनी होंगी । जहां तक पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई का संबंध है हम निश्चित तौर पर बराबरी नहीं करना चाहते क्योंकि इससे हमारी विकास संबंधी गतिविधियां प्रभावित होंगी । हम इससे चिंतित हैं। हम हथियारों में अपना धन नहीं लगाना चाहते। हम इसका समुचित रूप से प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे हमारे सबसे पड़ोसी देश का रवैया वैमनस्यतापूर्ण बन गया है और वे हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। प्राप्त किए गए हथियारों का उपयोग घोषित उद्देश्यों तथा अफगानिस्तान समस्या से निपटने के लिए नहीं किया जायेगा उनका निशाना हमारी तरफ होगा । आज लगभग सम्पूर्ण पश्चिमी भारत मध्य भारत, यहां तक कि बंगलौर तक का क्षेत्र भी इसके प्रहार क्षेत्र में आ जायेगा। यह स्थिति की गम्भीरता है। वाइनबरगर महोदय, यहां आये, उन्होंने हर प्रकार का भाषण दिया । वह यहां मानो सुरक्षा और हथियारों के संबंध में गलतफहमियां दूर करने आये हों, तत्पश्चात् वे पाकिस्तान यह उपयुक्त ठहराने के लिए गए कि इन हथियारों का उपयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध किया जायेगा । आप जानते हैं कि पाकिस्तान को वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए राष्ट्रपति रीगन को अमेरिकी कानून के अन्तर्गत एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि वहां आणविक हथियारों का उपयोग नहीं किया जा रहा है या वह आणविक हथियारों का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार 22 अक्तूबर को उन्होंने एक प्रमाणपत्र दिया है कि पाकिस्तान के पास किसी प्रकार के आणविक अस्त्र नहीं हैं । लेकिन इसके डेढ़ महीने पहले यह विस्फोट किया गया था। जिसके विषय में कहा जाता है कि यह शक्तिशाली प्रकार का नाभिकीय अस्त्र था । अब कुछ दिनों की ही बात शेष है जब वह पूरी तरह से आणविक हथियार बना लेगा। आप को इस प्रकार की सरकार और इस प्रकार के राज्याध्यक्ष के साथ निपटना है। और उनके प्रति दिखाई गई किसी भी प्रकार की सहृदयता हमारे लिए खतरनाक सिद्ध होगी। इसलिए इस सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को उनके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध नहीं बनाने चाहिएं। जहां हमारे हित गंभीर रूप से अन्तर्ग्रस्त हों उन विदेशी राष्ट्रों

के प्रति हम सख्त नहीं हो सकते । जहां तक अमेरिका का संबंध है आप उसके साथ कठोर और नरम नीति का अनुसरण नहीं कर सकते । वह हमें फिलहाल हथियार नहीं देगा, वह हमें आश्वासन ही देता रहेगा और हथियार पाकिस्तान को देगा ताकि वह हम पर आक्रमण कर सके । आपको इस बात का एहसास होना चाहिए । वे इस पर विश्वास नहीं करते । इसलिए, हम विकास की कीमत पर हथियार नहीं चाहते । हमें यह नीति नहीं अपनानी चाहिए । लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, अपनी उच्च सैनिक स्थिति या सैनिक हथियारों का लाभ उठाते हुए, एक दूसरे देश को हमारे देश के विरुद्ध प्रयोग करने हेतु, अन्य किन्ही स्पष्ट कारणों से नहीं, हथियार दिए जा रहे हैं जिस से यह राष्ट्र कमजोर हो हमारा विकास रुक जाए ताकि हमें निर्भरता के लिए अमेरिका के पास जाना पड़े हमें इसकी अत्यधिक चिन्ता करनी चाहिए ।

4.10 म० प०

[श्री एन० बेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

श्री विनेश सिंह (प्रताप गढ़) : सभापति महोदय, पाकिस्तान द्वारा अपनी वास्तविक जरूरतों से अधिक हथियारों का जमाव हमारे लिए चिंता का विषय है, और यह न केवल हमारे लिए है बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों तथा पाकिस्तान के पड़ौसियों के लिए भी चिन्ता का विषय है । मैं पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किए जा रहे हथियारों के विस्तार में नहीं जाना चाहता और न ही मैं इस वादविवाद में पड़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने आणविक विस्फोट किया है या नहीं मेरे विचार से सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति हमारे लिए अधिक चिन्ता का विषय होनी चाहिए । हमारे दो पड़ौसी हैं उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान जिनके पास आणविक क्षमता है । इसमें हमारी सम्पूर्ण भूमि–सीमा आ जाती है । इसलिए हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि हमें इस समस्या से किस प्रकार निपटना है । मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने इस पर विचार किया है क्योंकि यह ऐसी बात नहीं है जो अचानक ही उत्पन्न हो गयी हो । इस प्रकार की गतिविधियां इस क्षेत्र में पहले से हो रही हैं । और इसलिए मुझे आशा है कि सरकार का रुख सुविचारित होगा । हमें इस प्रकार की स्थिति की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जो हमारे लिए अधिक कठिनाइयां उत्पन्न करने वाली हो ।

अब हमें इस स्थिति पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए । मैं इस सदन को थोड़ा सा पीछे इतिहास में ले जाना चाहता हूं पाकिस्तान की स्वतन्त्रता के पूर्व भी इसे दक्षिण एशिया में, खाड़ी में तथा पश्चिम एशिया में पश्चिमी शक्तियों का संभावित क्षेत्र समझा जाता था श्री वी० पी० मेनन ने अपनी पुस्तक "द ट्रांसफर आफ पावर" में इस बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है । हमारी नीति से इसका कुछ लेना देना नहीं है । यह पश्चिमी सुरक्षा अनुमानों का परिणाम है । यह मानना एक गंभीर गल्ती होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सुरक्षा भागीदार इसलिए बनाया क्योंकि भारत इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं था । अमेरिकियों ने पाकिस्तान के सामरिक महत्व की जानकारी ब्रिटेन से प्राप्त की थी जिसने पाकिस्तान के लिए पश्चिम एशिया उपमहाद्वीप तथा सोवियत मध्य एशिया में

पश्चिमी सामरिक नीति में एक सहकारी की भूमिका की कल्पना की थी। इसका समर्थन अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है। मैं 24 मार्च, 1949 के ज्ञापन में से, जिसमें उन्होंने यह कहा है उद्धत करता हूं :—

"पाकिस्तान में कराची, लाहौर क्षेत्र कुछ परिस्थितियों में सामरिक महत्व का क्षेत्र बन सकता है। सैन्य प्रचालन संबंधी व्यापक कठिनाइयों के बावजूद मध्य सोवियत रूस के विरुद्ध हवाई कार्यवाही करने हेतु और मध्यपूर्व तेल क्षेत्र की सुरक्षा में अथवा उस पर दुबारा कब्जा करने में संलग्न सेनाओं को ठहराने हेतु इस क्षेत्र की एक अड्डे के रूप में जरूरत हो सकती है।"

इस प्रकार अमेरिका की यह नीति जारी है और हम अमेरिकी सीनेट में परिवर्तन की हमारी चाहे जो भी आशा रही हो अमेरिका की सामरिक विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसलिए, हमें इस स्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

इन परिस्थितियों में, एक नयी चीज सामने आयी है—हिन्द महासागर की महत्ता 1949 में ब्रिटेन ने हिन्द महासागर की महता पर विचार नहीं किया क्योंकि उस समय हिन्द महासागर पर ब्रिटेन का अधिकार था। अब हिन्द महासागर का अत्यधिक महत्व हो गया है क्योंकि हिन्द महासागर से पनडुब्बियों पर लगे प्रक्षेपास्त्र मध्य सोवियत रूस के सामरिक लक्ष्यों पर प्रहार करने में समर्थ हैं। इसलिए उनकी नवीन सामरिक अवधारणा में हिन्द महासागर का महत्व और पाकिस्तान का महत्व शामिल है।

अमेरिका का पाकिस्तान में एक दूसरा हित भी सन्निहित है, वह है पाकिस्तान का इस्लामी होना। अमेरिका के विदेश विभाग के 1 जुलाई, 1951 के नीति वक्तव्य में कहा गया है :

"रियासतों को संघ में मिलाने की भारतीय नीति और कश्मीर के प्रति इसका कठोर रुख इसके राष्ट्रीय चरित्र की ओर संकेत करता है जो समय आने पर यदि नियंत्रित नहीं हुआ, भारत को एशियन साम्राज्यवाद में जापान का उत्तराधिकारी बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के नेतृत्व में एक सशक्त मुस्लिम ब्लाक जिसके अमेरिका से मित्रवत संबंध हों दक्षिण एशिया में वांछनीय शक्ति संतुलन स्थापित कर सकेगा।"

इसलिए पाकिस्तान को मित्र बनाने के पीछे दो विचार रहे हैं पहला विचार शक्ति स्थापन हेतु रणनीतिक कल्पना तथा दूसरा पाकिस्तान को न केवल उप महाद्वीप को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पश्चिम एशिया को भी नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करना।

भारत ने कभी भी साम्राज्यवादी शक्ति बनने की इच्छा नहीं की जैसा कि अमेरिका द्वारा आशंका व्यक्त की गयी है। लेकिन पाकिस्तान को इस्लामिक शक्ति के रूप में पेश किया गया है। आज पाकिस्तान ने दो महाद्वीपों के 22 इस्लामिक देशों से सैनिक सहयोग स्थापित किया हुआ है। इसलिए अमेरिका और इसके पश्चिमी सहयोगी पाकिस्तान के साथ अपनी नीति में एकरूपता बनाये हुए हैं।

पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इस रूप में पेश किए जाने का पाकिस्तान के घरेलू मामलों पर भी प्रभाव पड़ा है। वहां प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकार उखाड़ फेंकी गयी और तानाशाही कायम हुयी। मुल्लाओं और सैनिक शक्ति के बीच गठबंधन स्थापित किया गया और पाकिस्तान ने एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपने सामान्य विकास के पथ से अलग होकर देश के अन्दर इस्लामिक प्रकृति अपनाना शुरू किया ।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति को 1971 के भारत पाक युद्ध और बंगला देश की मुक्ति के समय भारी धक्का लगा । इस बात को अमेरिका में तुरन्त मान लिया गया । यह दिलचस्प बात है कि राष्ट्रपति निक्सन जो पाकिस्तान के पक्ष में थे अमरीकी कांग्रेस में गये और 3 मई 1973 को कहा :

"संयुक्त राज्य किसी प्रकार के दल समूह में शामिल नहीं होगा या भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी नीति नहीं अपनाएगा।"

उन्होंने शीघ्र ही भारत को दक्षिण एशिया की एक शक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की और भारत को आश्वासन दिया कि वह इस प्रकार की किसी भी नीति पर नहीं चलेंगे जो भारत के लिए हानिकारक हो। यह वक्तव्य बहुत थोड़े समय तक प्रभावी रहा । अफगानिस्तान की स्थिति में उन्हें पाकिस्तान को पुनः एक शत्रु शक्ति के रूप में खड़ा करने का अवसर दिया ।

पाकिस्तान के आणविक बम और संयुक्त राज्य अमेरिका के आणविक प्रसार रुख के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं सदन से चाहूंगा कि वह स्वयं इस बारे में फैसला करे। गत अक्तूबर को हमने पाकिस्तान को नाभिकीय क्षमता की जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका को दी थी। अमेरिकन राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया बहुत मनोरंजक थी। राष्ट्रपति रीगन ने पाकिस्तान की नाभिकीय हथियार बनाने के कार्यक्रम से रोकने से इन्कार किया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए वह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौता करें। यह एक दिलचस्प वक्तव्य है। वह पाकिस्तान के नाभिकीय हथियार बनाने के कार्यक्रम की जानकारी रखते हैं। वे इसे रोकना नहीं चाहते क्योंकि इसे यह भारत का प्रतिद्वन्दी बनाये रखना चाहते हैं । लेकिन उन्होंने राजीव गांधी को सलाह दी कि वह पाकिस्तान के साथ समझौता कर लें जिससे जहां तक दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की भूमिका का संबंध है पाकिस्तान और भारत सामरिक मामलों में बराबर हों।

पाकिस्तान में क्या हुआ हम अच्छी तरह जानते है । पाकिस्तान ने 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पारस्परिक सुरक्षा संधि की। यह दो सैनिक गठबंधनों--सेन्टो तथा सीटो में शामिल हो गया । लेकिन कुछ समय बीतने के उपरान्त इसने महसूस किया कि यह हितकारी नहीं है, उसने महसूस किया कि पाकिस्तान को एक ऐसा वातावरण में रहना पड़ रहा है जिसमें शांति की मांग की जा रही है जो कि सैनिक गठबन्धनों के विरुद्ध है तथा इसने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की शक्ति को स्वीकार किया और इसी कारण इस आन्दोलन में शामिल होने की अभिलाषा प्रकट की है। इसने सेन्टो तथा सीटो की अपनी सदस्यता से

त्याग पत्र दे दिया लेकिन वह पारस्परिक सुरक्षा संधि से जिस पर इसने हस्ताक्षर किए थे, अलग नहीं हुआ । हम गुट निरपेक्ष आन्दोलन में पाकिस्तान का इस आशा के साथ स्वागत करते हैं कि इससे पाकिस्तान की स्वतन्त्र विदेश नीति मजबूत होगी और इससे शांति तथा स्थिरता के लिए सक्रिय इस उपमहाद्वीप में उसे उचित स्थान मिलेगा। लेकिन स्थिति दुबारा बदल गयी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वक्तव्य दिया है कि रेपिड डिप्लायमेन्ट फोर्स के लिए पाकिस्तान के अड्डे उपलब्ध होंगे और इसे केन्द्रीय कमान्ड सामरिक नीति में शामिल कर लिया गया है।

इसने पाकिस्तान को 'अवाक्स' देने की बात कही है। मैं अवाक्स की क्षमता का विस्तार में वर्णन नहीं करना चाहूंगा। मेरे मित्र माननीय सदस्य प्रो० स्वेल ने इस विस्तार में सदन के समक्ष वर्णित किया है कि इसके क्या-क्या उपयोग और प्रयोग हैं। मुझे एक राष्ट्र द्वारा हथियारों को प्राप्त करने से भय नहीं है, मुझे उस नीति की सामग्रता से भय है जिसके कारण हमें बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी रणनीति में पाकिस्तान के शामिल होने की इच्छा से तृतीय विश्व के संबंध में इसकी अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति नहीं रहेगी। और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह पूर्व पश्चिम सैनिक सहयोग के विपरीत होगा और विकासशील देशों में अमेरिका के आर्थिक हितों का परिपोषण करेगा। पूर्व पश्चिम संघर्ष के मामले में पाकिस्तान के संयुक्त राज्य अमरीका से गठजोड़ को उत्तर-दक्षिण में है और एक पड़ौसी देश में एक संबंध के रूप में देखा जा सकता जिसके साथ हम मैत्री संबंध स्थापित करना चाहते हैं इस प्रकार की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण होगी।

अब मैंने वस्तुस्थिति के बारे में बातें की हैं। हमारे सामने क्या विकल्प हैं ? वास्तव में यह कहना मैं सरकार पर छोड़ना चाहता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारे पास जो भी थोड़े से विकल्प हैं, मैं उन्हीं के बारे में कहना चाहता हूं।

प्रो० मधुदंडवते : और वे यह कहेंगे कि मामला विचाराधीन है।

श्री दिनेश सिंह : वे इस पर विचार कर सकते हैं और बाद में हमें बता सकते हैं। हम जल्दबाजी में नहीं हैं। यह चलती रहने वाली एक समस्या है। फिर भी इस बारे में हमें आशा है। अब हमने 'सारक' के अधीन एक सामूहिक समझौता किया है। सौभाग्यवश 'सारक' द्विपक्षीय मतभेदों से मुक्त है। इसके शिखर सम्मेलन के लिए वर्ष में एक बार, मंत्रालय स्तर पर और मंत्री परिषद् में वर्ष में दो बार और बड़ी संख्या में समितियों और कार्यशिविरों में, जो इसके अन्तर्गत होते हैं, दक्षिण एशिया के सभी देशों को उच्च स्तर पर एकत्र होने के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह लोगों को नजदीक लाता है। यह उनमें आपस में विद्यमान भय और भय से पैदा किये जाने वाली शंकाओं को दूर करता है। और मुझे पक्का विश्वास भी है कि पाकिस्तान की जनता एक स्वतन्त्र विदेश नीति और एक गुटनिरपेक्ष कार्यक्रम चाहेगी और इसे हमें हर तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए, जो हम दे सकते हैं। पाकिस्तान के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप किये बगैर हमें इसकी उन संस्थाओं के निर्माण में सहायता करनी है जो इसे आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगी और जो इसकी विदेशी शक्तियों पर निर्भरता को दूर करेंगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : (गुंटूर) : इसमें कुछ आशा है। यह सिर्फ एक आशा है।

श्री बिनेश सिंह : नहीं, प्रो० महोदय। हमें आशा पर ही जीवित रहना है। इसके सिवाय और आप क्या कर सकते हैं? हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े। उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमें प्रयास करना पड़ेगा और इकट्ठा रहना होगा। सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने हमारी सुरक्षा को मजबूत करना होगा किन्तु हमें पाकिस्तान को यह भी आश्वासन देना होगा कि भारत की मजबूती पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है कि भारत की मजबूती उस महान् सहयोग को बढ़ावा देगी जिसमें पाकिस्तान स्वयं भी मजबूत हो जायेगा और भारतीय निर्माण से भयभीत नहीं होगा।

जैसा कि दो माननीय सदस्यों ने मेरे से पहले ही कहा है हमें भी अमेरिका के लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान सरकार की नीतियों के बावजूद अमेरिका एक ऐसा लोकतंत्र है जहां लोग अपने अधिकारों पर दृढ़ रहते हैं। हमने ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में देखा है। हमने इसे उनके घरेलू क्षेत्रों में देखा है। हमने इसे उनके विदेशी संबंधों के क्षेत्र में देखा है। हमें अमेरिका की जनता के पास अवश्य जाना चाहिए और उनके समक्ष यह रखना चाहिए कि क्या वे दक्षिण एशिया को एक शान्तिप्रिय और सहयोग वाले क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं या प्रतिस्पर्धा के एक क्षेत्र के रूप में जहां पर दक्षिण एशिया के देश हर समय एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहें। क्या यह विश्वशान्ति के लिए सहायक होगा या विश्व शान्ति को नष्ट करने के लिए सहायक होगा।

जल्दी ही हमें सोवियत संघ के साम्यवादी दल के महासचिव श्री गोर्बाचेव के भारत आगमन पर उनके स्वागत करने का अवसर मिल रहा है जिनके पास एशियाई सुरक्षा के संबंध में कुछ प्रस्ताव हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार इस पर पूरी तरह गौर करेगी। हम देखेंगे कि इसमें फायदे की बातें क्या-क्या हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एशिया की शान्ति और सहयोग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति पर और इसकी गम्भीरता पर गहरायी से विचार करना होगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देश को मजबूत करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों को पूर्ण समर्थन देने का यह सही समय है ताकि जहां से भी कोई चुनौती आये हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हो सकें।

***श्री एम० सुब्बा रेड्डी (नन्दयाल)** : सभापति महोदय, श्रीमान्, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अत्यधिक परिष्कृत और खतरनाक हथियारों की पूर्ति हमारे लिए एक गंभीर चिंता का मुद्दा है शुरू से ही पाकिस्तान भारत को अपना मुख्य शत्रु मानता रहा है। पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए भारत द्वारा अच्छे प्रयास किये जाने के बावजूद भी वह हमारे संबंधों को खराब करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रहा है। पिछले 20 वर्षों से कई ऐसी घटनायें हुयी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इरादों का पर्दाफाश किया है पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान पंजाब के उग्रवादियों को प्रशिक्षण देता रहा है। इसका

*मूलतः तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

इरादा हमारे देश को अस्थिर बनाने का है। अफगानिस्तान से टक्कर लेने के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका से अत्यधिक परिष्कृत हथियारों का आयात कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्पष्ट रूप से जानता है कि आयातित परिष्कृत हथियारों का उपयोग भारत के विरुद्ध किया जाना है। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में आगे रहा है। यह एक विडम्बना है कि जब हम शान्ति की घोषणा कर रहे हैं तथा प्रत्येक के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान पश्चिम से परिष्कृत हथियारों का आयात करते हुए अधिकतम युद्ध सक्षम बनता जा रहा है। अगर इसने भारत के साथ लड़ाई नहीं करनी है तो पाकिस्तान के लिए इतने बड़े पैमाने पर हथियार आयात करने की क्या आवश्यकता है? भारत द्वारा संबंध सुधारने के लिए किये गए प्रयास निष्फल सिद्ध हुए हैं। पाकिस्तान ने काश्मीर में एक बहुत बड़े भू-भाग पर कब्जा कर रखा है। अस्त्र शस्त्रों को आसानी से लाने ले जाने के लिए हाल ही में उस क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण किया गया है। पाकिस्तान का इरादा स्पष्ट है। यह उपयुक्त समय पर काश्मीर को हड़पना चाहता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत की तरफ से बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। भावी खतरे का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान से खतरे के साथ निपटने के लिए हमें भी परिष्कृत हथियारों का प्रबन्ध करना चाहिए। चीन भी हमारी सीमाओं के साथ-साथ सड़क-मार्ग बना रहा है। चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत को देखते हुए हमारी तरफ से बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। पाकिस्तान काश्मीर में भी हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार हमारे देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किसी भी कीमत पर हमें देश को बचाना है। ऐसे ही आधुनिक हथियारों से लैस होते हुए, चुनौती का सामना करने के लिए हमारे लिए तैयार रहने का समय आ गया है। जब पाकिस्तान चुनौती देता है तो हमारे पास इसे स्वीकार करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान उसके मित्र अमेरिका से खतरनाक हथियारों का आयात करके भारत को धमकी देना चाहता है। पाकिस्तान शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास नहीं रखता है और इसी कारण वह बड़े पैमाने पर हथियारों का आयत कर रहा है। जिस उद्देश्य से पाकिस्तान हथियारों का आयात करना चाहता है उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार हम हथियारों का प्रबन्ध किए बगैर नहीं रह सकते। हमें हथियारों से अच्छी तरह लैस होना होगा। हमें चीन के साथ एक कड़वे युद्ध का अनुभव है। हमें हमारी आत्मसन्तुष्टि के लिए सजा भुगतनी पड़ी। हम आत्मसंतोष की इस विचारधारा को मानकर नहीं चल सकते कि पाकिस्तान एक छोटा देश है। कई तरह के सांप होते हैं। आकार में एक छोटा सांप एक बड़े सांप के मुकाबले में अधिक जहरीला और खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें पाकिस्तान के बारे में भी सचेत रहना होगा। भारत मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकता। अगर हम अपनी गुटनिरपेक्षता पर निर्भर रहते हैं और हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं तो इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर दूसरे इसका आदर करते हैं तभी गुटनिरपेक्षता का कोई अर्थ है। इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारे देश को अस्थिर बनाने के लिए पाकिस्तान एक उपयुक्त समय का इन्तजार कर रहा है और फिर इससे लाभ उठाना चाहता है। इसीलिए यह पंजाब में उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। अगर पाकिस्तान सहायता नहीं देता तो उग्रवादी सीमा पार करके

पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान नैतिक तथा सामरिक दोनों तरह की सहायता उग्रवादियों को प्रदान कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा एक भारतीय वायुयान का अपहरण किया गया था। यह इस बात को सिद्ध करता है कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर तथा खंडित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है।

महोदय, भारत को भी आणविक हथियार प्राप्त करने चाहिएं। देश में विभिन्न राजनैतिक दल हो सकते हैं। हमारी भिन्न-भिन्न विचारधाराएं हो सकती हैं। किन्तु भारत की अन्दरूनी तथा बाहरी खतरों से सुरक्षा करने के लिए हम एक हैं। हमें पाकिस्तान की हरकतों को ध्यान से देखना चाहिए। हथियारों की प्राप्ति के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का असंतोषजनक बहाना बना रहा है। किन्तु इन दो देशों में मुश्किल से कोई झगड़ा हुआ होगा। अन्ततः इन हथियारों का प्रयोग हमारे विरुद्ध किया जायेगा। पंजाब में उग्रवादियों से बरामद किए गए अस्त्र-शस्त्रों पर पाकिस्तानी चिह्न बने हुए हैं। फिर भी उग्रवादी गतिविधियां बगैर किसी रोक के जारी हैं। वहां पर प्रतिदिन निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। वहां पर बहुत मनहूस स्थिति है। पंजाब समस्या एक साधारण समस्या नहीं है।

भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जो गुटनिरपेक्षता को ईमानदारी से मानता जा रहा है। 4000 किलोमीटर तक फैली हुई सीमा की सुरक्षा करना एक आसान कार्य नहीं है। इसलिए, अब तो हमें कम से कम ऐसे परिष्कृत हथियार प्राप्त करने चाहिए जैसे पाकिस्तान ने प्राप्त कर रखे हैं। पाकिस्तान की सीमाओं के साथ स्थिति गंभीर है। निर्दोष व्यक्तियों को मारने की घटनायें प्रतिदिन हो रही हैं। इसलिए, जैसा कि माननीय श्री वाजपेयी ने कल दिये गये इस सुझाव से सहमत हैं कि पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को सेना के हाथों में सौंप देना चाहिए।

भारत इस मामले में आत्मसंतुष्ट बन कर नहीं रह सकता। भारत को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान को पहले भी एक पाठ सिखाया गया था। फिर भी वह भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। हमें जहरीले सांप से बच कर रहना होगा ऐसा न हो कि किसी भी समय यह हमें डस ले। हमें सभी पूर्वोपाय करने होंगे।

अमेरिका साम्राज्यवाद में विश्वास रखता है। यह अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहता है। पाकिस्तान उसकी साम्राज्यवादी योजना का एक हिस्सा है। अमेरिका छोटे देशों में अस्थिरता पैदा करने और अन्ततः उनको हड़पने के लिए बड़े देशों के विरुद्ध प्रोत्साहित करता है। अमेरिका के लोग उन बड़े देशों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए छोटे देशों को हथियार देता है जो अमेरिकी नीति के अनुसार नहीं चलते। हमें साम्राज्यवादी शक्तियों के इरादे का ध्यान रखना चाहिए। भारत को सचेत रहना चाहिए। जो ये देश आणविक तथा शक्तिशाली हथियार रखते हैं, उन्हें भारत को भी प्राप्त करने चाहिए। कम से कम अब तो मुझे आशा है कि भारत सतर्क हो जायेगा और किसी भी तरफ से किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

मुझे यह अवसर दिये जाने पर मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं जागरूक प्रेस को इस बहुत महत्वपूर्ण और संगीन मामले को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसका संबंध सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से ही नहीं है किन्तु जिसका असर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी है तथा जिसका सार्वभौमिक तथा सामरिक महत्व भी है। मैं माननीय जागरूक सदस्य को भी इस मामले को उठाये जाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

ऐसा कुछ समय से हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। किन्तु सच्चाई यह है कि यह उस समय हुआ है जब हमारा देश एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। अर्थात् ऐसी स्थिति में जब हम राजनैतिक और भूगोलिक वातावरण में ऐसी राजनैतिक प्रणाली से घिरे हुए हैं जो हमारी व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। चाहे यह सैनिक तानाशाही हो या राजतंत्र या अधिनायकवाद हो जो भारत की समृद्धि, मजबूती और विकास के विरुद्ध हैं।

इस सन्दर्भ में यह मामला आया है और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रो० जी० जी० स्वेल ने लिबलिबी युक्ति तथा भूकंप के अन्तःस्फोट तथा विस्फोट के कुछ पहलुओं को स्पष्ट किया है। किन्तु, इसके साथ-साथ एक प्रश्न का जवाब तो बच ही जाता है और यह संदेह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रेस में ऐसा प्रकाशित किया गया है कि 18 तथा 21 सितम्बर के बीच में विस्फोट हुए थे जबकि भूकंप 19 सितम्बर को 11.55 म० पू० जी० एम० टी० पर आया था।

मुझे आशा है कि जवाब देते समय माननीय मंत्री सदन को बतायेंगे तथा हमें विश्वास में लेंगे कि क्या प्रेस द्वारा दी गयी सूचनाओं के बीच और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बीच तारीख तथा समय के बारे में कोई अंतर है।

हमारे वैज्ञानिकों को उद्धृत किया जाये तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे किसी विस्फोट या आणविक परीक्षण के बारे में इन्कार करने में बहुत तेज थे।

अगर हम पाकिस्तान के पिछले 30–40 वर्षों के रिकार्ड को देखें तो हम पायेंगे कि यह छलकपट तथा धोखेबाजी की कहानी है। अन्तिम स्थिति इसमें सिर्फ एक बढ़ावा है। वे भारत के साथ शान्तिपूर्ण संबंधों की बातें करते रहे हैं जबकि उन्होंने हमारे साथ तीन युद्ध 1947, 1965 तथा 1971 में लड़े हैं। अन्तिम युद्ध में पाकिस्तान को, पाकिस्तान तथा बंगलादेश में विभाजित कर दिया गया। यद्यपि जनता की यादाश्त बहुत कम होती है किन्तु ऐसे मामले को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता और इसी वजह से भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को अस्थिर बनाने के लिए भारत के विरुद्ध गुप्त तथा खुले दोनों प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

पाकिस्तान शिमला समझौते की भावना के बारे में तथा द्विपक्षीय समझौतों के बारे में बातें करता रहा है, जबकि, वे काश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का बार-बार राग अलापते रहे हैं। वे उग्रवादियों व आतंकवादियों को शरण, प्रशिक्षण और विभिन्न

प्रकार का प्रोत्साहन देकर उनकी सहायता कर रहे हैं और उन्हें यहां भेजते हैं, तथा हमारी सीमाओं के रास्ते सामान की तस्करी और हथियारों को चोरी-छिपे भेजते हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने विमान अपहरणों में भी संदिग्ध भूमिका निभाई है।

हालांकि वे बहुत बुद्धिमानी से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हुए हैं और यहां तक कि उन्होंने दिल्ली में हुए सातवें गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भी हिस्सा लिया है और परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। वीयाना में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की बैठकों में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बहुत शेखी बघारते रहे हैं कि परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने अर्थात् यूरेनियम को समृद्ध बनाने में उन्होंने कितनी कठिनाई उठानी पड़ी है और यह कितना कठिन कार्य है और विभिन्न विकसित देशों, आणविक देशों, द्वारा बाधाएं डालने के बावजूद उन्होंने कैसे यूरेनियम के शोधन और समृद्धि में सफलता प्राप्त की है।

यद्यपि 1984 में, अमरीका सरकार ने पाकिस्तान सरकार और उसके मुख्य प्रशासकों को चेतावनी दी है और चार शर्तें लगाई थीं जिनका पालन न किये जाने पर वे सारी सहायता वापस लेंगे अर्थात् अगर पाकिस्तान अवशेषों का दुबारा प्रयोग करता है, यदि वह आणविक बम का विस्फोट करता है और यदि वह यूरेनियम की समृद्धि का कार्यक्रम जारी रखता है और यदि वह खुले रूप में परीक्षण करता है। इन सब शर्तों के बावजूद, उन्होंने खुले आम उनका उल्लंघन किया है। 1972 में भी श्री हैनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री भुट्टो को इस्लामाबाद के अपने दौरे के दौरान चेतावनी दी थी कि यूरेनियम शोधन और उसको समृद्ध बनाने के काम को यदि बन्द नहीं किया जायेगा तो वह एक भयानक उदाहरण स्थापित हो जायेगा, परन्तु उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी; अब भी अमरीका द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। यद्यपि यह सच है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न अति आधुनिक पुर्जे और सब-ऐसेम्बली प्राप्त कर रहा है और संसद के केन्द्रीय हाल में कई माननीय सदस्यों ने बी० बी० सी० की एक फिल्म भी देखी है कि किस प्रकार पाकिस्तान इस्लामी बम बना रहा है 1978–79 में ऐसा हुआ है। फिल्म उपलब्ध की गई थी। इस विषय पर हम पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा बहुत ही उपयुक्त समय पर आई है। पूर्व वक्ताओं ने भी उल्लेख किया है पाकिस्तान बहुत जल्दी बम बनाने वाला है।

श्रीमन्, केवल बम होना ही पर्याप्त नही है। उसको छोड़ने की प्रणाली का ज्ञान भी अनिवार्य है। प्रेस या रक्षा अध्ययन संस्थानों जैसे स्टाकहोम अन्तर्राष्ट्रीय शांति अनुसंस्थान संस्था द्वारा छापी गई सामग्री को देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के पास बम को छोड़ने की प्रौद्योगिकी भी है और वह निकट भविष्य में बम छोड़ने वाला है। इस डिलीवरी प्रणाली से वह सामरिक महत्व के आणविक हथियार भी छोड़ सकता है। यद्यपि हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए लेकिन यह अन्तरावलोकन का समय है और हमें देखना है कि हम इस स्थिति का कैसे मुकाबला कर सकते हैं।

अब मैं विभिन्न विकसित देशों, चाहे हम इन्हें महाशक्तियों का नाम दें या उच्च औद्योगिक राष्ट्रों का नाम दें, की भूमिका पर विचार करना चाहूंगा। विश्व में निरस्त्रीकरण के आन्दोलन को सब जानते हैं। विश्व में शांति तथा निरस्त्रीकरण आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है परन्तु विभिन्न देशों में हथियारों के फैलाव तथा सामरिक वातावरण के खराब होने से रोकने में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी प्रगति नहीं हुई है और जैसा कि विद्वान प्रोफेसर ने कहा है प्रादेशिक क्षेत्रों में अस्थिरता को नहीं रोका जा सका है —चाहे यह हमारे महाद्वीप में हो या कहीं और स्थान पर लेकिन यह बहुत ही खतरनाक घटनाएं हैं जो हमारे उपमहाद्वीप में हो रही हैं। इससे हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक पर प्रभाव पड़ता है।

हाल ही में अमरीका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को 600 मिलियन डालर देने का वायदा किया है जिसमें 3.2 बिलियन पिछले पांच वर्षों में दिये हैं और 4.2 बिलियन डालर आने वाले 5 से 6 वर्षों में दिये जायेंगे। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि छपी हुई रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान को दिया जाने वाला ए डब्ल्यू ए सी एस भी इसमें शामिल है। जैसा कि विभिन्न सदस्यों ने कहा है इस अति आधुनिक और उच्च कम्प्लेक्स कमांड कन्ट्रोल एण्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से समूचे सुरक्षा वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जायेगा जिससे विभिन्न विकासशील देशों में जिसमें हमारा देश भी शामिल है। हथियारों की होड़ लग जायेगी। मेरे विचार से वोन क्लोजविट्ज सिद्धांत का अनुसरण करने का यह दूसरा तरीका है। उसके अनुसार युद्ध राज्य की नीति का दूसरा तरीका है। यह हमें और इस महाद्वीप के अन्य देशों को अपने कीमती संसाधन विकास कार्यों में लगाने की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में लगाने के लिए बाध्य करेगा। अगर दिये गये हथियारों और उपकरणों की किस्म देखें तो हमें इसका पता लग जायेगा। इनमें से एक हारपून मिसाइल है जिसका प्रयोग केवल समुद्र में हो सकता है और हमारी सरकार के प्रतिनिधियों ने सदन में बार-बार यह बात उठाई है कि यह सोवियत संघ या अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इन्हें केवल हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें केवल हमारे और हमारी नौसेना के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। एम 1 ए 1 अब्राहम हैवी टैंक जिसका विद्वान प्रोफेसर ने उल्लेख किया है, का प्रयोग केवल मैदानों में ही हो सकता है और यह मैदान केवल पंजाब, गुजरात और राजस्थान में ही उपलब्ध है। एफ–16 सी का अफगानिस्तान या हमारे विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। हम यह भी जानते हैं कि स्टींगर मिसाइलों का प्रयोग लद्दाख में सियाचीन हिमनदी में हुआ था न कि अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को जो अत्याधुनिक हथियार दिये जा रहे है वे उन लोगों के हाथ में एक खिलौना होंगे जिसका उपयोग वे नहीं जानते और उनका पाकिस्तान गलत उपयोग करेगा जैसा कि हमने 1965 और 1971 में देखा है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैंट्रल कमांड और रैपिड डेवलपमैन्ट फोर्स बनाये जाने से इस परमाणु खतरे से मुक्त क्षेत्र में परमाणु खतरा पैदा हो जायेगा। हमें इस पर विचार करना होगा और सरकार को इस बात पर गम्भीरता से सोचना होगा कि इस खतरे को कैसे निष्प्रभावी तथा कम किया जाये।

अगर हम भारत के ट्रेक रिकार्ड की तुलना करें, जहां तक परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम या परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का सम्बन्ध है, तो हम देखेंगे कि 1950 और 1960 की दशाब्दी के शुरू के वर्षों में या 1940 और 1950 की दशाब्दी के अंत के वर्षों में हमने कनाडा, अमरीका, फ्रांस और अन्य विकसित देशों से यह तकनीक, जहां तक परमाणु ऊर्जा का सम्बन्ध है प्राप्त करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि हमने न केवल अपने स्वदेशीकरण के प्रयासों में उन्नति की है और हम औद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गये हैं बल्कि हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हम तीसरी दुनिया के देशों की सहायता भी कर सकते हैं। वियाना में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की पिछली सामान्य बैठक में महाशक्तियां तीसरी दुनिया के गरीब एवं विकासशील देशों को जो इस समय धन और परमाणु ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिये उत्सुक नहीं हैं, अपितु इसके विपरीत भारत को एन० पी० टी० पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया जिस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से ठीक ही मना कर दिया है। इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है कि भारत ने वचन दिया है कि हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकी और प्रवीणता में तीसरी दुनिया के विकासशील देशों को भागीदार बनाएंगे। और यह वचन ऐसे समय में दिया गया जबकि कोई भी देश उनको इसमें भागीदार बनाने के लिए तैयार नहीं था। अपने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के सिद्धान्तों पर कायम है और उद्योग के क्षेत्र में हमने फास्ट ब्रीडर टेक्नोलाजी रिएक्टर स्थापित कर दिये हैं कृषि, जीवन पद्धतियों, तथा औषधियों के क्षेत्र में है। फास्ट ब्रीडर टेक्नोलोजी रिएक्टरों के लिए हमने अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित कर दिये हैं। हमारे वैज्ञानिकों के पास यूरेनियम को समृद्ध बनाने की क्षमता है परन्तु हमने अपनी सहिष्णुता और सिद्धांतों के कारण यूरेनियम को समृद्ध बनाने का कार्य हाथ में नहीं लिया है। परन्तु यह हमारी कमजोरी समझी जा रही है न कि हमारा सिद्धान्त। इसलिए इसका लाभ अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा उठाया जा रहा है, इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए।

गहरी चिन्ता का एक अन्य विषय है कि 1980 में और विशेष रूप से 1984 में दिल्ली सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बाद जब हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गई, हथियारों की होड़ और हमारे देश को अस्थिर करने के लिए गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। सबसे ताजा घटना 2 अक्तूबर 1986 को घटी जिसका सारे विश्व को 24 घंटे पहले पता था कि ऐसा नृशंस प्रयास किया जायेगा। यह उस षड़यन्त्र का संकेत है जो हमारे देश में अस्थिरता लाने के लिए प्रशासन के लोगों, सार्वजनिक लोगों और सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने देश की बहुत सेवा की है। उनका योजनाबद्ध ढंग से सफाया किया जा रहा है। यह एक ऐसी बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है क्योंकि इससे हमारे स्थायित्व, एकता और अखण्डता यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आन्तरिक एवं बाह्य पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ता है।

हमारे सामने क्या विकल्प है ? हमारे पड़ौसी देश में अधिक आधुनिक और बड़ी संख्या में हथियारों के आने से हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने रक्षा प्रयास

तेज करें और अच्छे तथा अधिक संख्या में हथियार प्राप्त करें और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में सुधार करें। हमें इसको अति आधुनिक बनाना होगा ताकि जिससे हम ए० डब्ल्यू० ए० सी० एस० अथवा अन्य आधुनिक उपकरणों को, जो हमारे माहौल में प्रवेश कर रहे हैं, निष्प्रभावी बना सकें। हमें सिविल रक्षा उपायों पर जिनकी अभी तक अनदेखी की गई है, काफी धनराशि खर्च करनी होगी, जिससे हम परमाणु वातावरण का सामना कर सकें जैसे यूरोप के देशों या अन्य देशों ने किया है जहां हमारी तैयारी निराशाजनक है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा।

जहां तक परमाणु विकल्पों का संबंध है, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में काफी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कोई भी विकल्प अपना सकते हैं। इस नवीनतम घटना से गम्भीरता से सोचना होगा कि क्या हमें परमाणु धमकी तथा परमाणु नीति के सामने घुटने टेक देने चाहिये या हमें अपने परमाणु कार्यक्रमों को गम्भीरता से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमें गम्भीर परिणामों का सामना न करना पड़े।

अन्ततः 'सार्क' सम्मेलन के समय जब सोवियत संघ के महासचिव तथा प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सरकार इन पहलुओं को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के साथ गम्भीरता से विचार करेगी। इस तथ्य के अतिरिक्त कि हम अपनी सभी समस्याओं को शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा हल करना चाहेंगे, हमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं को तथा अपने लोगों के मनोबल को मजबूत बनाने में कोई ढील नहीं देनी चाहिये।

5.00 म० प०

/**श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी)** : सभापति महोदय, मैं पिछले एक घंटे से वाद-विवाद सुन रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे अन्दर खरी बात कहने का साहस नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है जब श्रीमान् ट्रूमैन ने अमरीका में राष्ट्रपति पद छोड़ा था। पत्रकारों ने उससे एक प्रश्न पूछा था, यानि श्रीमान् ट्रूमैन आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग किया है, क्या आपको इस बात का दुःख नहीं है? ट्रूमैन महोदय का उत्तर नकारात्मक था। मुझे दुःख नहीं है, क्योंकि यदि मैंने उसका प्रयोग न किया होता तो युद्ध जारी रहता और हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम से मरने वाले लोगों से अधिक लोग उसमें मारे जाते। अतः इसमें विचारों की स्पष्टता है।

मैं नहीं समझता कि हमारे अनुनय के बावजूद अमरीका अपनी विश्व कूटनीति त्याग देगा। उनकी विश्व स ५ ध। फूट नीति क्या है? अमरीकी सहायता के लिये नये मार्ग निर्देशों के बारे में अमरीकी "खब।) म एक गुप्त दस्तावेज प्रकाशित किया गया है। वे मार्ग निर्देश क्या हैं? अमरीकी सामार५। 1हत को बढ़ावा देने वाले राज्यों को सहायता दी जायेगी तथा उम श्रेणी में दो तीन देश आते हैं जंस मिश्र, इजराइल और एल० सल्वेडोर। दूसरी श्रेणी में वे देश आते हैं जो मित्र देश हैं तथा जिन्होंने अमरीका के लिए अपने देश में अड्डे स्थापित करने की पेशकश की है। इन देशों को हथियार एवं सहायता प्रदान की जायेगी और इस

श्रेणी में पाकिस्तान आता है। मेरा निवेदन यह है कि विदेश मन्त्री महोदय इस बात की छानबीन करें कि कहीं पाकिस्तान ने कराची के निकट पहले ही एक हवाई अड्डा तो नहीं दे दिया है जिसका प्रयोग अमरीका प्रायः कर रहा है।

मुझे आश्चर्य है कि पाकिस्तान अभी तक गुट निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बना हुआ है। मैं मांग करता हूं कि पाकिस्तान को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से निकाल दिया जाना चाहिए। तीसरा मार्गनिर्देश यह है कि उन्हें उन देशों को सहायता देनी चाहिए जो अन्ततः उत्तर के धनी देशों के लिए मण्डियां बनायेंगे तथा यह कार्य भी गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए न कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा। अमरीका के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र दक्ष नहीं है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दक्ष है।

यह स्थिति है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अमरीका की विश्व सम्बन्धी कूटनीति में परिवर्तन करने के लिए उसे प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या हम अमरीका से विमुख हो सकते हैं ? यह भी संभव नहीं है, क्योंकि आज अमरीका आधुनिक प्रौद्योगिकी का केन्द्र है। विश्व भर में प्रौद्योगिकी के लिए सभी देश अमरीका की ओर दौड़ रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन महाशक्तियों से 15 वर्ष पीछे है। अपने एफ० 8 विमान के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरणों हेतु चीन अमरीका से बातचीत कर रहा है। अमरीका के साथ वार्तालाप जारी है। अमरीका ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के संगठन को विश्वास दिलाया है कि चीन को दिये जाने वाले हथियारों का प्रयोग उनके विरुद्ध नहीं किया जायेगा। परन्तु दुर्भाग्यवश, जब अमरीका के उप-राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आये और पाकिस्तान को दिये जाने वाले हथियारों के आश्वासन के बारे में प्रश्न किया गया तो उसने कोई आश्वासन नहीं दिया। पहले वाले आश्वासन का उल्लंघन किया गया। इस बार वे आश्वासन देने में भी हिचकिचा रहे थे।

ऐसी पृष्ठ भूमि में सबसे अधिक खतरा चीन-पाकिस्तान सहयोग से है। चीन तथा अमरीका में आणविक सहयोग समझौता हो चुका है और 'वाशिंगटन पोस्ट' की सूचना के अनुसार, चीन के सहयोग से पाकिस्तान में अणुबम बनाया जा रहा है। यह खुफिया रिपोर्ट है जिसका रहस्योद्घाटन 'वाशिंगटन पोस्ट' ने किया है। यह स्थिति है।

मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के नेता श्री नम्बूदरीपाद ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। 10 मई, 1985 के 'इन्डियन एक्सप्रैस' में छपी खबर के अनुसार श्री नम्बूदरीपाद ने एक सार्वजनिक सभा में कहा :

"पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य स्थानों पर हो रही घटनाओं से यह अनुमान लगा सकते हैं कि अमरीकी साम्राज्यवाद का विश्वव्यापी षडयन्त्र भारत के चारों ओर फैल रहा है..... श्री रीगन में 'हिटलरवाद' ने एक नये रूप में जन्म लिया है और अमरीका विश्व के शान्ति पसन्द लोगों के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के जनरल जिया या श्रीलंका के श्री जयवर्द्धने को अलग-अलग नहीं देखा जाना

चाहिए बल्कि अमरीकी साम्राज्यवाद के विश्वव्यापी षड़यन्त्र के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।"

मैं उनसे सहमत हूं पर एक बात और जोड़ी जाये ·····चीन के सहयोग से ····· **(व्यवधान)**

जहां तक हमारे देश की रक्षा का सम्बन्ध है अथवा जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध है, अपने दृष्टिकोण के बारे में मैं एक राष्ट्रीय सहमति चाहता हूं। स्पष्ट बात कहने का हमारे अन्दर साहस होना चाहिए। हमारे अन्दर वह साहस नहीं है, केवल भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं·····**(व्यवधान)** यहां तक कि एक ही वाक्य से वे सचेत हो गये।

इस सम्बन्ध में मैं जनता पार्टी के संकल्प का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने इस संकल्प में पड़ौसी देशों, पाकिस्तान तथा चीन से यह अपील की है कि उन्हें भारत को, एक शस्त्रागार नहीं बनने देना चाहिए। मैं यह पंक्ति संकल्प से उद्धृत कर रहा हूं, ताकि मुझे गलत न समझा जाये :

> "पार्टी द्वारा स्वीकृत अन्तिम संकल्प कांग्रेस को उसके द्वारा जनता को अपनी सीमा के पार आक्रमण की सम्भावना का बार बार उल्लेख करके "गुमराह" करते रहने के लिए दोषी ठहराता है।"

उनका यह कहना है मानो हम ऐसा कर रहे हैं। यह भी कहा गया है :

> "जहां तक सीमा पार से भारत को खतरे का सम्बन्ध है, जनता पार्टी ने "आशा" व्यक्त की है कि पाकिस्तान, चीन और अन्य पड़ोसी देशों के वर्तमान शासक इस उप महाद्वीप को लघु परमाणु होड़ में नहीं घसीटेंगे।"

उन्होंने चीन तथा पाकिस्तान से अपील की है कि वे हमें परमाणु हथियार बनाने पर विवश न करें, चाहे यह कुछ भी है, श्री जयपाल रेड्डी एक क्रान्तिकारी युवा हैं जो बाईं ओर बैठे हैं और वे इसमें संशोधन कर देंगे।

हम जिस बात से चिन्तित हैं वह यह है कि भारत में इस समस्या के प्रति एक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि हम अमरीकी साम्राज्यवाद से टक्कर लेने में सक्षम हो सकें। दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए और हमें परिस्थितियों का एक एक करके विश्लेषण करना चाहिए। क्या वास्तव में कोई खतरा है या नहीं? यदि कोई आशंका है तो हम इसे निष्फल कैसे कर सकते हैं। जहां तक आणविक खतरे का सम्बन्ध है, पाकिस्तान यह बात स्वीकार करता है कि उनके पास 93.55% तक यूरेनियम को परिष्कृत करने की क्षमता है। यदि 90% तक यूरेनियम को परिष्कृत करने की क्षमता प्राप्त कर ली जाती है, तो अणु बम बनाने की क्षमता हासिल हो जाती है। उनके पास यह क्षमता है। "वाशिंगटन पोस्ट" सही है या नहीं यह बात नहीं है। यदि आज नहीं तो कल वे बम बनायेंगे। अभी तक पाकिस्तान के पास प्रति वर्ष एक बम बनाने की क्षमता है। सोवियत संघ के पास 2700, अमरीका के पास भी 2700 जबकि ब्रिटेन के पास तथा चीन के पास 300 बम प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता है।

एक ओर तो यह विचारधारा का सवाल है तथा दूसरी ओर देश की सुरक्षा का प्रश्न है। वर्ष 1939 में यह संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। जब युद्ध को समर्थन देने का प्रश्न आया तो गांधीजी की विचारधारा अलग थी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की विचारधारा अलग थी। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा उनका धर्म है जबकि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कहा कि अहिंसा उनकी नीति है। 1981 में जब जनता पार्टी परमाणु बम सम्बन्धी नीति पर चर्चा कर रही थी श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि चाहे सारी दुनियां परमाणु बम बनाये पर वह बम नहीं बनायेंगे। परन्तु पार्टी ने बिलकुल अलग रवैया अपनाया था।

यदि पाकिस्तान अणु बम बनाता है तो हमें इस विषय पर पुनः विचार करना होगा और हम बम बनाने पर रोक लगाने के लिए अभी निर्णय नहीं लेंगे। यह बहुत नाजुक और संवेदनशील प्रश्न है तथा इस सम्बन्ध में हमें इतिहास का पथ प्रशस्त करना होगा तथा हमें इतिहास द्वारा प्रशस्त पथ पर नहीं चलना है। हमारे अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि मेरा निवेदन यह है कि हमारे दृष्टिकोण में राष्ट्रीय एकता की भावना होनी चाहिए। यह ऐसा विषय नहीं है जिसका सामना मुस्करा कर तथा एक दिल्लगीपूर्ण ढंग से किया जा सके। यदि पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है तो हमें एक दृढ़ निर्णय लेना होगा। सरकार को अपनी वैकल्पिक नीतियों की घोषणा कर देनी चाहिए। यदि पाकिस्तान हमारे विरुद्ध परमाणु युद्ध शुरू कर देता है तो भारत–सोवियत समझौता हमारे लिए किसी भी तरह सहायक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भारत–सोवियत समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमारी रक्षा हो सके। हमारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो हम एक परमाणु बम बनायें या हमारे पास सुरक्षा की कोई दूसरी व्यवस्था हो। मैं चाहता हूं कि इस विषय में पूरी सभी एक मत हों। धन्यवाद।

5.12 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अप्रैल की ही बात है कि हमने अपने देश की रक्षा सम्बन्धी तैयारियों पर पूरी तरह बहस की थी। मेरी बात को अतिशयोक्ति न समझा जाये यदि मैं यह कहूं कि पिछले कुछ महीनों में देश के बाहरी सुरक्षा वातावरण में बहुत परिवर्तन आ गये हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 1971 के भारत–पाक युद्ध से लेकर अब तक सामरिक माहौल में जो तेजी से विकृति आई है वह शायद बतहरीन है। मेरे विचार में यह विकृति तीन प्रमुख बातों के कारण आई है। प्रथम तो पाकिस्तान की प्रमाणित परमाणु क्षमता है, दूसरे, पाकिस्तान को 'अवाक' विमानों की सप्लाई की सम्भावना, और तीसरे महीने में अरुणाचल प्रदेश के नवांग जिले की समदोरांगचू घाटी तथा अन्य भागों में चीन की घुसपैठ। ये तीनों बातें हैं। यद्यपि प्रत्येक बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, वास्तव में मेरे विचार में, मूलरू से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

महोदय, प्रत्येक सदस्य ने 'वाशिंगटन पोस्ट' का हवाला दिया है, परन्तु उन्होंने संवाद-दाता का नाम नहीं बताया है संवाददाता का नाम बार्ब वुडवर्ड था। यह वह संवाददाता ही था जिसने वाटरगेट काण्ड का भण्डाफोड़ किया था तथा अभी हाल ही में राष्ट्रपति रीगन द्वारा जानकारी छुपाने का भण्डाफोड़ किया था। महोदय, वह कहता है कि पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण 18 और 21 सितम्बर के बीच हुआ था। कोई भी व्यक्ति ऐसे संवाददाता की रिपोर्ट को हंसी में नहीं उड़ा सकता। परन्तु मुझे प्रो० स्वैल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई थोड़ी सी जानकारी से आश्चर्य हुआ कि भाभा परमाणु अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष श्री आयंगर ने कहा था कि वह परमाणु परीक्षण नहीं था तथा वे केवल भूकम्प के झटके मात्र थे। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय भूतपूर्व विदेश मन्त्री सभा में उपस्थित हैं--जिनका पद इतनी जल्दी बदलता रहता है कि देश को मालूम ही नहीं पड़ता--परन्तु इस समय वह परमाणु ऊर्जा मन्त्री हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलोन): कम से कम यह अविवेकपूर्ण विषयान्तर करने का प्रयास है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: मैंने आप पर आक्षेप करने के लिए यह बात नहीं कही है। मैंने यह बात केवल भाभा परमाणु अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष के वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार से स्पष्टीकरण चाहने के लिए कही थी।

महोदय, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है अब संयुक्त राज्य अमरीका के "विशेष राष्ट्रीय गुप्तचर आकलन" (स्पेशल नेशनल इन्टेलीजेंस एस्टीमेट्स) की रिपोर्टों की उपेक्षा नहीं की जा सकती और उन्होंने अमरीकी प्रशासन को लगातार चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के सारे क्रियाकलाप पाकिस्तान के इस आश्वासन का पूर्ण व घोर उल्लंघन हैं कि वह बम नहीं बनायेगा। इसके बावजूद राष्ट्रपति रीगन ने सदैव अमरीकी कानून और सेमीगटन संशोधन नियम के अन्तर्गत यह प्रमाणपत्र देना आवश्यक समझा कि पाकिस्तान के पास बम नहीं हैं। तकनीकी तौर पर यह सच हो सकता है मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, परन्तु उनके अपने कटुता स्थित परमाणु संयंत्र में 93.5% तक समृद्ध यूरेनियम है। हथियार बनाने के लिए केवल 90 प्रतिशत समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अमेरीका में विशेषज्ञों की राय में भी मतभेद हैं। परन्तु अमेरीका में इस मामले पर मतभेद बहुत कम हैं। एक मत यह है कि पाकिस्तान बम बनाने वाला है। दूसरी राय यह है कि बम लगभग बना लिया गया है परन्तु उसका विभिन्न इकाइयों में विभाजन किया गया है जिन्हें एक सप्ताह के समय में जोड़ा जा सकता है।

इस प्रकार, दूसरे शब्दों में अमेरीका में विशेषज्ञों की आम राय यह है कि पाकिस्तान ने आणविक क्षमता प्राप्त कर ली है। यह बहुत हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के इन कार्यों की व्हाइट-हाउस जानबूझ कर अनदेखी क्यों कर रहा है। इस बात पर यकीन करने की गुंजाइश है कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाय जाने पर अमेरिका आपत्ति नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे श्री महन्ती के तर्कों का उत्तर देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री महन्ती की बातों का उत्तर मत दीजिए। मंत्री महोदय उनकी बातों का उत्तर देंगे। कृपा करके जल्दी खतम कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट): समय का एक न्याय संगत निर्धारण होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कलह का कोई कारण नहीं है। पूरा सदन एकमत है। मैं आपसे उदार होने का अनुरोध करूंगा।

यह बहुत ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान की आणविक तैयारी से सम्बन्धित कुछ विशेष कागजातों को, दक्षिणी कोरिया में दक्षिणी कोरिया से पाकिस्तान को उच्च तकनीकी की सप्लाई को रोकने के उद्देश्य से, प्रकट करने के लिए अमेरीकी विदेश विभाग के एक अधिकारी पर रीगन प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। इसके लिए अधिकारी की सराहना की जानी चाहिए थी परन्तु इसके स्थान पर रीगन प्रशासन द्वारा उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

श्री सिंह देव जी द्वारा यह ठीक ही कहा गया है कि केवल बम ही महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने हस्तान्तरण प्रणाली को भी विकसित किया है। इस समय जैसा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है उन्होंने मिराज–III, चीन के ए–5 जहाजी बेड़े और एफ–16 की त्रिपक्षीय वितरण प्रणाली को विकसित किया है।

अब मैं अवाक्स (ए० डब्ल्यू० ए० सी० एस०) पर आता हूं। मैं तकनीकी विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु बिना किसी प्रतिवाद के मैं यह कह सकता हूं कि पिछले 35 वर्षों में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हथियारों में कोई भी अवाक्स जितना विनाशकारी नहीं है। यह बहुत भयानक तबाही ला सकता है। जब हमारे राजदूत हाल ही में श्री वाइन बर्गर से मिले तो उन्होंने बताया कि अवाक्स विमान पाकिस्तान में एफ 16 विमानों से 5 गुना अधिक प्रभावकारी है। यदि पाकिस्तान में 40 एफ 16 विमान हैं तो वे अवैक्स विमान के साथ 200 एफ 16 विमानों का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार वायुसेना में हमने जो भी श्रेष्ठता का दावा किया था उसे यदि अब तक खतम नहीं किया है तो बराबर किया जा चुका है। इसलिए इस समय मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण बात मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाए––पाकिस्तान की आणविक तैयारी से अधिक, अमेरीका की अवाक्स सप्लाई करने की तत्परता है। इससे इस उप–महाद्वीप में हथियारों की होड़ पूर्ण रूप से एक भिन्न स्तर तक बढ़ जायेगी। इसलिये मेरे विचार से हमें अमेरिका के साथ इसे मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए। हमें राजनयिक ढंग से कार्यवाही करने में सक्षम होना चाहिए। यदि मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि हमें अमरीका में एक और उत्सव करना चाहिए तो हम उसे आयोजित करेंगे। परन्तु अमेरिकी प्रशासन को अवाक्स की पाकिस्तान की सप्लाई न करने के लिए सहमत करने के लिए हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए यदि अवाक्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो हमें इलैक्ट्रोनिक उपायों से इनका मुकाबला करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे और इसका अभिप्राय यह है कि हमें अपने संसाधनों को प्रगति कार्यों से हटाकर सुरक्षा पर लगाना पड़ेगा।

यदि सरकार सुपर कम्प्यूटर प्राप्त नहीं करती तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं नहीं जानता कि उनका वास्तविक लाभ क्या है फिर यदि हमें "सैनिक सूचना समझौते की आम सुरक्षा" (जनरल सिक्योरिटी आफ इन्फर्मेशन एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करके सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करने पड़े तो यह एक बिलकुल भिन्न समस्या होगी। मैं नहीं समझता कि सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करने के लिए हमें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि अमेरिका ने अपने सबसे निकटतम मित्र ब्रिटेन को सुपर कम्प्यूटर दिए थे, उन्होंने ब्रिटेन का विश्वास नहीं किया और अपने व्यक्तियों को ही कार्य पर लगाया। यदि सुपर कम्प्यूटर के बारे में अमेरिकी प्रशासन ने ब्रिटेन का विश्वास नहीं किया तो यह यकीन करके कि रीगन महोदय आपका विश्वास करेंगे आप स्वयं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं?

अप्रैल में जब हम रक्षा–मांगों पर चर्चा कर रहे थे तो वर्तमान विदेश मंत्री श्री एडू आर्डो फैलीरो ने चीन को भारत की हथियाई गई प्रत्येक इंच भूमि से हटाने के भारत के इरादे के बारे में जोरदार भाषण दिया था। वे अब विदेश मंत्री बन गए हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि उसी समय चीन वाले समडोरंग घाटी में घुस रहे थे। जब हमने सातवें दौर की बातचीत की तब हमें अच्छी तरह पता था कि उन्होंने और आगे घुसपैठ की है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार ने चीन के साथ बातचीत ही क्यों की? मैं सीमा विवाद के निपटारे का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तविक नियन्त्रक रेखा का सख्ती से पालन करने का अनुरोध कर रहा हूं। मेरा विचार यह है कि कम से कम नियन्त्रक रेखा के सम्बन्ध में यथापूर्व स्थिति को पुनःस्थापित किया जाना चाहिए।

मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के किसी भी मुखिया ने इतने कम समय में इतनी विदेश यात्राएं नहीं की हैं। यह निस्सन्देह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं यह भी कह सकता हूं कि किसी अन्य राष्ट्र के मुखिया ने भी इतनी दूर-दराज तक यात्रा नहीं की होगी। हमें पता चला है कि विदेश नीति के मामले में उन्होंने बहुत ही साहसिक व व्यापक पहल की है। उनके परिणाम क्या रहे हैं? मैं उन्हें अपने चारों तरफ इधर-उधर बिखरे हुए देखता हूं। श्री वाइनबर्गर सुपर कम्प्यूटर देने के लिए दिल्ली आए ताकि हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकें। परन्तु वह उन्हें अवाक्स देने के लिए इस्लामाबाद गए। कोई भी प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय पर अपना ध्यान पूर्ण रूप से केन्द्रित नहीं रख सकता। परन्तु कुछ स्थिरता होनी चाहिए। मैं विदेश मंत्रालय में मंत्री के स्थाईत्व की बात कर रहा हूं और हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय में स्थाईत्व न होने के कारण कैसे हमारी कुशलता के स्तर पर प्रभाव पड़ा है। जब तक हमारे देश की विघटनकारी शक्तियों के साथ सख्ती से नहीं निपटा जाता तब तक हमारी बाह्य सुरक्षा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। यह कहना एक राष्ट्रीय भेद खोलना नहीं होगा कि कश्मीर घाटी में, जो कि पाकिस्तान की सीमा के साथ लगती है, पाकिस्तान समर्थक तत्व सक्रिय हैं। विदेश नीति के विवाद में मैं घरेलू विवाद नहीं लाना चाहता। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर में वर्तमान गठबंधन—किसी अन्य अवसर पर हम इस पर विवाद कर सकते हैं—पाकिस्तान समर्थक तत्वों को कमजोर नहीं बनायेगा। मुझे डर है कि इससे पाकिस्तान समर्थक तत्व शक्तिशाली बनेंगे। इस समय में इसके बारे में अधिक कहना नहीं चाहता।

मैं नहीं जानता कि जनता पार्टी के किस प्रस्ताव से श्री महन्ती ने उद्धृत किया है।

महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि जनता पार्टी का सदैव यही मत रहा है कि आणविक नीति के संबंध में अन्तिम निर्णय न लिया जाए। इस बात का श्रेय लगातार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को जाता है कि उन्होंने जिम्मी कार्टर को यह कह दिया था कि वे किन्हीं भी परिस्थितियों में एन० पी० टी० पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

नई घटनाओं को देखते हुए मेरा विश्वास है कि हमें इस क्षेत्र में अपने विकल्प के बारे में सक्रिय रूप से विचार करते रहना चाहिए।

महोदय मैं फिर अवाक्स की बात पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : भारत के लोगों व भारत सरकार को अमेरिका के लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि पाकिस्तान को अवाक्स की सप्लाई हमारे देश के विरुद्ध एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही होगी।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सुरक्षा के समक्ष यह बहुत गम्भीर चुनौती है परन्तु मैं प्रसन्न हूं तथा मैं समझता हूं कि सभा को भी प्रसन्नता होगी कि हमारी सुरक्षा के खतरे की इस घडी में हमारे देश द्वारा एकता का प्रदर्शन किया गया है, वह उन सभी के लिए एक जबाब होगा जो भारत में अन्दरूनी तौर पर अस्थिरता लाकर उसे कमजोर कर रहे हैं तथा उसे बाहर से विघटित करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय लोकतन्त्र की यही ताकत, हमारे अन्दर है। हम ऐसे समय कभी भी असफल नहीं हुए हैं तथा इस नाजुक पहलू पर समस्त सभा एक है, भारतीय संसद एक है, लोग एक हैं तथा मैं समझता हूं कि यह बात सभी जगह, समझ ली जायेगी चाहे यह वाशिंगटन हो या इस्लामाबाद हो अथवा कोई और हों, जो भी भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगें हैं।

यह प्रश्न केवल तकनीकी है कि क्या पाकिस्तान के पास बम अथवा अवाक विमान हैं। और यद्यपि रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान आणविक शस्त्र, आणविक बम के विस्फोट के विकास को हासिल करने के प्रति पूरी तरह अग्रसर है तथा अमरिकी जनता और अमरीकी कांग्रेस ने इस पर समय-समय पर हमसे अधिक चिन्ता जाहिर की है। निःसंदेह, हम सभी इससे चिन्तित हैं परन्तु हम इससे संत्रस्त नहीं हैं, हम भयभीत भी नहीं हैं। यह एक महान देश है तथा इसे यह शक्ति विरासत में मिली है। हमें खतरे की जानकारी है—हमें खतरे के आराम की जानकारी है, इसके गुणात्मक एंव परिमाणात्मक पहलू का भी पता है—परन्तु हम संत्रस्त नहीं हैं, हम इससे भयभीत नहीं है। यह संत्रास शब्द भी अमेरिका के लोगों एवं अमरीकी कांग्रेस की उपज है।

आपको जैक एंडरसन की रिपोर्ट की याद है, जब राष्ट्रपति रीगन ने बीजिंग में अमरीका एंव चीन के मध्य आणविक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये थे। उन्होंने तथा कुछ सिनेटरों ने भी इसे उठाया था जब चीन पाकिस्तान को आणविक संवर्धन सुविधायें मुहय्या कराने में सहायता दे रहा था और अमरीका तथा चीन के मध्य आणविक सहयोग संधि के अनुसमर्थन में विलम्ब हुआ क्योंकि रीगन प्रशासन को अपनी ही कांग्रेस का यह संदेह दूर करना था कि चीन आणविक हथियारों के प्रसार में नहीं लगा है क्योंकि अन्यथा अमरीकी कानून लागू होने लगता है।

अतः जहां तक इस सभा का संबंध है, सदस्यों ने यहां इसे कई बार उठाया है तथा इस पर अपनी राय जाहिर की है। आज इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पाकिस्तान थोड़े से प्रयास द्वारा ही बम बना सकता है अथवा थोड़े ही सप्ताहों में बम के विभिन्न हिस्सों को जोड़ सकता है। यह किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं है। हम यह कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस विकल्प को चुना है। आपको याद होगा कि 1972 में ही तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को चाहे घास ही क्यों न खानी पड़े, पाकिस्तान बम अवश्य बनायेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या ?

श्री बी० आर० भगत : घास खानी पड़े।

यह वक्तव्य 1972 में दिया गया था तथा एक खुला बयान था भारत के संग बराबरी हासिल करने की यह एक खुली नीति थी, तथा सैन्य शक्ति में बराबरी तथा अन्य क्षेत्रों में बराबरी हासिल करने के लिए पाकिस्तान किसी से भी और कहीं भी जाकर बम बनाने के लिए सहायता लेगा। यह एक खुली बात थी। इसके पश्चात इस महत्वपूर्ण तथ्य से भी सभी अवगत हैं, चूंकि किसी भी सदस्य ने इसका जिक्र नहीं किया है अतः मैं इसका थोड़ा और खुलासा करना चाहूंगा तथा इससे पता लगता है कि वास्तविक स्थिति क्या है और पाकिस्तान ने बम बनाने का गुप्त मार्ग अपनाया है। लेकिन क्यों ? क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि पाकिस्तान ही केवल ऐसा देश है जिसे प्रचुर मात्रा में अमेरिका से सैन्य तथा आर्थिक सहायता मिल रही है। अतः ऐसा न करने से अमरीकी कानून सहायता के मार्ग में आड़े आयेगें।

पाकिस्तान इससे दोनों तरह से लाभ उठाना चाहता है, अतः इसने सहायता लेने का यह गुप्त तरीका अपनाया है। खुले आम किए गए ऐसे इन्तजाम अब गुप्त हो गए हैं। तब से यदि आप देखेगें कि उन्होंने दो तरफा रास्ता अपनाया है, एक तरफ तो उन्होंने गुप्त रूप से हथियार बनाने योग्य प्लूटोनियम प्राप्त करने का यत्न किया तथा दूसरी तरफ अति आधुनिक तकनीकी जानकारी लेना और वह भी वस्तुतः युरेनियम योजना के संवर्धन हेतु सुविधाएं प्राप्त करना है। उन्होंने दोनों रास्ते अपनाए हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि प्रसिद्ध धातु वैज्ञानिक डा० अब्दुल कादिर खान पर जिन्हें पश्चिमी समाचार पत्रों में इस सदी का सबसे बडा जासूस बताया है बेलजियम एवं अन्य देशों की विभिन्न अदालतों में तस्कर व्यापार करने के कारण मुकदमा चलाया गया। वे अन्ततः उन देशों की कम्पनियों की मिलीभगत तथा उन देशों की सरकारों की लापरवाही के कारण अपने कार्य सेन्टरीफ्यूज एनरीचमेंट कार्यक्रम

में सफल हुए। यह समृद्ध संयंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। फिर दुबारा से उनके एक अन्य सहयोगी श्री अब्दुल अजीज खान जिन्हें 1980 में कनाडा के मोन्ट्रियल हवाई अड्डे पर इन्वर्टर कम्पोनेन्ट के 19 बक्से निर्यात करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। यह एक अन्य घटक है जो ऊर्जा को उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में बदलती है। तीसरे श्री नजीर अहमद बेद ने अमरीका में 15 से 20 'क्राईट्रोन' की तस्करी करने की कोशिश की। यह एक ऐसा बम छोड़ने का यंत्र है जिसके बारे में स्वैलजी ने ठीक ही कहा है कि यह आणविक बम के गैर आणविक पुर्जे हो सकते हैं और हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा० रम्मिना ठीक ही कहते हैं कि उन्होंने बम का विस्फोट नहीं किया है, इसका अर्थ है कि उन्होंने बम छोडने के यंत्र के विस्फोट का प्रयोग किया है, जोकि बम के विस्फोटन को सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है। यह एक गैर–आणविक घटक है तथा जिसके छोडे जाने से भू-तरंग पैदा हुयी और जांच प्रणाली से जिनका पता नहीं लग पाता है।

पाकिस्तान बम बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है तथा अब वे बम बनाने की स्थिति में है। उनके पास बम बनाने के लिए सभी सामग्री तैयार है।

पहले ही अमरीका में दो धारणायें हैं। अमरीकी आसूचना एजेन्सी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार या तो पाकिस्तान के पास पहले ही एक अपरिष्कृत बम जोडने के लिए रखा है, जिसे वे एक सप्ताह में जोड़कर बना सकते हैं अथवा वे बम बनाने की दहलीज पर हैं। इसलिए अमरीकी कानून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे इसे पुनः जोड़ने के लिए तैयार रखे हुए हैं। साथ ही राष्ट्रपति को वित्तीय वर्ष के शुरू में यह प्रमाणित भी करना होता है, और यही उन्होंने 27 तारीख को किया है। और पुनः यहां आप देखेंगे कि उनके प्रमाण पत्र के शब्द क्या कहते हैं। उन्होंने सत्यापित किया है कि पाकिस्तान के पास वर्तमान समय में एक भी बम नहीं है, यहां वर्तमान शब्द महत्वपूर्ण है। वह एक सप्ताह या उसके बाद में बम बना सकते हैं। अतः वह तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि अमरीका में स्थिति बदल चुकी है। राष्ट्रपति रीगन की विदेश नीति के बारे में असीमित शक्ति और सुरक्षा सम्बन्धी विकल्प अब नहीं रहे क्योंकि अब सीनेट पर डेमोक्रेटों का नियन्त्रण है····· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : सदन का भी।

श्री बी० आर० भगत : सभा में यह पहले से ही है तथा अब सीनेट में भी है। राष्ट्रपति रीगन का कार्यकाल अब केवल दो वर्ष और है। अतः मैं समझता हूं कि हमारे लिए इसमें एक बात है और उनके लिए भी जो कि एक भिन्न प्रकार के विश्व के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो शान्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, आणविक निरस्त्रीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, तनाव को कम करने के लिए काम कर रहे हैं जो यह कोशिश कर रहे हैं कि दोनों महाशक्तियां अमरीका तथा सोवियत संघ शिखर वार्ता में

मिलें और पहले आणविक निरस्त्रीकरण के प्रशन को हल करें तथा फिर सभी क्षेत्रीय विवादों को हल करके शान्ति के लिए हालात पैदा करें। ऐसी आशा है तथा हमें उस दिशा में कार्य करना है। अतः जिस बात को मैं कह रहा हूं वह यह है कि हम ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं जहां हमें आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तान के संग रहना है। चाहे पाकिस्तान के पास आज इस क्षण वास्तविक रूप में बम न हो। इससे इस देश के पूरे सुरक्षा के आयामों में परिवर्तन हुआ है। हमारे दोनों पक्षों के कुछ साथियों ने यही बात कही है। परन्तु मुद्दा यह है कि यहां स्थिति ऐसी है। केवल पाकिस्तान से ही हमें चुनौती नहीं है, परन्तु पाकिस्तान के पीछे लगी शक्ति से भी लड़ना है, और पाकिस्तान के पीछे कौन सी शक्ति है? वह शक्तिशाली अमरीका है, और अमरीका की क्या धारणा है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने विकल्पों को छांटना है और राजनयिक पहल करनी है। हमें अमरीकी नीति के मापदंड को निश्चित करना है। एक जानी पहचानी सामरिक नीति एवं सामरिक धारणा इस क्षेत्र में यह है कि वे (अमरीकी) पाकिस्तान को सैन्य दृष्टि से मजबूत पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिति का अधिकतम फायदा उठा रहा है।

बार बार होने वाली सभाओं में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के संरक्षण में तथा सान्निध्य में होने वाली बातचीतों में, यह सभी को ज्ञात है कि जब कभी अफगानिस्तान के प्रश्न का राजनैतिक हल निकलने की स्थिति होती है तो पाकिस्तान हमेशा उससे अलग हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इसका कोई हल निकले। वे इससे अधिकतम फायदा उठाना चाहते हैं। उनकी धारणा भारत से अधिक नहीं तो उसकी बराबरी करना जरूर है। वे भारत के साथ सैन्य शक्ति में बराबरी चाहते हैं और हमेशा भारत के लिए खतरा बनते हैं। वे स्वयं अपने स्तर पर ही सम्बन्धों का निर्धारण करना चाहते हैं। परन्तु हम तो अमरीका की धारणा से चिन्तित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की सक्रियता के बारे में सोचें। सदस्यों ने वाइनबरगर के सशक्त दौरे के बारे में कहा है। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है।

चाहे कुछ भी हुआ हो, मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री इसे नहीं बतायेंगे। परन्तु एक बात स्पष्ट है और यह उनके अपने वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि वह शक्ति के प्रणेता, कूटनीतिक रूप से शक्ति लेने वाले व्यक्ति हैं तथा वह अमरीकी सैन्य तथा औद्योगिक परिसर के प्रतिनिधि हैं, अतः वे सोवियत संघ के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे वे अपनी भावना के मुताबिक ही सोवियत संघ, एक अन्य महा शक्ति के संग अपने सम्बन्धों को सामने रख कर करते हैं। वे समझते हैं कि वे अपनी धारणा के अनुसार आर्थिक शक्ति में अधिक बलशाली हैं तथा वे इस मामले में सोवियत संघ की भी अगुवाई कर सकेंगे, यदि वे खतरनाक हथियारों की दौड़ को भी तेज कर सकें। उन्होंने न केवल खरब अपितु कई शंख डालर अपने एस० टी० आई० और अन्य उपक्रमणों पर खर्च किए हैं तथा वे समझते हैं कि सोवियत संघ अपनी कमजोरी के कारण उनके उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधिपत्य को स्वीकार करेगा। यह वह भाषा है—जिसे इस देश में लोगों को समझनी चाहिए कि उच्च प्रौद्योगिकी का वास्तविक अर्थ क्या है। इस उच्च प्रौद्योगिकी के बल पर वे विश्व में प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे

हैं । यही सब वे सोवियत संघ के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना करें कि वे फिर भारत के संग क्या कर सकते हैं। अपनी भारत की धारणा के बारे में वे कुछ भी कह सकते हैं और कह रहे हैं, वे हमारे साथ मीठे शब्दों में सहयोग के शब्दों द्वारा सभी प्रकार की मित्रता जाहिर कर रहे हैं। हम भी आदान प्रदान चाहते हैं क्योंकि भारत की मूल नीति सबके साथ मित्रता करने की है। भारत की मूल नीति शान्ति, आणविक निरस्त्रीकरण, गुटनिरपेक्ष अन्दोलन और ऐसे ही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की है। यह सब हम करते हैं। हम अमरीका एवं भारत के मध्य अच्छे मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाने के प्रति भी दिलचस्पी रखते हैं परन्तु वह बराबरी के आधार पर होने चाहिए। यह इस सभा में समझा जाना चाहिए कि सोवियत संघ ही ऐसी एकमात्र महाशक्ति है जो चाहती है कि भारत सुदृढ़, संगठित और लोकतान्त्रिक शक्ति के रूप में उभरे ताकि हम शान्ति और सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकें। ऐसा कोई अन्य देश नहीं है। प्रत्येक अन्य देश अपनी उच्च सैनिक औद्योगिक शक्ति के कारण चालाकी से औरों को प्रभावित करना चाहते हैं। वे तो सोवियत संघ को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच ही सकते हैं कि फिर वे भारत के साथ अपनी छलयोजना क्यों नहीं करेंगे और पाकिस्तान के जरिए वे ऐसा कर सकते हैं। वे हल्के लड़ाकू विमान दे सकते हैं। वे हमें सुपर कम्प्यूटर दे सकते हैं लेकिन उनकी अपनी शर्तें होंगी। मैं सरकार को सचेत करता हूं। जहां पर उनका सुपर कम्प्यूटर लगाया जाएग वहां पर वे अपने लोग रखना चाहेगें। यह कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम उन्हें गारंटी देंगे। भारत का बहुत अच्छा रिकार्ड है। हम जानकारी को आगे किसी को नहीं देंगे। कोई जानकारी गुप्त रूप से बाहर नहीं जायेगी। हम इस प्रकार की बातों से दूर रहें हैं। इस देश के कतिपय उच्च नैतिक मूल्य रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम काई ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे राष्ट्रीय हित, भारत की छवि तथा हमारे सम्मान के विरुद्ध हो। वह तो ऐसा कर सकता है । वे मुकाबले में पाकिस्तान को हथियारों से पूरी तरह लैस कर सकते हैं। यह है जो उन्होंने किया है वह परमाणु बम से भी बढ़कर यह 'आवाक्स' हैं। प्रो० स्वैल ने बहुत ही सुन्दर तरीके से, उनके 'एवाक्स' के स्थापित करने की बात को, एक शब्द में कहा है। इसका अर्थ होगा पाकिस्तान की वायु क्षमता को पांच गुना बढ़ाना, इसके अलावा उनकी अपनी हवाई सीमा निगरानी की प्रणाली तथा अन्य चीजें हैं। हमें उनकी बराबरी करनी होगी। यह भारत को कमजोर करने के लिए है क्योंकि हमें बहुत अधिक धन इस कार्य की तरफ लगाना पड़ेगा। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि हमें अपने संसाधनों को विकास की बजाए रक्षा पर लगाना पड़ेगा। यह हमें नुकसान पहुंचायेगा। यही वे चाहते हैं। अतः स्थिति यह है। हमें खतरा न हो इसलिए हमें स्थिति के अनुसार अपने को ढालना होगा। लेकिन हमें कठोर परिश्रम करना होगा। हमें खतरे को टालने के लिए, डर से बचने के लिए, हमें दूरदर्शी निर्णय लेना होगा। दूरदर्शी अनुमान क्या लगाए जा सकते हैं? यहां मैं फिर सभा की एक राय, सभा की एकता के लिए कहूंगा और भारत के लोगों की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें परमाणु बम बनाना चाहिए अथवा नहीं? हमें यह निर्णय घबराहट में नहीं लेना चाहिए। हमारी रक्षा आवश्यकताओं तथा रक्षा के सामरिक महत्व की आवश्यकताओं को देखते हुए फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसका प्रभाव हमारे संसाधनों को विकास से मोड़कर रक्षा उपायों पर खर्च करने से हो सकता है।

प्रधानमंत्रीजी ने स्वयं कहा था कि पाकिस्तान परमाणु जानकारी हासिल कर रहा है, पाकिस्तान परमाणु बम प्राप्त कर रहा है। हमें मूलभूत रूप से अपने को स्थिति से अवगत रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह स्थिति से अवगत हैं तथा सरकार को स्थिति की जानकारी है। संसद देश की रक्षा और सामरिक महत्व की आवश्यकताओं पर कोई सौदेबाजी करने को सहमत नहीं होगी। लेकिन हमें दूसरे क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। हमें एक और क्षेत्र में सक्रिय होना है।

एक पेशकश की गई थी—हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी। निश्चित रूप से, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। 'सार्क' एक ऐसे मंच का प्रबन्ध करती है जिस पर सहयोग का क्षेत्र उपलब्ध है जिसके तहत हम ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के हिसाब से रक्षा आवश्यकताओं की जरूरत है, उसमें हम कमी नहीं कर सकते। हमारे साथ कई बार छल किया गया है, हम पर कई बार हमला किया गया है, हम इस तरफ से अपना ध्यान नहीं हटा सकते। लेकिन हम अवश्य ही कार्य करेंगे। अतः, महत्वपूर्ण बात क्या है, सैनिक शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि भारत की एकता, आर्थिक मजबूती भी महत्वपूर्ण है—भारत आज दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि विश्व में चाहे वह गुट-निरपेक्ष मंच हो अथवा दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में, एक महान शक्ति तथा प्रगतिशील शक्ति के रूप में उभरा है। यह एक मजबूत राष्ट्र है। हमें अपनी शक्ति को कायम रखना होगा और इन सब अस्थिरता पैदा करने वाली बातों का एकमात्र उत्तर है।

अन्त में, मैं कहूंगा कि हमें पहल करने की प्रवृत्ति को जारी रखना है। महासचिव गोर्बाचेव आ रहे हैं, वही मानवता के लिए एक आशा हैं। जो शुरूआत उन्होंने की है इससे वह मानवता के अस्तित्व की आशा बन गये हैं और उन्हें इस देश से बहुत आशा है। अपने व्लैडीवोस्टाक भाषण में उन्होंने एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में सुरक्षा हेतु अभियान का आह्वान किया। वह कहते हैं, 'महान भारत और लोकतांत्रिक शक्ति'। उन्हें हमसे बहुत आशा है और हमें उनसे बहुत आशा है और यह एक बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। यह निराशा-पूर्ण स्थिति में यह एक आशा की किरण है कि वे यहां आ रहे हैं। हमें इस पर बातचीत करनी है और इसलिए हमें एक साथ मिलकर रहना होगा। भारत को पहल करनी होगी ताकि विश्व में ताकतें अथवा वो, जो अभी भी झिझक रहे हैं, परमाणु निरस्त्रीकरण तथा शान्ति के पथ पर चलने और सभी समस्याओं को बातचीत तथा बैठकों द्वारा हल करने के लिए बाध्य हो सकें और चाहे यह अफ़गानिस्तान हो अथवा निकारागुआ या कोई अन्य राष्ट्र सभी की समस्याओं को राजनीतिक तरीके से हल किया जा सके, जिससे इसके लिए कोई जगह न रहे और हमें इस तरफ कार्य करना होगा। हम सही दिशा में चल रहे हैं और हमारा साथ सही है और यही मार्ग ठीक है जिस पर हमें चलना चाहिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है हालांकि स्थिति बहुत गम्भीर है, लेकिन हमें दूरदर्शी, शक्तिशाली तथा भाग्यशाली राष्ट्र की हैसियत से इसे लेकर चलना है और हमारा राष्ट्र वह है जिसका शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के प्रति कुछ पक्का इरादा है धन्यवाद।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस वाद-विवाद के दौरान न तो भय फैलाने का इरादा है और न ही इसमें दहशत की भावना भरनी है। लेकिन तथ्य यह है कि आज शायद इस देश तथा उपमहाद्वीप का सुरक्षा की दृष्टि से वातावरण सबसे खराब है, 1965 में हमारे साथ पाकिस्तान द्वारा किये गये सैनिक युद्ध से तथा 1971 से भी जब संयुक्त राज्य अमरीका के बेड़े 'एन्ट्रप्राइज' ने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया था, यह स्थिति उससे भी भयंकर है । यह स्थिति मूल रूप से दो कारणों से उत्पन्न हुई है। इसका कारण हमारे पड़ौसी पाकिस्तान को अति आधुनिक हथियारों से संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लैस करना तथा इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका की सैनिक दृष्टि से बढ़ती हुई विद्यमानता है। इस समय हमारी भूमि तथा समुद्री सीमाओं पर परमाणु हमले का खतरा बहुत अधिक है । हिन्द महासागर में ही गत दशक में संयुक्त राज्य अमरीका की सैनिक शक्ति बीस गुणा अधिक हो गई है। मोटे तौर पर किये गये एक आकलन के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका के लड़ाकू पोतों की संख्या 60 है और इसके अतिरिक्त 30 पोत, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के हैं, जो पूर्ण रूप से उपकरणों से सुसज्जित पोत और हैं । संयुक्त राज्य प्रशासन ने इस क्षेत्र में हथियार बढ़ाने के लिए जो राशि रखी थी उसे कई गुणा बढ़ाकर सैकड़ों मिलियन डालर कर दिया है। इसके साथ उत्तर में पंजाब की आंतरिक समस्या है और दक्षिण में श्रीलंका की स्थिति से एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसका हल निकट भविष्य में दिखाई नहीं देता। लेकिन तथ्य यही है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साम्राज्यवादी इरादों की एक लम्बी सूची तैयार की जा सकती है। ये इरादे कई प्रकार के हैं। पहले तो, एक देश की सैनिक शक्ति बढ़ाना अथवा एक खास क्षेत्र में रक्षा की दृष्टि से असुरक्षा के वातावरण में वृद्धि करना जिससे संयुक्त राज्य अमरीका के सैनिक उद्योगों को लाभ पहुंचता है क्योंकि यह लगातार विकासशील देशों को अपने हथियार बेच सकता है। इसके साथ इससे विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोरी पैदा करता है क्योंकि आज भी अपनी रक्षा पर हम जितना खर्च कर सकते हैं उससे बहुत अधिक हमें खर्च करने पर बाध्य होना पड़ रहा है और नये सुरक्षा वातावरण को देखते हुए हमें और अधिक व्यय करना होगा ।

साथ ही सभा की मांग भी यही प्रतीत होती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गत दशक के दौरान, न तो यूरोप में और न ही किसी विकसित राष्ट्रों में कोई बड़ी लड़ाई हुई है लेकिन विकासशील राष्ट्रों में 120 से अधिक अथवा लगभग 130 युद्ध और सशस्त्र झगड़े हो चुके हैं जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमरीका के हस्तक्षेप से हुए । और यह सब करने का उद्देश्य यह है कि विकासशील राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा स्वतन्त्र न हो सकें।

मैंने उत्तरी भाग के बारे में बताया है। लेकिन श्रीलंका में भी संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया का सैनिक अड्डा है । आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, हमने सुना है कि 'इजरायली मोसाद' भी श्रीलंका में प्रवेश कर गया है। अतः, हमारी अपनी सुरक्षा क्षमता बहुत कमजोर पड़ गयी है।

भगत जी ने बताया है कि यह एक सुविदित तथ्य है कि पाकिस्तान लगभग पिछले 10 वर्षों से परमाणु क्षमता प्राप्त कर रहा था, गुप्त रूप से वह परमाणु हथियारों से स्वयं को सुसज्जित करने का प्रयास कर रहा था। यह सर्वविदित तथ्य है। वास्तव में, अब्दुल कादिर खान पर डच सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले प्रतिबन्ध लगाया गया था क्योंकि वह परमाणु गुप्त भेदों को पाकिस्तान भेज रहा था। गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने के इस प्रयास में, पाकिस्तान ने नीदरलैण्ड, स्वीटजरलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेलजियम और कनाडा से गुप्त रूप से सम्पर्क किया था। समाचार पत्रों के अनुसार—इन खबरों पर शक करने का कोई कारण नहीं है—कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त करने में इन राष्ट्रों में संदिग्ध तथा गुप्त रूप से कार्यरत कम्पनियों ने योगदान किया है। और मैं माननीय विदेश मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हू और प्रश्न यह है कि जब ये बातें इस देश को पता हैं और इतने लम्बे समय से इस देश को मालूम हैं तो हमने नीदरलैण्ड, स्वीटजरलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेलजियम और कनाडा से कौनसी कूटनीतिक नाराजगी व्यक्त की ताकि पाकिस्तान परमाणु क्षमता को प्राप्त न कर सके। भगतजी आज हमें यह बताने से कोई फायदा नहीं है कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता प्राप्त कर रहा था। अगर यह एक सर्वविदित बात है और यह एक सर्वविदित तथ्य था क्योंकि प्रत्येक युवा जो समाचार पत्र पढ़ता है इसे जानता है, हमारे देश द्वारा कोई कूटनीतिक अप्रसन्नता क्यों नहीं व्यक्त की गई थी क्योंकि इनमें से कुछ देशों के साथ हमारे निश्चित ही बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं ? यह भी एक ध्यान में रखने की बात है जैसा कि समाचारों में छपा है कि जिन कुछ कंपनियों ने महत्वपूर्ण परमाणु संधियों का भी उल्लंघन किया है उन पर दंड केवल 15 माह का कारावास अथवा 15,000 डालर तक है, जबकि इन गुप्त कार्यवाहियों में जो धन लगा हुआ है वह कई सौ मिलियन डालर है। आखिरकार, जब आप एक देश से दूसरे देश को अपराधियों को सौंपने पर बातें करते हैं तो हम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए इन देशों से बातचीत क्यों नहीं कर सकते और उन्हें बतायें कि अगर ये देश पर्याप्त रूप से अपनी क्षमताओं की सुरक्षा नहीं करते, और उनकी परमाणु जानकारी तथा क्षमतायें पाकिस्तान तक स्थांतरित होती है तो यह क्षेत्र में एक अस्थिरता का वातावरण तैयार करती है और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए ? कम से कम, हमारी जानकारी से, अब तक विदेश मंत्रालय ने हमें कोई जानकारी नहीं दी है कि इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि हमने डच सरकार से इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक बातचीत की जब श्रीमान् अब्दुल कादिर खान को, जिसे भगतजी इस शताब्दी का सबसे बड़ा जासूस बताते है, नीदरलैण्ड में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था क्योंकि वह परामाणु बम की तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहा था।

महोदय, यह भी सत्य है—जो आज वाशिंगटन के 'मुस्लिम' में छपा है—कि अमरीकी प्रशासन अगर जिया के तहखाने में बम का पता भी लगा ले तो भी वह इस तरफ ध्यान नहीं देगा अथवा कोई कठोर कार्यवाही नहीं करेगा। और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि 'सीनेट' अथवा 'सीनेट' में हुए सभी परिवर्तनों के बावजूद अन्त में पाकिस्तानी प्रशासन की सहायता के लिए इस अधिनियम में संशोधन भी लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि अमरीका का दृष्टिकोण इस क्षेत्र में हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। और यह और अधिक पक्का हो गया है, क्योंकि अमरीका के हाथों से वियतनाम निकल गया है, क्योंकि

अमरीका फिलिपीन में मारकोस को सहारा नहीं दे सका, क्योंकि अमरीका ईरान के शाह को कायम नहीं रख सका और इसलिए वह अब पाकिस्तान पर अधिक निर्भर कर रहा है। अमरीका की स्वदेशी नीति में पार्टियों के परिवर्तन के बावजूद, मेरी भावना यह है कि अफगानिस्तान में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के नाम पर, अमरीकी प्रशासन अन्त में इसी प्रकार से पाकिस्तान को समर्थन देता रहेगा जैसा कि वह आज दे रहा है

6.00 म० प०

आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमारे पास विकल्प क्या हैं। स्वाभाविक है कि, हमारी प्रतिक्रिया घबराहट वाली होगी। हम परमाणु बम बना सकते हैं पर इस विकल्प के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर प्रत्येक देश इस परमाणु होड़ में शामिल होने लगे तो मानवता का क्या हाल होगा। यह एक मूल प्रश्न है जिस पर हमें स्वयं विचार करना होगा। आज यूरोप में परमाणु मिसाइलों के लगाने के विरोध में बड़े स्तर पर एक जन आन्दोलन शुरू हो गया है। यह हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है और दूरदर्शन पर देखा है और कोपनहेगन में एक छोटे शहर में मुझे स्वयं एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर हजारों लोगों ने परमाणु मिसाइलों के लगाने के खिलाफ मार्च किया। अगर ऐसा है तो हम पाकिस्तान तथा पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों से अनुरोध क्यों नहीं कर सकते और हम सभी को परमाणु हथियार बनाने के खतरों से अवगत क्यों नहीं करा सकते? अगर पाकिस्तान और भारत परामाणु बम बना लेते हैं तो स्वयं इस उपमहाद्वीप में एक परमाणु होड़ शुरू हो जायेगी। मैं आपको इस पर निर्णय लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम श्री मोरारजी देसाई की तरह से घोषणा कर दें कि हम कभी भी बम नहीं बनायेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि अब समय आ गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए इस उपमहाद्वीप में भी यूरोप में बढ़ते हुए शान्ति के लिए संघर्ष जैसे किसी शान्ति आन्दोलन को शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही समान रूप से मैं यह भी विश्वास करता हूं कि उपमहाद्वीप की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक अभियान कमजोर रहा है। हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'नाम' के अध्यक्ष के रूप में, दक्षिण 'अफ्रीका' तथा 'फिलस्तीन' मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया है। ठीक है। किन्तु हम समझते हैं कि उसी राजनयिक प्रयासों से हमने अपने क्षेत्र के सुरक्षा सम्बन्धी खतरों के प्रश्न को नहीं उठाया है। हो सकता है कि हमें अपना मामला उठाने में परेशानी आए। हो सकता है कि हम यह समझें कि हमारे अपने मामले को प्रमुख स्थान नही प्राप्त होगा। किन्तु आज हमें धमकी दी गई है इसलिए हमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस क्षेत्र की सुरक्षा को और स्थान नहीं देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि तृतीय विश्व युद्ध किसी भी समय आरंभ होता है, तो यह विकासशील राष्ट्रों के बीच लड़ाई अथवा युद्ध के कारण होगा। इस बात का खतरा तो है। अतः मेरा विचार है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन और अन्य राष्ट्रीय मंचों में प्राथमिकताओं की सूची में इस उपमहाद्वीप में शान्ति तथा सुरक्षा को अभी तक उठाए गए अन्य प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकता का स्थान मिलना चाहिए। मेरा विचार है कि इस बारे में भारत सरकार का राजनयिक प्रयास अधिक जरूरी है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 6.05 बज चुके हैं। सभा स्थगित की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं। वह अन्तिम वक्ता हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : माननीय मंत्री कब उत्तर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अभी उत्तर देने वाले हैं। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आज अत्यन्त भाग्यहीन वक्ता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभा स्थगित होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा। (व्यवधान) माननीय मंत्री आज उत्तर देना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन अब स्वीकार करेगा।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मैं बोलना चाहता हूं। कुछ अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटे का समय दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं तथ्य सामने रखती हूं और सदन को निर्णय देना है। माननीय मंत्री को आज उत्तर देना है, क्योंकि कल उन्हें 12 बजे दोपहर बाद राज्य सभा के वाद-विवाद में जाना है। अतः हम इस वाद-विवाद को कल जारी नहीं रख सकते हैं। यदि सदस्य 10 या 11 बजे तक बैठना चाहते है तो ठीक है, इस बात को तो सदस्य ही निश्चित करेंगे। हम दोनों (हमें दोहरा लाभ नहीं हो सकता हैं)। हम 6.15 अथवा 6 बजे तक वादविवाद समाप्त नहीं कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह राज्य सभा के वाद-विवाद के पश्चात् वापस आ सकते हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। कार्य मंत्रणा समिति ने 12 बजे से 1.00 बजे और फ़िर 5 और 6 बजे के बीच के समय की मंजूरी दे दी है। यह ठीक होगा यदि लोक सभा में हुए आज के वाद-विवाद पर चर्चा होगी। यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज हम यह समाप्त करेंगे। जो भी बोलना चाहता है, संक्षेप में बोले।

प्रो० एन० जी० रंगा : विषय ही ऐसा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय कल यह संभव नहीं है। अब हम इसको समाप्त कर रहे है। यदि आप संक्षेप में बोलेंगे तो यह संभव है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 20 मिनट या उससे अधिक समय लेगा तो यह संभव नहीं होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, हमें पत्रकारों का भी ध्यान रखना चाहिए । उन्हें जाकर रिपोर्ट देना है .....

उपाध्यक्ष महोदय : वह हमारी समस्या नहीं है । वह बिलकुल अलग ही बात है। वह इसे कल भी प्रकाशित कर सकते हैं, यदि वे चाहें । अब श्री इन्द्रजीत गुप्त बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, वाद-विवाद के अन्त में मैं सदन के सदस्यों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता । अतः मैं अत्यन्त संक्षेप में बात करूंगा और मैं यह आशा करता हूं कि दोनों ओर विभिन्न वक्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न अत्यन्त गम्भीर तथा महत्वपूर्ण मुद्दों का सत्ता पक्ष से कुछ उत्तर प्राप्त होगा । पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे विचार में हाल में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और भूतपूर्व बात हुई है कि पहली बार इस देश में अमेरिका के रक्षा मंत्री आए । इससे पहले अमेरिका के कोई रक्षा मंत्री हमारे देश में नहीं आए है । उनका यहां आना उचित नहीं था। क्योंकि रक्षा के मामलों में कम से कम एक क्षेत्र में हम ने निरंतर इस नीति का पालन किया है कि हम अमेरिका का किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा संधि की अनुमति नहीं देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से इस नीति का पालन किया गया है। और मैं नहीं चाहता कि अब हमारे देश द्वारा उच्च-प्रौद्योगिकी के नाम पर सुपर-कम्प्यूटर के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया जाए । वह भी शायद कभी नहीं मिल सकता है। श्री वैनबर्गर यहां क्यों आए ? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। वह आ गए। वह स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आए । उन्हें निमंत्रण दिया गया। क्यों ? उनका भव्य स्वागत किया गया । उन्हें हमारे कुछ रक्षा प्रतिष्ठान दिखाने के लिए ले जाया गया। मैं नहीं समझता कि उसका बंगलौर में हमारे एयरोनाटिक्स संयंत्र समेत सुपर कम्प्यूटर से कोई काम है। बंगलौर से दिल्ली आने के पश्चात्, उन्होंने कहा—उन्होंने जो कुछ कहा उसे उधृत करता हूं : "वह अपने दौरे से अत्यन्त प्रसन्न हुए है ।" प्रधान मंत्री से भेंट करके उन्होंने शीघ्र कहा कि उनकी यात्रा "अमरीकी सेना के भारतीय सेना के साथ संबंध सुधारने में प्रभावशाली होंगी।" इस का क्या अर्थ है ? क्या हमें सरकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा ? पहली बार एक प्रयास किया गया, यह सफल होगा अथवा नहीं वह तो मैं नहीं जानता हूं। मुझे आशा है कि यह सफल नहीं होगा—कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, रक्षा उपकरणों में एक हल्के लड़ाकू विमान और कुछ अन्य शस्त्र प्राप्त किये जायें। अब हमने पहली बार अपने इतिहास में यह जानने का प्रयास किया है कि उनकी नीति क्या है—बहुत लोगों ने इस संबंध में बात की है। यह जानते हुए कि उनकी विश्वव्यापी नीति क्या है, यह जानते हुए भी कि भारत के प्रति सदा उनका रवैया कैसा रहा है और यह भी पूरी तरह जानते हुए कि पाकिस्तान के प्रति उनका दृष्टिकोण सदा कैसा रहा है मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हें किस लिए यहां बुलाया गया । उन्हें क्यों हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों में ले जाया गया ? उनका क्यों इस प्रकार का भव्य स्वागत किया गया ? सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि सब कुछ सरकार के दृष्टिकोण से हुआ कि दिल्ली से सीधे इस्लामाबाद

जाने के पश्चात् ..... दूसरी बात जो हम जानते है वह यह है कि वह जिया-उल-हक को "एवॉक्स" दे रहे हैं, जो एक नई चीज है जिससे इस क्षेत्र में पूर्ण-सुरक्षा की स्थिति में एक नया आयाम जुड़ गया है, जो सैनिक प्रौद्योगिकी में अत्यन्त उन्नत हैं और जो पाकिस्तान की सुरक्षा जरूरतों से बहुत अधिक है। यही हमें उनसे मिला। हमने उन्हें यहां बुलाया, खिलाया, पिलाया और स्वागत किया और जब वह गए अंतिम दिन उनका पेट खराब हो गया और अंतिम बैठक में भाग नहीं ले सके। यहां से वह विमान से सीधे इस्लामाबाद गए, और दूसरी बात जो हमने सुनी वह पाकिस्तान को "एवॉक्स" देने के संबंध में थी। मुझे इस का बहुत दुःख और चिन्ता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनकी यात्रा का लाभ अधिकतर पाकिस्तान के तानाशाह को ही मिला। समाचार के अनुसार—मैं इस का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। हम सभी उसी बात का विश्वास करते हैं जो कुछ हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं—ई०-2सी० हाकी 'एवाक' के बदले जो पाकिस्तान ने पहले अस्वीकार किए अब अमेरिका ए०-3ए० सेंटरी देने को तैयार है जो अत्यन्त आधुनिक एवॉक विमान हैं।

बात यह है कि हमारी पश्चिमी सीमा भारतीय वायु सेना की कार्य करने की एक प्रणाली है, और वह सारी प्रणाली गोपनीय नहीं है, जिससे न केवल पाकिस्तान को ही नजर रखने का अवसर मिलेगा किन्तु यदि वह किसी समय हमारे सैनिक अड्डों पर आक्रमण करना चाहेगा—मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता हूं; यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि "एवॉक्स" की क्षमता क्या है—तब तो हमारे सभी प्रमुख सैनिक अड्डे चाहे यह श्रीनगर अथवा पठानकोट या अमृतसर या दिल्ली, हिंडन या अम्बाला अथवा जोधपुर या जामनगर हो उनकी जानकारी सीमा के साथ साथ उड़ते हुए पाकिस्तान के अन्दर एक या पांच किलो मीटर की दूरी से एवाक्स विमान द्वारा हासिल की जा सकती है; वह प्रत्येक विमान की गतिविधि को इन में से किसी भी क्षेत्र से देख सकते हैं। इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए यह मुझे मालूम नहीं। सरकार को हमें बता देना चाहिए। वह यहां स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या हमें कोई ऐसा उपकरण लाना चाहिए जो "एवाक्स" का मुकाबला कर सकता है। स्पष्टतः हमारे पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है और न ही हम वर्तमान संसाधनों से इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो क्या इससे हम विदेश से ऐसे उपकरण और संयंत्र मंगाने के लिए अत्यधिक धनराशि खर्च करने को विवश हों जिससे हम "एवाक्स" का मुकाबला कर सकें मुझे नहीं मालूम। किन्तु हम बहुत ही गंभीर स्थिति में आ गए हैं। हमारे रक्षा बजट के आंकड़े अब पहले ही 8000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष यह अधिक होगा। यह तो एक ऐसा खेल है कि विकासशील देशों को शस्त्रों की होड़ में लगाया जाए जिससे वे अपने अपर्याप्त संसाधन विकास और गरीबी से पीड़ित हमारी जनता की आवश्यकताओं में लगाने की बजाय इसमें लगायें यह भी साम्राज्यवाद के खेल का ही अंग है। अतः यह एक गम्भीर समस्या है और मेरा विचार है कि 'एवॉक्स' से हमें खतरा है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों से प्रतीत होता है कि अमरीकियों ने कहा है कि वह पाकिस्तान को शीघ्र अपने 'अवॉक्स' नहीं दे सकते हैं, किन्तु अंतरिम अवधि में पाकिस्तान ने अमरीकी 'एवॉक्स' विमानों की मांग की है जिसमें उस समय तक इनको भारत-पाकिस्तान सीमा पर चलाने के लिए अमरीकी कार्मिक हों जब तक कि वह अपने विमान प्राप्त न कर सकें। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान चाहे इस बात का खंडन करे अथवा नहीं, अमरीकी सेन्ट्रल कमांड

सेन्टो का अंग बन रहा है। जैसा कि किसी ने कहा है कि आंतरिक व्यवस्था का अर्थ एक प्रकार से पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक अड्डा होगा। यह नई बात भी है। जब हमने इस बात पर काफी वाद-विवाद किया था कि क्या मैत्री तथा सहयोग की संधि हो, तो पाकिस्तान यह कह कर सदा इसका विरोध करता था कि वह आक्रमण न करने की सन्धि करेगा। कोई स्पष्ट रूप से नहीं समझा कि इन दो में क्या अन्तर है। अब तो यह स्पष्ट है।

मेरे विचार में हम ने यह पूरी तरह स्पष्ट किया कि किसी भी सन्धि में मूल बात यह है कि हस्ताक्षर करने वाले दो देशों में किसी को भी अपने क्षेत्र को विदेशी सैनिक अड्डों के लिए नहीं देना चाहिए। इस बात पर वह कभी भी सहमत नहीं हुआ। वह युद्ध न करने के समझौते के संबंध में कहते रहे और हम शान्ति तथा मैत्री और सहयोग की बात कहते रहे जिसमें एक विशेष वचनबद्धता की बात सम्मिलित हो कि भारत अथवा पाकिस्तान में विदेशी सैनिक अड्डों की अनुमति न दी जाये। वह कभी भी सहमत नहीं हुए। अब हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है।

अतः हमें निस्संदेह फिर से विचार करना होगा। हमारी रक्षा नीति, विदेश नीति, हमारे सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नीति को गहराई से देखा जाना चाहिए और इस संबंध में हम अधिक समय भी नहीं लगा सकते हैं कि हमें क्या कर रहे हैं।

जहां तक बम का सवाल है, मुझे यह कहना है कि यहां पर बहुत से सदस्यों ने कहा है यहां तक कि उन्होंने भी कहा है कि हमें अपने विकल्प रखने चाहिएं, हमें आतंकित नहीं होना चाहिए। आखिरकार, चीन ने बहुत पहले बम बना लिया था और अन्य देशों के अपने बम हैं।

स्पष्ट है कि पाकिस्तान बम बनाने की चेष्टा कर रहा है—मुझे इस के बारे में नहीं पता है कि उसने वास्तव में उसे बना लिया है अथवा नहीं, या वह लगभग बना चुका है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह निर्माण की किस स्थिति में है। उसकी तुलना में हमारी क्या स्थिति है? यदि हम बम बनाना चाहें तो मेरे विचार में, हम पीछे नहीं रहेंगे। मुद्दा यह है कि हमें परमाणु अस्त्रों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि इससे हमारी सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हमारी यह भ्रांति है कि हमें उन राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित होना चाहिए जिसे आतंक को संतुलित बनाये रखने का भरोसा है और जो आतंक के संतुलित के अन्तर्गत रहते हैं और उनका यह विचार है कि यही अधिक कारगर उपाय है। मेरे विचार से यह दर्शन विश्व में कहीं भी काम नहीं कर रहा है।

श्री गोस्वामी ने भी उस महान शांति आन्दोलन का उल्लेख किया है जो आज विश्व भर में चल रहा है। श्री दिनेश सिंह ने भी अमरीकियों तक अपनी बात पहुंचाने के बारे में कहा था। यह बहुत अच्छा विचार है, मैं इससे सहमत हूं। किन्तु पाकिस्तान के उन लोगों तक पहुंचने की चेष्टा के बारे में क्या रहा जो जिया-उल-हक के खिलाफ हैं। जनतंत्र को

बहाल करने के लिये पाकिस्तान में एक महान आन्दोलन चल रहा है। लोग गलियों से बाहर आकर बड़े साहस के साथ गोलियां और लाठियां खा रहे हैं। हर व्यक्ति जिया-उल-हक तो नहीं है। ऐसे भी सामान्य लोग हैं जो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, वे लोग अपनी सैनिक सरकार द्वारा उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं और वे लोग अमरीकियों की बढ़ती हुई उपस्थिति को पसंद नहीं करते हैं। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में लोग रीगन द्वारा संचालित नीतियों के प्रति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार वे लोग पाकिस्तान सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तथा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे ऐसे लोग हैं, जो हमारी शक्ति में सम्मिलित हैं, जो शांति के हिमायती हैं और मैत्री संबंध रखने में विश्वास रखते हैं। मेरे विचार से, हमें निश्चित रूप से परमाणु अस्त्रों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होना चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सभी प्रकार की उलझनों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये। अन्ततोगत्वा बहुत ही छोटे पड़ौसी देश हमारे साथ हैं। विश्व के इस भाग में हमारा देश सबसे विशाल है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारे बारे में अधिक शंका करें और हमसे भयभीत हों। हमें इस बात को भी ध्यान में रखकर विचार करना चाहिये।

मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हिन्द महासागर के मामले पर अधिक पहल करने की आवश्यकता है। जैसा कि अनेक सदस्य कह चुके हैं हिन्द महासागर क्षेत्र का हमारी सुरक्षा के लिये बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक क्षेत्र बन गया है। एक समारोह में, मेरे विचार से संभवतः आस्ट्रेलिया में हुए एक समारोह में बोलते हुए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने, यह कहा बताते हैं कि अब वह समय आ पहुंचा है जबकि उन सभी तटवर्ती देशों को जिनकी सीमायें हिन्द महासागर का स्पर्श करती हैं हिन्द महासागर के संबंध में विचार प्रकट करने के लिये कोई सामूहिक रूप से पहल करनी चाहिये तथापि कुछ व्यक्ति इसका विरोध करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार का सम्मेलन बहुत पहले ही किसी वर्ष में आयोजित किया जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन अभी तक नहीं किया जा सका है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने का इच्छुक नहीं है। उसे छोड़कर सोवियत रूस सहित सभी राष्ट्र इस प्रकार के सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? क्या हम लोगों को अनिश्चित काल तक इस प्रकार की स्थिति में रहना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस प्रकार की पहल करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये ताकि इस प्रकार के सम्मेलन में ऐसे अधिक से अधिक तटवर्ती राज्यों को जिनकी सीमायें हिन्द महासागर का स्पर्श करती हैं, भाग ले सकें जिसमें इस विषय पर चर्चा हो सके कि क्षेत्रीय शांति से क्या आशय है और हम लोगों को हिन्द महासागर के संबंध में हमें क्या करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सोवियत संघ का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। श्री गोर्बाचोव आ रहे हैं। आप उनसे इसके बारे में कह सकते हैं तथा एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के ऐसे अनेक राज्यों को इसके बारे में बता सकते हैं, जिन्हें इस क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक चिंता है। हमें संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा वीटो का प्रयोग किये जाने वाले किसी भी प्रयास का शिकार नहीं होना चाहिये क्योंकि अमरीका तो सदा ही इस प्रकार के सम्मेलन का विघटन करना चाहता है। मेरे विचार से यह एक ऐसी दिशा

है, जिसकी ओर बढ़ने की हमें चेष्टा करनी चाहिये। यदि अवॉक्स (ए० डब्ल्यू० ए० सी० एस०) का मुकाबला करना है तो उसका मुकाबला अनुरोध करके और दर्शन की बात करके तथा इस प्रकार की बातों से नहीं किया जा सकता है। यह कुछ दूरी की चुनौती अथवा एक दुरस्थ देश की चुनौती नहीं है। यह खतरनाक सैनिक अस्त्र है जो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये जा रहे हैं। उस सीमा तक मेरे विचार से उसका मुकाबला करने के लिये हमें कुछ न कुछ करना होगा। जैसा कि मेरा अनुमान क्या है कि उस पर बहुत अधिक धन राशि व्यय करनी होगी किन्तु आज ऐसी ही स्थिति बन गई है।

अन्त में, महोदय, हमें बताया गया है कि कास्पर बैनबरगर के साथ जो वार्ता हुई है, वह गुप्त है। उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उससे हमारी शंका और बढ़ती है। श्री बैनबरगर वाशिंगटन में एक महानतम सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। समस्त सैनिक औद्योगिक काम्पलैक्स में दो-तीन ही सुप्रसिद्ध सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले व्यक्ति और श्री बैनबरगर उन में से एक हैं। यदि आपको याद हो, गत वर्ष गोर्बाचोव के साथ प्रथम सम्मेलन में मिलने के लिये जब श्री रीगन हवाई जहाज से जैनेवा जा रहे थे तब श्री बैनबरगर ने ही विश्व के समाचार पत्रों को तथा कथित उस पत्र या दस्तावेज का रहस्य प्रकट करने का प्रबंध किया था जिसमें श्री रीगन को श्री गोर्बाचोव से बात-चीत करते समय सावधानी बरतने का तथा उनके जाल में न फंसने को कहा था और ऐसी किसी भी बात पर सहमत न होने को कहा गया था जिसके लिये अमरीका को बाद में खेद प्रकट करना पड़े। बैठक के आरम्भ होने से पहले अब श्री रीगन जैनेवा आते समय हवाई जहाज में ही थे तब इसी व्यक्ति ने सारी बातचीत को भंग कराने का भरसक प्रयत्न किया था। उसे यहां आमन्त्रित किया गया है। क्यों? वह रक्षा सचिव है। इसका मतलब है कि वह हमसे रक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिये आ रहा है। हम पहले ही रक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राज्य अमरीका से बात कर चुके हैं। हमने उन्हें अपने रक्षा उपकरणों तक पहुंचाने की कभी चेष्टा नहीं की। इसलिये मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि हम इस बात को यथावत नहीं चलने देंगे। इन कमियों को दूर किया जायगा। एक ओर तो आप पाकिस्तान में विशाल सैनिक कमप्लैक्स बनाने के लिये अमरीका को दोषी ठहराते हैं और दूसरी ओर कुछ उच्च किस्म के कम्प्युटर के लिये—मुझे नहीं पता कि आपको वह किस लिये चाहिये—हमें कम से कम अमरीका से सैनिक क्षेत्र में कोई रियायत नहीं लेनी चाहिये। फिलहाल मुझे इतना ही कहना था क्योंकि मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। हम सरकार से इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि इस अत्यधिक गंभीर स्थिति से निपटने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० नटवरसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महत्व के बड़े ही महत्वपूर्ण मसलों पर आज दोपहर में हमने एक बहुत ही उच्च स्तरीय चर्चा की है। इस चर्चा में दो भूतपूर्व विदेशमंत्रियों ने भाग लिया और जिस प्रकार निर्बाध रुप से श्री भगत ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उससे मुझे भी उनसे ईर्ष्या हो गयी है। इस समय वे साउथ ब्लाक में उपस्थित हैं। श्री बैनबर्गर की भारत यात्रा किये जाने के बारे में भारत के भूतपूर्व राजदूत, भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री विपक्षी दलों के विशिष्ट नेताओं तथा

श्री इन्दजीत जैसे महान व्यक्तियों में चर्चा की। उन्होने भारत यात्रा की क्योंकि 1985 में श्री नरसिंह राव ने अपनी अमरीका यात्रा के दौरान उन्हें भारत आने का निमन्त्रण दिया था तथा इस वर्ष श्री बलिराम भगत भी नहीं गए और उन्होंने भी भारत आने का निमन्त्रण दोहराया। उनकी यात्रा का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्रालय ने लिया था न कि विदेश मंत्रालय ने। मैं कोई फालतू नहीं बोल रहा हूं बल्कि तथ्य बता रहा हूं।

इस चर्चा के बारे में पिछले दिनों जो परिणाम निकले हैं मुझे प्रसन्नता है कि सदन उन पर एकमत है। श्री वेनबर्गर भारत पाये उन्होंने अवॉक्स के बारे में कुछ नहीं कहा उसके बाद वे पाकिस्तान चले गए तभी हमने इस बारे में सुना। और जब हमने इस बारे में सुना तो उच्च स्तर पर जिसमें श्री वेनबर्गर भी शामिल थे, इसका विरोध किया। राजदूत श्री कौल ने कल उन्हें देखा था तथा उन्होंने श्री आर्मीटेज को भी देखा था।

मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है जिसका शायद आपको अन्दाज न हो। मुझे श्री आर्मीटेज के संवाददाता सम्मेलन के अंश प्राप्त हुए हैं। श्री आर्मीटेज ने वास्तव में कहा है कि श्री वैनबर्गर का प्रयास प्रादेशिक तनाव को कम करना तथा इन दो देशों चीन तथा भारत के बीच जो कुछ मतभेद (गलत फहमियां) हैं उन्हें समाप्त करना है यह विश्वास करना मुश्किल है कि श्री वेनबर्गर का पाकिस्तान दौरा तथा एवाक्स का मकसद इस क्षेत्र में तनाव कम करना है। श्री आर्मीटेज को बधाई हो।

इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत में सेक्रेटरी की प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत बैठक को श्री राजीव गांधी के अनुरोध पर निर्धारित समय से दुगना कर दिया गया। यह बात उन्हें कहां से पता चला। श्री आर्मीटेज के संवाददाता सम्मेलन को लेकर मैं अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। इसका कोई फायदा नहीं है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लूंगा। यह किसी दल संबंधी विषय नहीं है। सर्वप्रथम मुझे सुझाव देने दीजिए कि यह चर्चा कतिपय विशेष घटनाओं से उत्पन्न हुई है। नामवार पाकिस्तान को प्रस्तावित एवॉक्स की बिक्री पाकिस्तान की आकविक क्षमता, ये दो मसले ही इस महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित हैं पहला तो अमरीका की लम्बी अवधि की युद्ध नीति संबंधी धारणा दूसरा इस धारणा के तहत पाकिस्तान को जो भूमिका करने को दी गई है हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे है। वे चाहे आज या कल बमों का निर्माण कर रहे हैं यह भिन्न बात है। इस क्षेत्र में वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी धारणायें क्या हैं ? यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इस बारे में कुछ बताऊं।

पिछले कुछ वर्षों में अमरीका की युद्ध संबंधी नीतियों में पाकिस्तान ने बहुत अहमियत अख्तियार की है तथा इन गतिविधियों से हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जब नवें दशक के मध्य में अमरीका ने पाकिस्तान को निर्धारित कार्यक्रम के रूप में हथियारों की आपूर्ति करनी शुरु की तो इसमें कोई शंका नहीं है कि सदन के माननीय सदस्य इस बात से परिचित न हों।

हमें पंडित जी के भाषणों की याद है। आज के संदर्भ में मैं उन्हें देखता हूं उस समय उन्होंने कितना सही कहा था। कितनी दूरदर्शिता उनमें थी। तब से अब तक हमारा बराबर

यह दृष्टिकोण रहा है कि हथियार देने वाले और हथियार प्राप्त करने वालों की जो भी सामरिक धाराएं रही हों, भारत पर इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। विश्व के इस भाग में क्या हो रहा है वे पाकिस्तान को किस तरह के हथियार दे रहें हैं। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहुंगा सिवाय इस बात के कि अवाक्स की प्रस्तावित बिक्री से बहुत जयादा फर्क पड़ेगा तथा हमारे देश के लिए गम्भीर समस्या खड़ी हो जायेगी। जैसा की माननीय सदस्य ने बताया कि इससे भारी परिवर्तन हुआ है। इस अवाक्स की आधुनिकता एवं क्षमता दिमाग को झरकार देने वाली हैं।

कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान को 3.2 बीलियन डालर दिए गए थे जब मैं वहां पर राजदूत था। ये दोनों बात किसी भी तरह आपस में संबंधित नहीं है। अब हमें सुनने में आया है कि सन 1986 से 1993 तक उन्हें 4.2 बीलियन डालर दिए जायेंगे। पाकिस्तान के प्रवक्ता ने कहा है कि यह राशि अवाक्स के लिए पर्याप्त नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के शास्त्रागारों में कितना पैसा लगाया जा रहा है। श्री वाहन बर्गर ने इसका कारण दिया है कि अफगानिस्तान से हवाई घुसपैठ हो रही है इसलिए इसे पाकिस्तान को दिया जायेगा।

महोदय, मैं पाकिस्तान में भारत का राजदूत रहा हूं तथा मुझे इस बात पर प्रेसीडेंट श्री जियाउल हक से चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ "महोदय, आप एफ–16 की खरीद क्यों कर रहे हैं। आपके अच्छे एवं शांतिप्रिय पडौसी होने के नाते मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि ऐसा करने की जरुरत क्या है। क्या आप इन्हें रूस के विरुद्ध काम में लेंगे। इसका उत्तर है नहीं। क्या इन्हें जीने के विरुद्ध उपयोग में लाया जायेगा। इसका भी स्वाभाविक है नहीं । या फिर इरान के विरुद्ध काम में लायेंगे। नहीं। अफगानिस्तान के साथ युद्ध में काम में आयेगा। जी नहीं। तो फिर आप इसका उपयोग किस के विरुद्ध करना चाहते हैं। पिछले इतिहास से हमें आपके इरादों की भनक पड़ती हैं तथा हम आपसे इस बात को जानने के अधिकारी हैं कि यह हथियार किस लिये हैं।"

इसके आगे की बात सुनिए। अमरीका के राज्य विभाग के एक वरिष्ठ सदस्य ने हमें बताया कि रक्षा सचिव के दौरे से इस क्षेत्र में तनाव में कमी आई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या।

श्री के० नटवर सिंह : तनाव में कमी आयी है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय : 'इज' नहीं। उन्होंने कहा है 'इजड'।

श्री के० नटवर सिंह : मेरे मित्र को अंग्रेजी का काफी अच्छा ज्ञान है।

महोदय, हमने अमरीकी प्रशासन को अपनी चिन्तायें बता दी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें जो प्रतिक्रियायं मिली हैं वे किसी भी प्रकार से हमारी और हमारे देश की चिन्ताओं को कम नहीं करती हैं। इस भेद खोलने वाली स्थिति पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार

करना चाहिए। हाल ही में दूसरे सदन में जो मैंने टिप्पणी की कि हमें "नम्रतापूर्वक" बात करनी चाहिए परन्तु तथ्यों पर अटल रहना चाहिए" श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस बात का उल्लेख किया है मुझे यह भी मालूम है कि कुटनीति में कटु शब्दों से कोई बात नहीं बनती नम्रता-पूर्वक ही बात की जा सकती है। मैं इस बात से अवगत हूं। केवल वाकटुटा एवं कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें इस स्थिति का सामना संयुक्त राष्ट्र होकर एकजुट संसद के साथ परिपक्वता तथा दिलेरी से करना चाहिए। मैं यह बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार के विदेश मंत्री की अनुपस्थिति में इस चर्चा पर बहस करने का मुझे जो सोभाग्य यहां प्राप्त हुआ है आज की गम्भीर स्थिति को समस्या को हल करने के लिए मैं कटु शब्दों कर उपयोग नहीं करूंगा।

सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान जो आणविक क्षमताओं के विकास करने का प्रयास कर रहा है इस बारे में सदन में जो चिन्ताएं व्यक्त की जाती रही हैं मैं उन पर आता हूं। आप के पास जो जानकारी है तथा अन्य स्रोतों से जो जानकारियां मिल रही हैं विशेष रूप में अमरीकी स्रोतों से उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि पाकिस्तान द्वारा बार-बार विरोध किये जाने के बाद भी आणविक हथियारों को प्राप्त करने के अन्तिम चरणों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे चाहे कुछ भी कहें। आज पाकिस्तान दूतावास ने श्री अय्यंगर द्वारा दिया गया हानिरहित वक्तव्य अखबारों में छापा है और उनसे जब पूछा गया कि 9 सितम्बर को क्या हुआ था उसका उन्होंने वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिया जिसे मेरे सहयोगी विस्तार में बता सकते हैं। परन्तु उस पर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। परन्तु इस समय मामला यह है पाकिस्तान की आणविक क्षमता को उन्हें आज विश्व के व्यापक संदर्भ में आंकना है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिये कर रहा हूं कि पाकिस्तान शायद यह कहना चाहता है कि उनके द्वारा आणविक क्षमताओं का विकास भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मामला है। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसा नहीं है। हमें पाकिस्तान की आणविक क्षमताओं को राजनीति एवं युद्ध संबंधी नीतियों से जोड़ना होगा जिसके तहत पाकिस्तान एक बड़ी भूमिका अदा करना चाहता है। हमें इसी बात को महसूस करना है। लोगों के मात्र यह कहने से कि आप पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करिये और कुछ हल निकालिये कुछ नहीं होने वाला है। आणविक समस्या अब विश्व की समस्या है। पाकिस्तान को अमरीका के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभानी है। इसलिये यह द्विपक्षीय मसला नहीं है। जब वे कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत साथ बैठकर समझौता हस्ताक्षर करके निरीक्षण कर सकते हैं।" तो यह बात असंगत है।

6.36 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अतः इस विषय में हमारी व्यापक चिन्ता बनी हुई है। पाकिस्तान अपनी युद्ध संबंधी नीतियों पर पर्दा डालने के लिये समय-समय पर हमें द्विपक्षीय समझौतों के प्रस्ताव देता रहा है। जिनका मैंने अभी जिक्र किया है मैं यहां पर समस्त भारत की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र आपसी विश्वास आपसी सहयोग और विकास का क्षेत्र बने

यही हमारी इच्छा है किन्तु इस परिकल्पना को तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है जब पाकिस्तान विश्व की समस्याओं में जिनसे इसका कोई सरोकार नहीं है हस्तक्षेप करना छोड़ दे।

6.37 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे देश तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र के लोगों की वास्तविक समस्या इन्हीं लोगों द्वारा सुलझाई जा सकती है जो इससे सम्बद्ध है। इसी आशा को लेकर हमने सार्क का गठन किया है। जिसकी कुछ ही दिनों में बंगलौर में उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है किन्तु यदि इस क्षेत्र के देश अपने अस्तोत्व को भुला दें और आपसी हितों के प्रति रूचि दिखायें तो निश्चित ही शांति सहयोग और विकास संबंधी बातें सफल हो सकती है।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा गये मुद्दों पर आता हूं किन्तु मैं सभा के तथा देश के समक्ष, पाकिस्तान को हथियार दिये जाने और पाकिस्तान द्वारा परमाणु कार्यक्रम तैयार किये जाने के समग्र प्रश्न को रखना चाहूंगा। इसमें न केवल क्षेत्रीय समस्याएं अन्तर्ग्रस्त हैं अपितु इसका विश्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। इस समस्या को हमने मिल-बैठकर सुलझाने का प्रयास किया है किन्तु इसका समाधान सम्भव नहीं लगता क्योंकि इसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं।

6.39 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

प्रो० स्वैल ने कई मुद्दे उठाये हैं। मैं उनकी इस चिन्ता से सहमत हूं कि पाकिस्तान को जो अवाक दिये जा रहे हैं उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के विरुद्ध होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अवाक का अफगानिस्तान सीमा पर प्रयोग नहीं किया जा सकता।

श्री के० नटवर सिंह : नहीं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे पास दस्तावेजों की सूची है जिसे मैं आपको दे सकता हूं और जो यह बताते हैं कि इनका इस्तेमाल उस क्षेत्र में नहीं हो सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी जानना चाहते थे कि जब हमें इस प्रस्ताव का पता लगा तो हमने क्या कार्यवाही की। अमरीकी राजदूत ने हमारे विदेश सचिव को 27 तारीख को बताया कि इस विशिष्ट व्यवस्था के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अभी समग्र प्रस्ताव आरम्भिक चरण में है। किन्तु अगर आप आर्मिटेज ने जो प्रैस सम्मेलन कहा है उसका अध्ययन करें तो आप का विचार कुछ और ही बनेगा तथापि अभी तक उनका कहना है कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है। हमने इस विषय में अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है।

श्री बी० आर० भगत : हमारे राजदूत को बेनबर्गर ने क्या उत्तर दिया।

श्री के० नटवर सिंह : मैंने राजनयिक भाषा में स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो चिन्ता व्यक्त की है उसका उन्होंने समाधान नहीं किया है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता।

श्री बी० आर० भगत : श्री वेनबर्गर ने हमारे राजदूत श्री कौल से कहा है कि पाकिस्तान को डावाकस की जरूरत है हाल ही में इस आशय का समाचार छपा है।

श्री के० नटवर सिंह : आप विदेश मंत्री रहे हैं और जानते हैं कि यह संदेश संहिताबद्ध तार के जरिये आते हैं। मैंने भारत सरकार के मंत्री के रूप में गोपनीयता बनाये रखने की शपथ ली है अतः मैं उस के बल विशेष को उद्धृत नहीं कर सकता। किन्तु जो आपने कहा वह सामान्यतः ठीक ही हो सकता है।

6.42 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार श्री दिनेश सिंह ने जिन्हें इन मामलों का व्यापक अनुभव है जो चिंता व्यक्त की है उससे हम सहमत हैं उन्होंने हिन्द महासागर में सुरक्षा संबंधी वातावरण में गिरावट आने की बात कही। जिसका श्री इन्दजीत गुप्त ने भी उल्लेख किया।

कई सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं। सर्वप्रथम मैं श्री रामूवालिया और श्रीमती मुखर्जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मामले को नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए, रखा। जिससे कि हम सदन के साथ अपने विचारों, चिन्ताओं और दुःखों को बांट सकें और इस मामले पर हड़बडाहट या जल्दी में नहीं बल्कि मन की धारणा के अनुसार विचार कर सकें। हम इस मामले पर विचार करने के लिए तैयार रहेंगे हमें मित्रों के साथ इस विषय पर क्या करना चाहिए इस बारे में चर्चा करेंगे। हम अपने संसाधनों और संपदा को भी यथासंभव देश के विकास कार्यक्रमों पर लगाना चाहते हैं। किन्तु यदि आवश्यकता हुई तो हम त्याग भी करेंगे ताकि इस देश की रक्षा की जा सके और हम इसकी रक्षा करेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव भी जो रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं और रक्षा संबंधी मामलों से परिचित थे सुरक्षा वातावरण और इससे होने वाले व्यापक परिवर्तन के बारे में बोले हैं। उन्होंने हमारे पड़ौसी देश के बारे में भी जो पिछले 30 वर्षों से वास्तव में 1954 से हथियारों को इकट्ठा कर रहा है उत्तरोत्तर विकास के साथ हथियार अधिकाधिक घातक होते चले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : : मंत्री जी, पंजाब में इन बातों से आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, इसलिए तैयार रहिए।

श्री के० नटवर सिंह : महोदय, मैं स्वयं को केवल इस विषय तक ही सीमित रखूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पंजाब इस विषय क्षेत्र से बाहर है।

श्री के० नटवर सिंह : उन्होंने श्री गोर्बाचेव का देश में आने का और पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री के बंगलौर आने का भी उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वे भी उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं।

मैंने श्री महन्ती के विचारों को बड़े आदर से सुना है। यदि किसी देश को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता से अलग करने का काम एक देश पर छोड़ दिया जाये तो संभवत: पाकिस्तान को ही इस आन्दोलन की सदस्यता से हटा दिया जायेगा। किन्तु ऐसा करना इतना आसान नहीं है।

आपने चीन पाकिस्तान सहयोग का भी हवाला दिया है लेकिन यह हमारे विषय से बाहर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ सप्ताह पहले कलकत्ता में इस विषय के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा था। श्री जयपाल रेड्डी ने मेरे विचार से "व्यापक परिवर्तन" मुहावरे का प्रयोग किया है। मेरे विचार से आपने जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे मैं सहमत हूं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता आपने जिस समाधान की ओर संभवत: इशारा किया है वह अपनी सीमा के बाहर कार्य करने के कारण हमारी अथवा अन्य किसी देश की पहुंच से बाहर है। यह एक वास्तविकता बन जायेगी; जब हम कोई समझौता करेंगे। मैं आदरपूर्वक कहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री की बहुत अधिक यात्राओं का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री की यात्राओं के विषय में कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का तीन साल तक अध्यक्ष रहा है और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य था कि वह समस्त विश्व का भ्रमण करें और शान्ति का संदेश प्रसारित करें तथा गुट-निरपेक्षता तथा विकास की विचारधारा को विश्व के कोने-कोने तक पहुचाएं। इसलिए ऐसा किया गया। वह कोई आनन्ददायक प्रवास नहीं था मैं उनके साथ रहा हूं वे वहां मौज मनाने नहीं गये थे। यदि वह भ्रमण नहीं करते तो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के नाते भारत की ओर से यह अपने कर्तव्य की अवहेलना होती इसलिए उनके लिए इतना अधिक भ्रमण करना आवश्यक था। आपने एन० पी० टी० का भी उल्लेख किया है। आप इन कारणों को जानते हैं जिसके कारण हमने हस्ताक्षर नहीं किये और अब भी वही कारण मौजूद है।

मैंने श्री बलिराम भगत के भाषण का हवाला दिया था। अगर मैं सम्मानपूर्वक कहता हूं कि यह एक अच्छा भाषण था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको यही कहना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने अपने जीवन का बड़ा भाग कूटनीति में बिताया है। [हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : कभी नटवर सिंह जी बोलते हैं और कभी मिनिस्टर...

श्री के नटवर सिंह : आपसे मैं बहुत डरता हूं; आप कहीं कविता पढ़ दोगे तो मुश्किल हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : दूध और चावल जब मिलते हैं तभी खीर बनती है।

श्री के० नटवर सिंह : श्री दिनेश गोस्वामी ने हवाला दिया है कि हमने नीदरलैण्ड के साथ क्या किया है आदि-आदि। वैसे साफ-साफ शब्दों में कहा जाए तो यह बहुत कम

था। लेकिन नीदरलैण्ड सरकार स्वयं उस विशेष व्यक्ति के कार्यों से अप्रसन्न थी जिसने उनके अतिथि-सत्कार का दुरुपयोग किया था। इससे अधिक कठोर शब्दों में मैं कुछ नहीं कहूंगा। भगतजी ने तो उसका नाम लिया है।

श्री बी० आर० भगत : मैंने पश्चिम समाचार पत्र से उद्धृत किया है।

श्री के० नटवर सिंह : इसलिए, कनाडा वाले उत्सुक थे .....(व्यवधान) कोई भी नहीं चाहता कि इस प्रकार की चोरी हो अगर आप आज के 'टाइम्स आफ इण्डिया' को पढ़ें तो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान सरकार बम बनाने के लिए आवश्यक चीजें किसी भी स्रोत से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अगर आप 'लपेयर कोलिन्स' की पुस्तक "दा फिफ्थ होर्समैन" पढ़ें तो आप जान जाएंगे कि इन्हें मिलाना कितना आसान है, लेकिन क्या आप जानना चाहते है कि अगर ऐसी घटना घटित होती है तो अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि 27 तारीख को वह अमेरिका के राष्ट्रपति के वक्तव्य का हवाला देंगे 'वाशिंगटन पोस्ट' स्टोरी ने कुछ और कहा है और श्री नारायणन इसका हवाला देंगे क्योंकि उनका विभाग उस विषय विशेष को देखता है। मैं श्री गोस्वामी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ज्ञान का प्रश्न उठाया है जिसका हवाला थोड़ी देर पहले मैंने अपने वक्तव्य में दिया है और इसी को हमने देखना है। इसका विकल्प क्या है। छः राष्ट्रों ने शान्ति की घोषणा की है जिसका सभी ने स्वागत किया इसका सोवियत संघ ने स्वागत किया, गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने स्वागत किया। इस तरीके से हम कुछ समस्याओं का, जो यहां हैं, का समाधान कर सकते हैं।

अन्त में मैं सदन का उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं और मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में किसी ने भी इस घटना को इतने हल्के ढंग से नहीं लिया है। हम काफी चिन्तित हैं और सदन को जब कभी आवश्यक हुआ इस बारे में जानकारी देते रहेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : केवल एक मुद्दा भारत सरकार अमरीका को राजी करने के लिए क्या करना चाहती है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे कहा जा सकता है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे देश को इसका विरोध करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ संभव हो सकता है, कर रहे हैं और मेरे विचार से यह एक अच्छी चर्चा है। मेरी केवल यही इच्छा है कि कल जो लोग जोरदार भाषण कर रहे थे उनको आज भी एक अच्छे वाद-विवाद और उत्तर को सुनने के लिए उपस्थित होना चाहिए था।

6.52 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 7 नवम्बर 1986/16 कार्तिक, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

MGIPF——80LSS 87—3-9-87--185.